जगद्गुरु शङ्कराचार्य

धर्मक्रान्ति से कारागार तक

सम्पादक

ब्रह्मचारी सुबुद्धानन्द

जगद्गुरु शङ्कराचार्य
धर्मक्रान्ति से कारागार तक

(ज्योतिष् एवं द्वारका-शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती महाराज की लोक कल्याण यात्रा)

सम्पादक :

ब्रह्मचारी सुबुद्धानन्द

प्रकाशक :

अखिल भारतीय श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति
भोपाल (म०प्र०)

सहयोग निधि :

रुपये : दो सौ मात्र

प्राप्ति स्थान :

(१) परमहंसी गंगा आश्रम

श्रीवनम्

पोस्ट – झोंतेश्वर

जिला – नरसिंहपुर

(मध्य प्रदेश)

(२) बगलामुखी आश्रम

जबलपुर

(३) श्रीविद्यामठ

केदारघाट, वाराणसी

मुद्रक :

वी. प्रिन्ट्स, वाराणसी
(उत्तर प्रदेश)

निवेदन

श्री राम जन्मभूमि का विवाद वर्षों से चल रहा है। हिन्दुओं को नीचा दिखाने के लिए बाहर से आये आक्रान्ता बाबर के सेनापति मीरवाकी ने सम्राट विक्रमादित्य द्वारा निर्मित मन्दिर को तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया और उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि के स्थान पर एक आततायी की स्मृति बन गई। हिन्दू जब भी अयोध्या जाता है और वहां अपने आराध्य श्री राम की जन्मस्थली में मस्जिद देखता है तो उसका मन द्वेष और घृणा से भर जाता है। उस विद्वेष और घृणा को समाप्त करने का उपाय है, भगवान श्री राम की जन्मस्थली हिन्दुओं को सौंप दी जाय। वैसे उक्त स्थल में ४० वर्षों से भगवान रामलला की पूजा हो रही है।

परम पूज्य गुरुदेव जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द जी सरस्वती महाराज ने घृणा और द्वेष समाप्त करने हेतु भगवान श्री राम की जन्मभूमि के उद्धार का शंखनाद किया और राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति का गठन किया। पूज्य महाराज श्री ने काशी के विद्वानों से श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास का मुहूर्त निकलवाया और भगवान श्री द्वारकाधीश के मन्दिर से अयोध्या के लिए कूच किया। अयोध्या जाने के पूर्व ही आजमगढ़ जिले के फूलपुर पहुँचने के पहले ही महाराज श्री को गिरफ्तार कर लिया। पूज्य महाराज जी को रात भर जंगलों में घुमाया और प्रातःकाल चुनार के किले को अस्थायी जेल बनाकर उसमें रखा। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कई भ्रामक चर्चाएँ चलीं, जितने मुँह उतनी बातें। वस्तु स्थिति से अवगत कराने हेतु "श्री शङ्कराचार्य धर्मक्रान्ति से कारागार तक" नामक संकलन प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूज्य श्री चरणों की गिरफ्तारी के बाद जो प्रतिक्रियाएँ हुईं वे प्रकाशित की जा रही हैं। सभी नगरों में तथा सभी वर्ग के लोगों द्वारा गिरफ्तारी का विरोध किया गया था परन्तु हमें पूरा उपलब्ध नहीं हो पाया है। जितना उपलब्ध हुआ है वह आपके समक्ष है।

पूज्य श्री चरणों की गिरफ्तारी के समय जिन्होंने उपवास किये, गिरफ्तारी दी, शान्तिपूर्ण आन्दोलन किये उन सभी को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

शिलान्यास यात्रा के दौरान अयोध्या में अग्नि अखाड़े के अध्यक्ष एवं श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के अध्यक्ष महन्त श्री गोपालानन्द जी ने अपने सहयोगी सन्तों के साथ जिस उदार भावना से व्यवस्था की वह सदा स्मरणीय रहेगी। श्री गोविन्दानन्द जी कलकत्ते के प्रसिद्ध पत्रकार श्री निर्भीक जोशी, धर्मप्रचारक श्री चण्डी प्रसाद शास्त्री, श्री तुरीयानन्द ब्रह्मचारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद शास्त्री, श्री कन्हैया सिंह, श्री

आत्मा राम मिश्र, श्री विष्णु पाण्डे (होशंगाबाद) श्री कैलाशनाथ द्विवेदी, श्री प्रकाशानन्द ब्रह्मचारी, शङ्कराचार्य नगर, श्री अनिल पाटोदिया इन सबने बड़ी तत्परता से भगवान राम के कार्य में सहयोग दिया और जेलयात्रा भी की। कलकत्ता के पाटोदिया परिवार के प्रमुख श्री किरोड़ी प्रसाद पाटोदिया, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हीरा देवी पाटोदिया, पुत्रवधू श्रीमती उषा पाटोदिया, एवं अपने नन्हें पौत्र के साथ अयोध्या में रहकर तन-मन-धन से कुशलता पूर्वक व्यवस्था की उसकी सराहना करना कठिन है, उनके लिए परमपूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें भक्तिभाव से ओत-प्रोत कर दें और समृद्धि दें, जिससे वे निरन्तर धर्म की सेवा करते रहें।

अयोध्या के प्रसिद्ध सन्त श्री लक्ष्मण किलाधीश जी एवं जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री माधवाचार्य जी महाराज का शुभाशीर्वाद तथा मार्ग दर्शन निरन्तर मिलता रहा है, भविष्य में भी श्रीरामकार्य हेतु उनके शुभाशीर्वाद की अपेक्षा रहेगी। अयोध्या बड़ा स्थान के महन्त विन्दुगद्याचार्य श्री विश्वनाथ प्रसादाचार्यजी ने भी ७ मई को सन्तों के साथ गिरफ्तारी देकर सभी का हौसला बढ़ाया था, आगे भी हम उनके सहयोग की कामना करते हैं। साप्ताहिक राम जन्मभूमि पत्र के सम्पादक श्रीयुगल किशोर शरण शास्त्री एवं महन्त श्री रामआसरे दास जी का सहयोग सराहनीय रहा। श्री वैद्य दामोदाचार्य जी एवं कनक भवन के पदाधिकारियों का भी सहयोग रहा।

प्रस्तुत पुस्तक का शुभारम्भ पूज्य महाराजश्री के विचारों से हुआ है। गिरफ्तारी की प्रतिक्रियाओं के साथ-२ सैय्यद शहाबुद्दीन एवं विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकारी अध्यक्ष श्री विष्णु, हरि डालमिया इन दोनों के पत्र और उत्तर अक्षरशः प्रकाशित किया गया है। पुस्तक के परिशिष्ट में विश्व हिन्दू परिषद द्वारा किया जा रहा पूज्य शङ्कराचार्य जी के सम्बन्ध में भ्रामक प्रचार का उत्तर विशेष पठनीय है।

पुस्तक के प्रकाशन में अग्नि अखाड़े के श्री गोपालानन्द जी ब्रह्मचारी, चातुर्मास्य स्वागत समिति कलकत्ता, प्रूफ रीडिंग में श्री स्वयंभू चैतन्यजी ब्रह्मचारी एवं भाई श्री निर्भीक जोशी, नई दिल्ली दैनिक वीर अर्जुन के सम्पादक भाई श्री अनिल नरेन्द्र, सनातन धर्म सभा के श्री रमाकान्त गोस्वामी श्री कौशल किशोर शर्मा, गोरखनाथ सम्प्रदाय के महन्त कैलाशनाथ, श्री सत्यनारायण गुप्ता घीवाले, श्री अमरनाथ गुप्ता, श्री वैकुण्ठ नाथ शर्मा आदि का सराहनीय सहयोग मिला। इनके उत्साह का जितनी भी सराहना की जाय वह कम है।

पुस्तक प्रकाशन में श्री शिवशंकर बीदासरिया ने प्रोत्साहित कर सहयोग दिया। श्री मेहता फाईन आर्ट प्रेस के संचालक श्री मदन कुमारजी ने भी इसे प्रकाशित करने में अपनी तत्परता दिखाई उनके भी हम आभारी हैं।

अन्त में मैं अपने भाई श्री कैलाश जोशी महू जो मेरे साथ निरन्तर सहयोगी रहे, उन्हें भी साधुवाद देता हूँ। मेरे सभी उन सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष में मेरा सहयोग किया है। पुस्तक में दो शब्द कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले दैनिक सन्मार्ग के सम्पादक भाई श्री रामावतार गुप्त ने लिखकर पुस्तक की भावना को संजोया है।

परमपूज्य गुरुदेव एवं भगवान श्री रामलला को कोटिशः प्रणाम।

ब्रह्मचारी सुबुद्धानन्द
सम्पादक

द्वितीय संस्करण की भूमिका

महामनीषी की लोक कल्याण यात्रा

(धर्मक्रान्ति से कारागार तक)

ज्योतिष एवं द्वारका-शारदापीठाधीश्वर भारत के धार्मिक-आध्यात्मिक मंच के मनस्वी नायक हैं। वे भारतीय वेद मनीषा के संरक्षक के रूप में 'तदात्मानं सृजाम्यहम्' के मूर्तिमान भगवदंश हैं, भगवत्स्वरूप हैं तथा श्री मदाद्यशङ्कराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा पूज्यस्वामी करपात्री महाराज की लोककल्याणकारी यात्रा के जीवन्त पथिक हैं। शक्ति सामर्थ्य से सम्पन्न आध्यात्मिक विभूति से विभूषित महामनीषी का अवतरण दीन-दुःखियों तथा आर्ततप्त प्राणियों के परित्राण हेतु ही हुआ है। श्रीमद् भागवत्कार के शब्दों में- "एता वान्हि प्रभोरर्थो यद् दीन परिपालनम्"[१] तपस्वी महामनीषी अपने प्राणों की बलि देकर भी दीन-हीन, आर्तप्राणियों की रक्षा करते आए हैं। भगवान शिव ने इसीलिए विषपान किया था, गंगा को धारण किया था, क्योंकि ये दोनों कार्य लोककल्याण के कार्य थे और अन्य किसी द्वारा भी सम्पादित नहीं किए जा सकते थे-

गंगाधृता न भवता, शिवपावनीति।
नास्वादितो मधुर इत्यपि काल कूटः।
त्रैलोक्यरक्षणा कृता भवता दयलो।
कर्म द्वयंकलित मेतदनन्यसाध्यम्।।[२]

वस्तुतः परमार्थरत महामनीषी जनता के कष्ट के निवारण हेतु स्वयं कष्ट सहन करते हैं, दूसरों के दुःख से दुःखी होते हैं, आर्त प्राणियों के आंसू के बदले हजार आंसू बहाने को तैयार रहते हैं। उनके लिए यह दुःखानुभूति नहीं है, वरन् प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान परमात्मा की आराधना का कार्य है। ऐसे ही अकारण करुण उपकारी मनीषी भगवत् कृपा के प्रत्यक्ष पात्र होते हैं।

आज देश में आध्यात्मिक मूल्यों में न्यूनता के कारण हम भारतीयता के पथ से भटक रहे हैं, सर्वत्र अनाचार, भ्रष्टाचार, परस्पर अविश्वास की भावना तथा अन्य असद् प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। गोस्वामी जी की यह उक्ति पूर्णतः चरितार्थ है कि 'खल हुलसत विलसत खलई है' ऐसी परिस्थिति में हमें एक ऐसे 'गुरू शंकर रूपिणम्'

---

१. ८/७/३८

२. अप्पय दीक्षित

की आवश्यकता दिखाई पड़ी है जो मानव के सरोवर से मंथन कर सद् प्रवृत्तिरूपी अमृत को लोक कल्याण के लिए उपलब्ध कराये तथा असद् प्रवृत्तिरूपी विष को अपनी तपश्चर्या कण्ठ में रखकर लोक विनाश को बचा ले। हमारे परम पूज्य जगद्गुरुजी 'पुरुषौ वै समुद्रः' के अमृत मंथक हैं। जो पावकानः सरस्वती के माध्यम से ज्ञान सरिता का प्रवाह कर पारमार्थिक मंगल कामना करते हैं। उसी में अपने मंगल को देखते हैं और व्यष्टि के सुखों को समष्टि में अर्पित कर देते हैं। भयंकर पापाचार से तप्त जनता को उससे मुक्ति दिलाकर उसे अन्तिम पुरुषार्थ की ओर ले जाना ही महामनीषी की परम साधना है। जिसे श्रीमद्भागवतकार ने इस श्लोक में व्यक्त किया है। 'तप्यन्ते लोक तापेन प्रायशो साधवो जनाः परमाराधनं तद्धि पुरुष्यस्या खिलात्मनः'[१] लोक कल्याण की भावना मनीषी को सुख में दुःख में विपरीत एवं अनुकूल परिस्थिति में समरसता के वातावरण में पुष्ट करते रहने का संकल्प दिलाती रहती है। शरद ऋतु की ताप भरी विभावरी हो या ज्येष्ठ मास की दीर्घ दाघनिदाघ की व्याकुलता हो, लोक कल्याणरत महामनीषी का यही संकल्प है। 'चरैवेति चरैवेति चरनवैमधु विन्दति।'

जगद्गुरु शङ्कराचार्य : धर्मक्रान्ति से कारागार तक, परमपूज्य महान लोक मंगलकारी पूज्यवर के श्रीराम जन्मभूमि के सन्दर्भ में उनकी धर्म क्रान्ति यात्रा, उनकी कारागार यात्रा तथा रामजन्मभूमि के सन्दर्भ में सनातनी धार्मिक मूल्यों के संरक्षण हेतु उनकी अनवरत कार्यरतता की गाथा को १९९१ में अखिल भारतीय श्रीरामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति भोपाल (मध्य प्रदेश) ने हमारे सम्पादन में पुस्तकाकार रूप दिया था। पूज्यवर ने न्यायालय में उक्त संस्था के संरक्षक के रूप में संस्था के पदाधिकारियों को प्रतिवादी बनने का आदेश दिया था और उक्त संस्था ने प्रतिवादी संख्या २० के रूप में वाद की सुनवाई में अपना प्रबल पक्ष प्रस्तुत किया। परणिामस्वरूप वाद का निर्णय हिन्दुओं के पक्ष में हुआ। इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण में वाद संस्थापन का इतिहास, पक्षकारों के तर्क तथा निर्णय का सारांश प्रस्तुत कर सर्वसाधारण को इस सन्दर्भ में समुचित एवं सार्थक सूचना प्रदान की जा रही है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि परमपूज्य श्री चरण श्रीरामजन्मभूमि के सन्दर्भ में सामाजिक समरसता, सौमनस्यता, सद्भाव, सौहार्द एवं देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति पारस्परिक प्रगाढ़ता की वृद्धि की नीति के प्रणेता हैं। इसीलिए उन्होंने अनेक बार यह अभिकथित किया है कि हम किसी समुदाय को चिढ़ाकर या किसी का दिल दुखाकर कोई कार्य नहीं करना चाहते। इसीलिए हमने अदालती कार्यवाही में हिस्सा लिया है। इस सन्दर्भ में श्री सज्जन कुमार सर्राफ, संयोजक अखिल भारतीय श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तत्कालीन प्रेस विज्ञप्ति यहाँ अविकल प्रस्तुत है–

---

१. ३/८/४४

"पाठकों की जानकारी के लिए हम यहाँ श्रीराम जन्मभूमि से सम्बन्धित वाद का इतिहास, प्रमुख वाद बिन्दु तथा पूज्यवर की अधिवक्ता सुश्री रंजना अग्निहोत्री द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों तथा न्यायालय निर्णय का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

अयोध्या माहात्म्य

अयोध्या कोटि कोटि सनातनी जनता की आराध्यस्थली है। वह साक्षात् भगवान श्रीराम की मूर्तिमयी स्थली है। वहाँ पाप कृत्य प्रतिपादित नहीं होते तथा वह सदैव पुण्यमयी बनी रहती है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि भगवान् श्रीराम के मार्ग में पथिक जितना कदम चलता है, उतने कदम-कदम पर उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। वहाँ जीवित अवस्था में ही मनुष्यों को तारने वाली पुण्य सलिला सरयू जी विराजमान हैं। ब्रह्मा एवं विष्णु के मिलन के समय भावाभिव्यक्ति के जो प्रेमाश्रु निकले थे उसे अपने मानसिक सरोवर में ब्रह्मा जी ने रखा था और भगवान शिव को प्रस्तुत किया था। उसी मानसरोवर से उत्पन्न होने के कारण उसका नेत्रजाया ब्रह्ममानस तीर्थ का नाम पड़ा और उसी सरोवर से उत्पन्न होने के कारण उसका सरयू नाम दिया गया।

स्वर्ग द्वार तीर्थ, श्री चन्द्र हरि मन्दिर, श्री नागेश्वर नाथ मन्दिर, भगवती विदेह तनया सहित रत्न सिंहासन पर विराजमान धनुषबाण धारी भगवान श्रीराम, हनुमानगढ़ी, सीताकूप तीर्थ, कनकभवन, मत्त गजेन्द्र, सप्तसागर तीर्थ, देवकाली, सूर्यकुण्ड, सहस्त्रधारा, श्री लक्ष्मण मन्दिर, श्री गुप्तहरिघाट, श्री निर्मली कुण्ड, श्रीमनोरमा तीर्थ, विल्वहरि, नन्दीग्राम एवं भरत तीर्थ, श्री वशिष्ठ कुण्ड, श्री पुण्यहरि, माणी पर्वत, श्री विद्याकुण्ड एवं भगवान श्रीराम की जन्मभूमि की पावन पवित्र स्थली, श्री अयोध्या धाम को प्रभु का मूर्तमान रूप बना देती है।[१]

भगवान भाष्यकारने सौन्दर्य लहरी[२] में श्रीरामनगरी अयोध्या को विशाला, कल्याणगुण विशिष्टा, स्फुट रुचि पराम्बा की दृष्टि के सदृश की संज्ञा दी है।

"विशाला कल्याणी स्फूटरुचिरयोध्या कुवलयैः ।
कृपाधाराऽऽधारा किमपिं मधुराऽऽभोगवतिका ।।
अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगर विस्तार विजया ।
धुवं तत्तन्नाम व्यवहरणयोग्या विजयते ।।

---

१. पुण्य श्लोक के इन सभी पुण्य स्थलों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।
२. श्लोक ४९.

यहाँ अयोध्या को 'स्फुट रुचिः स्फुटा प्रकटा रुचिः कान्तिर्यस्याः सा अयोध्या'[१] की संज्ञा दी गई है तथा भगवती के कृपा कटाक्षानुसार नगरी के नामकरण को रेखांकित किया गया है। अयोध्या व्यक्त कान्तिः, कुवलयै रिन्दीवरैः पृथिवी मण्डलैश्च अयोध्या' अथ कुवलयैः पृथिवी मण्डलैरयोध्या, अयोध्यारघुनाथनगरीः।

महिमामयी अयोध्या की महिमा की मुकुटमणि श्रीरामजन्मभूमि का उद्धार महामनीषी की मंगलमय लोकयात्रा के कण्टकाकीर्ण पथ का दिव्य संबल है। वह लोकयात्रा समस्त प्राणियों के पारमार्थिक मंगल कामना के सूत्र को पिरोने की वैदिक गाथा है। यह यात्रा समष्टि के मंगलोत्थान में व्यष्टि के मंगलोत्थान की दृष्टि की समग्रता की पौराणिक कथा है, जिसमें प्राचीनता के अवशेष नवीनता के उन्मेष को अग्रसारित कर रहे हैं। यह मंगलमय लोकयात्रा अनन्त ब्रह्माण्डगत सौन्दर्य माधुर्यादि विन्दुओं के उद्गम स्थल सौन्दर्यादि सुधा जलनिधि भगवान के मधुर स्वरूप में आसक्त होकर, उससे प्राप्त सौन्दर्य बिन्दु को लोक कल्याण, लोक उत्थान तथा सामाजिक समरसता की वेदी पर लुटा देने की मोहक एवं प्रेरक सद्गाथा है। यह एक ऐसे सर्वभूत सुहृद की यात्रा का वृतान्त है जिन्होंने अपने जप, तप, अपनी ध्यान पूजा से प्राप्त सिद्धियों तथा परासिद्धियों को आर्त प्राणियों के आर्तनाशन कार्यक्रम में लगाकर उन्हें आर्तविमुक्त कर दिया। निष्पक्षता, स्वरूप की आकर्षक भव्यता, दिव्यस्मरण शक्ति, भक्ति का उद्रेक, परोपकारिता, सर्वजन कल्याण की अनुदिन मंगल कामना, दयालुता, परदुखकातरता, समभाव, बाल सुलभ प्रसन्नता एवं निश्चिन्तता तथा वैयक्तिक संकलित अर्जन को लोककल्याण पर न्योछावर करने की अदम्य उत्साहमयी भावना ही महामनीषी की मंगलमय लोकयात्रा को लोकोत्तर बना देती है। यह मात्रा को तन्मात्रा में तिरोहित करना है। ऐसी ही यात्रा को वेदान्ती लोक "चिति-तन्मात्रा" कहते हैं। कर्त्तव्य का सौन्दर्य किसी परिभाषा की अपेक्षा नहीं रखता। लोककल्याण की चेतना भावों की उदर सरिता में हिलोरे लेने लगती है। सौन्दर्य बाहरी आवरण की दुनिया को छोड़कर अन्तःकरण की दिव्य अनुभूति में उतर जाता है। स्थूल सूक्ष्म में समाहित होने लगता है तथा लोककन्याण की लोकातीतरसमयता विराटसत्ता का साक्षात्कार कराने लगती है। मंगल मय लोककल्याण यात्रा का यही सोपान है, जहाँ पथिक अपने लिए नहीं लोकमंगल के लिए जीता है, जहाँ चिरायुता शील मंगल से युक्त होकर अपने लक्ष्य प्राप्ति तक आगे बढ़ती रहती है। महामनीषी की यह लोकयात्रा इनके वर्तमान अवतरण की दिव्य लीला तो है ही, पूर्वजन्म में भी यह यात्रा निर्बाधगति से सम्पन्न हुई होगी और यह वर्तमान यात्रा उसी का शेष चिन्ह या अवचेतन में छिपे संस्कार का मूर्तमान रूप है।

---

१. इसके विस्तृत अर्थ के परिज्ञान हेतु सौन्दर्य लहरी की लक्ष्मीधरा, गोपालसुन्दरी, आनन्द लहरी, पदार्थ चन्द्रिका तथा तात्पर्य दीपिनी टीका का अवलोकन करें।

"तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्व।
भावास्थिराणि जनन्तार सौहृदानि।"[१]

पूज्यवर की लोकयात्रा वाह्य प्रचार या दिखाने का आडम्बर नहीं है, वह पर दुःख कातरता के आन्तरिक सौन्दर्य का वाहक है। वह यात्रा किसी विशेषण की अपेक्षा नहींरखती, वरन् कैवल्यता का संवाहक बन जाती है। यह यात्रा अन्धकार के वातावरण में सत्य के प्रकाश की खोज की यात्रा है। यह एक ऐसे धर्म सम्राट की लोकयात्रा की सुमधुर कथा है जिन्होंने अपने वैयक्तिक सुख-सौन्दर्य के साधन को दूसरों के लिए छोड़कर स्वयं अकिंचन बनना स्वीकार किया है। यह जीवत्व की शिवत्व बनने की कहानी है। यह एक ऐसे मनीषी की लोकमंगल यात्रा है जिन्होंने सांसारिक आध्यात्मिक "हद, बेहद तथा हद एवं बेहद" की सीमा पार कर जागतिक सौन्दर्यानुभूति को आध्यात्मिक सौन्दर्यानुभूति से जोड़ दिया है। यही तो सर्वमंगल में अपने मंगल को देखने की 'फकीरी' है।

"हद तपे सो औलिया, बेहद तपे सो पीर।
हद-बेहद दोनों तपे ताको नाम फकीर।।"

इन महामनीषी ने अपने लोक मंगल यात्रा की अथक कड़ी में मानव जीवन की विविघता के समुद्र का मंथन कर अमृतमयी कृपा का प्रसाद लोक में बांट दिया तथा लोक को अमंगल से बचाने के लिए स्वयं कष्ट, पीड़ा, व्यथा, अभाव तथा संत्रास का विषपान कर लिया। ऐसे ही महामनीषियों के लिए यह कहा गया है कि, "सिर्फ अमृत की आशा लिए ही लिए हमने सारा जनम सिन्धु मन्थन किया। जो किनारे थे वो वारुणी पा गये, हमको विष मिल गया, आचमन के लिए।" मानव जीवन की विलोमधर्मी परिस्थितियों के बीच मंगल सम्बन्ध एवं मंगल कामना की नियामक यह लोक यात्रा शिवत्व अर्थात् लोक कल्याण का सेतु उपस्थापित करती है। परम पूज्य इसी आत्मबोध के सेतु पर अवस्थित होकर संकट की घड़ी में भी मंगल भविष्य की सम्भावना देखते हैं। पतझड़ में भी वासन्ती किसलय से ओत-प्रोत रहते हैं, व्यक्त में अव्यक्त की अनुभूति करते हैं। इसी को वृहारण्यकोपनिषत में "एष सेतुविर्धरणाः कहा गया है, जहाँ आकर आत्मबोध चेतना के विराट आयाम को उकेर देता है, हृदय का बन्द कपाट खुल जाता है, मन विशालता का अवलम्बन ग्रहण करता है, तथा व्यष्टि में

---

१. कालिदास : अभिज्ञान शाकुन्तलम् ५/२

समष्टि के भाव का स्पन्दन सिहरने लगता है। इसी को उपनिषद् में विस्तार से समझाया गया है।

स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु च एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा त्रिविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेनैतमेव विदित्वा मुनिर्भवति एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति एतद्ध स्म वैतत्पूर्वे विद्वाँसः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति ने ह स्म पुत्रैषणायाश्च चित्तैपणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति या ह्येव पुत्रैषणा सा वित्तैषणा या चित्तैषणा सा लोकैषणोभे ह्येते एषणे एव भवतः। स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो नहि गृह्यतेऽशीर्यो नहि शीर्यतेऽसङ्गो नहि सज्जतेऽसितो न व्यथते न रिष्यत्येतमुहैवैते न तरत इत्यतः पापमकरवसित्यतः कल्याणमकरवमित्युभे उ हैवैष एते तरति नैनं कृताकृते तपतः।।२२।।[१]

अतः जब हम भाव विह्वल होकर महामनीषी के लोकोत्तर व्यक्तित्व का सामीप्य ग्रहण करते हैं तब वह उनके अशेष आशीष की वर्षा, उस सान्निध्य की अनुभूति, उनके लोक कल्याण के पथ पर अडिग बने रहने का शिव संकल्प तथा लोकमंगल की सतत कामना एक अद्‌भुत मंगलबोध की अनुभूति कराता है। शिवत्व की आधार शिला लोककल्याण है, सभी के कल्याण के भाव का आत्मीकरण तथा सबकी मंगल कामना की भावोद्रेकता ही शिवता या कल्याण का मूर्तमान रूप है। महामनीषी की लोक मंगलयात्रा का उद्देश्य सांसारिक जीवन में अनेक प्रकार के घुले हुए विष को पचाकर उस पर विजय पाकर सबको अमृतमय कर देना है। सत् पक्ष के अमृत को सुलभ कराना तथा असत् पक्ष के विष को दूर करना ही शिवतव है और इसीलिए 'गुरुशंकररूपिणम्' कहा गया है। परम पूज्यवर भौतिकता को आध्यात्मिकता से जोड़कर सामाजिक कल्याण का पथ संचालित करते हैं। उनकी लोकमंगल यात्रा भौतिकता तथा पाश्चात्यवर्तनी जीवन शैली को शुद्ध उदात्त तथा मंगलोन्मुख कर रही है। आध्यात्मिकता को नया आयाम मिला है। वह आयाम है आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा आत्मशुद्धि की प्रक्रिया को अपनाने की ललक, जिससे मानव परम भागवत होकर समस्त संसार को मंगल एवं कल्याण के पथ पर ले जाने के प्रयास का मार्गी हो सकता है। पूज्यवर अविद्या अर्थात् भौतिकता और विद्या अर्थात् आत्यात्मिकता के समन्वयक हैं और ईशावास्योपनिषत् के इस मंत्र के मंगलमय मूर्तरूप हैं कि जो विद्या–अविद्या

---

१. वृहदारण्यकोपनिषत् ४/४/२२.

दोनों को एक साथ समझता है, आचरण करता है, वह अविद्या से मृत्यु का तरण कर विद्या से अमृत की प्राप्ति करता है।

"विद्यां चाविद्यां च यस्तद् वेदो भयं सह।[१]
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते।।

अतः यह लोकयात्रा विद्या-अविद्या का संयोग कराकर ससीम को असीम की ओर उन्मुख करने का सहज योग है, उधर प्रवेश करने का सुगम सोपान है। अमंगल में मंगल देखना, भौतिकता में आध्यात्मिकता का पुट देना ही इस लोक मंगलयात्रा का मंगलाचरण है। यह यात्रा सौमनस्य, सामंजस्य तथा सद्भाव की संवाहिका है। परस्पर विरोधी द्वन्द्वों एवं विषमताओं में समभाव ला देना ही सच्चे योगी का लक्षण है। यही गीता का "समोभूत्वा समत्व योग उच्चते।" [२] अर्थात् सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि रखने वाला ही योगस्थ कहलाता है। इसीलिए पूज्यवर की कृपा दृष्टि, दीनहीन, दलित, निर्धन, धनवान, तपस्वी, गृहस्थ सब पर समान रूप से पड़ती है और सभी उसे प्राप्त कर कृत्कृत्य होते हैं। मानव कल्याण पथ के महापथिक इस संसार को एक ऐसे रंगमंच के रूप में देखते हैं, जहां प्रत्येक अवतारी पुरुष को अपनी विशिष्ट भूमिका निभानी पड़ती है और पूज्यवर की भूमिका लोक कल्याणपरक की भूमिका है।

प्रस्तुत पुस्तक के पुराने कलेवर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। श्रीराम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए पूज्यवर का शंखनाद अनेक दुर्गम पथ को पार करते हुए उच्च न्यायालय के उस निर्णय के द्वार पर पहुंच गया जहाँ श्रीराम जन्मभूमि को कोटि कोटि हिन्दू सनातनी जनता की आस्था का केन्द्र-बिन्दु मानकर हिन्दू जगत का पूजा स्थल घोषित कर दिया गया। अभी उच्चतम न्यायालय में इसके अन्य कई बिन्दुओं पर विचार लम्बित है और पूज्यवर की ओर से भी वहाँ तर्क प्रस्तुत किए गये हैं और अन्तिम निर्णय तक यह संघर्ष भी चलता रहेगा। अनेक संगठनों, व्यक्तियों तथा सरकारी पक्षों ने इस सन्दर्भ में पूज्यवर के आन्दोलन तथा उनकी लोक मंगल यात्रा के सन्दर्भ में अनर्गल तथा झूठा आरोप भी लगाया पर हम यही कहेंगे कि 'उनको अपने झूठ पर बहुत गरूर था, मेरे सच ने उनको लाजवाब कर दिया।'

इस संकलन में उच्च न्यायालय के निर्णय के मुख्य बिन्दु प्रस्तुत किए गये हैं। रघुनाथ नगरी अयोध्या के माहात्मय का शास्त्रीय पक्ष प्रस्तुत कर इसे अत्यधिक उपयोगी बना दिया गया है।

---

१. ईशोपनिषद ११.
२. २/४८.

परम पूज्य की कृपा कटाक्ष की पावन भंगिमा ही इस पुस्तक को वर्तमान रूप प्रदान कर सकी है। अतः इस पावन अवसर पर पूज्यवर के पद सरोज की अनपायनिभगति की कामना करता हुआ उनके परम पावन कर कमलों में इसे समर्पित कर अपने को पुण्य श्लोक की पुण्यमयी कृपा का पात्र बने रहने की कातर याचना करता हुआ–परित्रायस्व–परित्रायस्व की पुकार कर रहा हूँ।

सुबुद्धानन्द ब्रह्मचारी
निजी सचिव
ज्योतिष एवं द्वारका–शारदा
पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य
पूजयपाद स्वामी श्री स्वरूपानन्द जी सरस्वती महाराज

श्रीराम जन्म भूमि अयोध्या का माहात्म्य

।।अयोध्या मंगलाचरण।।

(आदि से वर्तमान तक)

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या ।
तस्याँ, हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ।।
तस्मिन् हिरण्ये कोशे त्र्यऽरे त्रिप्रतिष्ठिते ।
तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद् वै ब्रविदों विदुः ।
प्रभाजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम् ।
पुरँ हिरण्ययीं ब्रा विवेशापराजिताम् ।।[१]

उत्तिष्ठत् मा स्वप्त। अग्निमिच्छध्वं भारताः। राज्ञस्सोमस्य तृप्तासः। सूर्येण सयुजोषसः। युवा सुवासाः। अष्टाचक्रा नवद्वारा। देवानामं पूरयोध्या। तस्याम हिरण्मयः कोशः। स्वर्गो लोको ज्योतिषाऽऽवृतः। यो वै तां ब्रणो वेद। अमृतेनावृतां पुरीम् । तस्मै ब्र च ब्रा च।

आयुः कीर्तिं प्रजां ददुः। विभ्राजमानाम् हरिणीम्। यशसा संपरीवृताम्। पुरमहिरण्मयीं ब्रा। विवेशापराजिता।

तद्विष्णोः परमं धाम यान्ति ब्रसुखप्रदम् ।
ननाजनपदाकीर्णं वैकुण्ठं तद्धरेः पदम् ।।
प्राकारैश्च विमानैश्च सौधे रत्नमयैर्वृतम् ।
तन्मध्ये नगरी दिव्या सायोध्येति प्रकीर्तिता ।।[२]

अयोध्यायै नमस्तेस्तु राममूर्त्यै नमो नमः ।
आद्यायै तु नमस्तुभ्यं सत्यायै तु नमो नमः ।।

---

१. अथर्ववेद, १०.२.३१.३३ – तैत्तिरीयारण्यक, १.२७.११४–११५
२. पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, २२८.१०–११

शरय्वावेष्टितायै च नमो मातस्तु भो सदा ।
ब्रादिवंदिते मातर ऋषिभिः पर्युपासिते ।।
रामभक्तिप्रिये देवि सर्वदा ते नमो नमः ।
ये ध्यायन्ति महात्मानो मानसा त्वां हि पूजिते ।
तेषां नश्यन्ति पापानि जन्मोपार्जितानि च ।।[1]

शुक्लाम्बरधरा देवी दिव्यचन्दनभूषिता ।
दिव्यमालां च सा कण्ठे विभ्रती वै मनोहराः ।।
शंखचक्रधरादेवी चक्रारूढा शुभानना ।
मूर्तिमाद्भिश्च तीर्थैश्च परितः सेविता च सा ।।
चामरैर्वीज्यमाना सा सखीभिः परिवारिता ।
रामप्रिया पुरी चाद्या विबुधैः सेविता च सा ।।
वसिष्ठवामदेवाद्यैर्मुनिवृन्दैरुपासिता ।

इदृशी विमला दृष्टा पुरी चाद्या महामते ।।[2]
अयोध्या न परं नाम्ना गुणेनाप्यरिभिः सुराः ।
साकेतरूढिरप्यस्याः श्लाध्यैव स्वैर्निकेतनैः ।।
स्वर्निकेतमिवातुं साकूतेः केतुबाहुभिः ।

सुकोशलेति च ख्यातिं सा देशाभिख्यया गता ।।
विनीतजनताकीर्णा विनीतेति च सा मता ।।[3]

卐

---

१. सत्योपाख्यान, पूर्वार्द्ध ३५.२९-३२
२. सत्योपाख्यान, पूर्वार्द्ध ३४, २-५
३. आदिपुराण, १२.७६-७८

।।सप्तपुरी अयोध्या।।

सप्तपुरियों में प्रथम

अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका ।
पुरी द्वारावती चैव सप्तैताम् मोक्षदायिका ।।

स्कंदपुराणांतर्गत अयोध्यामाहात्म्य (संस्कृत)

अयोध्यायै नमस्तेस्तु राममूर्त्यै नमो नमः ।
आद्यायै च नमस्तुभ्यः सत्यायै ते नमो नमः ।
पापैर्नयोध्यतेयस्मा त्तेनायोऽध्येति कथ्यते ।।१।।

जो त्रिकाल बाधित आद्य है, ऐसी रामस्वरूप अयोध्यानगरी को हमारा बारम्बार नमस्कार है। कारण, इस नगरी में किसी प्रकार पापरूपी शत्रु कभी युद्ध अर्थात् स्पर्श भी नहीं करता, इसी कारण इस नगरी को आदिपुरी अयोध्या कहते हैं।

यावत् पादानि रामस्य मार्गे गच्छति मानुषः ।
पदेपदेऽश्वमेधस्य यज्ञस्य लभते फलम् ।।१।।

श्रीरामचन्द्र जी के मार्ग में मनुष्य यात्रार्थ जितना चले उतना ही प्रत्येक पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिये इस बस्ती में आने का लाभ जीवमात्र है।

विष्णोःपादमवंतिका गुणवतीं मध्ये च कांचीपुरी ।
नाभौद्वारवतीं पठंति हृदये मायापुरी योगिनाः ।।
ग्रीवमूलमुदाहरंतिमथुरां नासाग्रवाराणसीं ।
एतद् ब्रपदं वदंति मुनयोर्योध्यापुरी मस्तकम् ।।१।।

श्री अवंतिकापुरी भगवान विष्णु के चरण कमल, शिवकांची और विष्णुकांची यह दोनों उनकी जंघा, द्वारकापुरी नाभिस्थान, मायापुरी (हरिद्वार) हृदयस्थान, मथुरापुरी कंठस्थान और काशपुरी नासिका स्थान है। इतने ब्रह्मपदों का वर्णन करते हुए मुनियों ने परब्रह्मस्वरूप इस अयोध्यापुरी को विष्णु भगवान के मस्तक की उपमा दे दी है। इसलिए श्री अयोध्या जी की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना ही थोड़ा है। अब इस नगरी में सर्वप्रमुख श्री सरयू महानदी है।

।।श्री सरयू वर्णन।।

विष्णुनेत्रसमुद्भूता ब्रमानसंस्थिता ।
वसिष्ठेन समानीता वासिष्ठी परिकीर्तिता ।।१।।
तत्सराच्च समायाता सरयू तेन कथ्यते ।
रामार्थं च समायाता रामगंगेति कथ्यते ।।२।।
जन्मप्रभृति यत्पापं स्त्रियो व पुरूषस्य वा ।
सरयूस्नानमात्रेण सर्वमेव प्रणश्यति ।।३।।

प्रथम सृष्टि उत्पत्ति के समय भगवान श्री महाविष्णु के नाभिकाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उस समय ब्रह्मा जी ने साठ हजार वर्ष तपस्या की तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सृष्टि रचने की आज्ञा देते समय ब्रह्मा से सप्रेम मिले। ऐसे समय श्री विष्णु भगवान के नेत्रों से जो प्रेमाश्रु गिरे उन्हीं प्रेमाश्रुओं को श्री ब्रह्माजी ने अपने मन से मानसरोवर उत्पन्न करके वह जल शिवजी के सामने हिमालय से बड़ी आस्तिकता से रखा। इसी से उसे नेत्रजाया ब्रह्मामानस तीर्थ कहते हैं और फिर उसी सरोवर से उद्भुत होने के कारण उसका सरयू नाम पड़ा। श्री वसिष्ठ महामुनि जी यही नदी अपने तपोबल से, ब्रह्माजी की आज्ञा से रामकायार्थ श्री अयोध्यापुरी में लाए। इसलिए इसके श्रीसरयू, वासिष्ठी, रामगंगा, नेत्रजा आदि अनेक नाम पड़े। स्त्रियों के अथवा पुरुषों के जन्मादारभ्य सब पाप श्री सरयू महानदी के स्नान मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। श्री शंकर जी पार्वती से कहते हैं–

जलरूपेण ब्रैव सरयू मोक्षदा सदा ।
नैवात्र कर्मणां भोगो रामरूपो भवन्नेरः ।।१।।

पशुपक्षिमृगाश्चैव ये चान्य पापयोनयः।
तऽेपि मुक्ता दिवं श्रीरामवचनं मम ।।२।।

इस अयोध्या में जलरूप ब्रह्मा श्री सरयूनदी सदा सर्वदा मोक्ष को देने वाली है। यहाँ पर कर्मों का भोग नहीं भोगना पड़ता। पशु-पक्षी, मृगादिक स्नान मात्र से ही रामरूप होकर मुक्त हो जाते हैं।

।।स्वर्गद्वार तीर्थ।।

प्रथमं तत्र तीर्थं तु कथयामि वरानने ।
स्वर्गद्वारं समुत्पन्नं प्रथमं सरयूतटे ।।१।।
मुक्तिद्वारमिदं ज्ञेयं स्वर्गप्राप्तिकरं नृणाम् ।
सहस्त्रधारामारभ्य पूर्वतः सरयूजले ।।२।।
षट्त्रिंशदधिकं प्रोक्तं धनुषा षट् शतानिच ।
स्वर्गद्वारसम तीर्थ न भूतं न भविष्यति ।।३।।
तस्मादत्र विधानेन तीर्थयात्रां समाचरेत् ।
स्वर्गद्वारे नरःस्नात्वा पुनर्जन्म न विघते ।।४।।
हरिश्चन्द्रो हि राजर्षिः सत्यधर्मपरायणः ।
तेन राज्ञायोध्यायां स्वर्ग नीता वरानने ।।५।।
स्वर्गद्वार मितिख्यातं लोके वेदे तथैव च ।
अनेनैव यथा स्वर्गं स्वर्गद्वारं ततो विदुः ।।६।।

सहस्त्रधारातीर्थ से छः सौ छत्तीस धन्वापूर्व श्री सरयूजल में यह स्वर्गद्वार तीर्थ है। यह तीर्थ प्रथम श्री में प्रकट हुआ। इस तीर्थ के समान कोई तीर्थ न हुआ है न होगा। इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्यों का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा मुक्तिदायक यह एक ही मुख्य तीर्थ है। यहीं से श्रीरामचन्द्र जी और राजा हरिश्चन्द्र श्री अयोध्यापुरी का उद्धार कर मनुष्यों को दिव्यदेही बनाकर अपने साथ स्वर्गधाम को ले गये। इसी से इस तीर्थ का नाम स्वर्गद्वार है। चन्द्रमा ने भी इस जगह तीर्थयात्रा करके अपनी मनोकामनापूर्ण की थी, वैसे ही भावयुक्त होकर यात्रियों को विधियुक्त यात्रा करनी चाहिए।

चैत्रशुक्ल नवम्यां तु स्वर्गद्वारे रघुत्तमम ।
ये पश्यन्ति नरांस्तेषां पुनर्जन्म न विद्यते ।।

चैत्र शुक्ल नवमी के दिन जो मनुष्य स्वर्गद्वार में श्रीरामचन्द्र जी का दर्शन करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है।

।।अयोध्या परिक्रमा।।

सरयूतीरमागत्य साष्टांग प्रणिपातयेत् ।
आदौ उपायनं दद्यात् ततः संकल्पमाचरेत् ।।१।।
वपनं च ततः कृत्वा पश्चात् स्नानं समाचरेत् ।
मानसं कायिकं पापं प्रायश्चित्तं ततो वदेत ।।२।।
स्वसूत्रोक्त विधानेन देवान् पितृश्रव तर्पयेत् ।
स्नानांते अर्चनं कुर्यात ततः संध्या समाचरेत ।।३।।
पितृयज्ञं ततः कुर्यात् तीर्थदेवं च पूज्येत् ।
द्विजेभ्यो भोजनं दद्यात् आशीर्वचन हेतवे ।।४।।
अनने विधिना नैव मर्यादातीर्थं मुच्यते ।
श्रद्धायुक्तो नरः कुर्यात् स तीर्थफलमश्नुते ।।५।।

प्रथम श्री सरयूनदी को साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। तदनन्तर फल, पुष्प, दक्षिणा, पंचरत्न आदि को दोनों हाथों से भेंट रूप में तीर्थ को अर्पण करना चाहिए, पश्चात् आचमनादि कार्य कर देश-काल-वर्तमान के अनुसार संकल्प करना चाहिए।

।।श्रीचन्द्रहरि मन्दिर।।

अयोध्या सप्तहरयः वर्तंते पुण्यराशयः ।
गुप्तहरि चक्रहरि स्तथा विष्णुहरिः प्रिये ।।१।।
धर्महरि बिल्वहरि स्तथा पुण्यहरि शुभः ।
तस्मांश्चंद्रहरेः पुजा कर्तव्या च विचक्षणैः ।।२।।

जेष्ठेमासि सितेपक्षे पंचदश्याः विशेषताः ।
तस्य सांवत्सरी यात्रा दिव्यैश्चंद्रहरे स्मृताः ।।३।।

श्री अयोध्या यात्रातंर्गत सप्तहरि भी है। उनके नाम गुप्तहरि, चक्रहरि, विष्णुहरि, धर्महरि, बिल्वहरि, पुण्यहरि तथा चन्द्रहरि है। स्वर्गद्वार पर चन्द्रहरि जी का दर्शन पूजन यात्रियों को अवश्य करना चाहिए। इसके पास ही श्रीनागेश्वरनाथ महादेव का मन्दिर है।

।।श्रीनागेश्वर नाथ मन्दिर।।

स्वर्गद्वारे नरः स्नात्वा दृष्ट्वा नागेश्वरं शिवम् ।
पूजयित्वा च विधिवत् संर्वान् कामानवाप्नुयात् ।।१।।

यात्रियों को प्रथम स्वर्गद्वार तीर्थ में स्नान कर, श्री नागेश्वरनाथ महादेव जी का दर्शन कर, यथाविधि उनका पूजन करना चाहिए। इससे सकल मनोरथों की सिद्धि प्राप्त होती है।

।।रत्नसिंहासन।।

अयोध्यानगरे रम्ये रत्नमंडपमध्यगम् ।
ध्यायेत्कल्पतरोर्मूले रत्नसिंहासन शुभमं ।।१।।
तस्योपरि समासीनेजानकीसहितं हरिम् ।
वीरासने समासीनं धनुर्बाणधरं प्रभुम् ।।२।।
एवं ध्यात्वा नरो धीमान सीतारामं प्रपूजयेत ।
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ सर्वान् कामानवाप्नुयात् ।।३।।

श्री अयोध्यापुरी में परम रम्य रत्नों के मंडप के बीच कल्पवृक्ष की छाया में शोभायमान रत्नसिंहासन पर श्रीजानकी महारानी जी के सहित भगवान् श्रीरामचन्द्र वीरासन से विराजमान हैं और उनके पार्श्व भाग में श्री लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि छत्र चामर, व्यंजन (पंखा) हाथ में लिए खड़े हैं।

।।श्रीहनुमानगढ़ी मन्दिर।।

तमेवमुक्त्वा काकुत्स्थो हनूमन्तमथाब्रवीत् ।
जीविते कृतबुद्धिस्त्वं मा प्रतिज्ञां वृथा कृथाः।।३२।।

वा.रा./उ/१०८ सर्ग

विभीषण से ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्र जी हनुमान जी से बोले- 'तुमने दीर्घकाल तक जीवित रहने का निश्चय किया है। अपनी इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ न करो।

हनुमंते कृत कार्ये देवैरपि सुदुष्टकरम्।
उपकारं न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः।।१।।

प्रिय मारूते ! देवताओं को भी करने में दुःसाध्य ऐसे कामों को करते हुए तुम हमारी सेवा में तत्पर रहो ऐसे उपकारी का प्रत्युपकार ही क्यों करें? इसलिए अब तुम–

अचलं हि अयोध्यायां राज्यं कुरु समाश्रितः ।
अत्रस्थितानां सिद्धानां सिद्धिदो भव सर्वदा ।।१।।
यावत् चंद्रश्च सूर्यश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी ।
यावन्मम कथा लोके तावद्राज्मं करोत्यसौ ।।२।।

जब तक चन्द्र, सूर्य और पृथ्वी हैं तथा जब तक हमारे भजन कथा का जनता में प्रेम है तब तक यहाँ बैठकर अयोध्याजी का अचल राज्य कीजिए और यहाँ के रहने वाले सिद्धों को सिद्धि का मार्ग दिखाइए। यह कहकर श्रीरामचन्द्र जी ने श्रीहनुमान जी को गद्दी पर बैठाया। तभी से हनुमानजी अयोध्या में बैठे हैं।

मत्कथाः प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वर ।
तावद् रमस्व सुप्रीतो मद्वाक्यमनुपालनम् ।।३३।।

वा.रा./उ/१०८ सर्ग

'हरीश्वर ! जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे, तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो'।

एवमुक्तस्तु हनुमान राघवेण महात्मना ।
वाक्यं विज्ञापयामास परं हर्षमवाप च ।।३४।।

वा.रा./उ/१०८ सर्ग

महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ।

।।सीताकूप तीर्थ।।

जन्मस्थानाच्च भो देवि अग्निकोणं विराजते ।
सीताकूपइति मिख्यातं ज्ञानकूपमितिश्रुतम ।।१।।
जलपान कृतं येन तस्य कूपस्य पार्वती ।
स ज्ञानवान भवेल्लोको विवुधानां गुरुर्यथा ।।२।।

श्रीशंकर जी पार्वती से कहते हैं कि जन्मस्थान के अग्निकोण में सीताकूप नाम का कुआँ है जिसका जल पान नित्य प्रति करने से मनुष्यों की बुद्धि वृहस्पति के तुल्य होकर उसको अवश्य ही ब्रह्मविद्याा का ज्ञान होता है।

।।कनक भवन।।

तस्मादुत्तरदिगभागे स्थले चैव मनोहरम् ।
सीताया भवनं दिव्यं नाम्ना कनकमंडपम् ।।१।।
पितृदत्तं तु यत्स्थानं कन्यावैवाहिकोत्सवे ।
यत्र वै जानकीदेवी सखीभिः परिवारिता ।।२।।
तत्र गत्वा नरो धीमान पूजां चैव तु कारयेत् ।
पूजननैव सर्वत्र सर्वान्कामानवाप्नुयात् ।।३।।

श्री महाराज जनक जी ने कन्यादान के समय में श्रीजानकी जी को सोने का महल भेंट किया था यही वह स्थान है। यहाँ पर दर्शन पूजन करने से सकल कामनाएं सिद्ध होती हैं।

।।मत्तगजेन्द्र।।

तस्मात्पूर्वदिशाभागे वीरस्य शुभशंसिनः ।
स्नान मत्तगजेन्द्रस्य वर्तेते नियतात्मनः ।।१।।
कोशलारक्षणे दक्षो, दुष्टताडनतत्परः ।
यस्य दर्शन नृणां विघ्नलेशो न जायते ।।२।।

श्री मत्तगजेन्द्र जी अयोध्यावासी सज्जनों का रक्षण करते हैं और दुष्टजनों की ताड़ना करते हैं। इनके दर्शनमात्र से ही सब विघ्न दूर हो जाते हैं।

।।सप्तसागर तीर्थ।।

अयोध्या मध्यभागे तु रम्यं पातकनाशकम् ।
सप्तसागरविख्यातं सर्वकामार्थसिद्धिदम् ।।१।।
यत्र स्नानेन मानुजः सर्वान्कामानवाप्नुयात् ।
पौर्णिमास्यां समुद्रस्य स्नानघत्पुण्यमाप्नुयात् ।।२।।
तत्पुण्यं पर्वणि स्नाते नरश्चाक्षमाप्नुयात् ।
तस्यादत्र विधानेन स्नातव्यं पुत्रकांक्षया ।।३।।
आश्विने पौर्णिमास्यां तु विशेषात स्नानमाचरेत् ।
एवं कुर्वन्नरोघीमान् पुत्रपौत्राभिवृद्धये ।।४।।

श्री अयोध्यानगरी के मध्यभाग में रमणीय सप्तसागर नाम का कुण्ड है, जो सब इच्छित फलों को देने वाला है। हर एक पूर्णिमा को समुद्र स्नान करने से जो पुण्यफल प्राप्त होता है, वहीं फल इस कुण्ड में किसी भी दिन स्नान से होता है।

।।देवकाली।।

सूर्यकुण्डात्पश्चिमे तु दुर्गाकुण्डमनुत्तमम् ।
आद्या चाष्टभुजौ तत्र सर्ववांछितदायिनी ।।१।।

सूर्यकुण्ड के पश्चिम में दुर्गाकुण्ड आदि शक्ति देवकाली का स्थान है। यहाँ पर दर्शन पूजन करने से सब वांछित फल प्राप्त होते हैं।

।।सूर्यकुण्ड।।

घोषार्ककुन्डमपरं वैतरिण्यास्तु दक्षिणे ।
सूर्यकुण्डमितिख्यातं सर्वकामार्थसिद्धिदम् ।।१।।
वणी कुष्ठी दरिद्रो वा दुःखाकांतोहि यो नरः ।
करोति विधिवत स्नानं सर्वरोगैः प्रमुच्यते ।।२।।
भाद्र, पोषे तथा माघे शुक्लपक्ष्यां प्रयत्नतः ।
रविवारं विशेषेण कर्तव्यं स्नानमोदकात् ।।३।।

वैतरणी के दक्षिण दिशा में सूर्यकुण्ड नाम का तीर्थ है। यहाँ पर स्नान करने से फोड़ा, फुन्सी तथा कुष्ठी, दरिद्रों महादुखी सब रोगों से मुक्त होता है।

।।सहस्त्रधारा व श्रीलक्ष्मण मन्दिर।।

पापमोचनतीर्थातु पर्वतश्शरयूजले ।
सहस्त्रधारातीर्थे वै सर्वकिल्मिषनाशनम् ।।१।।
यस्मिन् रामाज्ञया वीरो लक्ष्मणः परवीरहा ।
प्राणानुत्सृज्य योगेन यायौ शेषात्मतां पुरा ।।२।।
अत्र स्नानेन दानेन श्रद्धया परयान्वितः ।
सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं ब्रजेत्पुमान ।।३।।
अत्र स्नानेन नरो धीरो लक्ष्मणं शेषरूपिणम् ।
तीर्थे संपूज्य विधिवत विष्णुलोकं ब्रजेन्नरः ।।४।।

पापमोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में करीब ही श्री सरयूजल में सहस्त्रधारा तीर्थ है। यहाँ शेष के सहस्त्रफणों से अमृतस्त्रावी सहस्त्रधाराएं निकलती हैं। इसलिए इस स्थान को सहस्त्रधारा तीर्थ कहते हैं। इसी जगह श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा से महापराक्रमी लक्ष्मण जी ने अपने योगबल से प्राणों का विसर्जन करके शेषरूप धारण

किया था। जहाँ पर सदबुद्धि से स्नान दान शेषरूपी लक्ष्मण जी का दर्शन पूजन करने वाले मनुष्य को विष्णुलोक में स्थान प्राप्त होता है। उसको नागदंश का भय नहीं होता।

।।श्रीगुप्तहरि।।

तीर्थे तु पश्चिमेभागे गोप्रतारेराभिथं महत् ।
विष्णुस्थानं च तत्रैव नाम्ना गुप्तहरिः स्मृतः ।।१।।
यस्मिन् रामाज्ञया देवी साकेतनरौजनाः ।
जगाम स्वर्गमतुलं निमज्य परमात्मसि ।।२।।
गोप्रतारे नरो देवी यः स्नाति च सुनिश्चितः ।
सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोके महीयते ।।३।।

श्री अयोध्या जी से पश्चिम भाग में गुप्तहरि घाट नाम का तीर्थ है। यह विष्णु का स्थान है। यहीं पर श्रीराम जी की आज्ञा से अयोध्या निवासी श्री सरयूजल में निमग्न हो गए थे। यहाँ पर स्नान, दर्शन इत्यादि द्वारा सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अन्त में विष्णु लोक प्राप्त होता है।

।।श्रीनिर्मलीकुण्ड।।

ततः पश्चिमदिग्भागे निर्मलीकुण्डमुत्तमम् ।
यत्र वै तीर्थराजोऽपि स्नातुमायाति नित्यशः ।।१।।
अन्यानि यानि पापानि ब्रह्महत्या समानिच ।
तानि सर्वाणि नश्यन्ति निर्मलीकुण्डमज्जनात ।।२।।

अयोध्या के पश्चिम दिशा में निर्मलीकुण्ड नाम का तीर्थ श्री सरयूजल में है। यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग नित्य प्राप्ति स्नान करने को आते हैं।

।।श्रीमनोरमा तीर्थ।।

मखस्थानं महापुण्य यत्र पुण्या मनोरमा ।
यत्र राजा दशरथो पुत्रेष्टि कृतवान् पुरा ।।१।।

तेन पुण्यप्रभावेण जाता रामादयः सुताः ।
चैत्रस्य पूर्णिमायां तु यात्रा सांवत्सरी स्मृताः ।।२।।

यह स्थान श्रीसरयू जी के दूसरे किनारे पर स्थित है। यहाँ पर मनोरमा नदी तथा सरयू संगम है और श्रीराम जी का मन्दिर भी है। यहीं पर राजा दशरथ जी ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया था।

।।बिल्वहरि।।

तस्मात् पूर्वादिशाभागे नाम्ना बिल्वहरिः स्मृतः ।
तत्र स्नात्वा नरो देवी मुच्यते च ऋणत्रयात् ।।१।।
शत्रुतो न भयं तस्य विल्वतीर्थस्य दर्शनात् ।
आमायां माधवेमासि यात्रा सांवत्सरी भवेत् ।।२।।

अयोध्या के पूर्व भाग में १६ किलोमीटर पर सरयू नदी के किनारे बिल्वहरि जी का स्थान है। यहाँ पर स्नान, दान करने से ऋण त्रय से मुक्ति होती है और दर्शन करने से शत्रु का भय नहीं रहता है।

।।नंदीग्राम एवं भरतकुण्ड।।

अयोध्या दक्षिणेभागे नंदिग्रामो बरानने ।
नंदिग्रामे वसत्पूर्व भरतोरघुवंशजः ।।१।।
रामचन्द्रं हृदियायनिर्मलात्मा जितेन्द्रियः ।
तत्र स्नानं तथा श्राद्धं सर्वमक्षयतां ब्रजेत् ।।२।।
मन्दन्तरसहस्त्रैस्तु काशीवासेन यत्फलं ।
तत्फलम् समवाप्नोप्ति नंदिग्रामस्य दर्शनात् ।।३।।

यह स्थान अयोध्या से दक्षिण दिशा में १९ किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर श्री भरत ने श्रीरामचरण पादुका की स्थापना की थी और चौदह वर्ष निराहार रहे थे। जब रावण को मारकर श्रीरामचन्द्र जी श्रीजानकी एवं लक्ष्मण जी सहित समस्त लोगों के साथ अयोध्या लौटे तब सर्वप्रथम भरत जी की भेंट हुई थी।

।।श्रीवशिष्ठ कुण्ड।।

जन्मस्थानात्पश्चिमे तु कुण्डं पापप्रणाशनम् ।
वसिष्ठस्य निवसास्तु सारून्धत्त्याक्ष पार्वती ।।१।।
सर्वकामफलप्राप्तिर्जायते नात्र संशय ।
भाद्रे मासे सिते पक्षे यात्रा सांवत्सरी भवेत् ।।२।।

जन्मस्थान के पश्चिम दिशा में वशिष्ठ कुण्ड नाम का एक कुण्ड है। यहाँ पर अरुन्धती सहित श्रीवशिष्ठ जी का निवास स्थान है।

।।श्रीपुण्यहरि।।

तस्मात् पुण्यहरिर्नाम् पुण्यतीर्थ सरोग्रतः ।
तस्मिन्कुण्डेनरःस्नात्वा सर्वान्कामानवाप्नुयात् ।।१।।
रविवारे विशेषेणं यात्रा तस्य विधीयते ।
स्नात्वा दत्वा च विधिवत् पांडुरोगादि नश्यति ।।२।।

यह तीर्थ विल्वहरि जी के समीप पश्चिम दिशा में एक किलोमीटर पर है। इसको पुण्यहरि कहते हैं। यहाँ पर स्नान दान करने से पाण्डुरोगी रोगमुक्त हो जाते हैं।

।।मणिपर्वत।।

विद्याकुण्डात्पश्चिमे च पर्वतो राजते प्रिये ।
जानक्याश्च विहाराय रामचन्द्रस्य चाज्ञया ।।१।।
गरुड़ेन समानीतः पर्वतो मणिसंज्ञकः ।
तस्य दर्शनमात्रेण करस्थात्सर्वसिद्धयः ।।२।।

विद्याकुण्ड से पश्चिम मणिपर्वत नाम का पर्वत है। यह पर्वत श्रीजानकी जी के विहार के लिए, रामचन्द्र जी की आज्ञा से गरुड़ जी ले गये थे। इस पर्वत के दर्शन से ही सम्पूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है।

।।श्रीविद्याकुण्ड।।

जन्मस्थानात्पूर्वभागे विद्यागुण्डस्य चोत्तमम् ।
वशिष्ठाद्रामाचन्द्रस्य विद्या प्राप्ताश्तुर्दशाः ।।१।।
सौरीशैवाश्च गाणेशा वैष्णवाः शक्तिकास्तथा ।
सिद्धा भवन्ति मंत्राशच जपास्तत्रैव पार्वती ।।२।।

जन्मस्थान के पूर्व दिशा में विद्याकुण्ड स्थान है। यहाँ पर श्री गुरु वशिष्ठ जी ने रामचन्द्र जी को चतुर्दश विद्याएं व चौसठ कलाएं पढ़ाई थी। यहाँ सौर, शैव, गणेश, वैष्णव, शाक्त सभी मंत्रों का जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है।

卐

।।अयोध्या में श्रीराम जन्म एवं उनकी जन्मभूमि।।

पुराणों, धर्मशास्त्रों के वर्णन एवं हिन्दू समाज में हजारों पीढ़ियों से चले आ रहे विश्वास के अनुसार श्रीहरि विष्णु ने ही कौशल नरेश अयोध्यापति दशरथ के यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के रूप में अवतार ब्रह्मादि देवों से प्राप्त वर के कारण उदण्ड रावण को पराभूत करने के लिए लिया।

एवं दत्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान। मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः ।।३०।। (वा.रा.बा.कां. पंचदश सर्ग)

देवताओं को वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के सम्बन्ध में विचार किया।

ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वाऽऽत्मानं चतुर्विधम्। पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्।।३१।। (वा.रा.बा.कां. पंचदश सर्ग)

इत्येतद् वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्भवान। पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्।।८।। (वा.रा.बां.कां. षोड्श सर्ग)

देवताओं की बातों को सुनकर-समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की और देवताओं को अभय दिया। दशरथ को ही पिता बनाने का भगवान ने क्यों निश्चय किया। इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है-

अंसन सहित मनुज अवतारा-
लैहों दिनकर बंस उदारा ।
कश्यप अदिति महातप कीन्हाँ-
तिन्हकहुँ मैं पूरब वर दीन्हों ।
ते दशरथ कौसल्या रुपा-
कौशलपुरी प्रकट नर भूपा ।
अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ-
वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ ।।

(रा.च.मा.बा.का.)

इस प्रकार सम्पूर्ण मानवता कें कल्याण एवं धर्म संस्थापन हेतु श्रीहरि विष्णु अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ महारानी कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए।

भगवान के जन्म के समय का वर्णन- रामचरित मानस के अनुसार

सुख जुत कछुक काल चलि गयऊ-जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ।

दो०: जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि, सकल भए अनुकूल।
चर, अरु, अचर हर्षजुत रामजनम सुख मूल।।१९०।।

(रा.च.मा.बा.कां.)

नौमी तिथि, मधुमास पुनीता- सुकुल पच्छ अभिजित हरि प्रीता।
मध्य दिवस अति शीत न धामा- पावन काललोक विश्रामा।।१९०/१,२।।

(रा.च.मा.बा.कां.)

वाल्मीकि रामायण के अनुसार-

ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतत् नां षट् समत्ययुः।
ततश्च द्वादश मासे चैत्रे नावमिके तिथौ।।८।।

नक्षत्रेऽदितिदैव्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचसु।
ग्रहेषु कर्कटे लग्नेवाक्पताविन्दुना सह।।९।।

प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकं नमस्कृतम्।
कौसल्या जनप्रद् रामं दिव्य लक्षण संयुतम्।।१०।।

(वा.रा.बा.कां. अष्टादश सर्ग)

यह समाप्त के पश्चात् जब छः ऋतुएं बीत गई तब बारहवें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौसल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोकवन्दित जगदीश्वर श्रीराम को जन्म दिया। उस समय (सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र) पांच ग्रह अपने-अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चन्द्रमा के साथ वृहस्पति विराजमान थे।

अध्यात्म रामायण के अनुसार

उपभुज्य चरुं सर्वाः स्त्रियो गर्भसमन्विता ।
देवता इव रेजुस्ताः स्वभाषा राजमंदिरे ।।
दशमे मासि कौसल्या सुषुवे पुत्रमद्भुतम् ।
मधुमासे सिते पक्षे नवम्यां कर्कटे शुभे ।।
पुनर्वस्वृक्ष सहिते उच्चस्थे ग्रहपंचके ।
मेषे पूषणि संप्राप्ते पुष्पवृष्टि समाकुले ।।

जन्म के समय राम के स्वरूप का वर्णन

विष्णोरर्धं महाभागं पुत्रमैक्ष्वाकुनन्दनम् ।
लोहिताक्षं महाबाहुँ रक्तोष्ठं दुन्दुभिस्वनम् ।।११।।

वे विष्णु रूप कौसल्या के महाभाग पुत्र श्रीराम इक्ष्वाकु कुल का आनन्द बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्र लालिमायुक्त, ओंठ, लाल, आजानुबाहु और स्वर दुन्दुभि के शब्द के समान गम्भीर था।

कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा।
यथावरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना।।१२।।

उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौसल्या की बड़ी शोभा हुई। ठीक उसी तरह जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाणि इन्द्र से देवमाता अदिति सुशोभित हुई थी।

उत्सवश्च महानासीदयोध्यायां जनाकुलः।

अर्थात् अयोध्या में भगवान के जन्म के पश्चात् बड़ा उत्सव हुआ। अतः अयोध्या में ही भगवान ने जन्म लिया। स्कन्द पुराण, वृहदधर्म पुराण, अग्निपुराण, गरुणपुराण, हरिवंशपुराण, मत्स्यपुराण, रघुवंष आदि ग्रन्थों में श्रीराम, श्रीराम जन्मस्थान, अयोध्या, रामायण एवं आदिकवि श्री वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है।

प्रभु राम के शब्दों में जन्मभूमि

जब प्रभु श्रीराम रावण का संहार कर अयोध्या लौटते हैं तो अपने श्रीमुख से सुग्रीव, अंगद आदि वानर जूथपों को अपनी जन्मभूमि अयोध्या की महिमा बताते हुए कहते हैं कि-"यद्यपि सम्पूर्ण जगत बैकुण्ठ का ही बखान करता है किन्तु मुझे अवधपुरी के समान प्रिय कुछ भी नहीं है जहां मेरी जन्मभूमि है जिसके उत्तर में सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नानकर बिना किसी प्रयास के लोग मेरे पास वास करते हैं। यहाँ के लोग मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। प्रभु श्रीराम के इन शब्दों को सुनकर सभी वानर हर्ष से इसलिए ओत-प्रोत हो जाते हैं कि प्रभु ने अपने श्रीमुख से अवध की महिमा उनको बताई।

सुनु कपीस! अंगद! लंकेशा ।
पावनपुरी रुचिर यह देसा ।।
जद्यपि सब बैकुण्ठ बखाना ।
वेद पुरान विदित जगुजाना ।।
अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ ।
यह प्रसंग जानई कोऊ-कोऊ ।।
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि ।
उत्तरदिशि बहि सरजू पावनि ।।
जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा ।
मम समीप नर पावहिं बासा ।।
अतिप्रिय मोहि यहाँ के बासी ।
मम धामदा पुरी सुख रासी ।।
हरसे सब कपि सुनि प्रभु बानी ।
धन्य अवध जो राम बखानी ।।

रा.च.मा. (उ.का.)

इन आख्यानों से सिद्ध होता है कि भगवान श्रीहरि विष्णु ने धर्म संस्थापन के लिए अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ राम के रूप में अवतार लिया।

स्कन्दपुराण (वैष्णवखण्ड-अयोध्या माहात्म्य) में राम जन्मभूमि

एततपश्चिमदिग्भागे वर्तते परमो मुने, पिंडारक् इति ख्यातो वीरः परमपौरुषः।।

पूजनीयः प्रयत्नेन गंधपुष्पाक्षतादिभिः ।।१३।।
यस्य पूजावशान् नृणां सिद्धयः करसंश्रिताः ।
तस्य पूजाविधानेन कर्तव्यं पूजनं नरैः ।।१४।।
सरयूसलिले स्नात्वा पिण्डारकच्च पूजयेत् ।
पापिनां मोहकर्तारं मतिदं कृतिनां सदा ।।१५।।
तस्य यात्र विधातव्या सुपुण्या नवरात्रिषु ।
तत्पश्चिमदिशाभागे विघ्नेशं किल पूजयेत् ।।१६।।
यस्य दर्शनतो नृणां विघ्नक्लेशो न जायते ।
तस्माद् विघ्नेश्वरः पूज्यः सर्वकामफलप्रदः ।।१७।।
तस्मात् स्थानत ऐशाने रामजन्म प्रवर्तते ।
जन्मस्थानमिदं प्रोक्तं मोक्षादिफलसाधनम् ।।१८।।
विघ्नेश्वरात्पूर्वभागे वासिष्ठादुत्तरं तथा ।
लौमशात्यपश्चिमे भागे जन्मस्थानं ततःस्मृतम् ।।१९।।
यद् दृष्ट्वा च मनुष्यस्य गर्भवासजयो भवेत् ।
विना दानेन तपसा विना तीर्थोर्विना मखैः ।।२०।।
नवमी दिवसे प्राप्ते व्रतधारी ही मानवः ।
स्नानदानप्रभावेण मुच्यते जन्मबन्धनात् ।।२१।।
कपिलागोसहस्त्राणि यो ददाति दिने दिने ।
तत्फलं समवाप्नोति जन्मभूमेः प्रदर्शनात् ।।२२।।
आश्रमे वसतां पुंसां तापसानाच यत्फलम् ।
राजसूयसहस्त्राणि प्रतिवर्षाणि होत्रतः ।।२३।।
नियमस्यं नरं दृष्ट्वा जन्मस्थाने विशेषतः ।
मातापित्रेर्गुरूणांच भक्तिमुद्वहतां सताम् ।।२४।।
तत्फलं समवाप्नोति जन्मभूमेः प्रदर्शनात् ।।

जन्मस्थान एवं दर्शन का महत्व

जनमस्थानं नरः प्राप्य कुर्याद्रामस्य पूजनम् ।
सौवर्णे राजंत वापि कारयेद्रघुनंदनम् ।।१।।
मातुरंकेशवं राममिन्द्रनीलमणि-प्रभम् ।
कोमलांग विशालाक्षं विघुद्वर्णाम्बरावृतम ।।२।।
इति ध्यात्वा रमानाथं मंत्रेणानेन पूजयेत् ।
श्रीरामाय नमोष मंत्रः सवार्थसाधकः ।।३।।
कपिला गोसहस्त्रांच यो ददाति दिने दिने ।
तत्फलम् समवाप्नोति जनमभूमेः प्रदर्शनात् ।।४।।

श्रीरामचन्द्र जी की जन्मभूमि में जाकर सोने की अथवा चांदी की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें और फल पुष्प दक्षिणा हाथ में लेकर उनका इस प्रकार ध्यान करें– "माता कौशल्या जी की गोद इन्द्र नीलमणि के समान कांति जिनकी है, जिनका शरीर कोमल तथा विशाल है, जिनके नेत्र बिजली के समान चमकने वाले हैं, जो वस्त्र–आभूषण पहिने हैं, ऐसे श्रीरामचन्द्र भगवान को हमारा बारम्बार नमस्कार है। 'ऐसा कहकर वह पुष्पांजलि समर्पण करें।' 'ऊँ श्रीरामाय नमः' यह मंत्र पढ़ने से मनुष्यों के सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। नित्यप्रति एक हजार कपिला गाय दान करने से जो पुण्य होता है वही श्रीराम जन्मभूमि के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है तथा जन्म–जन्मान्तर के सहस्त्र जन्मों के पाप दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। पुत्रार्थियों को पुत्र की प्राप्ति होती है धनार्थियों को धन–लाभ होता है और मोक्षार्थियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल जन्मभूमि के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों का गर्भवास क्षय हो जाता है।

युगानुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा

सतयुग

मरीचि-कश्यप-विवस्वान-वैवस्वत मनु (सृष्टि के प्रथम प्रजापति इनके १० पुत्र हुए) इक्ष्वाकु (ज्येष्ठ पुत्र से सूर्यवंश का प्रारम्भ माना गया)- विकुक्षि (शशाद)- कुकुत्स्य (आर्डिनक, इन्द्रवाह,पुरंजय) - अनेनस (अनरण्य)- पृथु रोमन- त्रिशंकु- विश्वगाश्व (विश्वरन्धि)- आर्द्र (चन्द्र, इन्दु, आन्ध्र)- क्वनाश्व, प्रथम- श्रावस्त (श्राव)- वृहदश्व- कुवलयाश्व- दृढ़ाश्व- प्रमोद- हर्याश्वि प्रथम- निकुंभ- संहताश्व- कृशाश्व- प्रसेनजित् युवनाश्व द्वितीय- मान्धाता (मांधातृ)- पुरुकुत्स- मुचुकुंद- त्रसदस्यु संभूत- अनरण्य- वृषदश्व- हर्षश्व द्वितीय- वसमनस (वसुमत)- तृधन्वन (त्रिधन्वम्)- तैयारूण- त्रिशंक (सत्यव्रत)- हरिश्चन्द्र- रोहित- हरित- चंचु (चंप भागवत के अनुसार) विजय-रूरूक- वृक- बाहु।

त्रेतायुग

सगर- असमंजस- अंशुमान- दिलीप प्रथम- भगीरथ-श्रुत-नाभाग यानभ- अंवरीप- सिंन्धुदीप- आयुतायुष- ऋतुपर्ण- सर्वकाम- सुदास-कल्माषपाद- अप्मक- मूलक- शतरथ- बुद्धशर्मन- विश्वसह प्रथम- दिलीप द्वितीय-दीर्घबाहु-रघु-अज- दशरथ-श्रीराम।

द्वापरयुग

कुश- अतिथि-निषध-नल-नषभ-पुण्डीक-क्षेमधन्वन-देवानीक-अहिनगु- परिपात्र- दलं-शलं- वज्रनाभ- शंख्न-व्यष्तिश्व-विश्वसह द्वितीय- हिरण्यनाम- पुध्य- ध्रुव- ध्रुवसन्धि-सुदर्शन-अग्निवर्ण-शीघ्र-मरू-प्रथुश्रुत- सुसंधि- अमर्ष-महाश्वत- वृहदल (अभिमन्यु ने इसे युद्ध में मारा था) महाभारत के पश्चात।

कलियुग

सूर्यवंशी राजा- बृहतक्षय- उरूक्षम- वत्सद्रोह- (वत्सव्यूह), पतिव्योम- दिवाकर-सहदेव-ध्रुवश्व (वृहदाश्व)- भनुरथ-प्रतीताश्व (प्रतिपाश्व)- सुप्रती-मरूदेव (सहदेव)- सुनक्षत्र-विन्नराश्व- (पुष्कर)-अंतरिक्ष-सुषेण (सुपर्ण, सुवर्ण, सुतयस)- सुमित्र (अभित्रजित) ब्रहद्वज (भ्राज, भारद्वाज)- धर्म (वीर्यवान)- कृतंत्र्य- व्रात- रणंजय-संजय-शाक्य-क्रुद्धोधन (शुद्धोधन) सिद्धार्थ-राहुल (रातुल, बाहुलं, लागल, पुष्कल)- प्रसनेजित (सेनजित्), क्षुद्रक (क्षुलिक, कुंदक, कुंदव, रणक)-सुरथ- सुमित्र।

राम जन्मभूमि के बारे में मुस्लिम लेखक

आइये देखें मुस्लिम लेखकों ने क्या कहा है–

१. अबुल फजल (१५९८ ई०)

१६वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की रचना आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल मुगल युग का विख्यात लेखक है जिसने सुनिश्चित रूप से श्री रामचन्द्र के आवासीय स्थल (बंगा) से अवध (अयोध्या) को जोड़ा है। अबुल फजल के अनुसार श्रीरामचन्द्र त्रेतायुग में सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्ता के साथ ही लौकिक राज–पद के साकार रूप थे। अबुल फजल ने यह भी साक्ष्यांकित किया है कि अवध (अयोध्या) को अति प्राचीन कालीन पवित्रतम (धार्मिक) स्थलों में से एक होने का गौरव प्राप्त था। उसने लिखा है कि राम के जन्मदिवस का सुसंचक रामनवमी उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाता आया है। आईने अकबरी में अबुल फजल ने क्योंकि मुख्यतया (अकबर के अधीन) मुगलों के संस्थागत तथा प्रशासनिक तंत्र पर विचार किया है, उसने इस विवादग्रस्त भवन के विषय में अथवा अन्य किसी भी मन्दिर अथवा भवन के विषय में और कोई विवरण नहीं दिया है।

२. बहादुरशाह सुपुत्र आलमगीर की पुत्री द्वारा १७वीं शताब्दी के अन्त अथवा १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में रचित 'सहीफा–ए–चहल नसाइह बहादुरशाही'

उपरिवर्णित 'चहल नसाइह' (चालीस नसीहते) में से २५ नसीहतों की १८१६ में नकल करके 'नसीहते बीस्तोपंजम अज चहल नसाइह बहादुरशाही' नामक पाण्डुलिपि में सम्मिलित किया है जो कि मिर्जा हैदर शिकोह सुपुत्र मिर्जा सुलेमान शिकोह के पुस्तकालय में परिरक्षित है। बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए राम जन्मभूमि को नष्ट किए जाने पर यह सबसे पुराना ज्ञात विवरण है और इसकी लेखिका कोई और नहीं स्वयं औरंगजेब की पौत्री है।

'हदीकाए शहदा' (१८५६, लखनऊ) के रचयिता मिर्जा जान ने उपरोक्त पाठ फारसी में अपनी पुस्तक में पृष्ठ ४–७ पर उद्धृत किया है। पाठ इस प्रकार है–

"………. बादशाह के आदेशों (बा फरमाने बादशाही) के आधार पर जो मस्जिदें बनाई गईं उन्हें नमाज अदा किए जाने और (उनमें) खुतबा पढ़े जाने से छूट

नहीं दी गई है। मथुरा, बनारस, अवध आदि स्थानों पर स्थित हिन्दुओं के देवालयों यथा-कन्हैया के जन्म का स्थान, सीता रसोई स्थान, हनुमान का स्थान, जो हिन्दुओं के अनुसार लंका की विजय के पश्चात् वहाँ रामचन्द्र के समीप बैठे थे- पर हिन्दुओं (कुफ्र) को बहुत श्रद्धा है। इन सभी को इस्लाम की शक्ति (प्रदर्शन) के लिए ध्वस्त करके इन सभी स्थानों पर मस्जिदों का निर्माण कर दिया गया था। इन मस्जिदों को जुमा और जमीयत (जुम्मे की नमाज) से छूट नहीं दी गई है तथापि यह अनिवार्य किया गया है कि वहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं की जाए और मुसलमानों के कानों में शंख की आवाज न पड़े..........." (देखिए परिशिष्ट २)

३. मिर्जा जान रचित हदीकाए शहदा (१८५६ ई०) पृष्ठ ४-७

वाजिद अली शाह के राज्य के दौरान १८५५ ई० में हनुमान गढ़ी को हिन्दुओं से फिर छुड़ाने के लिए अमीर अली अमेठवी के नेतृत्व में किये गये जिहाद का यह लेखक प्रत्यक्षदर्शी था तथा उसने इसमें स्वयं भाग भी लिया था। उसकी पुस्तक जिहाद के विफल हो जाने के तुरन्त पश्चात तैयार हो गई थी और आगामी वर्ष (१८५६ ई०) में लखनऊ में प्रकाशित कर दी गई थी। अपनी पुस्तक के ९वें अध्याय में, जिसका शीर्षक 'वाजिद अली शाह और उनका अहद' है, बाबरी मस्जिद के निर्माण के विषय में उसका अपना कथन दिया गया है। मिर्जा जान, जिसका दावा है कि उसने इसके लिए विभिन्न पुराने स्रोतों का अध्ययन किया है, अपने बयान में कहता है, "पिछले सुलतानों ने इस्लाम के प्रचार और महिमागान को प्रोत्साहित किया तथा अविश्वासियों (कुफ्र) अर्थात् हिन्दुओं की शक्तियों को कुचला। इसी प्रकार फैजाबाद और अवध को इस नीच प्रथा (कुफ्र) से छुटकारा दिलाया। यह (अवध) एक बड़ा पूजा केन्द्र था और राम के पिता के राज्य की राजधानी थी। जिस स्थान पर बड़ा मन्दिर था वहाँ एक बड़ी मस्जिद बनाई गई और जहाँ एक छोटा 'मंडप' था वहाँ ऐ छोटी कनाती मस्जिद बनाई गई जन्मस्थान का मन्दिर राम का मूल जन्मस्थान (मस्कत) था, जिससे लगी हुई सीता की रसोई है। सीता राम की पत्नी का नाम है। अतः उस स्थान पर बाबर बादशाह ने मूसा आशिकान के मार्गदर्शन में एक ऊँची (सरबलंद) मस्जिद बनवाई। वह मस्जिद आज तक लोगों में सीता की रसोई के नाम से जानी जाती है।" (देखिए परिशिष्ट ३)

४. मुहम्मद असगर की याचिका (१८५८)

बाबरी मस्जिद के खातिब और मुअज्जन मुहम्मद असगर ने ब्रिटिश सरकार को मुकदमा सं. ८८४, मुहल्ला कोट रामचन्द्र, अयोध्या में एक अभिवेदन

दि. ३०.११.१८५८ को दाखिल किया। जन्मस्थान के बैरागियों के विरुद्ध अपनी शिकायत में उसका अभिकथन था कि हिन्दुओं ने मस्जिद पर कब्जा कर लिया है, उसमें उन्होंने मिट्टी का टीला बना लिया है, एक लम्बे बांस पर झण्डा फहरा दिया है, एक देवमूर्ति की स्थापना कर दी है, पूजा करनी प्रारम्भ कर दी है, दीवारों पर चारों तरफ राम का नाम लिख दिया है आदि-आदि। मुअज्जन ने यह भी लिखा कि निर्मित मस्जिद के बाहरी स्थान पर (अर्थात् मस्जिद की चारदीवारी के भीतर के प्रांगण में) जन्मस्थान उजाड़ पड़ा था जहाँ सैंकड़ों साल से हिन्दू पूजा करते आए हैं। इससे इस तथ्य,की पुष्टि होती है कि जन्म-स्थल यद्यपि बाबरी मस्जिद से आच्छादित हो गया था, हिन्दू खुले स्थान पर सैंकड़ों वर्षों से, मुगलों और नवाबों के राजकाल में भी, पूजा करते आए थे और यह कि उन्होंने सम्पूर्ण जन्मस्थान क्षेत्र पर अपना दावा बनाए रखा था। (देखिए परिशिष्ट ४)

५. उर्दू उपन्यासकार मिर्जा रजब अली बेग सरूर कृत 'फसानाए इबरत'

डॉ. जकी काकोखी ने अपनी पुस्तक में सरूर (१७८७-१८६७) कृत इस पुस्तक का उद्धरण संलग्न किया है। उद्धरण का पाठ इस प्रकार है- "बाबर बादशाह के राज्यकाल की अवधि में अवध में सीता-की-रसोई से सम्बद्ध स्थान पर एक भव्य मस्जिद बनवाई गई। यही बाबरी मस्जिद थी। क्योंकि इस काल में हिन्दू प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, मस्जिद का निर्माण सैय्यद मीर आशिकान के मार्गदर्शन में हुआ। इसके निर्माण की तारीख 'खैर बाकी' (शब्दों) से निर्धारित की जा सकती है और 'राम दरबार' में फिदाई खान, सूबेदार, ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया।

औरंगजेब द्वारा हनुमानगढ़ी पर एक अन्य मस्जिद के निर्माण की चर्चा करते हुए लेखक कहता है कि आगे चलकर, बक्सर ने नवाब शुजाउद्दौला की पराजय के पश्चात् बैरागियों ने गढ़ी पर कब्जा कर लिया। 'बैरागियों ने हनुमानगढ़ी पर बनी मस्जिद को मिटाकर उसकी जगह पर मन्दिर बना दिया। तदुपरान्त (बैरागियों द्वारा) बाबरी मस्जिद में जो सीता की रसोई का क्षेत्र है, खुले रूप में पूजा की जाने लगी। (नवाबी) प्रशासन इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सका।'

यह ध्यान देने योग्य हे कि सरूर ने 'सहीफाए-बहादुरशाही' जिसकी प्रतिलिपि १८१६ में की गई थी, को अपना स्रोत बताया है ताकि इसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति सुरूर के कथनों की जांच कर सकता है।

६. शेख मोहम्मद अजमत अली काकोरवी नामी के द्वारा रचित 'तारीखे अवध' अथवा 'मुरक्काएं खुसरवी' (१८६९)

काकोरवी (१८११-१८९३) ने यह पुस्तक १८९६ में लिखी थी परन्तु एक शताब्दी से भी अधिक समय तक यह प्रकाशित नहीं हो पाई। जब डॉ० जकी काकोरवी ने छपने के लिए इसकी प्रेस कापी तैयार की, तब एफ.ए. अहमद मेमोरियल कमेटी, १९८६ में, उसे इस शर्त पर छापने को तैयार हो गई कि इसमें १८५५ की घटना सम्बन्धी अध्याय नहीं छपेगा। बाद में डॉ० काकोरवी ने १९८७ में इस अध्याय को स्वतंत्र रूप से तैयार हो गई कि इसमें १८५५ की घटना सम्बन्धी अध्याय नहीं छपेगा। बाद डॉ० काकोरवी ने १९८७ में इस अध्याय को स्वतंत्र रूप से 'अमीर अली शाह और मार्काए हनुमानगढ़ी' शीर्षक से प्रकाशित किया।

इसमें यह बयान किया गया है: "अवध लक्ष्मण और राम के पिता की राजधानी थी। (यहाँ) हिन्दुओं ने आमतौर से सीता-की-रसोई के नाम से मशहूर जन्मस्थान के परिसर के भीतर बने एक मन्दिर के स्थल पर मूसा आशिकान के मार्गदर्शन में एक भव्य बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। निर्माण की तारीख का आकलन 'खैर बांकी' से किया जा सकता है। फिदाई खान, सूबेदार द्वारा राम दरबार के स्थल पर भी एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। इसे बाद में हिन्दुओं ने ध्वस्त करके मिटा दिया।" (देखिए परिशिष्ट ६)

७. हाजी मुहम्मद हसन द्वारा लिखित 'जियाए अख्तर' (लखनऊ १८७८) पृष्ठ ३८-३९

लेखक कहता है: "अलहिजरी ९२३ में राजा रामचन्द्र के निजी आवास (महल सराय) तथा सीता-की-रसोई को ध्वस्त करके दिल्ली के बादशाह जहीरुद्दीन की आज्ञा का पालन करते हुए सैय्यद मूसा आशिकान द्वारा बनवाई गई मस्जिद में तथा मुइन्युद्दीन औरंगजेब, आलमगीर बादशाह जहीरुद्दीन की आज्ञा का पालन करते हुए सैय्यद मूसा आशिकान द्वारा बनवाई गई मस्जिद में तथा मुइन्युद्दीन औरंगजेब, आलमगीर बादशाह द्वारा बनवाई गई दूसरी मस्जिद में (वास्तव में) पुरानी पड़ जाने के कारण विभिनन स्थानों पर दरारें पड़ गई थीं। इन दोनों ही मस्जिदों को धीरे-धीरे बैरागियों ने मिटा दिया और इसी बात के कारण दंगा हुआ। हिन्दुओं को मुसलमानों से सख्त नफरत (तीव्र घृणा) है......... (देखिये परिशिष्ट ७)

८. मौलावी अब्दुल करीम कृत 'गुमगश्ते हालाते अयोध्या अवध' (अयेध्या की भूली-बिसरी घटनाएँ), अर्थात् 'तारीखे पर्निया मदीना आल्वालिया' (फारसी में) लखनऊ १८८५

यह लेखक, जो कि उस समय बाबरी मस्जिद का इमाम था, हजरत शाह जमाल गोज्जरी की दरगाह का विवरण देते हुए लिखता है, इन दरगाह के पूरब में मुहल्ला अकबरपुर है, जिसका दूसरा नाम कोट राजा रामचन्द्र जी भी है। इस कोट में कुछ बुर्ज (गुम्बदवाले बड़े कक्ष) थे। पश्चिमी बुर्ज की तरफ को ऊपर बताए गए राजा के जन्म का घर (मकाने पैदाइश) तथा रसोई घर (बावरचीखाना) थे और अब यह परिसर जन्मस्थान और रसोई सीताजी के नाम से जाना जाता है। इन घरों (अर्थात् जन्मस्थान और सीता की रसोई) को ध्वस्त करने और मिटा देने के पश्चात् बाबर बादशाह ने उस स्थान पर एक भव्य (अजीम) मस्जिद बनवाई।

लेखक ने इस रचना में अनेक समसामयिक स्रोतों का हवाला दिया है। रचना का उर्दू अनुवाद लेखक पोत मौलवी अब्दुल गफ्फार ने १९७९ में किया था (देखिए परिशिष्ट ८)

९. अल्लामा मुहम्मद नजमुलगनी खान रामपुरी कृत 'तारीखे अवध' (१९०९)

डॉ० जकी काकोरवी ने इस पुस्तक का एक संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित किया है। इस संस्करण के खण्ड २ का एक अंश (पृ. ५७०-५७५) इसक प्रकार है:

(क) "अयोध्या में जिस स्थान पर रामचन्द्र के जन्मस्थान का मंदिर था, उसी स्थान पर सैयद आशिकान के संरक्षकत्व में बाबर ने एक भव्य मस्जिद बनाई थी। सीता की रसोई इसी की बगल में बनी हुई है। मस्जिद के निर्माण की तारीख 'खैर बाकी' (अल् हिजरी ९२३) है। आज दिन तक इसे सीता-की-रसोई के नाम से ही जाना जाता है इसके साथ में ही वह मंदिर खड़ा है। कहा जाता है कि इस्लाम की विजय के समय भी तीन मंदिर थे, जिनके नाम 'जन्मस्थान', को ध्वस्त करवा कर मस्जिद बनवाई थी।"

(ख) .... "संक्षेप में कहा जाए तो १८५५ में हिन्दू उस स्थिति में पहुंच गये थे कि हिन्दुओं ने हनुमानगढ़ी में ध्वस्त मस्जिद के अतिरिक्त बाबरी मस्जिद के प्रांगण में भी, जहाँ सीता-की-रसोई स्थित थी, एक मंदिर का निर्माण कर लिया था.......।"

(ग) .... "अन्ततः, जिलदका, हिजरी सन् १२७१ (जुलाई १८५५) में बाबरी मस्जिद में जो कि सीता-की-रसोई के अन्दर स्थित है दसवीं या बारहवीं बार दो या तीन सौ मुसलमान इकट्ठे हुए.........।"

यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि विद्वान लेखक ने १७वीं से १९वीं शताब्दियों के भारत/अवध के इतिहास सम्बन्धी कुल मिलाकर इक्यासी स्रोतों (पाण्डुलिपियों तथा पुस्तकों) का उपयोग किया था। यद्यपि इनमें से अधिकतर के लेखक मुस्लिम थे तथापि कुछ हिन्दू और यूरोपीय लेखकों की रचनाओं का भी उसने उपयोग किया था।

हम यह टिप्पणी भी अवश्य करेंगे कि फारसी में 'खेर बाकी' वाक्यांश बनाने वाले वर्णों (अक्षरों) के संख्या मूल्यों के अनुसार वर्ष ९२३ का हिसाब लगाना एक गलती पर आधारित है। (स्मरणीय है कि भारतीय अंकों के अपनाए जाने से पहले अंकों को कूटबद्ध करने के लिए कभी-कभी वर्णों (अक्षरों) का उपयोग किया जाता था।) मस्जिद की शिलालेख पट्टिका पर जो पूरा वाक्यांश दोहराया गया है, वह फारसी में "ववद खैर बाकी" है।

卐

श्री रामजन्मभूमि के उद्धार हेतु चित्रकूट सम्मेलन में शंखनाद करते हुए पूज्य महाराजश्री

श्री शंकराचार्यजी का सर्वप्रथम आह्वान

सृष्टि के प्रारम्भ से ही अयोध्या इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की राजधानी रही है। अयोध्या का अर्थ होता है 'योध्दुम् अशक्या'। इसी इक्ष्वाकु वंश में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। श्री राम को उनके समय में ही परमात्मा का अवतार मान लिया गया था। भगवान श्रीराम के स्वधाम गमन के पश्चात् उस पवित्र भूमि में जिसमें उनका जन्म हुआ था हिन्दू जनता उसकी पूजा करने लगी।

आगे चलकर राजा विक्रमादित्य ने रामजन्म भूमि में एक दिव्य मंदिर बनवाया। उस मंदिर में समस्त हिन्दू भगवान राम के श्री-विग्रह का दर्शन करके स्वयं को धन्य समझते थे।

समस्त हिन्दू धर्मावलम्बियों के लिये दुर्भाग्यपूर्ण समय आया, उस समय धर्मान्ध मुसलमानों ने आक्रमण करके हिन्दू मंदिरों को विध्वंस करना प्रारम्भ कर दिया। इसी शृंखला में भारत में बाबर का आक्रमण हुआ और उसने एक फकीर के कहने पर विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित मन्दिर को तोड़कर मस्जिद का आकार देने की अपने किसी सेनापति को आज्ञा दे दी। उसने मन्दिर को तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिद बना दी। हिन्दुओं की ओर से इसका प्रबल विरोध हुआ। यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि वह मस्जिद हिन्दुओं के खून के गारे से निर्मित हुई।

उसके पश्चात् बराबर रामजन्म भूमि के उद्धार के लिए हिन्दुओं ने संघर्ष जारी रखा। राजनीति में यह देखा जाता है कि जब कोई राजा दूसरे राजा को जीत लेता है तो विजेता विजित की सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है। पर गांव के लोगों के बैठने का चबूतरा, नदियों के घाट, आम रास्ते, गायों के खड़े होने की जगह और देव मन्दिर किसी की सम्पत्ति नहीं होते। न कोई इनका दान कर सकता और न ही इनको जीत ही सकता है। बाबर के अन्याय के सामने हिन्दू खड़े हुए परन्तु उन्हें न्याय न मिल सका क्योंकि जो राजा न्याय देता उसी के द्वारा अन्याय किया गया था। बीच में अकबर ने रामजन्म भूमि के खण्डहर का हिन्दुओं को राम चबूतरा बनाकर पूजन करने की अनुमति दे दी थी। पर औरंगजेब ने उसे फिर तुड़वा दिया।

अंग्रेजी राज के खिलाफ जब हिन्दू-मुसलमान एक साथ खड़े हो गये तब मुसलमान बाबरी मस्जिद हिन्दुओं को देने के लिये राजी हो गये थे। परन्तु अंग्रेजों ने इसे सफल न होने दिया। अंग्रेज चाहते थे कि रामजन्म भूमि की समस्या बनी रहे और इसके लिये हिन्दू-मुसलमान आपस में लड़ते रहें। हिन्दू-मुसलमानों की एकता होने पर

अंग्रेजों को अपना राज जाने का खतरा था। यही कारण था कि अंग्रेजी राज्य में भी हिन्दुओं को न्याय नहीं मिला।

अब सौभाग्य से भारत स्वतन्त्र है। भारत ने अपनी आजादी के ६३ वर्ष पूरे कर लिये हैं अब समय आ गया है कि समस्त भारत के हिन्दू रामजन्म भूमि के उद्धार के लिए तत्पर हो जाएँ।

विश्व हिन्दू परिषद् ने नवम्बर मास में रामजन्म भूमि शिलान्यास करने का संकल्प किया था उसके लिये स्थान-स्थान पर राम शिलाएँ भेज कर चन्दा इकट्ठा किया जा रहा था लगभग एक अरब रुपया इकट्ठा करने का उनका लक्ष्य रहा है पर हमारी राय में जब तक वह भूमि हिन्दुओं के हाथ में नहीं आ जाती तब तक चन्दा एकत्रित नहीं करना चाहिए। जो शिलाएँ पूजी जा रही हैं बाबरी मस्जिद को बिना हटाए उन्हें कहाँ लगाया जायेगा? यदि किसी भिन्न स्थान पर उन्हें लगाया जाये तो उससे लक्ष्य की पूर्ति न होगी क्योंकि इस प्रकार के सहस्त्रों मन्दिर अयोध्या में पहले से ही बने हुए हैं।

इस समय निर्मोही अखाड़ा बनाम सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड का मुकद्दमा बाबरी मस्जिद के स्वामित्व के लिये चल रहा है अभी तक वह मामला फैजाबाद के लोवर कोर्ट में चल रहा था पर अब सरकार ने इस मामले के शीघ्र निर्णय के लिये इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ को सौंप दिया। १८ सितम्बर से लगातार इस मामले की सुनवाई चल रही है यदि उचित पैरवी के अभाव में या अन्य किसी तकनीकी कारण से इसका फैसला हिन्दुओं के खिलाफ हो गया तो उसका पक्ष सदा के लिये कमजोर हो जायेगा। फिर कोई भी अदालत इसको न्याय देने में हिचकेगी। कोई भी व्यक्ति न्यायालय में न्याय लेने के लिये जाता है तब वह यह मानकर जाता है कि मेरा पक्ष ही न्यायपूर्ण है। अदालत का निर्णय मानने नहीं जाता। यदि इस हाईकोर्ट का निर्णय हमारे खिलाफ हो गया तो इसको हम अंतिम निर्णय नहीं मानेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे। यदि वहाँ भी न्याय न मिला तो जनता की अदालत में जायेंगे। हमारा भारत के सभी हिन्दुओं से अनुरोध है कि अदालत में अपने पक्ष को सही ढंग से रख कर इस पर विजय प्राप्त करें। जब अदालत ने ताला खुलवाया है तो वे हमें रामजन्म भूमि भी दिला सकते हैं। कोई भी सरकार दो ही प्रकार से ऐसे स्थान का हस्तान्तरण करा सकती है, या तो पार्लियामेन्ट में कानून बनाया जायेगा। दूसरा पक्ष अधिक सुगम है जिसकी हमें अधिक अपेक्षा नहीं करना चाहिए।

रुपये-पैसों के मामले में विश्व हिन्दू परिषद् पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज से कुछ वर्ष पहले उसने एकात्मकता यज्ञ के नाम पर गंगा जल और भारत-माता का रथ निकाला था, उस अवसर पर दस रुपये में गंगा जल की शीशी

बेची जाती थी। गंगा जल की कीमत करना गंगा का अपमान है फिर भी इन्होंने यह कह कर करोड़ों रुपया इकट्ठा किया कि इससे कन्या कुमारी में भारत माता का मन्दिर बनाया जायेगा वह मन्दिर आज तक नहीं बनाया, वह मूर्ति धर्मशाला में पड़ी हुई है। अगर बाबरी मस्जिद को तोड़ने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी और मन्दिर नहीं बना तो उस रुपये का क्या होगा जो रामशिला पूजन करके एकत्रित किया जा रहा है?

लोग चाहते हैं कि पहले न्याय अदालत से हो जाये, जनता के दबाव से हो इसके लिये सभी हिन्दू मिलकर प्रयत्न करें। रामजन्म भूमि को अपने अधिकार में करायें तभी मन्दिर बनायें। ऐसी स्थिति में हम स्वयं अयोध्या में चातुर्मास्य करके इस कार्य का श्री गणेश करेंगे। हमारा यह विचार है कि मस्जिद के मलवे को हटा कर उस स्थान को सफाई करके पवित्र किया जाए, गंगा जल से इसको धोया जाये, गोमय से उपलिप्त करके शुभ मुहूर्त में इसके निर्माण का श्रीगणेश किया जाय। उस मन्दिर के गर्भ गृह में दशरथ-कौशल्या की गोद में श्रीराम की मूर्ति स्थापित की जाए। हम चाहते हैं इसके लिए एक ऐसे ट्रस्ट का निर्माण किया जाए। जिसका नाम 'देव स्थान पुनरुद्धार न्यास' हो। यथा संभव सभी शंकराचार्यों, रामानन्दाचार्यों और अन्य सम्प्रदायों के आचार्यों एवं सुप्रसिद्ध धार्मिक सज्जनों को उस न्यास का न्यासी बनाया जायेगा। इसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसी के द्वारा रामजन्म भूमि के उद्धार के लिए प्रयास किया जाये। अगर संभव हो तो दिल्ली में सनातन धर्मी हिन्दुओं का एक विराट् सम्मेलन बुलाया जाए जिसमें सभी आचार्य, महामण्डलेश्वर और सद्गृहस्थ सम्मिलित हों। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलकर हिन्दुओं को रामजन्म भूमि के लिए अपना अनुरोध करना चाहिए।

कुछ लोग मस्जिद को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की वकालत कर रहे हैं परन्तु भारत जैसे समाजवादी देश में बाबर को राष्ट्र पुरुष नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वह साम्राज्यवादी एवं धर्मान्ध था।

卐

धर्म की जय हो,
अधर्म का नाश हो,
विश्व का कल्याण हो,
प्राणियों में सद्भावना हो,

अयोध्या में राम जन्मभूमि के पुण्य कार्य का संकल्प

महानुभाव,

इक्ष्वाकु कुल की महान् परम्परा में उनकी राजधानी अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में परब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया था। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाये। उनकेआदर्श चरित्र न केवल कीर्तनीय ही हैं अपितु अनुकरणीय भी

हैं। भगवान राम परमात्मा के अवतार काल में ही उनको ईश्वर के रूप में पहचान लिया गया था। और तभी से सनातनधर्मी हिन्दू उनकी पूजा करते आये हैं। अयोध्या की जिस पावन धरती पर हमारे प्रभु का अवतार हुआ वह हम कोटि-कोटि हिन्दुओं के लिए वन्दनीय है। उस पवित्र धरा पर महाराजा विक्रमादित्य ने एक मन्दिर बनवाया था। आक्रमणकारी बाबर ने उसको तोड़ने का हुक्म दिया तदनुसार मलबे से एक मस्जिद का आकार दे दिया पर इस ध्वंसात्मक कार्य का तभी से प्रबल विरोध हो रहा है। लाखों रामभक्तों ने उसके लिए बलिदान दिया है।

सनातन धर्मी हिन्दू मुसलमानों और अंग्रेजों के राज्य में न्याय मांगते थक गये पर किसी ने बात पर ध्यान नहीं दिया। सौभाग्य से आज हमारा देश स्वतन्त्र है। हमने स्वतन्त्रता के पैंसठ वर्ष पूरे कर लिये हैं। हम चाहते हैं कि उस पावन भूमि का उद्धार करके वहां उपासना केन्द्र के रूप में एक भव्य मन्दिर निर्मित किया जाय और राम भक्त वहां एकत्र होकर भगवान राम की अपनी मातृभूमि की सुख समृद्धि के लिए आराधना करें। पर यह कार्य सन्तों, महात्माओं और सद्‌गृहस्थ भक्तों का है। पक्षीय राजनीति के दलदल में आकण्ठ डूबे लोगों के वश की बात यह नहीं है।

आज भारत का जनमानस रामजन्म भूमि के उद्धार के लिए व्याकुल है। जहाँ पर न बाबर गया न जन्मा और न मरा, उस चिर प्रसिद्ध भूमि को बाबरी मस्जिद कहने पर सनातन धर्मी हिन्दुओं के हृदय में पीड़ा होती है। भारत की कोटि कोटि जनता के हृदय की पुकार है कि देश के शुभ चिन्तक आचार्य सन्त महात्मा उनके अखाड़े, दण्डी, संन्यासी, धर्मगुरु, रामकथा वाचक, प्रवक्ता एकत्र होकर इसके लिए संकल्प लें।

एतदर्थ चित्रकूट की पावन तपोभूमि में तीन जून को एक विराट् सम्मेलन किया जा चुका है। इस अवसर पर चारों शंकराचार्यों, रामानुजाचार्यों एवं निम्बार्क एवं वल्लभ सम्प्रदाय के आचार्यों तथा अनुगामियों को आमंत्रित थे। यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि इस सम्मेलन में ज्योतिष्पीठ एवं द्वारका शारदापीठाधीश्वर तथा अनेक अन्य आचार्यों ने अपने आगमनकी स्वीकृति दे दी थी। हमारी आपसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि आप भी उक्त अवसर पर लिये गये संकल्पों के परिप्रेक्ष्य में यह दिखला दें कि कितना बड़ा धार्मिक जन-समुदाय राम जन्मभूमि उद्धार की व्याकुलता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है।

卐

दिल्ली से रामशिलायें लेकर जाने के पूर्व पत्रकारवार्ता

भारत में सदा के लिए साम्प्रदायिक सदभाव स्थापित करने के लिए, परस्पर घृणा और द्वेष की भावनाओं को समाप्त करने के लिए, राम जन्म भूमि की समस्या को हल करने के लिए उक्त भूमि को राम के भक्तों को सौंप कर शीघ्र ही सुलझा लिया जाना परम आवश्यक है। इस विषय को जितना टाला जायेगा उतना ही विष फैलेगा। हम चाहते हैं कि संकीर्ण राजनैतिक स्वार्थ और जय–पराजय की भावना से ऊपर उठकर ही इसको हल किया जा सकता है। हम बहुत समय से यह बात कहते आये हैं कि किसी कारण से भी जो हिन्दुओं के प्रमुख धार्मिक स्थान मुसलमानों ने तोड़मोड़ कर या मुसलमानों के स्थानों को हिन्दुओं ने हड़प लिए हों, समय की मांग है कि उनकी अदला–बदली कर ली जाय।

आज कुछ लोग इस विषय को लेकर देश के साम्प्रदायिक सौहार्द्र को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। उत्तेजक नारे लगाये जा रहे हैं, हिंसा का आश्रय लिया जा रहा है, असामाजिक तत्त्वों को इन कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर इस मसले को सुलझाने में किसी प्रकार की ढील दी गयी तथा देश के पत्रकार, प्रबुद्ध जनता और सरकार ने इसको गम्भीरता से न लिया, तथा इसके लिए किये जा रहे शांतिमय प्रयासों को प्रोत्साहित न किया गया तो हिंसा और अराजकता फैलाने वाले तत्त्वों का मनोरथ सफल हो जायेगा।

इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखते हुए चित्रकूट के एक बृहद् सम्मेलन में जो ३ जून १९८९ को हुआ था देश के महात्माओं और विद्वानों ने 'अखिल भारतीय रामजन्म भूमि पुनरुद्धार समिति' का गठन किया है।

परस्पर मिल जुलकर किये प्रयासों की विफलता, अदालत के निर्णय के विलम्ब और विश्व हिन्दू परिषद् के द्वारा नव मन्दिर के निर्माण में शास्त्रीय पक्ष की अवहेलना करते हुए गलत मुहूर्त, गलत समय और गलत निर्णयों को देखते हुए गलत भूमि में शिलान्यास किया जाना और अकारण ही बारम्बार निर्माण कार्य को रोके जाने को देखते हुए हमारी समिति ने वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तदनुसार ७ मई के शुभ मुहूर्त में मुख्य स्थान पर शिलान्यास करने का निर्णय लिया है। हमारा यह कार्यक्रम सर्वथा शांतिपूर्ण होगा।

श्री काशी विद्वत् परिषद्, श्री भारत धर्म महामण्डल, अखिल भारतीय पण्डित महापरिषद् प्रभृति शीर्षस्थ हिन्दू धार्मिक संस्थाओं ने तथा अनेकानेक

लब्धप्रतिष्ठ पण्डितों, विद्वानों और विशेषतः ज्योतिष् के विद्वानों ने लिखित रूप में परामर्श दिया है कि सूर्य के उत्तरायण में स्थित रहते हुए सम्वत् २०४७ शके १९१२ वैशाख शुक्ल त्रयोदशी सोमवार तदनुसार ७मई १९९० को प्रातःकाल राम जन्म भूमि के शिलान्यास का शुभ मुहूर्त है।

शास्त्रों की मान्यता के अनुसार केवल चार शिलाएँ लेकर धर्मात्मा साधु सन्त और हिन्दू नागरिक शिलान्यास के लिए पवित्र सरयू तट से एक रैली के रूप में जायेंगे। रैली में उत्तेजक नारे नहीं लगेंगे। केवल "श्री राम जयराम जय जय राम" का घोष होगा।

देश के सभी हिन्दुओं का हम आह्वान करते हैं कि वे चाहे किसी भी राजनैतिक विचारधारा को मानते हों राष्ट्रीय एकता की राह की बाधा को दूर करने के लिए और हिन्दुओं के मन से ग्लानि मिटाने के संकल्प के साथ अयोध्या पहुँचे और मूल जन्म भूमि पर मन्दिर का शिलान्यास शुभ मुहूर्त में सम्पन्न कराने के अभियान में सम्मिलित हों।

(ब्रह्मचारी सुबुद्धानन्द)
सचिव
श्री जगदगुरु शंकराचार्य जी महाराज
ज्योतिष्पीठ एवं द्वारका शारदापीठ

अयोध्या में रामजन्मभूमि के सम्बन्ध में विचार विमर्श

श्री राम जन्म भूमि को मुक्ति के लिए ज्योतिष्पीठ एवं द्वारका शारदापीठ के जगद्‌गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द जी सरस्वती जी महाराज का प्रयास ऐतिहासिक है। भगवान आद्य शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित चार पीठों के किसी भी आचार्य ने आज तक इस तरह का क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाया था। जगद्‌गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री स्वरूपानन्द जी सरस्वती महाराज का प्रत्येक कदम क्रान्तिकारी रहा है।

देश को स्वतन्त्र कराने से लेकर रामजन्मभूमिकी मुक्ति तक का प्रत्येक प्रयास हिन्दू जनमानस को झकझोर कर रख देने वाला है। सन् १९४२ के स्वतन्त्रता आन्दोलन में दो बार जेल की यातनाएँ सहने वाला सन्त हिन्दुओं के आराध्य भगवान श्री राम की जन्मस्थली को मुक्त कराने चला।

अयोध्या सप्त मोक्ष पुरियों में से एक है। यहाँ इक्ष्वाकुवंश में दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम ने जन्म धारण किया। जिस स्थान पर भगवान राम ने जन्म धारण किया था, उस स्थान पर राजा विक्रमादितय ने भव्य मन्दिर बनवाया था। परन्तु हिन्दुओं के दुर्भाग्य से आक्रान्ता बाबर आया और उसने अपने सेनापति मीरबाकी को मन्दिर तोड़ने का आदेश दिया। मीरबाकी ने उस मन्दिर को तोड़ दिया और उस स्थान पर मस्जिद बना दी उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। उस स्थान पर बाबर न जन्मा न मरा फिर वहाँ मस्जिद बनाने का कोई औचित्य नहीं। केवल हिन्दुओं के हृदय को दुःखाने के उद्देश्य से यह किया गया।

मस्जिद के अन्दर ४० साल से भगवान राम लला की पूजा हो रही है। हिन्दू निरन्तर वहां भगवान के दर्शन करने जाते हैं। वहां राम चबूतरा है जिस पर अखण्ड कीर्तन होता है। बाहर की परिक्रमा में भगवान वाराह की पत्थर की मूर्ति है। वहां पर कसौटी के खम्भे हैं जिन पर शिव, गणेश, हनुमान आदि के चित्र अंकित हैं।

पूज्य शंकराचार्य जी का कहना है कि जहाँ भगवान राम लला की ४० वर्षों से पूजा हो रही है वह स्थान हिन्दुओं को वापस मिलना चाहिए। उसके लिए पूज्य महाराज श्री ने श्री रामजन्म भूमि उनरुद्धार समिति की स्थापना की। ३ जून १९८९ को चित्रकूट में विशाल सन्त सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें १०८ सन्तों ने शंखनाद किया। कानपुर, दिल्ली, अयोध्या, वाराणसी, वृन्दावन, हरिद्वार तथा मेरठ आदि से हजारों की तादाद में सन्त एकत्रित हुए। गुजरात से भी दस बसों में भरती

होकर सन्तगण चित्रकूट पहुँचे। वहाँ सभी सन्तों ने रामजन्म भूमि हिन्दुओं को सौंपने का आग्रह सरकार से किया।

चित्रकूट के सम्मेलन के पश्चात् पूज्य शंकराचार्य जी वाराणसी पधारे वहाँ विद्वानों की एक सभा हुई जिसमें मुहूर्त के सम्बन्ध में गम्भीर विचार विमर्श हुआ। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी ७ मई १९९० को शिलान्यास का परम पवित्र मुहूर्त निश्चित किया गया। काशी विद्वत् परिषद्, पण्डित-महासभा, धर्मसंघ एवं भारत धर्म-महामण्डल की सहमति से शिलान्यास का मुहूर्त निश्चित हुआ। पूज्य शंकराचार्यजी ने अपना चैत्र का नवरात्र पूजन अयोध्या के कनक भवन में किया। वहीं पर अयोध्या के सन्तों से शिलान्यास के सम्बन्ध में परामर्श हुआ। श्री लक्ष्मण किलाधीश स्वामी सीतारामशरण जी महाराज को शिलान्यास समिति का अध्यक्ष एवं श्री जगद्गुरु माधवाचार्य जी महाराज अशर्फी भवन वालों को संयोजक बनाया गया। देश भर के भक्तों को शिलान्यास में सम्मिलित होने के लिए सन्देश भेजा गया। करीब ५ लाख भक्त शिलान्यास समारोह में भाग लेने के लिए आ रहे थे, उसके पूर्व ही शंकराचार्य जी को गिरफ्तार कर लिया गया।

卐

श्री शंकराचार्यजी की अनुचित गिरफ्तारी

गुजरात में द्वारका शारदीपीठ की अधिष्ठात्री भगवती भद्रकाली, भगवान सिद्धेश्वर तथा त्रैलोक्य सुन्दर मन्दिर में स्थित द्वारकाधीश का अभिषेक करने के पश्चात् पूज्य शंकराचार्य जी ने रामजन्म भूमि के शिलान्यास का अभियान प्रारम्भ किया। गुजरात के सन्तों से परामर्श करने के पश्चात् वे मेरठ गए। मेरठ के भक्तों ने पूजय शंकराचार्य जी को नन्दा, भद्रा, जया और पूर्णा ये चार शिलाएँ भेंट कीं। जीमखाना मैदान में विराट् सभा हुई जिसमें मेरठ के मुस्लिम बन्धुओं ने भी पूज्य शंकराचार्य जी को सहयोग करने का वचन दिया। मेरठ से पूज्य श्रीचरण दिल्ली आए।

२६ अप्रैल को दिल्ली के ६, शंकराचार्य मार्ग में भी पूज्य शंकराचार्य जी को शिलान्यास हेतु शिलाएँ एवं गंगाजल तथा नारियल भेंट किए गए। जनता पार्टी की सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय मन्त्री श्रीमती सरोजनी महिषी ने भी शिलाएँ भेंट कीं। वीर अर्जुन के सम्पादक अनिल नरेन्द्र, सनातन धर्मसभा के श्री रमाकान्त गोस्वामी, श्री धर्मवीर शर्मा, श्री कौशल किशोर शर्मा, श्री सत्यनारायण घीवाले, श्रीमती उमा गुप्ता, श्रीमती गीतादास गुप्ता तथा हरियाणा के हजारों भक्त वहाँ मौजूद थे। सबों ने पूज्य शंकराचार्य को दिल्ली से विदाई दी। डीलक्स रेल द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पूज्य शंकराचार्य जी वाराणसी पधारे।

२७ अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन वाराणसी पहुँचकर पूज्य शंकराचार्य जी ने द्वारका शारदीपीठ के नव निर्मित भवन का उद्घाटन किया और २९ अप्रैल शंकराचार्य जयन्ती के दिन पूज्य महाराज श्री ने गाजीपुर जिले के बिछुड़न नाथ महादेव के लिए प्रस्थान किया। यहाँ पर पूज्य शंकराचार्य जी ने अध्ययन किया था और सन् १९४२ के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी भाग लिया था; जिससे पूज्य चरणों को ९ मास का कारावास भी हुआ था।

पूज्य शंकराचार्य जी सैदपुर पहुँचे। गांधी आश्रम में प्रवचन का आयोजन था। अपने प्रवचन में पूज्य महाराज श्री ने शिलान्यास के सम्बन्ध में बताया। पूर्व में विश्व हिन्दू परिषद् का शिलान्यास क्यों अनुचित है इस पर प्रकाश डाला। सैदपुर से पूज्य महाराज श्री बिछुड़न नाथ महादेव आये यहाँ भगवान शिव की अर्चना की। यहाँ भी प्रवचन हुआ। पूज्य महाराज श्री के प्रवचन के पूर्व ज्योतिष् शास्त्र के परम विद्वान् श्री केशव पाठक ने भी शिलान्यास के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये। रात्रि विश्राम पूज्य महाराज श्री ने मुक्ति कुटी में किया।

दूसरे दिन ३० अप्रैल को पूजन एवं भिक्षा करके पूज्य श्री चरण ने गाजीपुर के लिए प्रस्थान किया। गाजीपुर में प्रवेश करते ही बजरंग दल के ४ युवकों ने पूज्य श्री चरण के खिलाफ नारे बाजी की। संकट मोचन आश्रम, गंगा के तट पर प्रवचन की व्यवस्था बाबू राजेश्वर सिंह एडवोकेट ने की थी। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी। वैसे तो पुलिस का सिलसिला वाराणसी पहुंचते ही प्रारम्भ हो गया था परन्तु आशंका इसलिए नहीं हुई कि सभी स्थानों पर राज्य शासन द्वारा पूज्य शंकराचार्य जी के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। गाजीपुर से करीब ९ बजे रात्रि में उन्होंने फूलपुर आजमगढ़ के लिए प्रस्थान किया। आजमगढ़ में डीजल, पेट्रोल डलवाया। करीब २० कि०मी० चलने पर पुलिस ने गाड़ियों की नाकेबन्दी करके रोक लिया। एक डी०एस०पी० कोई सिंह आए उन्होंने कहा आपको साहब बुला रहे हैं। जब हम लोगों ने मना किया कि पूज्य महाराज श्री गाड़ी से उतरेंगे नहीं जिसको आना है यहीं आ जाये। तब गाड़ी में बैठा आजमगढ़ का एस०पी० वहाँ आया और पूज्य महाराज श्री से उस गाड़ी में बैठने को कहा, हम लोगों ने मना किया कि जहाँ चलना है इसी गाड़ी में जायेंगे दूसरी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, तब उन्होंने मिर्जापुर की ओर गाड़ियों के काफिले को मुड़वाया और रात भर जंगल में घुमाया। रात्रि में स्नान और पूजन भी नहीं करने दिया। प्रातःकाल चुनार के किले में ले जाकर रखा। वहाँ पुलिस वालों को अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था कि काश्मीर का एक खरनाक आतंकवादी लाकर रखा जायेगा इसलिए सभी सतर्क रहें। जब पूज्य श्री चरण वहाँ पहुँचे तो सभी हतप्रभ थे।

चुनार के किले में मैं पूज्य श्री चरणों के साथ था। पूज्य श्री चरणों का आदेश हुआ कि तुम्हें बाहर रहना चाहिए, अन्यथा लोगों को पता नहीं लगेगा कि मुझे कहाँ रखा गया है। मैंने पूजय श्री चरणों से निवेदन किया कि आपको ऐसी स्थिति में छोड़कर मेरा यहाँ से जाना कायरता पूर्ण कार्य होगा परन्तु पूज्य श्री चरणों के कठोर आदेश के कारण मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। मैं काशी आया। मेरे साथ दण्डी स्वामी आनन्द आश्रमजी महाराज एवं इन्दौर के श्री कैलाश जोशी थे। मैं धर्मसंघ गया, वहाँ श्री प्रकाशजी मिश्र से मेरी बातचीत हुई और मैंने समाचार पत्रों को टेलीफोन से सूचित किया कि पूज्य शंकराचार्य जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें चुनार के किले में रखा गया है, न वहाँ पानी की सुविधा है न बिजली की।

दूसरे दिन सारे देश के समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से यह समाचार छपा। देश भर के भक्त स्तब्ध रह गए। पूज्य श्री चरणों ने आते समय मुझे आदेश दिया था कि मुझे तो गिरफ्तार कर लिया गया है पर शिलान्यास का कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए। पूज्य श्री चरणों का सन्देश मैंने अयोध्या जाकर अग्नि अखाड़े के अध्यक्ष एवं रामजन्म भूमि पुनरुद्धार समिति के अध्यक्ष महन्त श्री गोपालानन्द जी को सूचित

किया। अयोध्या के सन्तगण भी वहाँ उपस्थित थे। पूज्य श्री चरणों की गिरफ्तारी से सभी दुःखी थे। देश भर में आन्दोलन होने लगे थे। न्यायालयों का, वकालों द्वारा बहिष्कार किया जा रहा था।

पूज्य महाराज श्री को गिरफ्तार की जो झूठी प्राथमिकी फूलपुर थाने द्वारा लिखी गई वह भी हम उद्धृत कर रहे हैं।

<u>एफ०आई०आर०</u>

नकल एफ०आई०आर० जुर्म नं० ५२२/९० फूलपुर चौक पुलिस थाना नं० १२८ जुर्म नं० १२२/९० तहत धारा ३ ए ५०५ ता०हि०

तारीख वाकया : ३०-४-९० रात्रि ११-३०

सूचना : १-५-९० प्रातः १:३०

मौका वाकया : कस्बा फूलपुर २ किलोमीटर पूर्व

शिकायत दर्जकर्ता : श्री सूर्य प्रताप सिंह इन्चार्ज इन्सपेक्टर पुलिस थाना फूलपुर आजमगढ़।

दूसरी पार्टी : श्री स्वरूपानन्द सरस्वती शंकराचार्य ज्योतिष्पीठ, द्वारका शारदा पीठ गुजरात।

जांचकर्ता : एस०एस०आई० श्री छविर्गन सिंह फूलपुर पुलिस थाना।

मैं एस०पी० सिंह एम०एच०ओ० सरायमीर के पुलिस थाना इन्चार्ज श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, पुलिस तरवा के इन्चार्ज श्री जगदीश तिवारी तथा कान्स्टेबुल श्री रामबली व सुदामा मिश्र के साथ फूलपुर कस्बा से गुजरात के द्वारका शारदापीठ व जयोतिष्पीठ के शंकराचार्य श्री स्वरूपानन्द जी सरस्वती की सुरक्षा की ड्यूटी पर था। उक्त शंकराचार्य फूलपुर कस्बा फूलपुर के सुन्दर लाल रूंगटा के मकान पर ठहरे थे। रात्रि में ११-३० बजे वे रूंगटा की दुकान के सामने के बरामदे में भाषण दे रहे थे और वहाँ काफी संख्या में आदमी उपस्थित थे। श्री शंकराचार्य अपने भाषण में कह रहे थे कि वे अयोध्या रामजन्म भूमि में अवश्य मंदिर का निर्माण करेंगे तथा बाबरी मस्जिद को खत्म कर देंगे, जो भी मुलमान विरोध करेगा उसे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे, जो भारत में हैं उन्हें हिन्दू होना पड़ेगा। मुसलमानों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने नारा लगाया "मुसलमान को जाना होगा, हिन्दू राष्ट्र बनाना होगा"। उनके भाषण से जनता में तनाव पैदा हो गया। मुसलमानों में गुस्सा हो गया। इस प्रकार के उत्तेजक भाषण से हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्प्रदायों में एक दूसरे के प्रति घृणा और दुश्मनी का वातावरण पैदा हो गया और खतरनाक घटना घट हाने का अन्देशा होने लगा तथा

नजदीक के स्थानों के मुसलमान एकत्रित होने लगे। श्री शंकराचार्य से इस प्रकार के उत्तेजक भाषण देना बन्द करने की प्रार्थना की गई जिसके कारण दो सम्प्रदायों के बीच घृणा व दुश्मनी फैल रही थी किन्तु उन्होंने नहीं सुना। श्री शंकराचार्य का यह कृत्य सेक्सन १५३ एवं ५०५ आई०पी०सी० के तहत जुर्म है इसलिए श्री शंकराचार्य को उनकी गिरफ्तारी के कारण बताते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

मुन्शी मुकदमा दर्ज करे–दस्तखत–एस०पी० सिंह, थानाध्यक्ष फूलपुर १–५–९०

और यह है फूलपुर के नागरिकों का कथन

हम फूलपुर के नागरिकों को इस बात का गहरा क्षोभ है कि दिनांक ३०–४–९० को द्वारका पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती का आगमन गाजीपुर से चलकर रात्रि १० या ११ बजे फूलपुर (आजमगढ़) में श्री सुन्दर लाल रूंगटा के निवास स्थान पर होना था तथा वहाँ विश्राम करने का कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ की जनता अपने आराध्य जगद्गुरु शंकराचार्य की प्रतीक्षा ही करती रही गयी। अगले दिन पता चला कि उन्हें बिना फूलपुर पहुँचे ही कहीं बीच रास्ते में ही पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे फूलपुर के नागरिक एवं क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है। यह कहना असत्य एवं निराधार है कि वे फूलपुर में भाषण दे रहे थे जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो जाने की आशंका से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। स्मरण रहे कि उनका फूलपुर में न पदार्पण हुआ, न कोई भाषण हुआ और न ही फूलपुर में गिरफ्तारी हुई। प्रशासन अपने दोषों को छिपाने के लिए घटना को अपने अनुकूल मनमाना स्वरूप दे रहा है।

हम हैं फूलपुर एवं क्षेत्र के नागरिक

(हस्ताक्षर)

(शताधिक जिनमें कई मुस्लिम भी हैं)

SKETCH OF BHAGWAN SRI RAM JANMA BHUMI AT AYODHYA

अयोध्या

यहां समिति के अध्यक्ष श्रीलक्ष्मण किलाधीशजी के एवं रामानुज सम्प्रदायाचार्य जगद्गुरु श्री माधवाचार्य जी महाराज को नजर कैद करके निवास पर पुलिस का पहरा बैठा दिया था।

रामजन्म भूमि पुनरुद्धार समिति के सभी कार्यालय तेजी से कार्य कर रहे थे। गुप्तचर विभाग के लोग भी चौकन्ने थें कनकभवन स्थित जानकी सदन में श्री गोपालानन्दजी ब्रह्मचारी के निर्देशन में श्री निर्भीक जोशी, श्री राजेन्द्र प्रसाद शास्त्री, श्री तुरीयानन्द जी ब्रह्मचारी, श्री अनिल पाटोदिया, श्री आत्मा राम मिश्र, श्री शंकरलाल बैद्य सभी निष्ठापूर्वक अपने अपने कार्यों में लगे थे। आने वाले भक्तों को बड़ी सतर्कता से सुरक्षित स्थान पर ठहरा दिया जाता था। श्री करोड़ी प्रसाद जी पाटोदिया भी सपरिवार अयोध्या में ही थे परन्तु वे सभी निर्देशन गुप्त रूप से देते थे, प्रकट नहीं होते थे। अग्नि अखाड़े के सचिव ब्रह्मचारी गोविन्दानन्दजी एवं थानापति महन्त श्री रामानन्दजी भी कार्य कर रहे थे। ६ मई को रात्रि में १ बजे श्री निर्भीक जोशी, श्री चण्डी प्रसाद शास्त्री, श्री अनिल पाटोदिया, श्री राजेन्द्र प्रसाद शास्त्री, आत्माराम मिश्र, गोविन्दानन्द ब्रह्मचारी आदि सभी को गिरफ्तार करके फैजाबाद के जेल में रखा गया। दूसरे दिन ६ मई को श्री विष्णु पाण्डेय होशंगाबाद, श्री प्रकाशानन्द ब्रह्मचारी, श्री कैलाशनाथ द्विवेदी को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इनके अलावा भोजन बनाने वाले तीन रसोइये एवं तीन नौकरों को भी गिरफ्तार करके जिला कारागार फैजाबाद में बन्द कर दिया। फिर भी शिलान्यास की तैयारी गुप्त रूप से चलती रही। अयोध्या के सन्तों में भी जोश था वे भी चाहते थे कि राम जन्मभूमि में शिलान्यास हो।

"बिहार के वनवासियों को भोजन नहीं करने दिया"

बिहार की सिंह भूमि, रांची आदि जिलों से बनवासी बन्धु ढोल ढमाकों के साथ शिलान्यास समारोह में भाग लेने आये थे। उनका नेतृत्व ब्रह्मचारी कैवल्यानन्द जी कर रहे थे परन्तु देश का दुर्भाग्य था कि उन्हें भोजन भी नहीं करने दिया गया और पुलिस फोर्स के साथ उन्हें जबर्दस्ती वापस भेजा। जहां एक ओर भारत सरकार गरीब पिछड़े वनवासियों को तरह-तरह की सुविधायें देती हैं वहीं निरीह भूखे वनवासी भाइयों को भोजन नहीं करने दिया। कार्यालय के कार्यकताओं ने उन्हें सूखा आटा, दाल, चावल देना चाहा तो स्थानीय प्रशासन ने कड़ाई के साथ रोक लगा दी।

देश भर में जगह-जगह बन्द का आयोजन हो रहा था, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुतले जगह-जगह जलाये जा रहे थें कोर्ट कचहरियों का बहिष्कार वकीलों द्वारा किया जा रहा था।

卐

पूज्य शंकराचार्यजी की गिरफ्तारी पर गुजरात में उग्ररोष

भारत के इतिहास में दिनांक ३०-४-९० का दिवस अजब चेतना के प्राकट्य का दिन था।

द्वारका और ज्योतिष्पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज ने असत्य के सामने सत्य प्रकट करके धर्म-सम्राट् का पद प्राप्त कर लिया। बात ऐसी है कि विश्व हिन्दू परिषद् ने भारत की धर्मप्रेमी जनता के सामने ऐसी चालबाजी लगाई कि कोई भी उनकी चाल के सामने एक शब्द भी न बोले। "सौगन्ध राम का खाते हैं हम मन्दिर वही बनाएंगे" की असत्य घोषणा करके धर्मप्रेमी जनता से करोड़ो रुपये इकट्ठा कर लिया और शिलान्यास किया दूसरी जगह पर। जिसका जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज ने विरोध किया और कहा कि वि.हि.प. ने धर्मप्रेमी जनता के साथ विश्वासघात किया है, झूठ बोल कर और मूलस्थान (रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद) को छोड़ कर दूसरी जगह शिलान्यास किया है। इसलिए गुरुदेव स्वयं रामजन्म भूमि में शिलान्यास करने के लिये अपने ब्रह्मचारियों और संन्यासियों को साथ लेकर निकले। असत्य के ऊपर सत्य का प्रकाश डालने के लिए निकले तो आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के कुछ दूर पहले ही उ०प्र० के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर गिरफ्तार कर चुनार के किले में उन्हें नजरबन्द कर दिया गया। पर अखबार वालों के साहसिक योगदान से महाराज श्री की गिरफ्तारी का समाचार जंगल की आग की तरह पूरे विश्व में फैल गया। गिरफ्तारी की सूचना ने सारी हिन्दू जाति के दिल में आग जगा दी। गिरफ्तारी का सबसे ज्यादा प्रभाव गुजरात में पड़ा।

द्वारका शारदापीठ के दूरदर्शी ब्रह्मचारी जी ने इस गिरफ्तारी के विरोध में हाहाकार मचा दिया और सारे गुजरात की धर्मप्रेमी जनता के दिल में भयंकर आक्रोश भर दिया। उस माहौल को देखते हुए योग्य दृष्टि से विरोध करने का कार्य शुरू करने का आदेश दिया। द्वारका के मुख्य मंदिर के अलावा तमाम मंदिर के दरवाजे बन्द करवा देने का आदेश दिया। मृत्यु घण्ट बजाया, रास्ता रोका और उनका प्रभाव इतना गहरा पड़ा कि सारे जामनगर जिले के और तमाम नगर और देहातों में घर घर खबर पड़ गई और उस दिन तमाम मंदिर बन्द रखकर विरोध कर प्रतिवाद प्रकट किया। दूसरे दिन ता० १ मई के दिन सभी मंदिरों, मठों और सभा स्थान पर लोगों ने उपवास करने का संकल्प लेकर जोर शोर से धर्म आन्दोलन कर डाला।

कार्य तो अति तीव्र वेग से चला और गुजरात के बड़े दैनिक पत्रों में मुख्यपृष्ठ पर सारे गुजरात में गुरुजी की गिरफ्तारी के विरोध में हुए आन्दोलन का विवरण छपा, जिसने गुजरात में हिन्दू जाति को झकझोर कर रख दिया। गुजरात के छोटे से बड़े अखबरों ने गुजरात के शहर से लेकर एक-एक देहात में हलचल मचा दी। जामनगर, द्वारका, जोड़िया, पोरबंदर, राजकोट प्रभास, गोंडल, मोरबी, बांकानेर, अमरेली, जूनागढ़, सूरत, भडोंच भावनगर आदि अनेक नगरों में आन्दोलन ऐसा उग्र बन गया कि सरकार डगमगाने लगी।

गुरुदेव की मुक्ति के लिए बुद्धिजीवी वर्ग, डाक्टर, वकील, न्यायाधीश, इंजीनियर आदि ने बड़ा रोष प्रकट करके दिल्ली में प्रधानमंत्री वी०पी० सिंह को तार, टेलीफोन करके कहा कि आप जल्दी से जल्दी शंकराचार्य जी को मुक्त कर दें। गुजरात के बाद सारे भारत में हलचल मच गई। केन्द्र सरकार भी अपने कार्य से भयभीत हुई। परिणाम यह हुआ कि सरकार घबड़ा गई। यदि आन्दोलन थोड़ा और ज्यादा चलता तो सरकार की भी अनिश्चियता हो जाती।

साधु समाज ने धर्म की घोषणा ऐसी की जिससे धर्मप्रेमी जनता के ध्यान और प्रेम से गुरुदेव की मुक्ति कराने के लिये आसमान और पाताल एक हो गया। उसी वक्त गुजरात के मंत्री श्री अशोक भट्ट ने भी सहानुभूति बतायी तब मुख्यमंत्री श्री चिमन भाई पटेल जो अमेरिका में थे उन्होंने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव को तार करके तथा टेलीफोन से बातचीत की कि जगद्गुरु शंकराचार्य जी को जल्दी मुक्त कर दो वरना राज्यभर में व्यवस्था रखना मुसीबत होगी। जिसकी खबर सुनते ही सारे गुजरात के शहर से गाँव तक की जनता आनन्द विभोर हो गई जनता के आराध्य देव जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज विजयी हो गये और सरकार ने की हुई गलती का प्रायश्चित्त कर लिया। यह प्रसंग धर्म का था। जनता के दिल में धर्म पर और गुरुदेव के प्रति कितनी श्रद्धा है और साक्षात् शिव स्वरूप गुरुदेव पर अपार भक्ति का यह प्रसंग ऐतिहासिक बन गया।

अद्वैत आश्रम अहमदाबाद

ता० ३०-४-९० के दिन गुरुदेव शंकराचार्य स्वमी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज की गिरफ्तारी करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह ने जो कार्य किया उसका समाचार मिलने पर ता० १-५-९० को एक सभा बुलाई गई। अध्यक्ष पद पर संन्यास आश्रम के महामण्डलेश्वर स्वामी श्री विश्वदेवानन्द जी ने सरकार के इस कार्य की आलोचना करके इस हीन कृत्य का विरोध पेश किया और द्वारका पीठ के

आदेशानुसार अहमदाबाद के मंदिर के दरवाजे बन्द रखे गए और सारे शहर में विरोध का वातावरण फैल गया।

अद्वैत आश्रम में शहर की जनता का समूह इकट्ठा हुआ और उपवास पर उतर गये। सारे दिन भगवद् भजन करके प्रभु की प्रार्थना करते थे।

अद्भुत प्रसंग यह है कि अहमदाबाद के विश्वभर में जाने वाले प्रसिद्ध गुजरात समाचार तथा सन्देश नामक अखबारों ने गुरुदेव के प्रति प्रेम श्रद्धा और उच्च भाव का दर्शन कराया। नव भारती के सम्पादक श्री हिम्मतलाल दबे ने अखबारों के प्रधान सम्पादकों को मिलाकर उस माध्यम से सरकार को हिला दिया। नगर की जनता ने आक्रोश से गुजरात के तमाम शहरों में ऐसा विरोध प्रकट किया कि यहाँ की परिस्थिति को काबू में रखना कठिन था। अद्वैत आश्रम के कार्यकर्ता श्री मानिक लाल शाह, श्री मानिक लाल गाँधी, श्री भारती बापू, श्री चैतन्य महाराज, श्री दिनेश भगत, श्री अशोक भाई शाह, श्री विनू भाई, अनूप राम शास्त्री, रजनीकान्त भाई, श्री बाबू भाई बछेटा, श्री अनुभाई शाह, श्री निरंजन भाई चौहान, हसुमती बहन अन्य भक्त मंडली बहनों की भजन मंडली के लिए प्रार्थना करके सद्भाव प्रकट करते थे। राज्य के प्रधान लोगों के दिल में भी दुःख था। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री चिमनभाई पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत करके निर्णय कराया कि गुजरात की परिस्थति बिगड़ जायेगी। गुरुदेव को जल्दी से मुक्त कर दो। परिणाम यह हुआ कि ता० ९-५-९० को दिन में जगद्गुरु शंकराचार्य जी को मुक्त कर दिया गया। असत्य की पराजय हुई और गुरुदेव ने सत्य की राह ली थी। उनकी विजय हुई।

गुरुदेव विजय यात्रा करके जब गुजरात में अहमदाबाद आये तब अहमदाबाद की धर्म प्रेमी जनता ने बड़े सत्कार का आयोजन किया। मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल की अध्यक्षता में विशाल समारोह हुआ तब अहमदाबाद के नगर पति श्री सोलंकी, मंत्री तथा श्री अशोक भट्ट ने गुरुदेव का पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। अद्वैत आश्रम में आनन्दोत्सव मनाया गया। अहमदाबाद के प्रतिष्ठित नागरिक, विद्वान् पंडित तथा संत गणों ने गुरु जी को माल्यार्पण किया और अंत में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती जी ने अपनी दिव्य वाणी सुनाई। सभी को आशीर्वाद दिया।

卐

दिल्ली

दिल्ली ९ मई

द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द की गिरफ्तारी के विरोध में आज राजधानी में एक विचार गोष्ठी में जाने-माने धर्मगुरुओं, पत्रकारों, राजनेताओं व समाजसेवियों ने भाग लिया।

गोष्ठी में बोलते हुए स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने कहा कि सरकार ने राम जन्मभूमि को कांटेदार तारों से घेरने में तो मुस्तैदी-दिखाई पर सरकार कश्मीर और पंजाब में सीमाओं पर आज तक तार नहीं लगा पाई।

उन्होंने कहा कि शंकराचार्य हमारे पूज्य हैं उन्हें तो सरकार गिरफ्तार कर सकती है किन्तु वही दूसरे धर्मों के धार्मिक ठेकेदारों को भड़काने वाले भाषण देने पर भी चुप रहती है तो आज आर्य समाज का हर सदस्य अपना बलिदान देने के लिये तैयार है।

जनता पार्टी के उपाध्यक्ष डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि "मैं सही अर्थों में धार्मिक आदमी नहीं हूँ मैं तो सिर्फ नाम का ही स्वामी हूँ लेकिन शंकराचार्य की गिरफ्तारी के मुद्दे को सबसे पहले मैंने संसद में उठाया"। इस पर बहुत से लोगों ने यहाँ तक कहा कि आप जैसे धर्मनिरपेक्ष आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर मैंने कहा कि सवाल धर्मनिरपेक्षता का नहीं है बल्कि सवाल यह है कि इस विषय में सरकार की भूमिका क्या रही?

दैनिक "वीर अर्जुन" के सम्पादक अनिल नरेन्द्र ने कहा कि आज हम सभी को अपने आपसी मतभेद भुलाकर सरकार को बाध्य कर देना चाहिए कि वह भविष्य में ऐसा दुःसाहस न कर सके जिससे हिन्दू धर्म का अपमान हो।

श्री अनिल नरेन्द्र ने कहा कि सरकार ने शंकराचार्य को गिरफ्तार कर समस्त हिन्दू जाति को ललकारा है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी सरकार की कायरता व अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति की परिचायक है।

वीर अर्जुन के सम्पादक ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी को सरकार की तुच्छ अल्प विकसित मानसिकता से प्रेरित राजनैतिक कार्यवाही बताया। उन्होंने कहा कि इस बात का इतिहास साक्षी है कि आज तक किसी भी सरकार ने हिन्दू धर्म गुरुओं के साथ ऐसी कार्यवाही करने का दुःसाहस नहीं किया व जिस महान् आत्मा के साथ यह कार्यवाही की गयी है वे तो अहिंसावादी व शान्तिप्रिय रहे हैं।

हिन्दू महासभा के सांसद महंत अवैद्यनाथ ने कहा कि शिलान्यास को लेकर हमारे बीच चाहे आपस में कितने ही मतभेद हों किन्तु शंकराचार्य की गिरफ्तारी बेहद निंदनीय है जिसकी जितनी निन्दा की जा सके वह कम है।

पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष श्री भीम सिंह ने कहा कि जो आज हिन्दू जाति का अपमान हुआ हे उसे हिंदू समाज का कोई भी स्वाभिमानी व्यक्तित्व कभी नहीं भुला पायेगा।

उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के ऊपर जो धारा लगाई गई है वह सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शंकराचार्य को गिरफ्तार कर हिन्दुत्व को ललकारा है।

सनातनी नेता व पत्रकार रमाकान्त गोस्वामी ने कहा कि सरकार ने शंकराचार्य को गिरफ्तार कर हिन्दू समाज के मुँह पर तमाचा जड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रवैया अपनाया है वह बेहद शर्मनाक है इसके लिए इतिहास कभी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को माफ नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि पुलिस अयोध्या के पवित्र मंदिरों में जूते पहनकर घुस गई सीधे-साधे पुजारियों को गिरफ्तार कर अपनी नपुंसकता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अविलंब शंकराचार्य की रिहाई न की तो यह उसके लिए तख्त पलटने वाली घटना सिद्ध होगी।

समाजसेवी विजय शंकर चतुर्वेदी ने कहा कि यदि ७२ घण्टे में शंकराचार्य की रिहाई नहीं हुई तो हिन्दू धर्मालम्बी सरकार का सिंहासन हिला कर उसे उखाड़ कर फेंक देंगे।

गोष्ठी में बोलने वालों में लव कुश जी एवं रामलीला के अर्जुन कुमार तथा सनातनी नेता प्रेमचन्द आदि थे।

卐

दिल्ली (जारी)

देश की राजधानी दिल्ली में अनेक धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा परमपूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी की घोर निन्दा की गई। अ०भा० सनातन धर्म प्रतिनिधि सम्मेलन के महासचिव श्री रमाकान्त गोस्वामी ने कहा था कि भारत के इतिहास में किसी सरकार ने हिन्दुओं के धर्मगुरु पर पहली बार हाथ डाला है। यह घटना करोड़ों हिन्दुओं की भावना का अपमान है और उनकी धार्मिक अस्मिता को खुली चुनौती है। धर्म–गुरु का अपमान मौजूदा सरकार को बहुत मंहगा पड़ सकता है।

श्री गोस्वामी ने आरोप लगाया कि जगद्गुरु की गिरफ्तारी कतिपय राजनीतिक एवं तथाकथित धार्मिक संगठनों के नेताओं के संयुक्त षड़यंत्र का परिणाम है। ये तथाकथित नेता नहीं चाहते कि रामजन्मभूमि का मसला निपट जाये। वे चाहते हैं कि यह विवाद अपने उग्र रूप में हमेशा जिन्दा रहे ताकि इससे उनके स्वार्थ पूरे होते रहें।

अखिल भारतीय सनातन धर्म प्रतिनिधि सम्मेलन के कार्यवाहक अध्यक्ष रामफल त्यागी ने बताया कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी के मसले पर विचार करने के लिए हर धार्मिक संस्था और धर्माचार्यों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक में पारित एक प्रस्ताव में जगद्गुरु स्वामी श्री स्वरूपानन्द जी महाराज जी को गिरफ्तार करने की सरकारी फैसले की कड़ी निन्दा की गई।

प्रस्ताव में कहा गया है कि जगद्गुरु शंकराचार्य ने जिस महान् उद्देश्य को लेकर रामजन्म भूमि की ओर प्रस्थान किया था उसकी श्रेष्ठता, सात्त्विकता, औचित्य और धार्मिक सार्थकता पर हिन्दू धर्म में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता। प्रस्ताव में गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए कहा गया कि धर्मगुरु की गिरफ्तारी सरकार के कुंठा ग्रस्त मन का प्रतिबिम्ब है। ७ मई को पूरी शास्त्रीय विधि से शिलान्यास करने की घोषणा शंकराचार्य ने बहुत पहले की थी। अगर उनकी गिरफ्तारी का कोई औचित्य था भी तो उन्हें बहुत पहले गिरफ्तार करना चाहिए था।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि शंकराचार्य की अचानक गिरफ्तारी ने सरकार को अपराधी के कटघरे में खड़ा कर दिया है।

उसमें मांग की गई है कि सरकार न केवल जगद्गुरु शंकराचार्य को तुरन्त रिहा करे बल्कि अपने इस अपराध के लिए करोड़ों हिन्दुओं से क्षमा याचना करे।

उस प्रस्ताव में चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार ने हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं की उपेक्षा की, और दमन चक्र चालू रखा तो संत-महात्मा और धार्मिक नेता हिन्दू धर्म की अस्मिता की खातिर जो भी जरूरी होगा, बलिदान देंगे।

सभा में महा मण्डलेश्वर स्वामी गणेशानन्द गिरि, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष स्वामी आनन्दबोध सरस्वती, अखिल भारतीय सनातन धर्म प्रतिनिधि सम्मेलन के दिल्ली के संयोजक जीतराम शर्मा, सचिव ओमप्रकाश शर्मा, विजयशंकर चतुर्वेदी, आर० एन० वत्स, श्रीमती शिप्रा पाण्डेय, श्री सुरेन्द्र विग आदि उपस्थित थे।

अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष विजय शंकर चतुर्वेदी, 'गुलाब भारत' के सम्पादक हरपाल सिंह भाटिया 'शिवरामवाणी' के सम्पादक रवीन्द्र गुप्ता, 'हिण्डन टाइम्स' के सम्पादक रामकृष्ण शर्मा ने भी स्वामी स्वरूपानन्द जी की गिरफ्तारी की निन्दा की है।

भारतीय युवक कांग्रेस (ज) के अध्यक्ष हरकेश सिंह उज्जैन वाले व महामंत्री जगदीश गुप्ता ने उक्त कार्यवाही को शर्मनाक बताया। उन्होंने चेतावनी दी यदि २४ घण्टों के भीतर शंकराचार्य को रिहा नहीं किया गया तो कांग्रेस (ज) कार्यकर्ता मंत्रियों की कारों को रोकेंगे व उन्हें कार्यालय में नहीं जाने देंगे।

अखिल भारतीय हिन्दू शक्ति दल की आपात बैठक में जगद्गुरु शंकराचार्य की गिरफ्तारी की कड़ी निन्दा की गई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्र हिन्दू ने कहा कि जगद्गुरु की गिरफ्तारी से अलगाववादी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे स्पष्ट प्रमाणित हो गया है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार पूर्ण तुष्टीकरण की नीति अपनाकर हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। श्री हिन्दू ने कहा कि जो देश तोड़ रहे हैं सरकार उन्हें खुश करने में लगी है और राष्ट्रवादियों का दमन करना अपना कर्त्तव्य समझती है। हिन्दू शक्ति दल ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री को पत्र लिखकर शंकराचार्य की तुरन्त रिहाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार अब केवल बन्दूक की भाषा सुनने की आदी हो चुकी है। हिन्दुस्तान में हिन्दुओं के अतिरिक्त सभी अन्य बन्दूक की भाषा ही बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अगर इसी प्रकार हिन्दुओं की अवमानना करती रही तो हिन्दुओं को भी देश और धर्म की रक्षा के लिए पुनः मार्ग सुनिश्चित करना होगा। कार्यालय सचिव श्री संजय हिन्दू ने बताया कि अगर शंकराचार्य को तुरन्त रिहा न किया तो हिन्दुओं को भी उग्र मार्ग पर चलने के लिए विवश होना पड़ेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार पर होगा।

पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह ने जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती की गिरफ्तारी की निन्दा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने केवल

विश्व हिन्दू परिषद् को खुश करने के लिए शंकराचार्य को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा, यह गिरफ्तारी मोर्चा सरकार के लिये अशुभ संकेत है।

साम्प्रदायिकता विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी की निन्दा करते हुए चेतावनी दी कि यदि २४ घण्टे के भीतर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का पुतला जलाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आजमगढ़ के पास जगद्गुरु शंकराचार्य को रोकने पर राष्ट्रवादी मंच के अध्यक्ष विश्वनाथ खन्ना ने उत्तर प्रदेश सरकार की कड़े शब्दों में निन्दा की है और इस कार्यवाही को अलोकतांत्रिक कहा। स्मरण रहे कि जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द जी अयोध्या में ७ मई के दिन श्री रामजन्म भूमि मंदिर की आधार शिला रखने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं।

卐

श्री शंकराचार्य की रिहाई के लिए ज्ञापन देने गये रामभक्त गिरफ्तार

५ मई को दिल्ली में राष्ट्रपति को ज्ञापन देने गए राम भक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति भवन के बाहर गिरफ्तार किये जाने वालों में प्रमुख हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष स्वामी आनन्द बोध सरस्वती, नरेन्द्र, सनातन प्रतिनिधि सभा के रमाकांत गोस्वामी, प्रेमचन्द्र गुप्ता, कौशल किशोर शर्मा, रामफल त्यागी आदि। इन नेताओं समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धारा १४४ के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया।

जगद्गुरु की रिहाई की मांग करने वाले इन रामभक्तों को पुलिस से तकरार भी हुई। पुलिस ने रामभक्तों को राष्ट्रपति भवन न जाने के लिए बल प्रयोग भी किया। ये रामभक्त बोट क्लब में एकत्र होने के बाद राष्ट्रपति भवन जा रहे थे। पुलिस के दुर्व्यवहार से क्षुब्ध रामभक्तों ने कृषि-भवन चौराहे पर आधे घण्टे तक यातायात को ठप्प कर दिया। रामभक्त सड़क पर लेट गये।

सड़क पर लेटने वालों में सर्व श्री आनन्द बोध सरस्वती, अनिल नरेन्द्र, रमाकांत गोस्वामी, सुभाष गुप्ता, तेजराम वर्मा, मुकेश शर्मा, धर्मेश त्रिपाठी, विजयशंकर चतुर्वेदी, प्रेमचन्द्र गुप्ता, हरियाणा महिला संगठन की सुशीला झा, सुरेश शर्मा महिला समाज सेवी गीता दास गुप्ता, संध्या बजाज, शारदा शर्मा, शिप्रा पांडे, समेत सैकड़ों रामभक्त स्त्री व पुरुष थे।

बाद में पुलिस अफसरों ने यातायात ठप्प करने वाले रामभक्तों से बात की और फिर प्रतिनिधि मंडल के कुछ सदस्य राष्ट्रपति भवन गए। पर सुरक्षाकर्मियों ने जगद्गुरु की रिहाई का ज्ञापन स्वागत कक्ष में देने के लिये बाध्य किया। जिस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। फलस्वरूप प्रतिनिधि मण्डल राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए बिना राष्ट्रपति भवन से लौट आया।

राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए बिना वापस लौट रहे रामभक्तों ने सरकार विरोधी नारे लगाये। यहाँ से रामभक्त बोट क्लब आए। राम-नाम का जप करते हुए जगद्गुरु की रिहाई के लिए उमड़ा रामभक्तों का जन समूह गृहमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद के निवास पर पहुंचा। यहाँ रामभक्तों ने एक सभा आयोजित की। भक्तों ने हिन्दुओं की भावनाओं पर सरकारी दमनचक्र की तीखी आलोचना की। भक्तों ने सरकार को धमकी दी कि जगद्गुरु को फौरन न छोड़े जाने पर राष्ट्रव्यापी आन्दोलन छिड़ेगा जिसकी सारी जिम्मेदारी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।

श्री सईद के निवास पर प्रदर्शन व जनसभा करने के बाद रामभक्त पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आवास पर गए। श्री राजीव गांधी से प्रतिनिधि मण्डल में शामिल श्री अनिल नरेन्द्र ने जगद्गुरु की रिहाई के लिए मामले को संसद में उठाने का आग्रह किया।

शंकराचार्य की रिहाई की मांगकर रहा यह प्रतिनिधि मंडल बाद में उपराष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा से मिला। उपराष्ट्रपति ने प्रतिनिधि मंडल से कहा 'वह सरकार से इस बाबत में बातचीत करेंगे'।

बोट क्लब पर आयोजित एक सभा में अखिल भारतीय सनातन धर्म प्रतिनिधि सम्मेलन के महासचिव एवं प्रतिनिधि मंडल के नेता रमाकांत गोस्वामी ने घोषणा की कि राम मंदिर के शिलान्यास का कार्य पूर्ववत् ७ मई को सम्पन्न होगा। वह स्वयं साधु-सन्तों के साथ रविवार को अयोध्या के लिये रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया इस मामले में बेहद निन्दनीय और आपत्तिजनक है। उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन स्वीकार नहीं किया। श्री गोस्वामी ने कहा कि हिन्दुओं के धर्मगुरु की गिरफ्तारी हो और सरकार चुप्पी साध ले। इससे अधिक हिन्दू जगत् का क्या अपमान होगा? उन्होंने कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों के प्रति हिन्दू जनमानस में जो क्षोभ है, उसकी अभिव्यक्ति किसी भी रूप में हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर देश की स्थिति बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

उन्होंने कहा कि धर्म-निरपेक्ष चरित्र पर इस घटना से शंका पैदा हो गयी है। श्री गोस्वामी ने घोषणा की कि अगर शंकराचार्य को तुरंत रिहा नहीं किया तो हिन्दू जगत् खामोश नहीं बैठेगा।

अखिल भारतीय सनातन धर्म महासभा के अध्यक्ष प्रेमचन्द गुप्ता ने भी सभा को सम्बोधित करते हुए शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी पर रोष प्रकट किया। उन्होंने पुनः संकल्प दोहराया कि ७ मई को राम मन्दिर का शिलान्यास सम्पन्न होगा।

सभा में बोलते हुए श्री अनिल नरेन्द्र ने सभी दलों के जन प्रतिनिधियों से तथा विशेष रूप से विपक्ष के नेता राजीव गांधी से आग्रह किया कि वे संसद में हिन्दुओं के धर्मगुरुजी की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठायें। उन्होंने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय महत्त्व का है और राष्ट्रीय एकता और अखण्डता से सम्बन्धित है इसलिये इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिये।

प्रतिनिधि मण्डल में सनातन धर्म प्रतिनिधि सम्मेलन के अध्यक्ष रामफल त्यागी, सचिव ओमप्रकाश शर्मा, लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार,

वरिष्ठ पत्रकार अशोक शर्मा तथा सनातन धर्म नेता सुरेन्द्र विग, अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज के रामजीवन, दशहरा कमेटी के जीतराम शर्मा, भूतपूर्व महापौर श्रीमती अंजना कंवर, दिल्ली सिख परिषद के श्री जसपाल सिंह, अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म के जगजीवन बक्षी, विश्वकर्मा संगठन के बेनीवाल, मानवाधिकार परिषद् के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के श्री दिनेश शर्मा, किसान मजदूर सभा के तेजराम वर्मा और राजेश कपूर, रामस्वरूप वत्स, वाल्मीकि नेता जयकिशन सहित सैकड़ों सदस्यों ने शंकराचार्य की रिहाई की मांग की।

卐

दिल्ली

ज्योतिष्पीठ एवं द्वारकापीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द जी महाराज की गिरफ्तारी के विरोध में निन्दाओं का सिलसिला जारी रहा।

अखिल भारतीय सनातन धर्म प्रतिनिधि सम्मेलन के सचिव ओमप्रकाश शर्मा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज की गिरफ्तारी के बारे में दिए गए वक्तव्य की कड़ी आलोचना की है।

उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने स्वतंत्रता आन्दोलन में जेल की यातनाएं सही हों तथा जिसका सम्पूर्ण जीवन धर्म और समाज को समर्पित रहा हो उसे राष्ट्रभक्ति की परिभाषा सिखाना एक राजनैतिक व्यक्ति को शोभा नहीं देता। श्री आर्य ने सरकार से मांग की है कि जगद्गुरु शंकराचार्य को कोई व्यक्ति कहकर संबोधित करना संपूर्ण हिन्दू जगत् का अपमान है।

श्री शर्मा ने कहा कि देश के सभी शीर्ष धार्मिक पुरुषों ने जगद्गुरु शंकराचार्य की गिरफ्तारी की निन्दा की है। ऐसी स्थिति में उनकी गिरफ्तारी उचित ठहराने का मुख्यमंत्री का यह कदम दुराग्रह एवं दुर्भाग्य-पूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वस्तुस्थिति से आंख बंद किए हुए हैं। श्री शर्मा ने दिल्ली के लाखों रामभक्तों के प्रति इस बात के लिए आभार व्यक्त किया उन्होंने मन्दिरों, पूजास्थलों और देवालयों में जगद्गुरु शंकराचार्य की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए भगवान श्री राम का नाम स्मरण किया।

लवकुश रामलीला के महासचिव श्री अर्जुन कुमार ने कहा कि राम-नाम-स्मरण तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार हिन्दुओं के धर्मगुरु को ससम्मान रिहा करके अपने अपराध का प्रायश्चित्त नहीं करती।

क्रांतिकारी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रवीन्द्र कुमार द्विवेदी, संस्कार दीप के महासचिव जीवन झा ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी से देश के करोड़ों हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

इन दोनों नेताओं ने कहा कि इस गिरफ्तारी से राज्य सरकार की निरंकुश व सांप्रदायिक उन्मादों को बढ़ावा देने वाली नीतियों का पर्दाफाश हो गया है। श्री द्विवेदी ने राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण के पास पत्र भेजकर श्री स्वरूपानन्द जी महाराज की अविलंब रिहाई की मांग की है।

राष्ट्रपति को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार भी इंका सरकार के समान ही राम जन्मभूमि विवाद तथा पंजाब व कश्मीर समस्या का समाधान कर पाने में असमर्थ-सिद्ध हुई है। देश में साम्प्रदायिक दंगे तथा आतंकवादियों की मार काट पहले के समान ही जारी है तथा देश की आन्तरिक स्थिति पहले से भी अधिक भयानक हो गयी है।

अखिल भारतीय सैनी सभा के अध्यक्ष ब्रह्मानन्द आर्य ने शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निन्दा की है और सरकार पर आरोप लगाया है कि जगद्गुरु शंकराचार्य को बंदी बनाना सरकार का कायरतापूर्ण कदम है और हिन्दू जनता के साथ खिलवाड़ करना है। श्री आर्य ने सरकार से मांग की है कि जगद्गुरु शंकराचार्य को तुरंत बिना शर्त रिहा किया जाये। हस्ताक्षर करने वालों में प्रमुख समाजसेवी रामेश्वर दास गोयल, तारा चन्द गर्ग एवं जय किशन गर्ग हैं।

जन कल्याण सुधार समिति रंगपुरी के तत्त्वावधानमें सनातन धर्म मंदिर में हिन्दुओं के धर्माचार्य जगद्गुरु शंकराचार्य की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें मंदिर के पुजारी पं० नन्दकिशोर ने जगद्गुरु शंकराचार्य की गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निन्दा की तथा विश्व अहिंसा संघ के महासचिव पं० श्रद्धानन्द शर्मा ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और गहरा दुःख प्रकट किया। समिति के अध्यक्ष रामवीर सिंह ने आरोप लगाया कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी के पीछे केन्द्र सरकार का हाथ है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो दूसरे सम्प्रदाय के नेताओं ने बहुत ही उत्तेजक बयान दिये थे मगर उन्हें कुछ नहीं कहा गया। श्री सिंह ने जगद्गुरु शंकराचार्य की गिरफ्तारी को अनुचित बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से तुरंत रिहा करने की मांग की है। सभा में श्री बिशन चन्द्र, हरीश शर्मा, सुभाष, प्रेम चन्द्र, इन्दर चौधरी तथा सुरेन्द्र सिंह रावत ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

आल इंडिया भारत सेवक समाज के मंत्री महेश शर्मा ने जगद्गुरु शंकराचार्य की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गिरफ्तारी तथा ४५ सांसदों द्वारा इस कार्यवाही को उचित ठहराने पर गहरा क्षोभ प्रकट करते हुए इस कार्यवाही को हिन्दू विरोधी कार्यवाही बताया।

उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि आज देश के सामने अनेक समस्याएँ हैं जिनको सुलझाने के बजाय सरकार और अधिक समस्यायें पैदा कर रही हैं। शंकराचार्य की गिरफ्तारी से किसी भी समस्या का हल नहीं होगा बल्कि इससे अनेक नई समस्याएँ उत्पन्न होंगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह धैर्य और विवेक से काम करे ताकि सभी समस्याओं का शान्तिपूर्ण समाधान किया जा सके।

अखिल भारतीय संत समिति की एक आपातकालीन बैठक स्वामी रामानन्द जी महाराज की अध्यक्षता में उदासीन आश्रम आरामबाग नई दिल्ली में हुई जिसमें अनेक गणमान्य व्यक्ति तथा संत-महात्माओं ने भाग लिया। बैठक में एक प्रस्ताव जोर शोर से पास किया गया कि अखिल भारतीय संत समिति पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द जी महाराज की गिरफ्तारी की घोर निन्दा करती है और सरकार से यह पूछना चाहती है कि जो संत अहिंसा का पुजारी हो वह देश में बगावत कैसे कर सकता है? सभा में आरोप लगाया गया कि मोर्चा सरकार हिन्दुओं में फूट डालकर हिन्दू सनातन धर्म को कमजोर कर भारतीय संस्कृति को मिटाना चाहती हैं। यह सत्य है कि साधु-संतों, देवी-देवताओं का अपमान कर यदि कोई सरकार कुछ उपलब्ध करना चाहती है तो कदापि यह सम्भव नहीं हो सकता। सरकार को हम लोगों ने इसी आधार और आशा पर नेतृत्व प्रदान किया था कि वह हिन्दू और मुसलमानों की आपसी एकता और सद्भावना को और मजबूत बनायेगी तथा एकसूत्र में बाँधेगी लेकिन इस प्रकार के निन्दनीय कार्यों से सर्वथा निराशा व्याप्त हो गई है। ऐसी स्थिति में हिन्दू, मुसलमान, सिख की एक एकता की आशा इस सरकार द्वारा एक प्रश्नचिह्न लगा रही है? अतः संत-समिति ने चेतावनी दी कि सरकार ऐसी दुर्भावनाओं से बाज आये और हमारे मान्य धर्मगुरु शंकराचार्य को तुरन्त छोड़ दे। इस वक्तव्य का जोरदार समर्थन भारतीय संत समिति के सचिव शिव प्रेमानन्द पुरी, स्वामी राघवानन्द जी, तथा उपस्थित अनेक संत-महात्माओं ने किया। इसमें सरकार से समाज में वैर-विरोध के वातावरण के बजाय प्रेम-सद्भावना पर बल देने की बात कही गई।

अखिल भारतीय संस्कृति विकास परिषद् के अध्यक्ष महन्त कैलाश नाथ शास्त्री ने जगद्गुरु शंकराचार्य की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जगद्गुरु की गिरफ्तारी कर सरकार ने सीधा हिन्दू धर्म पर प्रहार किया है; जिससे प्रत्येक हिन्दू धर्मावलम्बी दुःखी है। समस्त हिन्दू जन-मानस एवं संगठनों को अपने मतभेदों को भुलाकर एक स्वर से सरकार के इस हिन्दू-विरोधी कदम की आलोचना करनी चाहिए। श्री शास्त्री ने कहा कि जगद्गुरु शंकराचार्य ने देश की एकता, अखण्डता के खिलाफ कोई बात नहीं की है और न ही संविधान के खिलाफ ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके बावजूद भी सरकार ने न जाने क्यों उन्हें गिरफ्तार किया। श्री शास्त्री ने सरकार से सवाल किया कि जो लोग सरे-आम देश-विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं एवं देश को तोड़ने की दिन-रात साजिश करते फिर रहे हैं इन्हें सरकार नहीं गिरफ्तार करती।

अखिल भारतीय साधु समाज के महामंत्री स्वामी हरिनारायणानंद ने भी ४५ सांसदों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शंकराचार्य की गिरफ्तारी को उचित ठहराने पर

आश्चर्य व्यक्त करते हुए इसे भारतीय धर्म एवं संस्कृति के खिलाफ एक कदम बताया है।

एक वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य करोड़ों हिंदुओं के धार्मिक नेता हैं और उनकी गिरफ्तारी तथा सांसदों के बयान से समस्त हिन्दू जाति का अपमान हुआ है जिसे कभी सहन नहीं किया जा सकता।

भारतीय जनता युवा मोर्चा विश्वास-नगर-मंडल के उपाध्यक्ष प्रवीण मित्तल ने कहा है कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी सरकार की महज अदूरदर्शिता के अलावा और कुछ नहीं है।

卐

दिल्ली

द्वारका शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य की गिरफ्तारी के विरोध में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक व राजनैतिक संगठनों द्वारा निरन्तर निन्दाओं का दौर जारी है।

अखिल भारतीय हिन्दू-शक्तिदल के अध्यक्ष वीरेन्द्र हिन्दू ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी को हिन्दुत्व का अपमान बताते हुए इसकी कड़े शब्दों में निन्दा की है।

उन्होंने कहा है कि आज तक सत्ता में कोई भी रहा हो पर सभी ने शंकराचार्य की महिमा को निर्विवाद रूप से स्वीकारा है।

हिन्दू शिव सेना उत्तरी भारत की दिल्ली शाखा कीआज प्रातः हुई कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर द्वारकापीठ और ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती की गैर कानूनी गिरफ्तारी की घोर निन्दा की गई व उनकी तुरन्त रिहाई की मांग की गई। कार्यकारिणी ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी के लिए जनता दल, भारतीय जनता पार्टी व कम्युनिस्ट पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है। सेना ने इन पार्टियों पर औरंगजेबी नीति अपनाने की घोर भर्त्सना की है। सेना ने बयान जारी रखते हुए कहा है कि आज तक इतिहास में कभी-भी किसी शंकराचार्य की गिरफ्तारी नहीं हुई जबकि जनता दल सरकार ने यह शर्मनाक काम कर अंग्रेजों को भी मात कर दिया है। यह सब कठमुल्लाओं को खुश करने के लिये किया गया है।

दिल्ली प्रदेश शिव-सेना के अध्यक्ष श्री ईश्वर दत्त ने शंकराचार्य को कांग्रेसी कहने पर भाजपा को लताड़ते हुए कहा कि क्या अब सम्माननीय शंकराचार्यों के पदों का भी भाजपा राजनीतिकरण करना चाहती है?

सेना ने एक और प्रस्ताव पारित कर शंकराचार्य के ७ मई को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर-निर्माण कार्यक्रम को उचित ठहराते हुए उससे पूर्ण सहमति जताई है।

सेना के नेताओं, सर्वश्री ईश्वर दत्त, सतीश कालड़ा, ठाकुर विजेन्द्र सिंह, विद्याराम मिश्र, बाबू राम दिवाकर, अशोक इकोशिया, आचार्य रामचन्द्र, डॉ० राजेन्द्र सिंह, गजानंद शर्मा व कमल चोपड़ा ने संयुक्त रूप से सरकार को चेतावनी दी कि वह शंकराचार्य की तुरंत रिहाई करे व हिन्दू समाज से माफी मांगे वरना गम्भीर नतीजे भुगतने के लिये तैयार रहे। इन नेताओं ने ६ मई रविवार को काला दिवस मनानेका आह्वान किया है। इस दिन सभी काली पट्टियां बांधेंगे। सोमवार ७ मई को सेना धर्म-जागरण दिवस के रूप में मनाएगी। इस दिन मंदिरों व घरों में प्रार्थना सभाएँ की जाएँगी

व घण्टे, घड़ियाल, थालियां, शंख व ढोल बजाकर हिन्दू समाज को जागृत किया जायेगा।

अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण महार ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी को सरकार की कायरता बताते हुए इसकी कड़े शब्दों से भर्त्सना की है।

卐

दिल्ली

सदर रेहड़ी पटरी खोमचा संगठन के संरक्षक हरिमोहन ने द्वारका-पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की गिरफ्तारी पर रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि यह मोर्चा सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार के पतन में भी कारगर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि संगठन इसके विरोध में जल्द ही मुलायम सिंह यादव का पुतला जला कर विरोध प्रकट करेगा।

उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह ने जो शब्द शंकराचार्य के लिए प्रयोग किये हैं वे उनकी अल्पविकसित तुच्छ मानसिकता के अतिरिक्त कुछ और नहीं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि जगद्गुरु का अममान समस्त हिन्दू समाज का अपमान है और मुलायम सिंह ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की मानसिकता को दृष्टिगत रखते हुए किया है जो उनके पतन का आरम्भ है।

卐

दिल्ली

द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज की गिरफ्तारी का विरोध निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी के विभिन्न धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक संगठनों ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी को सरकार का अदूरदर्शितापूर्ण कदम बताते हुए इसकी कड़े शब्दों में निन्दा की है।

दिल्ली प्रदेश हरिजन लीग के महासचिव मुन्नीलाल वर्मा ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी को समस्त हिन्दू समाज का अपमान बताया है।

श्री मागथा भुवनेश्वरी दुर्गा मंदिर के अध्यक्ष पी०पी० त्यागी ने कहा है कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी से सारे हिन्दू समाज को गहरी ठेस लगी है।

दिल्ली प्रदेश पुजारी संघ के अध्यक्ष कैलाश नारायण वशिष्ठ ने कहा है कि सरकार ने शंकराचार्य को गिरफ्तार कर ऐसा निन्दनीय कृत्य किया है जिसके लिये इतिहास कभी-भी उसे क्षमा नहीं करेगा।

श्री मंदिर रक्षा कमेटी के प्रधान कौशल कुमार गुप्ता व मंत्री बालकृष्ण धर्मालंकार ने कहा है कि सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके धार्मिक जगत् पर कुठाराघात किया है जिसके दुष्परिणाम निश्चित हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रविरोधियों को तो गिरफ्तार करने में यह सरकार घबड़ाती है जबकि एक समुदाय को प्रसन्न करने हेतु यह दुष्कृत्य किया गया। सरकार शीघ्र-अतिशीघ्र शंकराचार्य जी को रिहा करके क्षमा मांगे वरना इस धर्मविहीन सरकार को जनता धराशायी कर देगी।

दिल्ली प्रदेश युवा इंका के संयुक्त सचिव संजय जैन व सदर जिला युवा इंका के राजा खारी ने संयुक्त बयान में कहा है कि भाजपा राम जन्मभूमि का विवाद खड़ा करने के बाद व देश के करोड़ों हिन्दुओं को गुमराह करने के बाद शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी पर चुप क्यों है? उन्होंने कहा कि भाजपा को इसके बारे में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। श्री जैन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी को गिरफ्तार करके उन्होंने जघन्य अपराध किया है इसके लिये उन्हें चाहिए कि वे सम्पूर्ण राष्ट्र के सामने माफी मांगें और शंकराचार्य जी को बिना शर्त तुरंत रिहा करें। श्री खारी ने कहा कि श्री लालकृष्ण आडवाणी व श्री अटल बिहारी वाजपेयी वोटों की राजनीति को त्याग कर अपना स्पष्टीकरण नहीं दिये तो जनता की अदालत में इसके दोषी माने जायेंगे।

सनातन धर्म युवा समिति के नेता प्रमोद तिवारी व प्रवीण कपूर ने कहा है कि जगद्गुरु की गिरफ्तारी के विरोध में कल समिति के कार्यकर्ता गौरीशंकर मन्दिर, चाँदनी चौक में उपवास करेंगे।

अखिल भारतीय दंडी आश्रम के संस्थापक एवं कई धार्मिक संस्थाओं से संलग्न अनन्त श्री विभूषित दंडी संन्यासी स्वामी श्री आत्मानंद आश्रम जी महाराज ने गुरुजी को नजरबन्द करके मिर्जापुर जिले के चुनार दुर्ग में रखने पर अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि धर्मगुरुओं का अपमान समस्त राष्ट्र का अपमान है उन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बुद्धि को लंकापति रावण की बुद्धि के साथ तुलना करते हुए कहा है कि जिस प्रकार सीता-हरण के कारण सत्यानाश हो गया था उसी तरह अब पृथ्वी पर अत्याचार की सीमा पार करने वाले द्वारा जगद्गुरु शंकराचार्य के अपमान से राष्ट्र की बर्बादी के लक्षण पैदा हो गये हैं।

श्री स्वामी जी ने उक्त भयंकर भूल का निराकरण करते हुए प्रेरणा दी है कि अब भी शंकर रूप भगवान् जगद्गुरु शंकराचार्य से क्षमा याचना करके पृथ्वी को भयंकर खतरे के कगार से बचायें।

श्री स्वामी जी ने अब तक के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के विचारों को अनर्गल व जनता को भुलावा देने वाला तथा अनुभव-हीन बताया है।

एक अन्य बयान में राष्ट्रवादी मंच के अध्यक्ष हिन्दू महासभा के नेता विश्वनाथ खन्ना ने कहा है कि जगद्गुरु को गिरफ्तार किए जाने के बाद अयोध्या में १६३ रामभक्तों को बंदी बनाने से अयोध्या के आस-पास के क्षेत्रों में ऐसा दृष्टिगोचर होता था कि उक्त क्षेत्र में कर्फ्यू लगा है। चप्पे-चप्पे पर लोग पुलिस की छावनी में शांतिपूर्ण अहिंसक प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व हिन्दू परिषद् के पास नेताओं के अनुसार हमने सरकार को चार महीने की जो मोहलत दे रखी है हम उसकी प्रतीक्षा में हैं कि सरकार हमारे मंदिर बनाने की मांग को किस सीमा तक स्वीकार करती है अथवा अस्वीकार। खन्ना ने कहा कि मंदिर-निर्माण का निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ही हो सकता है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के वक्तव्य से स्पष्ट हो चुका है कि सरकार न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। वर्तमान सरकार तुष्टीकरण में, पूर्व राजीव सरकार से एक कदम बढ़कर है जिस प्रकार व्यवहार जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द जी के अनुयायियों के साथ किया है उस प्रकार का व्यवहार सरकार विश्व-हिन्दू-परिषद्, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ करने के लिए पूर्व ही अपने संकेत दे चुकी है।

卐

पुरी के शंकराचार्य द्वारा गिरफ्तारी का विरोध

पूर्वाम्नाय के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज ने भी गिरफ्तारी का विरोध किया।

पुरी पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्दजी महाराज को यदि तत्काल रिहा नहीं किया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे।

उन्होंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि सरकार बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति से वार्ता करने के लिए तैयार है परन्तु शंकराचार्य से नहीं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी अनावश्यक है और उनके कार्यक्रम से शान्ति भंग होने और हिंसा भड़कने की कोई आशंका नहीं थी।

पुरी के शंकराचार्य जी ने सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की आलोचना करते हुए कहा कि शाही मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला बुखारी एवं सैयद शहाबुद्दीन आग उगलने वाले भाषण देते हैं, सरकार उनसे क्यों डरती है, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार करती हिन्दुओं के धर्माचार्य पर झूठा आरोप लगाकर गिरफ्तार किया, क्या इसीलिए हिन्दुओं ने इस सरकार को वोट दिये हैं?

卐

शृंगेरी के शंकराचार्य का विरोध

शृंगेरी पीठ दक्षिण भारत के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज ने द्वारका पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि सरकार ने यह बहुत ही अनुचित किया है। शंकराचार्य की गिरफ्तारी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

अब रामजन्म भूमि का मसला राजनीतिक लाभ के लिए अधिक दिनों तक नहीं रखना चाहिए। उसको हमेशा के लिए सुलझा लेना चाहिए।

卐

सुमेरु मठ, वाराणसी

सुमेरु मठ, वाराणसी के स्वामी शंकरानन्द जी सरस्वती ने भी गिरफ्तारी की निन्दा की है।

卐

आध्यात्मिक उत्थान मंडल द्वारा विरोध व्यक्त

ज्योतिष्पीठ एवं द्वारका शारदापीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज को ३० अप्रैल को रात्रि में आजमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें मिर्जापुर के पास चुनार में हिरासत में रखा गया है। अ०भा० आध्यात्मिक उत्थान मण्डल ने प्रधानमंत्री वी०पी० सिंह के इशारे पर की गई उत्तर-प्रदेश सरकार की इस कार्यवाही की भर्त्सना की है। मण्डल ने जबलपुर में सम्पन्न अपनी आपात बैठक में पारित एक प्रस्ताव में कहा कि अपनी सरकार बचाने के फेर में विश्व हिन्दू परिषद् के दबाव में वी०पी० सिंह ने शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी का कुकृत्य किया है जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। मण्डल ने कहा है कि जो वी०पी सिंह इमाम बुखारी के कट्टरपंथी मुस्लिमों के आगे घुटने टेकने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए राष्ट्रीय स्मारक घोषित किये जा चुके पुरातात्त्विक महत्त्व के स्थानों पर मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की इजाजत देने में संकोच नहीं करते वहीं वी०पी० सिंह हिन्दुओं के शीर्षस्थ धर्माचार्य शंकराचार्य को भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जाने से रोकने की धृष्टता करते हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि मण्डल को विश्वास है कि शंकराचार्य जी को गिरफ्तार करने का कुकृत्य वी०पी० सिंह ने विश्व हिन्दू परिषद् के दबाव में उत्तर प्रदेश सरकार से कराया है। क्योंकि यही वी०पी० सिंह हैं जिन्होंने विश्व हिन्दू परिषद् के ब्लैक मेल के आगे घुटने टेक कर परिषद् के आय-व्यय और चंदे की जांच के कदम उठाने वाले आयकर उपनिदेशक को काले पानी की सजा देने की अनैतिक कार्यवाही करने में शर्म का अनुभव नहीं किया।

विहिप भी विचार करे-

प्रस्ताव में चेतावनी दी गई है कि विश्व हिन्दू परिषद् में अगर सचमुच नैतिकता का जरा भी अंश शेष है तो उसे श्री शंकराचार्य की गिरफ्तारी का विरोध करना चाहिये। मंडल ने विश्व हिन्दू परिषद् से आग्रह किया है कि वह वी०पी० सिंह के असली चेहरे को पहचाने और भरोसा करे कि "मौलाना वी०पी० सिंह" अगर रामजन्म भूमि के पुनरुद्धार के प्रयास करने वाले शंकराचार्य को गिरफ्तार कर सकते हैं तो "आने वाले दिनों" में यही व्यवहार वी०पी० सिंह विश्व हिन्दू परिषद् के साथ भी करने वाले हैं। मंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह शंकराचार्य जी को तत्काल रिहा करे अन्यथा पूरे देश में शांतिपूर्ण आन्दोलन छेड़ दिया जायेगा। शंकराचार्य की

गिरफ्तारी को अभूतपूर्व घटना और हिन्दुओं का असह्य अपमान निरूपित करते हुए मंडल ने इसे सरकार का अक्षम्य अपराध निरूपित किया है और कहा है कि हिन्दू इस कुकृत्य के लिये वी०पी० सिंह को कभी क्षमा नहीं करेंगे।

प्रस्ताव में आम जनता, साधु-समाज, पण्डितों और हिन्दुओं के हितैषी संगठनों से शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी का तीव्रतम विरोध करने का आह्वान करते हुए कहा गया है कि राम-जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति से प्राप्त सूचना के हवाले से कहा गया है कि ७ मई को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास का फैसला शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी के बाद भी अपरिवर्तित है औ हिन्दू बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर भी शंकराचार्य जी के निर्देश का पालन करने के लिए कृतसंकल्प हैं। समिति ने हिन्दुओं से अयोध्या पहुंचने का आग्रह दोहराया है।

卐

श्री रामजन्म भूमि के सन्दर्भ में महाराज श्री की गिरफ्तारी

(एक संस्मरण)

–ब्रह्मचारी स्वयंभू चैतन्य

३० अप्रैल १९९० को फूलपुर उत्तर–प्रदेश में रात्रि के नीरव क्षणों में उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा पूज्य जगद्‌गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठ तथा द्वारका शारदापीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की गिरफ्तारी का समाचार देश के समस्त समाचार–पत्रों में विशेष रूप से प्रकाशित हुआ। इस अप्रत्याशित घटना से मानों सारा सनातन धर्मावलम्बी समाज स्तब्ध हो गया। उम्मीद नहीं थी कि संसार के एकमात्र हिन्दू बहुल राष्ट्र में हिन्दू–धर्म के सर्वमान्य धर्माचार्य के प्रति प्रशासन द्वारा इतना निकृष्ट एवं बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया जायेगा। सर्वत्र इसकी तीव्र भर्त्सना हुई। सत्ता के मद में चूर पर्वतीय नदियों की भांति उफनने वाले नैतिकता रहित नेताओं की निर्लज्जता की पराकाष्ठा देखकर सबों के मन में आक्रोश था। यदि किसी को प्रसन्नता थी तो वे लोग थे जो भगवान् श्री राम के नाम पर धर्म की आड़ में सत्ता प्राप्ति का ख्वाब देख रहे थे जिन्हें न तो भगवान् श्रीराम की जन्मभूमि से कोई मतलब था और न ही हिन्दू–धर्म की गरिमा से। बाद में चलकर ऐसे ही लोगों ने निर्दोष लोगों की हत्या करवाई और स्वयं तमाशाई बने रहे।

अस्तु, उन दिनों मैं हिमाचल–प्रदेश में पंजाब सीमा के समीप महाराज श्री के एक आश्रम–निर्माण में व्यस्त था। प्रतिदिन गिरफ्तारी का समाचार तो पढ़ता था परन्तु स्थान ज्ञात न होने के कारण उनके विषय में निरन्तर उत्कंठा बनी रहती थी किन्तु जब ४ मई को चुनार जेल से भाई सदानन्द ब्रह्मचारी की अपील प्रकाशित हुई तो उसमें पढ़ा कि ७ मई को महाराज श्री के समस्त भक्त एवं शिष्य उपवास रखते हुए अयोध्या में गिरफ्तारी देंगे। यह देखकर कुछ संतोष हुआ कि अब महाराज श्री के दर्शन हो सकेंगे। परन्तु संयोग ही कहिए की ६ मई को हमारे आश्रम की नींव रखी जाने वाली थी। सब जगह निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके थे। कार्यक्रम स्थगित करना कठिन था। मैंने प्रातः आठ बजे ही समस्त कार्य सम्पन्न कराकर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। यह कतई संभव नहीं था, मैं इतने कम समय पर आयोध्या पहुंच जाता, पर यह कैसे सम्भव था कि महाराज श्री अपने इस अनुष्ठान में मुझे अलग रखते। प्रेरणा हुई, चण्डीगढ़ में इण्डियन एयर लाइन्स के दफ्तर में सीधा पहुंच गया। प्रतीक्षा सूची में होने के बावजूद अधिकारी ने परिस्थिति की गम्भीरता स्वीकार की तथा मेरे लिए सीट

कन्फर्म कर दी। रात्रि के ८ बजे दिल्ली होता हुआ लखनऊ पहुँचा। पता चला, सारी बसें तथा ट्रेनें बन्द हैं। काफी कष्ट हुआ। परन्तु रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, देखा एक गाड़ी जाने वाली है वह भी काफी लेट। प्रतीक्षा में बैठ गया। ट्रेन में पुलिस की चौकसी जारी थी कि कोई अयोध्या पहुंच न जाय। लेकिन किसी प्रकार उतरा, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस देखकर होश उड़ गये। अपने गुरु-भाइयों से मिलूं भी तो कैसे। मेरे लाल वस्त्र पुलिस के लिये साफ-साफ खतरे की झंडी प्रतीत हो रहे थे।

एक विद्यार्थी मिला जो किसी तरह पुलिस को चकमा देने में सहायक हो गया। जैसे अयोध्या शहर में पहुंचा तो पता चला कि हजारों की संख्या में गुरुजी के जो भक्त गिरफ्तारी देने आये थे उन्हें पकड़कर न जाने उ०प्र० पुलिस कहां गायब कर चुकी थी जो लोग बचे भी थे तो न जाने कहां थे पता नहीं चल सका। विद्यार्थी ने केवल इतना ही कहा कि ९ बजे दिन में बड़े अखाड़े से नन्दा, भद्रा, जया और पूर्णा, इन चारों शिलाओं को लेकर श्रीराम जन्मभूमि की ओर प्रस्थान करना है। मैं दो-तीन घण्टे तक एक पान के खोले के पीछे छिपा रहा तथा समय होने पर बड़ा अखाड़ा पहुंचा। वहाँ पहले से ही उ०प्र० पुलिस ने बाहर हमारी मेजबानी का इन्तजाम कर रखा था। उ०प्र० परिवहन की तीन-चार गाड़ियां बड़ी बेसब्री से हमारा इन्तजार कर रही थीं। बड़ा अखाड़ा पहुंचते ही अपने गुरु-भाइयों तथा सैकड़ों की संख्या में साधुओं एवं भक्तों से मुलाकात हुई। हम जैसे ही आगे बढ़ने को हुए, गेट पर ही पुलिस ने हमें रोक दिया और गाड़ियों में भरकर अज्ञात दिशा की ओर ले चली। कोई १५-२० कि०मी० ले जाकर सरयू के उस पार गोंडा जिले में कटरा नामक स्थान पर हमने गाड़ी रुकवा दी और चिल-चिलाती धूप में ही सड़क पर बैठ गये। हमारा साफ कहना था या तो हमें चुनार का किला ले चलो या फिर जेल में बन्द करो क्योंकि पुलिस हमें जहां ले जा रही थी, वह एक विश्राम-गृह था। परन्तु हमारे कुछ साधुओं ने कहा कि जब कैद ही रहना है तो कहीं भी रह सकते हैं। हम रेस्ट हाउस में आम के बगीचे में बिठा दिये गए। हमारे साथ गिरफ्तारी देने वालों में बहुत सी मातायें भी थीं।

शाम को ८.३० बजे हमें रिहा करके अयोध्या पहुंचा दिया गया। रात ही मैं वाराणसी चला आया तथा तड़के ही चुनार के लिये चल पड़ा। चुनार पहुंचते ही लोगों ने बताया कि पूज्य महाराजश्री गंगाजी में स्नान करने के लिए गये हैं। मैं सीधा गंगाजी पर ही पहुंच गया। जो दृश्य देखा तो आंखें भर आईं। पूजय श्री चरण गंगाजी में दण्ड-तर्पण कर रहे थे तथा किनारे पर भाई सदानन्द जी, चोपड़ा, और राकेश खड़े थे। चारों ओर कोई बीस-तीस पुलिस वाले राइफलें लेकर तैनात थे। महाराज श्री के दर्शन हुए। आदेश हुआ कि भिक्षा का प्रसाद लेना है। मैं जो जेल में गया तो फिर वहीं डट गया, हटाने पर भी नहीं हटा। इसी बीच मिर्जापुर के जिलाधीश वहाँ आये। उनसे मैंने कहा

कि मेरा चालान नहीं बना। फिर भी मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं अबाध रूप से जेल में आता-जाता रहा। इस बीच वाराणसी के कमिश्नर मि० शाह आये तथा महाराज श्री से कहा कि आप ५००० रु० के मुचलके पर छोड़े जा रहे हैं तथा आप उ०प्र० की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। महाराज श्री ने कागजात पर दस्तखत करने से साफ इन्कार कर दिया तथा जेल में ही बने रहने की इच्छा व्यक्त की। उधर गुजरात, मेरठ, बिहार, वाराणसी आदि स्थानों पर प्रशासन को प्रचण्ड विरोध का सामना करना पड़ रहा था। वी०पी० सिंह और मुलायम सिंह के लिये भय उत्पन्न हो रहा था।

जेल से बाहर बिहार के सिंहभूमि जिले से आये हुए परम्परागत धनुष-बाण से सुसज्जित वनवासी लोग उ०प्र० पुलिस द्वारा रास्ते में ही रोक दिये गऐ थे। वे दो-तीन दिनों से भूखे थे। उनके भोजन की व्यवस्था गुरुजी ने स्वयं की तथा उन्हें वापस भिजवाया।

अगले दिन यानी ९-५-१९९० को वाराणसी के कमिश्नर पुनः चुनार जेल में आये तथा उन्होंने विना शर्त एवं ससम्मान पूज्य श्रीचरणों को रिहा कर दिया एवं क्षमा याचना की।

प्रश्न यह है कि धार्मिक स्वतन्त्रता एवं मौलिक अधिकारों की स्वतन्त्रता देने वाले संविधान का जहाँ इस प्रकार खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन हो रहा हो, वहां न्याय की अपेक्षा कैसे की जा सकती है, फिर भी श्रीचरणों का संघर्ष जारी रहेगा। अभी श्रीराम के नाम पर कुर्सी पाने वालों की हरकतें हम देख रहे हैं। उनकी असफलता के पश्चात् पुनः यह आन्दोलन तेज होगा इसमें कोई संदेह नहीं।

卐

मध्य प्रदेश

उस दिन को भोपाल की हिन्दू जनता ने भारत के इतिहास का काला दिन घोषित किया जिस दिन हिन्दुओं के परम श्रद्धेय जगद्गुरु शंकराचार्य को उत्तर प्रदेश सरकार ने बन्दी बनाया। उद्वेलित हिन्दू जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए गिरफ्तारी का विरोध करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया और उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यवाही को हिन्दू धर्मावलम्बियों की भावना पर क्रूर प्रहार बताया गया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि शंकराचार्य जी को तुरन्त रिहा नहीं किया गया तो पूरा हिन्दू समाज आन्दोलन करने को बाध्य होगा।

पूरे शहर में गिरफ्तारी से क्षुब्ध जनता ने स्वेच्छा से बन्द आयोजित किया। विशेष बात यह थी कि जनता के सभी वर्गों ने शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी की एक स्वर से निन्दा की और विरोध-प्रदर्शन में भाग लिया। ज्ञापन देने गये प्रतिनिधि मंडल में राजधानी के प्रबुद्ध नागरिक सम्मिलित हुए और प्रदर्शन में यद्यपि डेढ़ सौ व्यक्तियों ने भाग लिया पर वे सभी जनमत के प्रवक्ता थे इसलिये प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली बन पड़ा।

सात मई को पुनः श्री कैलाशचन्द्र पन्त के नेतृत्व में आध्यात्मिक उत्थान मंडल के सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए श्रीराम मंदिर में उपवास रखा। इसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग संघ चालक श्री उत्तमचन्द इसराणी, हिन्दू एकता मंच के श्री ओम मेहता, दैनिक जागरण के सम्पादक श्री सदन गुप्ता, आ.उ.मं. के अध्यक्ष श्री बी.एम. मालवीय, श्री विश्वामित्र शर्मा, श्री विक्रम सेठी आदि प्रमुख लोगों ने भाग लिया।

उपवास स्थल पर जन-जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया थ। किन्तु ९ मई को पूज्य शंकराचार्य जी की रिहाई से हिन्दू समाज तनाव मुक्त हुआ। यह अनुभव अवश्य हुआ कि आध्यात्मिक उत्थान मण्डल के संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

卐

गोटेगाँव (नरसिंहपुर)

राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति जिला नरसिंहपुर के तत्त्वावधान में:-

भगवान श्री की गिरफ्तारी के विरोध में ठाकुर कल्याण सिंह, सचिव "राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति" ने "आमरण-अनशन" की घोषणा करके तहसील कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया, जिनमें ठाकुर साहब से अनेक संगठनों द्वारा उनके बिगड़ते स्वास्थ्य की स्थिति को देखकर अनशन त्यागकर, अन्य मार्ग अपनाने को कहा, लेकिन उन्होंने यह कहकर उस आग्रह को ठुकरा दिया कि, यह जीवन महाराज श्री का दिया है, यदि भगवान् श्री की सेवा में अर्पित हो जायेगा तो, मेरा जीवन धन्य हो जायेगा। अतः अब तो मैं महाराज जी की रिहाई के बाद ही अन्न-जल ग्रहण करूँगा और ठाकुर साहब की हालत दिन-प्रतिदिन गम्भीर होने लगी, और अचेतन स्थिति में उन्हें गिरफ्तार किया गया, इससे युवकों एवं श्रद्धालुओं में असंतोष व्याप्त हो गया, और उग्र आंदोलन प्रारम्भ हो गया। इस तारतम्य में धर्म की राजनीति करने वाले तत्त्वों द्वारा भी पुलिस के साथ सहयोग करके सच्चे समर्पित राम भक्तों पर घोर अत्याचार, एवं बल का प्रयोग कर गिरफ्तार कराया गया। इस सम्पूर्ण विरोध कार्यक्रम का संचालन जिला राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के अध्यक्ष ठाकुर योगेन्द्र सिंह और श्री नायक, रविशंकर सिंह राठौर एडवोकेट, ओंकार अग्रवाल, तुलाराम नेमा, आश्रम वाहिनी के संयोजक परम पटेल सहित अनेकों भक्तों द्वारा गिरफ्तारी दी गई।

गिरफ्तारी के बाद नरसिंहपुर पुलिस थाने पर हिन्दू-शक्ति-संगठन, नरसिंहपुर के तत्त्वावधान में आक्रोशमय प्रदर्शन हुआ उक्त प्रदर्शन का नेतृत्व श्री किशन गुप्ता ने किया।

इसी समय रात्रि करीब ११-०० बजे करेली से एक जत्था नरसिंहपुर थाने पर धरना देने पहुंचा जिसमें डॉ० राजेन्द्र किलेदार मधु पालीवाल, कुपाल सिंह यादव, संजीव खजांची, सतोष पाठक, नरसिंहपुर के मनोहर साहु आदि अनेक लोग शामिल थे।

देर रात्रि में प्रशासन द्वारा आंदोलनकारियों को बिना शर्त रिहा कर दिया गया।

卐

गाडरवारा-सालिचौका (नरसिंहपुर)

राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के तत्त्वावधान में गाडरवारा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का आह्वान किया गया और धरना दिया। सम्पूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किसान नेता एवं समर्पित राम-भक्त-श्री वीरेन्द्र महाजन, एडवोकेट, श्री सुरेश राय, सालीचौका, श्री राम नारायण राय, दीवान साहब चारगांव सहित समस्त हिन्दू धर्मावलम्बियों के सहयोग से सम्पन्न हुआ।

पूज्य जगद्‌गुरु शंकराचार्य जी महाराज की गिरफ्तारी के कारण रामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की बैठक डॉ० राजेन्द्र किलेदार उपाध्यक्ष राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति जिला नरसिंहपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें गिरफ्तारी का प्रबल विरोध किया गया।

卐

आत्मदाह की घोषणा

सदस्य श्री संतोष बेठिया ने दूसरे दिन करेली चौराहे पर मिट्टी का तेल डालकर एवं चिता बनाकर, आत्म-दाह करने की घोषणा की और जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी, दूसरे दिन चौराहे पर चिता बनाते समय मिट्टी के तेल के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया, और नरसिंहपुर जेल भेज दिया गया, समूचे नर्मदांचल में गुरुजी की गिरफ्तारी के प्रतिरोध स्वरूप उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के विरोध में ज्वाला फैल गई और प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से रामजन्म भूमि के समस्त कार्यक्रमों को प्रतिबंधित घोषित कर दमनात्मक कार्रवाइयां शुरू कर दीं।

इन समस्त दबावों के बावजूद रामभक्तों द्वारा क्रमिक धरना एवं भूख हड़ताल लगातार चलते रहे, महाराज श्री के जेल से छोड़े जाने के बाद संतोष बैठिया को भी प्रशासन को बिना शर्त रिहा करना पड़ा, प्रशासनिक सुनवाई के दौरान नरसिंहपुर आध्यात्मिक उत्थान मंडल द्वारा भी पूर्ण सहयोग दिया गया। उक्त मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामचन्द्र ताम्रकार ने पैरवी की, और महाराज श्री की गिरफ्तारी के विरोध में सम्पूर्ण करेली नगर बंद रहा। नगर बन्द के दौरान आध्यात्मिक उत्थान मंडल के तत्त्वावधान में श्रीराम मंदिर में अखंड कीर्तन किया गया एवं प्रातः प्रभात फेरी निकाली गई।

क्रमिक धरना एवं भूख हड़ताल में सैकड़ों भक्तों ने सहयोग दिया। जिनमें ये प्रमुख हैं-

सर्वश्री (१) मधु पालीवाल

(२) कृपाल सिंह यादव

(३) संतोष पाठक

(४) राजकुमार आचार्य

(५) स्वतंत्र कुमार पाठक

(६) सत्येन्द्र कुमार जैन

(७) अखिलेश कुमार ज्योतिषी

卐

नरसिंहपुर के सारे मन्दिर बन्द एवं काले झण्डे फहरायें

रात में जैसे ही पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज की गिरफ्तारी का समाचार टी०वी० से प्रसारित किया गया, वैसे ही आध्यात्मिक उत्थान मण्डल के मंत्री श्री रामचन्द्र ताम्रकार से लगातार टेलीफोन पर शिष्यों ने शासन के आदेश का विरोध करने का तय किया।

आध्यात्मिक मण्डल की आपात बैठक का आयोजन रात्रि में किया गया व यह तय किया गया कि कल सारे मंदिरों के पट बन्द रखे जायें तथा हर मंदिर पर विरोध स्वरूप काले झंडे फहराये जायें। सुबह से मंदिरों में पट तक नहीं खुले तथा काले झंडे फहराये गए। विवाह के जोड़ों के लिए भी मढ़िया जी के पट बन्द रहे, शहर के सारे मंदिर बन्द रहे।

दूसरे दिन से श्री ताम्रकार के निवास पर संकीर्तन समाज के सहयोग से पूज्य महाराज श्री की गिरफ्तारी के विरोध में अखण्ड कीर्तन का आयोजन किया गया।

दोपहर में पं० नर्मदा प्रसाद जी शास्त्री, अध्यक्ष विद्वत् परिषद् की अध्यक्षता में आध्यात्मिक उत्थान मण्डल द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। संकीर्तन समाज द्वारा पूरे जुलूस में "राम-राम हरे-हरे" का कीर्तन होता गया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुये श्री रामचन्द्र ताम्रकार ने कहा कि अंग्रेजों ने या मुसलमान शासकों ने भी परतन्त्र भारत में शंकराचार्य जी को गिरफ्तार नहीं किया, पर यह सरकार अंग्रेजों को भी मात दे गई।

आध्यात्मिक उत्थान मंडल के अध्यक्ष विधायक विनय दुबे ने कहा कि शासन का यह कार्य धर्म की मर्यादा को भंग करता है। शासन के धर्म-निरपेक्ष सिद्धांत के खिलाफ है, पं० कालका प्रसाद वाजपेयी ने कहा कि हिन्दू इस अपमान को सहन नहीं कर सकेंगे तथा महाराज श्री को गिरफ्तार करने वाले मुख्यमंत्री को पद पर नहीं रहना चाहिये। भगवान् श्री के पीछे पूरे भारत का हिन्दू समाज अपना सिर कटाने को तैयार है।

दूसरे दिन सभी सदस्य भगवान् श्री के दर्शन हेतु एवं अग्रिम कदम पर विचार करने के लिए बस द्वारा रवाना हो रहे थे कि समाचार मिला कि महाराज श्री को रिहा कर दिया गया है।

आध्यात्मिक-उत्थान-मण्डल के प्रस्ताव में शासन के कार्य की भर्त्सना की गयी।

नरसिंहपुर बार एसोसिएसन की बैठक में शासन के द्वारा गिरफ्तारी की निन्दा की गई व महाराज श्री के कार्य का पूर्ण समर्थन किया गया। प्रस्ताव की प्रति महाराज श्री को व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजी गई। आध्यात्मिक उत्थान मंडल, संकीर्तन समाज एवं समस्त हिन्दू संगठित हो गये हैं।

–रामचन्द्र ताम्रकार, एडवोकेट

सिवनी (म.प्र.)

सिवनी नगर में ग्राम जैतपुर कातलबोड़ी, किसनपुर दिघौरी एवं अन्यान्य ग्राम के लोगों द्वारा पूज्य महाराज श्री की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन अपने-अपने ग्राम से शुरू कर सिवनी नगर में ३ मई को चक्का जाम आंदोलन कर गिरफ्तारी दी गई एवं दो लड़कों ने आत्म-दाह-आंदोलन की घोषणा की। जगह-जगह भक्तगण आंखों से आंसू बहाते हुए सरकार के इस निकम्मे कृत्य की निन्दा कर रहे थे।

आध्यात्मिक उत्थान मण्डल
सिवनी (म०प्र०)

गिरफ्तारी देने वाले :-

सिवनी नगर के-
१. श्री शंकरलाल टोपीवाले
२. बब्बन पांडेय, कातलबोड़ी
एवं अन्य ८५ भक्तगण

जैतपुरकला से-
१. श्री नेभीर सिंह, सरपंच
२. होरीलाल जी
३. चुन्नीलाल
४. अयोध्या प्रसाद
५. शारदा प्रसाद, किशनपुर
६. तीरथ सिंह, लखनबाड़ा

卐

कालपी (उ.प्र.)

अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी के विरोध में दिनांक ३-५-९० को आमरण अनशन प्रारम्भ किया गया। आमरण अनशन करने वाले निम्नलिखित व्यक्ति थे।

१. बाबा श्याम सुन्दर धवन, कालपी (अध्यक्ष)

२. राम बाई, कालपी

३. राम प्यारी देवी, कालपी

४. किशोरी देवी, कालपी

सभा का संयोजन श्री कैलाश नाथ द्विवेदी ने किया और सभा की अध्यक्षता बाबा श्याम सुन्दर धवन ने की। सभी वक्ताओं एवं कालपी की समस्त जनता ने मुलायम सिंह सरकार से मांग की कि तत्काल जगद्गुरु शंकराचार्य जी को मुक्त किया जाय।

श्री कैलाशनाथ द्विवेदी ने अपने भाषण में कहा कि यदि उ.प्र. सरकार ने हमारे धर्माचार्य को शीघ्र रिहा नहीं किया तो हम लोग सैकड़ों की संख्या में मुलायम सिंह की कोठी के सामने आमरण अनशन शुरू कर देंगे।

मुलायम सिंह की निन्दा करते हुए कहा कि अंग्रेजी सरकार से लेकर अभी तक किसी सरकार ने हिन्दू धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्य को गिरफ्तार नहीं किया था।

तत्पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति, भारत सरकार, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, राज्यपाल, उ०प्र० सरकार, मुख्यमंत्री, उ०प्र. सरकार को तार देकर मांग की कि हमारे धर्माचार्य को तत्काल रिहा किया जाय अन्यथा गम्भीर परिणाम होंगे।

कैलाशनाथ द्विवेदी, कालपी

धबौली, सहरसा (बिहार)

अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज की गिरफ्तारी का दुःखद समाचार मिलते ही बिहार प्रान्त के सहरसा जिला के देहातों में भी हजारों की संख्या में लोगों ने स्वतः स्फुरित अन्तःकरण की प्रेरणा से उपवास व्रत किया और दूसरे दिन धबौली ग्राम में एक विराट् सभा का आयोजन हुआ जिसमें स्वतन्त्रता सेनानी परशुराम सिंह, श्री रामखेलावन सिंह 'इन्दु', श्री व्रजमोहन प्रसाद सिंह आदि अनेक वक्ताओं ने इस गलत कार्य के लिए सरकार की निन्दा की। पूरे क्षेत्र की जनता के सहयोग से श्री परमेश्वर प्रसाद एवं हरिवंश प्रसाद सिंह आदि के निर्देश में बड़े-बड़े बैनरों के साथ एक मौन जुलूस निकाला गया जो सहरसा के मुख्य मार्गों से होता हुआ जिलाधिकारी आफिस के समक्ष धरना पर बैठ गया तथा जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें जगद्गुरु जी की तत्काल-रिहाई की मांग की गई। बाद में पुनः धबौली में सभा हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रतिदिन १५१ व्यक्ति महाराज श्री की रिहाई तक, 'जेल भरो आन्दोलन' में भाग लेंगे। तभी रिहाई का सुखद संवाद मिला और शोकाकुल जनता हर्षध्वनि तथा महाराज श्री की जय-जयकार करने लगी।

हरिवंश प्र० सिंह

चाईबासा (बिहार) में आध्यात्मिक उत्थान मण्डल द्वारा शंकराचार्य की गिरफ्तारी का विरोध

उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठ एवं पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदापीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य धर्म-सम्राट् अनन्त श्री विभूषित स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज को उत्तर प्रदेश सरकार ने तो दिनांक १-५-९० को ही चुनार किले में नजरबन्द कर दिया था पर चाईबासा में इसकी सूचना दिनांक २-५-९० को मिली। यह खबर आग की तरह चारों ओर फैल गयी। सारी जनता हतप्रभ और किंकर्तव्य-विमूढ हो गई। लोगों में महाराज जी के दर्शन की उत्कंठा तो थी पर वे अपने को बिल्कुल निस्सहाय पाते थे, क्योंकि उन तक पहुंचने के सारे मार्ग बंद कर दिये गए थे। दिनांक ४-५-९० को संध्या ५ बजे स्थानीय श्री शंभु मन्दिर में श्री सीता राम जी रूंगटा की अध्यक्षता में चाईबासा के नागरिकों की एक आम सभा हुई जिसमें सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि केन्द्रीय एवं राज्य सरकार को पत्र एवं तार द्वारा चाईबासा के लोगों में अपने धर्म-गुरु की अविवेकपूर्ण गिरफ्तारी के कारण उत्पन्न क्षोभ और आक्रोश से अवगत कराया जाय। तदनुसार भारत सरकार के प्रधानमंत्री, छोटा नागपुर प्रमण्डल के आयुक्त तथा पश्चिमी सिंहभूमि के उपायुक्त को नागरिकों, आध्यात्मिक उत्थान मंडल, तथा कॉलेज के शिक्षक वर्ग की ओर से तार एवं विद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्रों की ओर से अनेक पत्र भेजे गये जिनमें धर्म सम्राट् जगद्गुरु की अनैतिक एवं अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उन्हें शीघ्र ही मुक्त कर देने की अपील की गई।

इतने से भी जनता को शांति नहीं मिली और दिनांक ६-५-९० को संध्या तीन बजे एक मौन जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया। स्थानीय श्री शंभु मंदिर से नागरिकों का, आबाल-वृद्ध नर-नारियों का, छात्रों और शिक्षकों का, संवाददाताओं का, विधायकों और सांसदों का जुलूस निकला और नगर के मुख्य मार्ग से गुजरते हुए पुनः श्री शंभु मंदिर में आकर एक विशाल सभा में परिणत हो गया। सभा को सम्बोधित किया माननीय सांसद श्री बागुन सुम्ब्रुईजी, बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री देवेन्द्र जी चम्पिया और नगरपालिका अध्यक्ष श्री सीताराम जी रूंगटा ने। सभी वक्ताओं ने एक स्वर से भारत के विशाल जन-समूह के धर्म सम्राट् जगद्गुरु की अनैतिक एवं अशोभनीय गिरफ्तारी कों सर्वथा अनुचित, अवांछनीय और विवेकपूर्ण बताया और सरकार की अदूरदर्शिता की भर्त्सना करते हुए उससे अपील की कि वह शीघ्राति-शीघ्र स्वामी जी को छोड़कर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे और देश की जनता को उग्र-अराजक और अशांत होने से बचाये। जुलूस एवं सभा का आयोजन और संचालन प्रो० (डॉ०) ब्रह्मदेव प्रसाद सिन्हा ने किया।

पूज्य शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी से स्तब्ध वाराणसी

रिपोर्ट–उमाशंकर पाण्डेय द्वारा[1]

१ मई सन् १९९० की शाम। अभी पूज्य महाराज श्री दो–दिन पहले ही पत्रकार–सम्मेलन में श्रीराम जन्मभूमि पर ७ मई को शिलान्यास करने की शुभ घोषणा कर गाजीपुर की तरफ प्रस्थित हुए थे। अतः वाराणसी के मठ में रहने वाले गुरुजी के शिष्यों एवं नगर के विभिनन वर्गों के महाराज श्री के अनुयायी, सभी आगामी ७ मई को अयोध्या पहुंचने की तैयारी में संलग्न थे।

श्री रामभद्र उपाध्याय शंकराचार्य सेवक दल के रूप में एक ५०० व्यक्तियों का दल संयोजित कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर विद्यापीठ एवं सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी गुरुजी द्वारा चलाये जा रहे इस अभियान की सार्थकता में अपने को जोड़ने के लिए एक शिलान्यासी दल तैयार कर रखा था जिसमें कुल ११०० छात्रों के जुड़ने की योजना थी। इसके अतिरिक्त वाराणसी के सहस्त्राधिक भक्तजन नित्य आकर हनुमान घाट स्थित द्वारका शारदामठ में पूज्य महाराज श्री द्वारा स्थापित "श्रीराम जन्म भूमि पुनरुद्धार समिति" की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। सारे नगर में एक विशिष्ट प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा था, लोग जैसे इस समस्या के सर्वकालिक समाधान के प्रति उत्सुक हो उठे हों।

तभी १ मई की शाम आई, अचानक पूज्य महाराज श्री के निजी सचिव ब्रह्मचारी सुबुद्धानन्द जी, श्री कैलाश जोशी (महु–इन्दौर) एवं गुर्जर प्रान्तीय ६ अन्य भक्तगण जो कि महाराज श्री के साथ ही अयोध्या तक जाने के लिए वाराणसी से निकले थे, पहुंच गए, मैं मठ में ही था। उन्हें अचानक देख किसी अनजानी आशंका से हृदय द्रुतगति पकड़ ली, और जब उन्होंने वह अकल्प्य समाचार संक्षिप्ततः हमें सुनाया तब तो हम सभी स्तब्ध ही रह गए। हम में से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। कल्पना थी भी तो यह कि अयोध्या पहुंचाने के बाद गिरफ्तारी जैसा अविवेकी कदम शायद सरकार उठाए परन्तु उसके १० दिन पहले ही और वह भी मिथ्या आरोप लगाकर संसार की उस विभूति का यूँ निग्रह सरकार करेगी, ऐसी कल्पना और योजना वही

---

१. श्री उमाशंकर पाण्डेय ही आज के प्रसिद्ध दण्डी संन्यासी स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती के रूप में प्रख्यात् हैं।

सरकार बना सकती थी, जिसने अपने स्वरूप का परिचय बाद के दिनों में बहते खूनऔर चलती गोलियों से दिया।

अस्तु, सुनते ही सर्वप्रथम कार्य अखबारों में समाचार देने का किया गया जिसे समस्त सांध्य समाचार पत्रों ने अपनी प्रथम हेडिंग में छापा। जिसे पढ़कर हमारे मठ पर रातभर लोग आकर इस खबर की सत्यता जानने की कोशिश करते रहे, पहली नजर में किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था।

वाराणसी के सारे अखबारों ने दूसरे दिन इसे अपने पहले शीर्षक में स्थान दिया। जिनमें प्रमुख हैं 'आज', 'स्वतन्त्र भारत', 'दैनिक जागरण', 'स्वदेश', 'जयदेश', काशी समाचार 'अग्रदूत' आदि। उर्दू अखबार 'शामे अवध'......ने भी इसे अपनी पहली खबर बनाई। जिससे दूसरे दिन तक सारे वाराणसी में आक्रोश की ऐसी आंधी चलने लगी, जिससे लगा सारा वाराणसी शहर उड़ जायेगा।

ऐसे में हम सभी का घबड़ाना स्वभाविक था, इस संदर्भ में पूज्य महाराज श्री से चुनार के किले में संपर्क करने पर उनकी आज्ञा आई कि सभी शान्त रहें, हमारा आंदोलन पूर्णतया शान्तिमय होना चाहिए। उनकी यह आज्ञा आई पश्चात् नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन (शांतिपूर्ण ढंग से) जारी रखा जिसमें बाजार पूर्णतया बन्द रखते हुए वाराणसी व्यापार मण्डल ने तो घोषणा ही कर रखी थी कि जब तक गुरुजी को रिहा नहीं किया जाता, कोई दुकान नहीं खुलेगी।

वाराणसी में पूज्य शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया-स्वरूप एवं उन्हें मुक्त कराने हेतु नागरिकों की तरफ से यूँ तो अनेकों जाम, बन्दी, उपवास, धरना, ज्ञापन आदि की कार्यवाहियां हुईं किन्तु उनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं जो निम्न हैं:- वाराणसी के महाराजश्री के शिष्य श्री प्रकाश मिश्र ने उच्च न्यायालय में वहाँ के प्रसिद्ध अधिवक्ता एवं पूज्यवर के शिष्य श्री ओमप्रकाश शाह के माध्यम से एक याचिका प्रस्तुत की। परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय ने महाराजश्री से मिलने-जुलने पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया।

(१) विद्यापीठ एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा जुलूस (हनुमान घाट से कचहरी तक) जो कि जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सभा में बदला, छात्र संख्या ३००,-प्रमुख नेतृत्व सं.सं.वि.वि. छात्र संघ महामन्त्री कमलेश मिश्र, उमशंकर पाण्डेय गंगाधर द्विवेदी, आशुतोष द्विवेदी, छात्र संघ उपाध्यक्ष अयोध्या त्रिपाठी आदि।

(२) विभिन्न विद्यालयीय छात्रों द्वारा २ मई एवं ३ मई के जी.टी. रोड जाम, क्रमशः ८ और ११ घण्टे चले। इसमें प्रमुख नेतृत्व ब्रजेन्द्र त्रिवेदी, कृष्णकुमार द्विवेदी, उमाशंकर पांडेय, गंगाधर द्विवेदी आदि का रहा।

(३) हरिश्चन्द्र महाविद्यालय के छात्रों द्वारा कक्षाओं का बहिष्कार, जुलूस, सभा किए गए, प्रमुख नेतृत्व श्रीराम कृष्णानन्द ब्रह्मचारी का था, उत्पल कुमार पाठक, संजय त्रिपाठी, नीलू एवं उमाशंकर पांडेय आदि ने भी भाग लिया।

(४) अ.भा. नागा समाज के महात्माओं द्वारा निर्वस्त्र कचहरी पर प्रदर्शन, पाण्डेयपुर वाराणसी में श्री गोपालानन्द जी भी थे।

(५) धर्मसंघ महाविद्यालय, दुर्गाकुण्ड के छात्रों द्वारा सड़क जाम, जुलूस, पुतला दहन आदि किए गए। प्रमुख नेतृत्व श्री शंकर बाबा, अखिलेन्द्र कुमार, दयाशंकर पाण्डेय आदि ने किया।

(६) आध्यात्मिक उत्थान मण्डल, वाराणसी शाखा द्वारा सामूहिक अनशन, ५१ सदस्यों द्वारा लंका चौराहे पर किया गया। प्रमुख नेतृत्व महासचिव उमाशंकर पांडेय, कोषाध्यक्ष गंगाधर द्विवेदी, संगठन मन्त्री विद्याधर द्विवेदी, रेवा प्रसाद, विनीत पाल, अमला प्रसाद यादव आदि ने किया।

(७) ६ मई को अहोरात्र मन्दिरों में तालाबन्दी रही, भगवान भी पूजन से वियुक्त किए गए।

(८) ७ मई का सामूहिक उपवास-जिसे पूरे नगर में स्थित लोगों ने रखा।

(९) शीतला मन्दिर दशाश्वमेध घाट के पुजारी का आमरण अनशन पर बैठना आदि प्रमुख बातें रहीं।

इन सभी घटनाओं का विस्तृत विवरण अन्यत्र प्रकाशित किया जा सकता है।

卐

कलकत्ता महानगर में गिरफ्तारी का विरोध

महाराज श्री की गिरफ्तारी का समाचार महानगर में पहुँचते ही सभी वर्ग के लोगों के हृदय में गहरा आघात पहुँचा। ४ मई १९९० को स्थानीय अकीम चौरस्ते (सत्यनारायण पार्क के पास) पर श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की पश्चिम बंग शाखा द्वारा एक प्रतिवाद सभा की गई जिसमें केन्द्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार की निन्दा की गई एवं महाराज श्री की गिरफ्तारी को अधार्मिक तथा अमर्यादित बताया गया। इस सभा में तात्कालीन पार्षद श्री हृदयानन्द गुप्ता, श्री ओमप्रकाश पोद्दार, श्री सांवरमल भीमसरिया, श्री संजय बक्शी एवं विधायक श्री राजेश खेतान एवं श्री देवकी नन्दन पोद्दार तथा सर्वश्री विजय उपाध्याय, लक्ष्मी नारायण ओझा, जयकिशन सादानी, ओमप्रकाश पोद्दार, श्यामसुन्दर सर्राफ व पं० भगवानदत्त जोशी एवं अनेक धार्मिक नेताओं ने धर्मप्राण जनता के समक्ष अपने विचार रखे। काफी वर्षा के बावजूद महाराजश्री की गिरफ्तारी का प्रतिवाद करने हेतु काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।

इस सभा में श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति (पं०ब०) शाखा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री शंकर लाल हरलालका ने तीन दिनों तक १२-१२ घण्टे के अनशन की घोषणा की। ५ मई १९९० को श्री सत्यनारायण मंदिर, ६ मई को श्री वैकुण्ठनाथ मंदिर एवं ७ मई को श्री राम मंदिर के सामने अनेक लोगों ने अनशन कर प्रदर्शन किया। अनशनकारियों में सर्वश्री शंकरलाल हरलालका, महावीर प्रसाद महावर, रामजी शर्मा, छलिया महाराज, जगदीश चन्द त्रिवेदी, शंकरलाल नरेड़ा, पं० अनूप नारायण व्यास, पं० कांतिनाथ पाण्डे, बुद्धकरण शर्मा, अरुणकुमार शर्मा, सीताराम जौहरी एवं जयकिशन पुरोहित आदि प्रमुख थे। अनशनकारियों को प्रतिदिन सायं शुद्ध नारियल जल व संदेश देकर श्री बुलाकी राम जी डालमियाँ की तरफ से अनशन तुड़वाया जाता था।

अनशन के दौरान विधायक सुब्रत मुखर्जी, पार्षद मिहिर साहा व परेश पाल, महावीर नारसरिया, अमर सिंह ताराचन्द केडिया, माताभीख त्रिपाठी, आदि अनेकों ने जनसाधारण को संबोधित करते हुए महाराजश्री की गिरफ्तारी की भर्त्सना की। श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति प०ब० के सचिव श्री कमल पांडेय ने भी संबोधित किया।

७ मई को श्रीराम मंदिर से प्रदर्शनकारियों ने एक विराट् जुलूस निकाला जो महानगर के विभिन्न रास्तों से गुजरते हुए प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, केन्द्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद, व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुतले सत्यनारायण मंदिर के सामने जलाने के बाद समाप्त हुआ। इस दिन महानगर का सारा बाजार बन्द रहा। सर्वश्री बुलाकीराम डालमियाँ, जयदयाल त्यागी, रावतमल

झुनझुनवाला ने हावड़ा बाजार से सम्बन्धित, यथा खिदिरपुर, दासपाड़ा, चेतला आदि सभी बाजारों को बन्द करवाने में अहम भूमिका निभाई।

सारे आन्दोलन को चलाने में सर्वश्री विजय दम्मानी, रवि पोद्दार, श्यामसुन्दर खेतान, केवल चन्द मीमाणी, घनश्याम कनोई, पवन हमीरवासिया, श्रीराम कानोड़िया, शंकर सोमानी व अरुण पाटोदिया ने मुख्य भूमिका निभाई। बड़तल्ला मर्चेन्ट एसोशिएशन का भी विशेष सहयोग रहा।

७ मई को सायं श्री राजराजेश्वरी सेवा मठ, कोननगर में भी एक प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया।

卐

श्रीराम जन्मभूमि के गर्भगृह का शिलान्यास और शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी

–श्री महन्त गोविन्दानन्द ब्रह्मचारी

१० नवम्बर १९८९ को विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा सिंहद्वार के शिलान्यास व द्वारकाशारदापीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द जी सरस्वती द्वारा ७ मई १९९० को श्रीराम जन्मभूमि के गर्भगृह के शिलान्यास कार्यक्रम की घोषणा व फिर शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी व शिलान्यास का न होना आदि से देश भर में एक नया विवाद खड़ा हो गया कि एक ही जगह राम मन्दिर बनाने के कार्य हेतु दो–दो शिलान्यास व एक दूसरे के प्रति आरोप व आक्षेपों के पीछे वस्तु–स्थिति क्या है? कौन सी है? अथवा क्या इस प्रकार हिन्दुओं का पक्ष कहीं कमजोर तो नहीं होगा? इसके लिए हमें श्रीराम जन्मभूमि, विश्व हिन्दू परिषद् तथा शंकराचार्य जी द्वारा संस्थापित श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के इतिहास को प्रारम्भ से टटोलना पड़ेगा।

अयोध्या में आज से करीब २०४६ वर्ष पूर्व अवन्तिका नरेश महाराज शकारि विक्रमादित्य ने श्रीराम जन्मभूमि स्थल पर मनोहारी विशाल व भव्य मन्दिर, जो कसौटी पत्थर के चौरासी खम्भों पर आधारित था, का निर्माण करवाया। यह निर्माण युधिष्ठिर सम्वत् २४२६ से २४३२ तक पूर्ण हुआ। बाद में इसकी मरम्मत कन्नौज के राजा जयचन्द ने करवाई। होल्कर राज्य द्वारा सरकारी कोष से प्रतिवर्ष निश्चित मात्रा में मन्दिर के व्यय हेतु धन दिए जाने का आदेश भी अभिलेखागार में है।

सन् १५२६ ई. में इस मन्दिर को आक्रमणकारी बाबर के सेनापति मीरबांकी ने तोड़कर इसके मलबे से मस्जिद बनाना चाहा परन्तु हिन्दुओं के प्रबल विरोध व आक्रमण से येन–केन प्रकारेण मस्जिद का सा एक ढांचा, जिसमें कसौटी पत्थर के खम्भे भी लगे हैं, खड़ा कर दिया और इस प्रकार इस विवाद का बीजारोपण कर दिया। तब से लेकर अब तक इस राष्ट्रीय अपमान का प्रतिकार करने तथा पराजय का प्रतिशोध लेने व राममन्दिर के पुनर्निर्माण के लिए ७६ बार संघर्ष हुए जिसमें लाखों की संख्या में महात्माओं, सैनिकों व रामभक्तों ने वीरगति पाई।

यह संघर्ष चल ही रहा था कि भारतवर्ष में श्रीरामानन्दीय वैष्णव सम्प्रदाय के चारों सम्प्रदायों के संघों, मण्डलों आदि का पुनर्गठन हुआ व ऐसे संगठन अखाड़े (अनियां) कहलाए। वैष्णवों की अखाड़ा शक्ति तीन अनियों (निर्मोही, दिगम्बर व निर्वाणी), तथा १८ अखाड़ों द्वारा उक्त राम जन्मभूमि पर भगवान श्रीराम की पूजा

अर्चना का दायित्व सम्हाला गया व तब से निर्बाध रूप से निर्मोही अनि अखाड़े का ही स्वामित्व इस पर चलता आया।

औरंगजेब के शासनकाल में पुनः मन्दिर ध्वस्त किया गया किन्तु रामचबूतरा, षष्ठीपूजा व सीता रसोई आदि महात्त्वशाली स्थलों पर निर्मोही अनि अखाड़े का ही कब्जा रहा।

वादों का लम्बा सिलसिला

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् १९४९ ई. में २२-२३ दिसम्बर की रात्रि में भगवान श्रीरामललाजी का आविर्भाव हुआ, पूजा आरती प्रारम्भ हुई जिस पर २९-१२-४९ को अवर सिटी मजिस्ट्रेट फैजाबाद अयोध्या ने यह स्थल कुर्क कर अयोध्या नगरपालिका के चेयरमैन श्री प्रियदत्तराम को आदाता (रिसीवर) नियुक्त कर दिया। अधिवक्ता रामभक्त श्री गोपाल सिंह विशारद के द्वारा प्रस्तुत वाद नं० २ सन् १९४० में व्यवहार न्यायाधीश द्वारा दि० १९-१-४० की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर जन्मभूमि स्थान से भगवान राम की मूर्तियों को न हटाने, पूजा दर्शन में किसी प्रकार का विघ्न न डालने का आदेश पारित कर दिया गया। हाईकोर्ट द्वारा २६-४-५५ को इस निषेधाज्ञा की पुष्टि की गई। इसी बीच परमहंस श्रीराम चन्द्र दास जी द्वारा एक वाद क्र० २५ सन् १९५० दायर हुआ जो वाद क्र० २ से संयोजित कर दिया गया। तीसरा वाद क्र० २६ सन् १९५६ निर्मोही अनि अखाड़े ने धारा १४५ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आदाता (रिसीवर) को हटाने व श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के ऊपर कब्जा पाने के लिए प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश सुन्नी केन्द्रीय वक्फ बोर्ड द्वारा भी एक वाद क्र० १२ सन् १९६१ में प्रस्तुत हुआ। ये सब वाद एक साथ सम्बद्ध कर दिए गए और इस कानूनी लड़ाई का भाग्य वाद क्र० १२ सन् १९६१ के निरस्तीकरण पर आधारित होने के कारण यह वाद अग्रणी बनाया गया जो अभी चल रहा है। सन् १९५५ के कुछ बाद सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस ने अन्दर के आंगन के दोनों दरवाजों पर ताला लगा दिया था और भगवान का दर्शन मुख्य द्वार के लोहे के सींखचों के बीच से ही हो पाता था और दर्शन करने वाले हिन्दू में यह भावना उत्पन्न होती थी कि सरकार ने भगवान श्रीराम को ताले के पीछे बन्द कर रखा है। हिन्दुओं के लिए यह राष्ट्रीय अपमान था।

विहिप ऐसे धंसी बीच में

वाद अभी चल रहे ही थे कि सन् १९६६ में विश्व हिन्दू परिषद् का गठन व रजिस्ट्रेशन हुआ और इसके द्वारा बनाई गई धर्म-संसद द्वारा अप्रैल ८४ में वाराणसी, मथुरा व अयोध्या के मन्दिरों का मामला उठाया गया और श्रीराम जन्मभूमि यज्ञ

समिति गठित की गई। सितम्बर १९८४ से श्रीराम-जानकी जी रथ-यात्रा प्रारम्भ हुई जो अक्टूबर ८४ में अयोध्या पहुंची। ७ अक्टूबर को संकल्प दिवस मनाया गया। फिर १४ अक्टूबर को अयोध्या से राम-जानकी रथ लखनऊ पहुंचा फिर रथ दिल्ली में रोककर यात्रा रोक दी गई। १ नवम्बर १९८४ को धर्म संसद की उडुपी में बैठक हुई जिसमें जन्मभूमि स्थल जगद्गुरु रामानन्दाचार्य को सौंपे जाने की मांग की गई।

दिसम्बर १९८५ ई० को जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी श्रीशिवरामाचार्य जी द्वारा श्रीराम जन्मभूमि न्यास की स्थापना की गई तथा जन्मभूमि स्थल न्यास को सौंप देने की मांग उठाई गई। विधिवेत्ता श्री उमेशचन्द्र जी पाण्डे के द्वारा जिला न्यायाधीश के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देकर ताले, जो नाजायज तरीके पर बिना किसी आदेश के लगाये गये थे, हटाने की मांग की गई जिस पर दिनांक १ फरवरी १९८६ को तत्काल ताले हटा लेने का आदेश हुआ। यह आदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड व निर्मोही अनि अखाड़े के मध्य चल रहे वाद के अन्तर्गत ही दिया गया था किन्तु इसका लाभ उठाया विहिप ने देशभर में विजय रथ निकाल कर। सन् १९८९ ई० के प्रयागराज कुम्भ महापर्व पर एक तरफ विश्व हिन्दू परिषद् के सम्मेलन में तृतीयधर्म संसद अधिवेशन और सन्त सम्मेलन की तैयारी हो रही थी, वहीं दूसरी ओर निर्मोही अनि अखाड़े द्वारा एक बैठक में विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा अखाड़े के स्वामित्व वाली श्रीराम जन्मभूमि को हड़पने की साजिश की निन्दा की गई और यह सवाल समस्त षड्दर्शन संन्यासी, बैरागी, उदासीन व निर्मल अखाड़ों की अखिल भारतीय षट्दर्शन अखाड़ा परिषद् में उठाया गया व दिनांक २२ जनवरी ८९ को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया और अखाड़ा परिषद् द्वारा विहिप को एक नोटिस दी गई जिसका विहिप द्वारा दि० २५ को प्रत्युत्तर दिया गया फिर अखाड़ा परिषद् की दिनांक ३० जनवरी ८९ की बैठक में विहिप के पदाधिकारीगण ने उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दिया व यह निश्चित हुआ कि जब तक स्वामित्व के वाद का फैसला न हो जाए तब तक कि दि० २२ जनवरी के प्रस्ताव को स्थगित रखा जाय। विराट् सन्त सम्मेलन में विहिप द्वारा ग्राम-ग्राम में श्रीरामशिला पूजन, धर्मयात्रा, श्रीराम महायज्ञ करने व ९-१० नवम्बर ८९ को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मन्दिर के शिलान्यास करने का संकल्प लिया गया।

निर्मोही अखाड़ा सक्रिय हुआ

प्रयागराज कुम्भ महापर्व के अवसर पर ही श्री निर्मोही अनि अखाड़े के महन्तों ने म.म. श्री राजेश्वरानन्द भारतीजी व द्वारका पीठ के शंकराचार्यजी से सम्पर्क किया व वस्तुस्थितिं की जानकारी दी। शिलान्यास का जो समय नियत हुआ था वह

दक्षिणायन में सूर्य होने के कारण उचित नहीं लगा और इस विषय में श्री शंकराचार्य जी, भारत साधु-समाज के महामन्त्री स्वामी हरिनारायणानन्द जी व अन्य विद्वान् पण्डितों ने अखबारों में चर्चा कर मुहूर्त को उत्तरायण में करने का प्रस्ताव किया मगर उस पर विहिप ने कोई ध्यान नहीं दिया। विहिप द्वारा सारे आयोजन देश-भर में सम्पन्न हुए और शिलान्यास का समय आ गया। इसी बीच जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारकापीठाधीश्वर स्वामी श्रीस्वरूपानन्दजी द्वारा श्रीराम जनमभूमि पुनरुद्धार समिति गठित तथा रजिस्टर्ड करवाई गई और निर्मोही अनि अखाड़े से अधिकार प्राप्त कर उक्त वाद में एक पार्टी बनाये जाने का आवेदन दिया गया जो मान लिया गया।

सारे देश में शिलान्यास के विषय में उत्साह व अफवाहें फैल रही थीं। श्रीराम मन्दिर के निर्माण कार्य के प्रारम्भ होने की खुशी के साथ-साथ दूसरे सम्प्रदाय द्वारा उत्तेजित होकर इसका विरोध करने व सरकार द्वारा भी शिलान्यास विवादग्रस्त भूमि में न होने देने की खबरें पढ़-पढ़ कर लोग आशंकित थे। रामशिलाएँ पूजन के बाद अयोध्या आने लगीं, यज्ञ प्रारम्भ हुआ। यह समय अयोध्या में प्रतिवर्ष की पंचदिवसीय व सातदिवसीय परिक्रमा के मेला भरने का था जिसमें कई लाख लोग प्रतिवर्ष आते हैं।

विहिप का षड़यंत्र

आज जो विहिप द्वारका के शंकराचार्य जी के कार्यक्रम में कांग्रेस का हाथ बता रही है उसी विहिप के संकल्पों व घोषणाओं के बावजूद अन्दरूनी तरीके पर कांग्रेस के तत्कालीन गृहमंत्री से प्रिंस अंजुम कदर की मुलाकात श्री सिंघल व श्री गिरिराजकिशोर ने करवाई व इसके बाद ही मस्जिद को हटाने के लिए दुनियां के तमाम इस्लामी देशों के मुख्य मौलवियों व इमामों के फतवे इकट्ठे करने का कार्य प्रारम्भ हुआ व १० जुलाई को विश्व हिन्दू परिषद् की ओर से एक याचिका दायर की गई जिसमें मिलीभगत से सोच-समझकर प्रिंस अंजुम कदर व आल इण्डिया शिया कांग्रेस को विपक्ष बनाया, तथा शिलान्यास के ऐन एक दिन पहले गृहमंत्री बूटा सिंह द्वारा जो रवैया अपनाकर सरकार द्वारा शिलान्यास की अनुमति दी गई उसे आगे पढ़ेंगे।

पूरे देश में पौने तीन लाख गांव, नगरों, महानगरों में रामशिलाओं का पूजन करवा कर धन एकत्रित करने व धार्मिक भावना को भड़काकर अपना व भाजपा का साथ तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दिया। अक्टूबर में श्री बूटा सिंह गृहमंत्री व विहिप के श्री सिंघल के बीच लखनऊ में लम्बी वार्ता हुई जिसमें सरकार द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम को व रामशिलाओं के लिए संरक्षण देने का आश्वासन दिया गया वहीं विहिप

ने शिलान्यास विवादग्रस्त जमीन से बाहर २५० फीट की दूरी पर करने का आश्वासन दिया और इसका ड्रामा प्रारम्भ हुआ नवम्बर ८९ में।

सबसे पहले विहिप ने कथित बाबरी मस्जिद से २५० फुट की दूरी पर स्थान खोजना शुरू किया। फैजाबाद के तत्कालीन जिलाधिकारी ने २०×२५ फुट का प्लाट (प्लाट नं. ५८६) जो श्रीरामशरण दास जी के शिष्य रामकृष्णदास के कब्जे में था, अपने नियंत्रण में लेकर पुलिस बल द्वारा उस जमीन पर स्थित तीन झोपड़ियां तुड़वाकर जमीन साफ करवाई।

किन्तु इसी बीच कुछ राजनैतिक परिवर्तन हुए और विहिप ने, कांग्रेस (इ) शिलान्यास का श्रेय न ले जाये जैसा कि श्री राजीव गांधी ने अपने चुनाव प्रचार का श्रीगणेश फैजाबाद से करना तय किया, अपने बजरंग दल के स्वयं सेवकों द्वारा प्लाट नं. ५८६ (मस्जिद के सामने १९२ फुट की दूरी पर) में झण्डा गाड़, ६'×६' का चौकोर निशान बनाकर घेरा लगा दिया और ३ नवम्बर को घोषणा कर दी कि सिंहद्वार की स्थिति का चयन कर लिया गया है और इसी जगह शिलान्यास होगा। ६ नवम्बर को राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में स्पष्टीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया और उच्च न्यायालय ने दिनांक ७ को प्लाट नं. ५८६ को विवादग्रस्त बताते हुए वहां यथास्थिति रहनी चाहिए- ऐसा आदेश दिया। विवादग्रस्त भूमि में खसरा नम्बर २६८, ५८१ से ५८६ से ५८८, ५९०, ५०३, ५९४, ६०३, ६०६, ६०७, ६१०, ६२०, ६२१ तथा ६२८ माने गये।

इधर विवादित स्थल के सामने ५ फुट की दूरी पर अखण्ड यज्ञ प्रारम्भ हुआ और ६ तारीख को श्री बूटासिंह, उ०प्र० के मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने देवराहा बाबा से दो घण्टे वार्त्तालाप कर आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके दूसरे दिन ७ तारीख को राम जन्मभूमि, भूमि ट्रस्ट के कार्यकारी न्यासी श्रीशचन्द्र दीक्षित देवराहा बाबा के निमन्त्रण पर उनसे मिले और आकर सभा में घोषणा की कि देवराहा बाबा ने आशीर्वाद दे दिया है शिलान्यास उसी जगह करने के लिए। दिनांक ८ को सायं तक लखनऊ में गृहमंत्री श्री बूटा सिंह व मुख्यमन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी की म. श्री अवैद्यनाथजी, अशोक सिंघल, श्री दीक्षित से वार्ता चली और अन्त में न्यायालय के आदेश को एक तरफ रखते हुए प्लाट नं. ५८६ के भूखण्ड में शिलान्यास किये जाने के लिए सरकार सहमत हो गई। विहिप ने इसका बड़ा जोरदार प्रचार किया व शिलान्यास के बाद ता. ११ को कारसेवा का ऐलान कर दिया जबकि सरकार से ता० ८ को हुई वार्तानुसार उन्हें शिलान्यास के सिवा कुछ नहीं करना था। यही कारण था कि ता० ११ को जनता के विशाल जुलूस को कार

सेवा के नाम पर एकत्र कर फिर रोके जाने पर कांग्रेस के खिलाफ भाषणबाजी कर कार्यक्रम समापन कर दिया गया।

शंकराचार्य जी के प्रयास

इधर दिनांक ३ जून १९८९ को चित्रकूट में श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति द्वारा किये गये सम्मेलन व बाद में शंकराचार्यजी ने विहिप पर दुबारा शिलान्यास किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया और श्री शहाबुद्दीन, श्री सुशील मुनिजी तथा विहिप से उनका पत्राचार हुआ और नवरात्रों के अवसर पर द्वारकापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्यजी अयोध्या गए। जन-सभाएँ की गईं। अयोध्या के सन्तों-महन्तों से विचार-विमर्श कर अयोध्या में पुनरुद्धार समिति की शाखा कायम की गई और काशी के मूर्धन्य पण्डितों द्वारा बताए गये शुभ मुहूर्त ७ मई ९० को मानकर उस दिन गर्भगृह के आग्नेय कोण में वैदिक शास्त्रीय पद्धति से अहिंसात्मक शांतिपूर्ण तरीके से शिलान्यास करने की घोषणा उन्होंने कर दी।

श्री द्वारका शंकराचार्य जी का कहना था कि-

(१) विहिप द्वारा १० नवम्बर ८९ को किया गया शिलान्यास शास्त्रों के अनुरूप नहीं था दक्षिणायन में किया गया था।

(२) शिलान्यास के लिए गर्भगृह के आग्नेय कोण में चार शिलाओं-नन्दा, भद्रा, जया और पूर्णा तथा ४ उप-शिलाओं के पूजन व स्थापना का विधान है किन्तु विहिप ने जो ग्राम-ग्राम में राम-राम से अंकित शिलाओं का पूजन करवाया वह गलत था। कारण, एक तो भगवान राम के नाम से अंकित शिलाएँ कच्ची तैयार कर अग्नि में पकाई गईं फिर उन्हें अभी तक अव्यवस्थित रूप में रखा गया है। निर्माण के समय भी ये शिलाएँ तोड़ी, काटी जाएंगी फिर इनके पूजन का क्या महत्त्व हुआ? यह तो हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है।

(३) विहिप ने जो शिलापूजन के समय कूपनों के द्वारा, यज्ञों द्वारा, विशेष चन्दे द्वारा हिन्दू जनता से राम के मंदिर के फोटोओं, स्टिकरों आदि अनेक तरीकों से करोड़ों रुपये बटोरे मगर उनका जो हिसाब पेश किया वह विश्वसनीय नहीं है, काफी गोल-माल हुआ है। स्वयं विहिप के नेताओं में भी इस विषय में विवाद है। शिलान्यास गर्भगृह का होना चाहिए था परन्तु विहिप ने किया १९२ फीट की दूरी पर, वह भी पहले सिंहद्वार विहिप के नक्शे (श्रीदेवकी नन्दनजी द्वारा लिखित 'श्रीराम जन्म-ऐतिहासिक एवं विधि समीक्षा') के अन्त में दिए गए स्केच के अनुसार सीता रसोई के पास दिखाया गया था फिर प्लाट नं. ५८६ में कर दिया गया।

(४) विहिप ने रथ-यात्रायें, जन्मभूमि पर लगाई प्रदर्शनी, तथा समय-समय पर लगाये गये नारों से साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाया जब कि राम-जन्मभूमि मसले को दोनों सम्प्रदायों के बीच सौहार्दपूर्ण वार्ता से हल किया जाना चाहिए।

(५) विहिप या 'श्रीराम जन्मभूमि न्यास' स्वामित्व के मुकदमे में पार्टी नहीं है। विवादग्रस्त भूमि निर्मोही अनि अखाड़े की है। जिसके लिए अखाड़ा वर्षों से मुकदमा लड़ता रहा और अब उक्त अखाड़े ने मन्दिर निर्माण का अधिकार श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति को दे दिया है।

(६) पहले विहिप ने जन सामान्य को यह नारा देकर आंदोलित किया था कि सरकार जन्मभूमि हिन्दुओं को सौंप दे। फिर नारा दिया कि वैष्णव सम्प्रदाय के अग्रणी श्री जगद्गुरु रामानन्दाचार्य श्रीशिवरामाचार्यजी को सौंपे व अब उनकी माँग है कि श्रीराम जन्मभूमि न्यास को मन्दिर निर्माण का कार्य सौंप दे। विहिप को चाहिए था कि वे पहले जन्मभूमि को मुक्त कराते फिर निर्माण व चन्दा उगाही करते।

(७) विहिप द्वारा सारे प्रकरण को ८९ में चुनावी मुद्दा बना दिया गया और अब भी चुनाव की राजनीति से प्रेरित होकर आगे-आगे समय को बढ़ाया जा रहा है जब कि हम चाहते हैं कि सभी पार्टियों के हिन्दुओं का सहयोग हो, किसी राजनैतिक दल या चुनावी दल का सहयोग नहीं।

अतः उत्तरायण में वैशाख शुक्ल त्रयोदशी दिनांक ७ मई १९९० को शास्त्रोक्त विधान से गर्भगृह के आग्नेय कोण में चार शिलाओं का शिलान्यास किया जायेगा।

श्री शंकराचार्य जी को समर्थन

अयोध्या के प्रवास में शंकराचार्य जी को अयोध्या के प्रमुख संत महन्तों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। समिति की अयोध्या शाखा के संरक्षक विन्दुगाद्याचार्य, म०म० श्री विश्वनाथप्रसादाचार्य जी, संयोजक, अशर्फी भवन के जगद्गुरु माध्वाचार्य जी महाराज व अध्यक्ष लक्ष्मणकिलाधीश श्री सीतारामशरणजी महाराज व कार्यालय मंत्री श्री राजेन्द्रजी शास्त्री ने शिलान्यास की व्यापक तैयारी एवं प्रचार-प्रसार प्रारम्भ किए।

गुजरात में अपने भ्रमण के पश्चात् द्वारकापीठ के शंकराचार्य जी दिल्ली आए। दिल्ली की सभा में श्री शंकराचार्य ने महन्त श्री अवैद्यनाथ जी द्वारा अपने बारे में की गई टिप्पणी कि "शंकराचार्य कांग्रेसी हैं" पर बोलते हुए कहा कि हमने किसी भी चुनाव में न किसी पार्टी का समर्थन किया न विरोध। किन्तु वे स्वयं एक पार्टी के सांसद हैं और नवम्बर के शिलान्यास के बाद तो विहिप व बजरंग दल ने भाजपा के

चुनाव में दिन-रात एक कर दिया था। फैजाबाद में तो उ०प्र० विहिप के अध्यक्ष श्री दीक्षित ने कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी श्री निर्मल खत्री को वोट देने की अपील की थी। श्री शंकराचार्य जी ने चार मुख्य शिलाएं भी दिखाईं जिनका शिलान्यास किया जाना था और शंकराचार्यजी दिल्ली से काशी पहुंचे। काशी में दिनांक २७ अप्रैल ८९ को हनुमान घाट स्थित शारदा मठमें पत्रकारों को बतलाया कि विहिप द्वारा गलत स्थान पर गलत मुहूर्त में शिलान्यास किया गया अतः ७ मई को श्रीराम मंदिर का पुनः शिलान्यास शास्त्र-सम्मत होगा। वे दिनांक २९ को काशी से रवाना होकर गाजीपुर, सैदपुर, बिछुड़न महादेव, आजमगढ़ फूलपुर व अन्य ग्रामों में होते हुए दिनांक २ को अयोध्या पहुंचेंगे। यहां उल्लेखनीय है कि श्री शंकराचार्य जी के काशी पहुंचते ही प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों व इन्टेलीजेन्स विभाग के व्यक्तियों का मठ में आने-जाने का तांता लग गया था।

इधर अयोध्या में कनक भवन में कलकत्ता से आये हुए, शंकराचार्य जी के अनुयायी व प्रचार मंत्री पं० श्री चण्डी प्रसाद शास्त्री, श्री मथुरा जोशी 'निर्भीक' श्री अरुण व अनिल पाटोदिया व मंत्री श्री राजेन्द्र जी आदि शिलान्यास की व्यवस्था में कार्यरत हो गए थे। दिनांक २९ को ही श्री शंकराचार्य की तरफ से भेजे गए विशेष प्रतिनिधि श्री पंच अग्नि अखाड़े के सभापति भारत साधु-समाज गुजरात प्रान्तीय शाखा के उपाध्यक्ष एवं श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की केन्द्रीय समिति के सदस्य श्रीमहंत गोपालानंदजी ब्रह्मचारी (बिलखा-जूनागढ़ वाले) भी अखाड़े के सेक्रेटरी श्रीमहंत गोविन्दानन्दजी, थानापति श्रीमहंत रामानन्दजी व महन्त आशानंद जी के साथ अयोध्या पहुंच गये और अयोध्या के स्थानधारियों, महंतों, सन्तों से सम्पर्क साध रहे थे। इस कार्य में समिति के अयोध्या शाखा के अध्यक्ष लक्ष्मणकिलाधीश श्री सीतारामशरणजी, संयोजक जगद्गुरु माध्वाचार्यजी, अशर्फीभवन, संरक्षक विन्दुगाद्याचार्य स्वामी श्रीविश्वनाथ, वेद मन्दिर के संस्थापक महन्त श्री रामकुमार दास जी, श्री प्रेमदासजी रामायणीजी, हनुमानगढ़ी के श्रीमहन्त, महन्त व नागा लोग व अन्यान्य स्थानों के महन्त पूर्णरूप से लगे थे। बैठकें हो रही थीं और दिनांक २ को श्रीशंकराचार्यजी के आगमन पर स्वागत व जुलूस की तथा दिनांक ७ को शिलान्यास कार्यक्रम की रूप रेखायें बनाई जा रही थीं कि दिनांक १ को अचानक टेलीविजन व रेडियो से खबर प्रसारित हुई कि श्रीशंकराचार्यजी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

श्रीशंकराचार्यजी गाजीपुर, सैदपुर, बिछुड़ननाथ व आजमगढ़ आदि स्थानों से होते हुए फूलपुर कस्बे को जा रहे थे कि फूलपुर पहुंचने से पहले ही दिनांक ३० अप्रैल की रात्रि के १० बजे जी.टी. रोड पर उनके कार के काफिले को पुलिस दलों ने रोक लिया। इस गिरफ्तारी हेतु इलाहाबाद से पुलिस अधीक्षक के अलावा कई

उपाधीक्षक व पुलिस आई थी। पुलिस दल व श्री शंकराचार्य जी के बीच काफी समय तक तकरार भी हुई। पुलिस अधिकारी चाहते थे कि शंकराचार्य उनकी गाड़ी में बैठकर चलें। श्री शंकराचार्यजी के इन्कार करने पर उनकी कार में सशस्त्र पुलिस कर्मियों को बिठाने का प्रयास किया गया। किन्तु इसमें भी अधिकारी जब सफल न हुए तो शंकराचार्यजी की व साथ ही तीन कारों को पुलिस व पी.ए.सी. की जीपों व ट्रकों के घेरे में लेकर वहाँ से चलने को तैयार हुए। शंकराचार्यजी के इस कथन के बावजूद कि यह उनके शौच स्नान व पूजा करने का समय है, इन कृत्यों के पश्चात् चाहे जहां ले चलें, पुलिस अधिकारियों ने उनकी बात अनसुनी कर दी व बिना कारण बताए या वारन्ट गिरफतारी दिखाए ही उन्हें जबरदस्ती पुलिस घेरेबन्दी के बीच इधर-उधर ६ घण्टे घुमाते हुए प्रातः ५ बजे चुनार किले में ले जाया गया। इधर फूलपुर कस्बे के थाने के थानाध्यक्ष इन्सपेक्टरों द्वारा एक कतई झूठी एफ.आई.आर. तैयार, की गई जिसमें दिखाया गया कि शंकराचार्य फूलपुर कस्बे में पहुंचकर श्रीरूंगटाजी की दुकान के बरामदे में एक जनसभा में उत्तेजक दो सम्प्रदायों में घृणा व दुश्मनी पैदा करने वाला भाषण दे रहे थे। वे कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद गिरा कर वहां मन्दिर बनायेंगे। मुसलमानों को इस देश में हिन्दू बनकर ही रहना होगा व उत्तेजक, नारे लगवा रहे थे जिससे वहां आस-पास के मुसलमान एकत्र हो गये और किसी भयानक घटना घट जाने का अन्देशा होने लगा। इस पर शंकराचार्य जी को भाषण बन्द करने को कहा गया और न मानने पर उन्हें गिरफ्तार किया।

यह कितना असत्य व घिनौना आरोप है कि बिना फूलपुर पहुँचे ही मनगढ़न्त तरीके से आरोप लगाकर वह भी उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में, देश की एक धार्मिक सर्वोच्च सत्ता को आतंकवादी की तरह घेरे में लेकर गिरफ्तार किया गया। फूलपुर कस्बे के नागरिकों के बयान व F.I.R. अलग से इसी अंक में छपे हैं वह पठनीय हैं।

अयोध्या में भी दूसरे दिन ही समिति के संयोजक श्री माधवाचार्य जी एवं लक्ष्मणकिलाधीश जी के स्थानों को पुलिस ने घेर कर उन्हें एक तरह से नजर बन्द कर लिया और कारण बताया उनको सुरक्षा देने का। समिति के अन्य कार्यकर्त्ताओं व कनक भवन में ठहरे-संचालक मण्डल के सदस्यों के नाम पते ठिकाने लिखे गए। उन्हें धमकाया गया और अयोध्या छोड़ने के लिए बार-बार कहा गया। श्री शङ्कराचार्य जी की गिरफ्तारी के विरोध में समिति की बैठक हुई जिसमें सरकार की इस कायरता-पूर्ण कार्यवाही की निन्दा की गई। श्री शङ्कराचार्य जी को तत्काल छोड़ देने को कहा गया व ७ मई को शिलान्यास अवश्य किया जाएगा, यह घोषणा की गई।

देश-भर में श्री शङ्कराचार्य जी की गिरफ्तारी पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जगह-जगह सभायें कर सरकार के इस घिनौने कृत्य की निन्दा करते हुए शङ्कराचार्य जी को तत्काल बिना शर्त रिहा करने की माँग की गई, उपवास रखे गए। गुजरात में शहरों में "बन्द" का आयोजन हुआ, मन्दिरों के कपाट बन्द रखे गये, उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह बन्द हुए, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, उच्चतम न्यायालय में याचिकायें प्रस्तुत की गईं। लोक सभा, राज्य सभा व विधान सभा में प्रश्न उठाये गए। विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा भी इस कृत्य की निन्दा की गई। जगह-जगह से शङ्कराचार्य जी को रिहा न करने पर आत्मदाह की घोषणाएँ की गईं जिन्हें सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था फिर भी शाहजहाँपुर में दिनांक ९ मई को अखिल भारतीय हिन्दू शक्ति दल के महा-मण्डल संयोजक २२ वर्षीय अमर शहीद श्री ज्ञानदेव 'हिन्दू' ने आत्मदाह कर ही लिया, वह भी ऐसी परिस्थिति में कि पुलिस, पी.ए.सी. व नगर प्रशासन अधिकारियों, पत्रकारों व विशाल जन समुदाय और दल के कार्यकर्त्ताओं के समक्ष थाना सदर बाजार के प्रवेशद्वार के मुहाने पर अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़का और माचिस जलाकर आग लगा ली। उस वक्त नगर के पुलिस क्षेत्राधिकारी एस. एन. उपाध्याय, नगर मजिस्ट्रेट कैप्टन श्री दिनकर दुबे, थाना प्रभारी सहित एस. एस. आई. बलराम सिंह, पुलिस तथा पी. ए. सी. के जवानों में से किसी ने भी न उसे रोका न ही अपने निर्णय से डिगाने की कोशिश की।

इधर सारे प्रदेश व अन्य प्रदेशों में गिरफ्तारी को लेकर माहौल गर्म था, देशव्यापी भर्त्सना जारी थी, बन्द, वाकआउट व बहिष्कार चल रहे थे। इधर अयोध्या में ७ मई को शिलान्यास की तैयारी शङ्कराचार्य जी के समर्थक कर रहे थे। दि. ६ को उ. प्र. के मुख्यमन्त्री मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में शिलान्यास न होने देने और इस सन्दर्भ में शङ्कराचार्य जी द्वारा अपनी नीयत न बदलने पर उनकी नजरबन्दी की अवधि बढ़ा देने की घोषणा की। श्री सीताराम शरण जी, ने जगद्गुरु श्री माधवाचार्य जी ने व शंकराचार्य जी के परम शुभचिंतक समर्थक गुजरात प्रान्त भारत साधु समाज के उपाध्यक्ष तथा श्री पंच अग्नि अखाड़े के अध्यक्ष श्री महन्त गोपालानन्द जी आदि ने स्वामी जी की गिरफ्तारी को अमर्यादित कृत्य की तुलना दी और ७ मई को शिलान्यास अवश्य किया जाएगा, ऐसी घोषणा भी की।

दिनांक ५ मई की रात्रि में ही पुलिस बल ने कनक भवन से श्रीमहन्त गोविन्दानन्द ब्रह्मचारी (सेक्रेटरी श्रीपंच अग्नि आखाड़ा वाराणसी), श्रीमथुरा प्रसादजी जोशी "निर्भीक" कलकत्ता, पं. श्रीचण्डी प्रसादजी कलकत्ता, समिति की अयोध्या शाखा के अनिल पाटोदिया कलकत्ता व श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। लक्ष्मणकिलाधीश एवम् श्रीमाधवाचार्य जी पहले ही नजरबन्द थे,

श्रीमहन्त गोपालानन्द जी ने ७ तारीख के कार्यक्रम को मद्दे नजर रखते हुए अपने आपको भूमिगत कर लिया। दूसरे दिन पुलिस ने बौखला कर कनक भवन में ठहरे हुए समिति के रसोइयों व नौकरों को भी गिरफ्तार कर लिया और अयोध्या के सारे रास्ते, सड़कें, स्टेशन सील कर दिए। श्रीराम-जन्मभूमि मन्दिर में प्रवेश पर रोक लगा दी, पुजारी श्रीलाल दास को गिरफ्तार कर लिया। थानापति श्रीमहन्त रामानन्दजी, महन्त आशानन्द जी, ब्रह्मचारी श्री प्रकाशानन्दजी, श्री विष्णु पाण्डेय, होशंगाबाद आदि को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अयोध्या में बड़ी संख्या में पी. ए. सी. व पुलिस लगा दी गई, सारे रामकोट मुहल्ले को घेर लिया गया, बल्लियाँ लगाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिये गए। सारी अयोध्या में कर्फ्यू जैसा सन्नाटा छा गया। सन् १९४९ के बाद दिनांक ७ मई ९० पहला दिन था कि सामान्य दर्शनार्थी विवादित स्थल में विराजमान श्रीरामललाजी के दर्शन नहीं कर सके।

इतना कुछ होते हुए भी श्रीगोपालानन्दजी अपने साथ चारों- नन्दा, भद्रा, जया, व पूर्णा शिलायें और दण्डी व अन्य महात्माओं के साथ गलियों में से होते हुए बड़ा स्थान पहुँचे। विन्दुगाद्याचार्य श्री विश्वनाथ प्रसादाचार्य जी, संरक्षक अयोध्या समिति को उक्त शिलायें सौंपीं जिन्हें लेकर बड़ा स्थान से वे अन्य १७० सन्त व भक्तों के साथ बाहर आए व श्रीराम-जन्मभूमि पर शिलान्यास करने का नारा व श्रीराम की जय बोली उसी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी प्रकार सरयू के किनारे (नयाघाट से) ७ महात्माओं को व वेद मन्दिर से अपने ४३ अनुयायियों के साथ महन्त श्री रामकुमार दासजी के बाहर आते ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ा जानकी घाट के महन्त श्रीमैथिली शरणजी, मणिमहल मन्दिर के श्रीमहादेव शास्त्रीजी तथा आनन्द भवन के महन्त श्रीरामनन्दन शरणजी, व मातगैण्ड के विनोद दासजी तथा शृंगार भवन के महन्त रामचन्द्र दासजी, डॉ. श्रीकमल पाण्डेय आदि भी गिरफ्तार किए गए। चौबुर्जी के महन्त श्रीराम आश्रय दासजी, जिन्होंने ७ ता. को आत्मदाह की घोषणा की थी, को भी ६ को ही गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य महन्त व भक्तगणों ने भी दिनांक ७ को अपने-अपने स्थानों से बाहर आकर गिरफ्तारी दी। इसी प्रकार आत्मदाह भी घोषणा करने वाले एक अन्य व्यक्ति श्रीराम प्रकाश उर्फ डोरीलाल को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ता. ८ को ये सब छोड़ दिये गये।

दिनांक ७ को ही शङ्कराचार्यजी की नजरबन्दी की अवधि ७ दिन की और बढ़ा दी गई। याचिकायें खारिज हो गईं किन्तु देश भर में व्याप्त आक्रोश, रोष व जनक्षोभ की लहर जो चतुर्दिक् फैल रही थी, उससे घबड़ाकर दिनांक ९ को सुबह आजमगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पाँच हजार के निजी मुचलके पर शङ्कराचार्य जी की रिहाई का आदेश दिया मगर शङ्कराचार्यजी ने किसी भी कागज पर दस्तखत

करने से इन्कार कर दिया और चुनार दुर्ग में पहुँचे हुए गोरखपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक सी. एस. वासन, वाराणसी परिक्षेत्र के उप पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी के मण्डलायुक्त श्री राजीवरतन शाह और मिर्जापुर के जिलाधिकारी व अन्य बड़े-बड़े अधिकारीगण ने विचार विमर्श कर अदालती औपचारिकताएं अपनी ओर से पूरी कर अपराह्न २.०० बजे शङ्कराचार्यजी को मय उनके अनुयायियों के रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद शङ्कराचार्य जी सीधे वाराणसी में अपने हनुमान घाट स्थित शारदापठ में पहुँचे। रास्ते में जगह-जगह उनका स्वागत किया गया। शङ्कराचार्य जी ने दिनांक १० को "प्रेस से मिलिए" प्रोग्राम में पराड़कर भवन में पत्रकारों से वार्ता, करते हुए उ. प्र. के मुख्यमन्त्री की कटु आलोचना की तथा कहा कि "मुख्यमन्त्री ने मेरे बारे में जनता में घृणा फैलाने का कुत्सित प्रयास किया है। उच्चतम न्यायालय में मुख्यमन्त्री ने हल्फनामा देकर कहा कि मैंने मुसलमानों को देश से बाहर कर देने की बात कही है। मैंने हमेशा अपने अनुयायियों से, साम्प्रदायिक तनाव न फैले, इसका ध्यान रखने को कहा है। कहीं भी किसी भी भाषण में मेरे द्वारा मुसलमानों के विरुद्ध कोई अपमानजनक या उत्तेजक शब्द नहीं कहे गए। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि अतीत में देशवासियों के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ। लेकिन सरकार ने जगह-जगह मठों की तलाशी ली, भक्तों को गिरफ्तार किया, हमसे पत्रकारों को नहीं मिलने दिया तथा मुख्यमन्त्री व सांसद हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करते रहे। इससे बढ़कर शर्मनाक बात और क्या हो सकती है?"

शङ्कराचार्य जी ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे केन्द्र तथा राज्य सरकार की साजिश रही। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें राम-जन्मभूमि दे दी जाय। उसके बाद मथुरा में कृष्ण-जन्मभूमि तथा काशी में विश्वनाथ मंदिर भी हमें सौंपे जाएँ। यदि ये तीनों स्थान हमें शांति पूर्ण ढंग से नहीं दिये जाते तो हम ३०० स्थानों के लिए दावा करेंगे, शङ्कराचार्य जी ने कहा कि हमारी ही प्रेरणा से श्री सुशील मुनि ने मुसलमानों से इस सम्बन्ध में वार्ता की थी। उसके बाद जब हम अयोध्या गए तो उस समय भूलेख अधिकारी ग्रोवर ने बताया कि मस्जिद व राम जन्मभूमि की जमीनों का प्लाट नम्बर एक ही है। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों से समझौता वार्ता करने को भी तैयार हैं। शङ्कराचार्य जी ने अन्य शङ्कराचार्यों की सहमति के बारे में पूछे जाने पर कहा कि चूँकि उ. प्र. ज्योतिर्मठ के क्षेत्र में आता है इसलिए इसके बारे में अन्तिम निर्णय हमें ही लेना है।

दिनांक ११ शनिवार को सायंकाल श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा बड़ा, हनुमान-घाट में बुलाई गई काशी के प्रख्यात विद्वानों, ज्योतिषियों व धर्मशास्त्रियों की शास्त्रार्थ-सभा में शङ्कराचार्य जी ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर के पुनः

शिलान्यास की शास्त्रसम्मत व सर्वसम्मत शुद्ध तिथि की माँग की और विद्वानों ने अपने-अपने विचार रखे। पिछले दोनों शिलान्यासों के मुहूर्तों के गुणों व दोषों पर विचार किया गया। अन्त में एक समिति गठित कर समस्त ज्योतिषियों व विद्वानों से गंगा दशहरा तक शुद्ध मुहूर्त काशी विद्वत् परिषद् के अध्यक्ष रामप्रसाद जी त्रिपाठी व पण्डित रेवाप्रसाद जी द्विवेदी के पास भेजे जायें ऐसा आग्रह किया गया।

卐

"मूल्यों" के ढिंढोरचियों के राज में शंकराचार्य की गिरफ्तारी झूठी रिपोर्ट पर हुई

'भारत संत संदेश' से साभार

यह निर्विवाद सत्य है कि राष्ट्र का दर्जा सर्वोपरि है, किन्तु राष्ट्र आधारित होता है धर्म पर। धर्म का अर्थ अलग-अलग सम्प्रदाय, मत या तबके आदि नहीं किन्तु धर्म का वास्तविक अर्थ है-ईश्वर की वह शक्ति जो विश्व को धारण करे यानी अपनी दो धाराओं-आकर्षण व विकर्षण को सन्तुलित व समान रखकर समस्त पदार्थों की रक्षा करती है। पहली धारा हर एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग ठीक-ठीक अवस्था में रखती है तो दूसरी क्रमशः उन्नति कराकर पूर्णता को ले जाती है। विश्व को धारण करने वाली यह शक्ति नित्य है इसलिए धर्म का नाम सनातन धर्म है।

हमारे विज्ञानविद् महर्षियों ने इसी क्रमिक विकास को ध्यान में रखकर कतिपय विशिष्ट सिद्धांत (नियम) व आचार संहिताएं बनाईं जिनका ज्ञान करवाने व उन पर आचरण करवाने का दायित्व दिया गया हमारे धर्माचार्यों को। इनमें सर्वोपरि श्री आद्य-शंकराचार्य जी, तदनन्तर श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानन्दाचार्य जी, श्री माध्वाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी व अन्यान्य धर्माचार्य अग्रणी रहे। बाद में भी शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित चारों पीठों तथा उपपीठ के शङ्कराचार्य लाक्षणिक रूप से हिन्दुओं की एकता के प्रतीक रहे हैं तथा देश का बहुसंख्यक वर्ग इन्हें अत्यन्त श्रद्धा व आदर की दृष्टि से देखता है।

कानून की दृष्टि से समस्त नागरिक एक समान होते हैं किन्तु राष्ट्रहित में समय-समय पर कानून भी बदलते रहे हैं। शङ्कराचार्य जैसे हमारी संस्कृति, परम्परा एवम् एकता के प्रतीक धर्माचार्या के मामले में आंख मूंद कर सिर्फ न्याय पालन का रोना रोया जाय तो स्थिति बड़ी दयनीय व विस्फोटक हो जाती है और हमारी परम्परा, संस्कृति व एकता नष्ट हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है और राष्ट्र के लिए समस्या पैदा हो जाती है जैसा कि दिनांक ३०-४-९० को द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द जी की धारा १५३ एवं ५०५ के अन्तर्गत गैरकानूनी कार्य करने, दो सम्प्रदायों के बीच शत्रुता, घृणा व दुर्भावना फैलाने व शान्ति भंग करने का आरोप लगाकर गिरफ्तारी की गई।

यह सत्य है कि भारत विधिसम्मत संवैधानिक गणतन्त्र है और इस देश में कानून सभी पर सामान्य रूप से लागू होना चाहिए, भले ही कोई किसी भी पद पर क्यों न हो। परन्तु एक बहुसंख्यक समाज के विशिष्ट धर्माचार्य द्वारका शारदा पीठ के

शङ्कराचार्य पर जिस प्रकार अनर्गल, बेबुनियादी व नितान्त असत्य आरोप लगाकर उन्हें अपमानित व प्रताड़ित करते हुए गिरफ्तार किया गया, वह न केवल अनुचित व निन्दनीय है, अपितु अशिष्ट, अन्यायपूर्ण व दुर्भावना प्रेरित भी है।

पुलिस द्वारा जो F.I.R. में धारायें लगाई गईं (१५३ एवं ५०५) उनसे पुलिस व प्रशासन की बुद्धि, शिष्टता व दिमाग का पूरा-पूरा दिवालियापन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। जबकि जगद्गुरु शङ्कराचार्य जी द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वती जी को फूलपुर कस्बे में पहुँचने से पहले ही रास्ते में गिरफ्तार कर चुनार जिले में ले जाया गया, परन्तु पुलिस की F.I.R. में उनकी गिरफ्तारी दिखलाई गई फूलपुर कस्बे में श्रीसुन्दरलाल रूंगटा की दुकान के सामने के बराण्डे में दो सम्प्रदायों में शत्रुता, घृणा, डर व उत्तेजना फैलाने वाला भाषण देने, नारा लगाने व पुलिस द्वारा मना करने पर भी न मानने, वहाँ मुसलमानों के एकत्रित हो जाने के कारण खतरनाक अप्रिय घटना घट जाने के आरोप के अन्तर्गत।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शङ्कराचार्य जी ने श्रीराम जन्मभूमि व शिलान्यास विषयक जितने भी, जहाँ-जहाँ भाषण दिए सब उनके सचिव द्वारा टेप किये जाते रहे जो समस्त मौजूद हैं तथा जिनमें कोई भी भाषण उत्तेजक या घृणा फैलाने वाला नहीं उल्टे वे तो दोनों सम्प्रदायों को सद्भावना से मिलकर एक साथ बैठकर उक्त समस्या हल करने की प्रेरणा देते रहे हैं। इसके अलावा जब से शङ्कराचार्य जी वाराणसी आये तबसे उनके साथ इन्टेलीजेन्स विभाग के व पुलिस के पदाधिकारीगण बराबर रहे उन्होंने भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी। यदि उनके ७ मई को राममन्दिर के गर्भगृह के शिलान्यास करने के वक्तव्य से ही दुर्भावना फैल रही थी या दो वर्गों में शत्रुता व घृणा पैदा हो रही थी तो ऐसी घोषणायें तो पहले भी कितनी बार हो चुकी थीं और नवम्बर में शिलान्यास भी हुआ था और व्यक्तियों व मंचों द्वारा स्पष्ट देश-द्रोह प्रकट करने वाली घोषणायें होती रहती हैं तब प्रशासन व सरकार मूक दर्शक कैसे बन जाते हैं?

बिना फूलपुर कस्बे में गये देश के बहु संख्यक हिन्दुओं के महत्वशाली सर्वोच्चपीठाधीश धर्माचार्य को अनर्गल असत्य आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया तथा नियमों को कानून तथा शिष्टता को धकिया कर उन्हें मानसिक स्तर पर प्रताड़ि किया गया, छः घण्टे तक शौच, स्नान व पूजा वगैरह की तो बात छोड़ें, जल तक नहीं उपलब्ध करवाया गया। पानी व बिजली की सुविधा से वंचित चुनार किले के डाक बंगले में ले जाकर रखा गया (बाद में भले ही सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं) और किसी से भी मिलने नहीं दिया गया यहाँ तक कि वकील व पत्रकारों को भी अनुमति नहीं दी गई। साधारण पुलिस की तो बात जाने भी दी जाय, किन्तु शङ्कराचार्य जी को गिरफ्तार करने के वक्त तो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा पुलिस के

उच्चाधिकारीगण भी थे। उन्हें क्या उनकी अन्तरात्मा ने कतई नहीं अहसास दिलाया कि एक सुसंस्कृत धर्मारूढ़ शङ्कराचार्य के विरुद्ध वे इस प्रकार क झूठे व निन्दनीय आरोप कैसे लगा रहे हैं? फूलपुर गये बिना, फूलपुर कस्बे में गिरफ्तारी दिखाने, अगले दिन फूलपुर के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशकर गलत व अनर्गल धारायें लगाकर रिमाइण्ड लेने आदि में क्या समझकर सहयोग दिया।

अवांछनीय राजमद में चूर सरकार, प्रशासन एवम् पुलिस अधिकारियों ने जिस प्रकार से अमानवीय, घिनौने व निकृष्ट कृत्य के द्वारा हिन्दू धर्म के एक धर्माचार्य का अपमान कर बहुसंख्यक धार्मिक हिन्दू समाज व शङ्कराचार्य जी के अनुयायियों क हृदय को ठेस पहुँचाई, वह निन्दनीय तो है ही, उन्हें एक न एकदिन अवश्यमेव इसके लिए दण्ड भुगतना होगा।

卐

रामजन्मभूमि धनुर्यज्ञ केवल शंकराचार्य द्वारा ही संभव

– श्री विष्णु पाण्डेय, होशंगाबाद

परमपूज्य १०८ जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द जी सरस्वती की राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण जब गिरफ्तारी हुई तब पूरा देश अचंभित हो गया। कुछ लोगों ने कहा यह कुलियुग का घोर काल है। किसी ने कहा जब अहिंसा की हिंसा हो तो किसी भी शुभकार्य की आशा नहीं करनी चाहिए।

मैं होशंगाबाद (म.प्र.) का ही निवासी हूँ जब हमलोगों ने यह दुःखद समाचार सुना तो एक सभा का आयोजन किया और इस गंदे कृत्य की सभा में आलोचना की तथा एक ज्ञापन होशंगाबाद जिलाध्यक्ष को भी दिया।

इस आंदोलन का एक मधुर बिन्दु यह था कि होशंगाबाद शहर के आम सभा-मंच से मुसलिम बन्धुओं ने भी महाराज जी की गिरफ्तारी का घोर विरोध किया। पूरे देश में ही इसका विरोध हुआ और होना भी चाहिए था क्योंकि यह आंदोलन शांतिपूर्वक अहिंसक था।

महाराज श्री अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में रंग भेद (श्याम काले, दुर्गा गौरी) जाति-भेद (श्याम ग्वाला, राम क्षत्रिय) योनि भेद (हनुमानजी वानर, नंदीश्वर बैल, नाग, देवता, सर्प) ये कुछ नहीं हैं। जो व्यक्ति जैसे भी जिस रूप में ईश्वर को भजता है वह उन्हें स्वीकार होता है। सनातन धर्म पूजा पद्धति पर विशेष ध्यान नहीं देता है। सनातन धर्म ध्यान देता है व्यक्ति के आचरण पर। अगर व्यक्ति का आचरण समाज विरोधी नहीं है तो वह व्यक्ति सनातन धर्मी ही माना जाता है।

इसी तरह मुसलमानों को हम लोग जातीय अनुशासन में भले कुछ भिन्न मानते हों पर वे हैं तो भारतीय ही। जब विदेशों से मुसलमान आये थे तो उनके साथ स्त्रियाँ नहीं थीं। उनका वंश यहीं की भारतीय नारियों से ही है। इसलिए उन्हें विदेशी कहना उचित नहीं है।

महाराज श्री स्वरूपानन्द जी की यही इच्छा थी कि ऐसे मतभेद जो किसी भी धर्म का पालन करने में अड़चन डालते हों तो उन्हें दूर किया जाना चाहिए यह उनका आंदोलन सद्भाव आंदोलन था। काश! महाराज श्री को गिरफ्तार न किया गया होता तो हमें आज हिन्दू-मुसलमानों में सद्भाव का सुखद वातावरण देखने को मिलता।

अब क्या कहें शासन को। मुझे रात्रि को नींद ही नहीं आई सुबह श्री चरणों के दर्शन करने भागा। जब चुनार पहुँचा, वहाँ पुलिस द्वारा मिलने पर कड़ा प्रबन्ध था। गेट पर भूख हड़ताल पर बैठने की जब धमकी दी तब कहीं जाकर अन्दर मिलने की आज्ञा मिली।

महाराज श्री प्रसन्न थे। उनकी सेवा में सदानन्दजी और कैलाश जोशी साथ थे। महाराज जी की सेवा में इन्हें देखकर बहुत संतोष हुआ। हृदय में एक वेदना रह-रहकर उठ रही थी कि आज हमारा सनातन धर्म ही शासन की गिरफ्तारी में है, क्या इसका अर्थ यह है कि देश के नवयुवकों में चरित्र-निर्माण शासन नहीं चाहता है या शासन चाहता है कि धार्मिक मार्ग-दर्शन ही हिन्दुओं को न मिले। शासन की चाहे जो इच्छा हो, एक बात तो सत्य थी कि ऐसा तमाशा औरंगजेब के समय भी नहीं हुआ।

चुनार से जाने के पूर्व महाराज श्री से आज्ञा ली और मार्गदर्शन मांगा। आज्ञा हुई सीधे अयोध्या जाओ। सनातनधर्मी हिन्दुओं में गिरफ्तारी के कारण उनसे हिंसा न हो, किसी तरह की भी हिंसा हमारे सद्भाव आंदोलन और सनातन धर्म के विरुद्ध है। साथ यह आदेश हुआ कि श्री सुबुद्धानन्दजी जो महाराज श्री के निजी सचिव हैं उनसे मिलो और आंदोलन को स्थगित कर किसी भी तरह की हिंसा न हो इसका ध्यान रहे।

हृदय बड़ा बोझिल रहा, रास्ते भर यह विचार आते रहे कि हमारे सनातन धर्म को ही सभी धर्मों का मूल कहा जाता है। अन्य धर्मों के लोग देश विदेश में भी इस धर्म का प्रकाश लोगों को देते रहे हैं। क्या विवेकानन्द जैसे महापुरुषों के साथ भी ऐसा ही होता अगर वे इस समय भारत में होते? इन्हीं विचारों में खोया मैं अयोध्या पहुँचा। सरयू में स्नान करने से कुछ शांति मिली।

अयोध्या की चर्चा करने पर ज्ञात हुआ कि महाराज जी की गिरफ्तारी से कुछ तनाव पैदा हो रहा है जिसका केन्द्र कैकेई भवन है। वहाँ स्त्री-पुरुष सभी बहुत दुःखी हैं। और जब मैं पहुँचा तो यह सच पाया। वहाँ गोटेगाँव के श्री राजकिशोर पांडे, सेवक ब्रह्म आदि इस सद्भाव आंदोलन को शासन द्वारा गलत समझने के कारण और महाराज श्री की गिरफ्तारी के कारण कुछ भी कर गुजरने की तैयारी में थे।

जब इन लोगों से चर्चा हो रही थी तभी कुछ पुलिस के द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय तक अयोध्या के थाने में कार्यवाही हेतु रखा गया और बाद में जेल भेज दिया गया। आन्दोलन और सद्भावना के साथ शिलान्यास की तिथि ७ मई को तय हुई थी और इसकी पूर्व संध्या ६ मई को हमलोग पकड़ लिये गये। वहाँ श्री निर्भीक जोशी कलकत्ता, राजेन्द्र शास्त्री परमहंसी अनिल पटोदिया कलकत्ता, चण्डी शास्त्री कलकत्ता, आदि सभी महाराज जी के भक्त पहले ही पहुँच चुके थे, ७ मई

हमलोगों ने ईश्वर से प्रार्थना गुरु–वन्दना और भगवद्–भजन कीर्तन में बिताया। जिस बच्चे ने शाहजहाँपुर में महाराज श्री की गिरफ्तारी के कारण आत्मदाह किया था उसे मौन श्रद्धांजलि दी।

७ मई की शाम जब हमलोगों ने सुन लिया कि सद्भाव आंदोलन में किसी तरह की हिंसा नहीं हुई है तो बड़ा सुख मिला और हमलोगों को अच्छी नींद आई।

जब हमलोगों को छोड़ा गया तब आपस में एक दूसरे के सुख–दुःख की चर्चा के साथ शासन की सनातन धर्म के प्रति उदासीनता पर दुःखी होते रहे। हमारे सभी साथी महाराज श्री के दर्शन हेतु चुनार चले गये। मैं आवश्यक कार्य से सीतापुर चला गया। ईश्वर से यह प्रार्थना है कि शासन को सद्बुद्धि दें।

卐

शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी आँखों का देखा हाल

– सदानन्द ब्रह्मचारी
व्यवस्थापक, परमहंसी गंगा आश्रम (म.प्र.)

पूज्य शङ्कराचार्य जी की तपस्थली परमहंसी गङ्गा आश्रम से वाराणसी में निर्माणाधीन द्वारका शारदा मठ के निरीक्षणार्थ मुझे वाराणसी भेजा गया और यह कार्य उसी माह में पूर्ण करवाकर उद्घाटन की तैयारी करवाने लगा। २७-४-९० को पूज्य श्री चरणों ने द्वारका मठ का उद्घाटन किया और पत्रकार सम्मेलन में बुधवार ७ मई को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर शिलान्यास की घोषणा कर दी और इसी तारतम्य में महाराज जी की अयोध्या यात्रा का एक निश्चित काफिला तैयार किया गया जिसमें श्री चरणों ने मुझे भी साथ चलने का आदेश दिया। मैंने अपने भाग्य को सराहा क्योंकि मेरे १८ वर्ष के कार्यकाल में श्री चरणों के साथ भ्रमण कर सेवा करने का यह सुअवसर था। अन्ततः अयोध्या जाने का मार्ग एवं सभाओं के कार्यक्रम आदि की रूपरेखा तैयार कर २९-४-९० को यह धर्मयात्रा प्रारम्भ हुई। शङ्कराचार्य जी के साथ उनकी गाड़ी में श्री सुबुद्धानन्द जी ब्रह्मचारी और मैं स्वयं था। हमारे साथ ५ गाड़ियाँ और थीं और इनके अलावा २ पुलिस की गाड़ियाँ, काफी संख्या में सी. आई. डी. और सी. बी. आई. के अधिकारी आदि चल रहे थे। अधिक मात्रा में पुलिस व प्रशासन व्यवस्था देखकर मुझे कुछ आशंका तो हुई परन्तु यह कि श्री चरणों को पूरे भारत में यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्राप्त होती है इसलिए किसी निश्चय पर नहीं पहुँच पाया। उसी दिन शाम को हमलोग वाराणसी से सैदपुर (गाजीपुर) पहुँचे जहाँ गुरुजी का गांधी आश्रम में प्रवचन हुआ इसके पश्चात् बिछुड़न नाथ महादेव जो इचवल के समीप है, में प्रवचन हुआ। यह वह स्थान है जहाँ से श्री चरणों ने १९४२ में स्वतन्त्रता संग्राम आंदोलन शुरू किया था और गाजीपुर के पास के रेलवे पुल को बम से उड़ा दिया था फलस्वरूप ९ माह जेल में यातना भोगनी पड़ी थी।

पूज्य श्री चरणों का यहाँ से यात्रा शुरू करने का एक उद्देश्य यह भी था कि जिस क्षेत्र की जनता के सहयोग के क्रांतिकारी कदम उठाया था, वहीं के लोगों के सहयोग से राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरूआत की जाये। अस्तु, बिछुड़न नाथ महादेव की सभा के बाद ग्राम विक्रमपुर में भी सभा हुई। सभी सभाओं में पूज्य श्री चरण के प्रवचनों में कोई आपत्ति-जनक बात नहीं होती थी। वे भगवान् राम के इतिहास का वर्णन कर बाबर के कृत्यों से अवगत कराते थे। शिलान्यास के सम्बन्ध में उनका स्पष्ट मत था कि विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा अशास्त्रीय पद्धति द्वारा शिलान्यास किये

जाने से हमको दुबारा शिलान्यास करना पड़ रहा है जो राम के मूल स्थान से हटकर १९२ फुट दूर हुआ था। अस्तु,

हम लोगों का रात्रि-विश्राम बिछुड़न नाथ महादेव के मुक्ति कुटीर में हुआ। दूसरे दिन ३०-४-९० को पूजन-भिक्षा के पश्चात् हमारा काफिला गाजीपुर शहर के संकट मोचन मंदिर में प्रवचन के पश्चात् (आजमगढ़) फूलपुर के लिए प्रस्थित हुआ। फूलपुर में भी रात्रि के पूजन, विश्राम का कार्यक्रम था। गाजीपुर से निकलते समय विश्व हिन्दू परिषद् के कुछ लोगों ने सड़क पर महाराज श्री के खिलाफ नारे लगाये जिनकी संख्या केवल ४-५ थी। महाराज श्री ने गाड़ी रुकवाकर उनको समझाया। गाजीपुर में सभा करने आजमगढ़ के लिए करीब ९-१० बजे रात्रि में चले। आजमगढ़ में सभी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डलवाकर फूलपुर पहुँचने के लिए मात्र १५-२० मीटर का रास्ता तय करना था कि आजमगढ़ एवं इलाहाबाद पुलिस की २०-२५ गाड़ियों ने रोड जाम कर रखा था।

महाराज श्री की गाड़ी के उस स्थल पर पहुँचते ही २०-२५ बन्दूकधारियों ने गाड़ी घेर लिया। हमलोग आश्चर्यचकित हुए कि यह सब क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी धारणा रही है कि हम स्वतन्त्र हैं हम इस ओर विचार नहीं कर पाये कि अभी भी हमारे देश में बाबर जैसे प्रशासक हैं। अतिशयोक्ति न होगी कि बाबर तो मात्र दूसरे धर्मों के धर्मस्थलों को ध्वस्त करवाता था परन्तु यहाँ हमारी सरकार हमारे ही धर्मस्थलों में धर्माचार्यों को गिरफ्तार कर रही है। अस्तु,

जब हमारी गाड़ियाँ रोक दी गईं, महाराज श्री की गाड़ी के नजदीक एक डी. एस. पी. सिंह आये और महाराज श्री से कहा कि आपको साहब बुला रहे हैं। इस बात का महाराज श्री ने स्वयं जवाब दिया कि जिनको जो बात करनी है यहीं आकर करें, मैं गाड़ी से नहीं उतरूँगा। यह सूचना मिलने पर एस. पी. आजमगढ़ ने महाराज श्री के पास आकर आदेश एवं निवेदन के स्वर में कहा कि आप पुलिस की गाड़ी में चलें। उनके ऐसा कहने पर सुबुद्धानंद जी ने और मैंने एस. पी. को समझाया कि शङ्कराचार्य जी दूसरी गाड़ी में नहीं जा सकते। मैंने कहा कि जब हम आपके नियंत्रण में हैं तब अन्य वाहन में श्री चरणों को बैठाना क्यों आवश्यक है? महाराज श्री की कार के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ लगा दें और आपको जहाँ लें चलना हो ले चलें लेकिन महाराज श्री गाड़ी से नहीं उतरेंगे। इस बात को लेकर एस. पी. और मेरे बीच काफी नोंकझोंक हुई। अन्ततः एस. पी. को हार माननी पड़ी और पूरा काफिला मिर्जापुर की ओर मोड़ दिया गया।

अब सड़क पर १०-२० पुलिस की गाड़ियों के पीछे और लगभग इतनी ही आगे घिरी हुई पूज्य महाराज श्री की गाड़ी तथा पूज्य श्री के चरणों के साथ चलने वाले

स्टाफ के लोगों को लेकर चल रही २ एम्बेसेडर तथा १ टाटा की ४०७ गाड़ियाँ थीं। यूँ लगता था जैसे कि दुर्दान्त आतंकी को ले जाया जा रहा हो।

कुछ देर चलने के बाद जब हमने यह जानना चाहा कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है और हम वहाँ कब तक पहुँचेंगे क्योंकि पूज्य महाराज श्री की सायंकालिक भगवत् अर्चना अभी शेष ही थी। अधिकारियों से पूछने पर तथा उन्हें महाराज श्री को स्नान पूजन आदि के लिए कहने पर उन्होंने कहा कि हम आपको आजमगढ़ ले जा रहे हैं। हमलोग आश्वस्त होकर उनके पीछे चलते रहे। काफी समय के बीत जाने के बावजूद जब अधिकारियों द्वारा कथित आजमगढ़ नहीं आया तो हमने पुनः पूछा। अब की बार उन्होंने कहा कि हम लोग मिर्जापुर चल रहे हैं और यूँ ही हमें बार-बार झूठी बातें कहकर बहकाया गया। पूज्य महाराज श्री के नित्यकर्म में बाधा आ जाने के कारण हम सभी रोषपूरित हो रहे थे। अन्ततः प्रातः ६ बजे हमने चुनार का वह ऐतिहासिक किला देखा जहाँ जनता दल की सरकार २।। हजार साल की पुरानी गरिमामयी परम्परा से मण्डित एक शङ्कराचार्य को बन्दी बनाकर एक नया इतिहास बनाने जा रही थी।

क्या हम इस अत्याचार को सहन कर सकते हैं कि हमारे धर्मगुरु को पूजन नहीं करने दिया जाय जिनका पूजन समस्त विश्व के कल्याण के लिए होता हो तथा उन्हें शौच और लघुशंका तक न करने दिया जाय?

पहला दिन अत्यन्त कष्टकर था। सारी रात गाड़ी में बैठे-बैठे पूज्य महाराज श्री के चरणों में सूजन आ गई थी। हम सेवकगण अत्यन्त थके हुए थे। परन्तु महाराज श्री को अभी कल सायं की अवशिष्ट पूजा से निवृत्ति लेनी थी। अतः तुरन्त पूजा की तैयारी की गई परन्तु चुनार किले का वह विश्रामगृह अत्यन्त गन्दा था और पानी बिजली आदि का कोई पता न था। जब हमने सम्बन्धित अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने अत्यन्त दुःखपूर्ण-स्वर में कहा कि महाराज हमें तो कोई कश्मीर का खतरनाक आतंकवादी लाया जा रहा है ऐसी सूचना मिली थी इसलिए हमलोगों ने व्यवस्था पर समुचित ध्यान नहीं दिया। साथ ही उन्होंने सरकार के इस कृत्य पर दुःख तथा आश्चर्य प्रकट किया। पूज्य महाराज श्री ने सरकारी भोजने लेने से इन्कार कर दिया। इसलिए शुरू के २-३ दिन अत्यन्त कष्ट के रहे। पानी भी हजारों फुट नीचे गंगाजी से लाना पड़ता था, बाद में तो धीरे-धीरे सब ठीक हो गया। सारी असुविधाओं के बावजूद पूज्य महाराज श्री के शांत, सौम्य मुख मण्डल को देखने के बाद हमें किसी अभाव का स्मरण नहीं होता था। फिर पूज्य महाराज श्री ने मुझे न्याय और वेदांत पढ़ाना शुरू किया।

जेल में किसी से मिलने की अनुमति नहीं थी गिरफ्तारी की खबर सुनकर देश के कोने-कोने से पूज्य महाराज श्री के भक्तगण हतप्रभ स्थिति में चुनार किला

पहुँचने लगे। इन्हें किले के बाहर ही रोक दिया जाता था, जहाँ कि बैठने के लिए किसी पेड़ की भी छाया नहीं थी तथा पीने का पानी अलभ्य था। पत्रकारों को भी नहीं मिलने दिया गया। जनता के बढ़ते रोष को देखते हुए बाद में पूज्य महाराज श्री के अनुयायियों को सम्बन्धित अधिकारियों से अनुमति लेकर दर्शन मिल पाता था।

सारे देश में बढ़ते हुए जनाक्रोश को देखते हुए सरकार ने महाराज श्री को रिहा करने का निर्णय लिया और महाराज श्री के सामने शर्त रखी कि या तो आप राम जन्मभूमि की मुक्ति का प्रयास छोड़ दें अथवा उत्तर प्रदेश से बाहर चले जायें। इस पर महाराज श्री ने कहा कि हमें सरकार की कोई भी शर्त मंजूर नहीं। यदि आपको छोड़ना हो तो छोड़ दीजिए अन्यथा भले ही हमारा सारा जीवन जेल में बीत जाय, हम राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि तथा काशी विश्वनाथ की माँग नहीं छोड़ेंगे।

अन्ततः सरकार को घुटने टेकने पड़े और ९ मई १९९० को २ बजे उन्होंने पूज्य महाराज श्री को बिना शर्त रिहा कर दिया। जेल से छूटने के बाद पूज्य महाराज श्री वाराणसी आए और घोषणा की कि राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जाते समय मुझको गिरफ्तार करके सरकार ने मेरा इरादा और पक्का कर दिया है।

अब वाराणसी में चातुर्मास्य कर रहे पूज्य श्री चरणों ने घोषणा की है कि २-३-४ सितम्बर ९० को वाराणसी में एक विराट् सन्त सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा जिसमें श्रीराम जन्मभूमि की मुक्ति हेतु अगले कार्यक्रम घोषित किये जाएंगे।

卐

अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान महिला मंडल द्वारा ज्ञापन

जबलपुर, मध्यप्रदेश

प्रति,

महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
भारत गणराज्य,
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

महामहिम,

द्विपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द जी सरस्वती महाराज, जो ज्योतिष्पीठ तथा द्वारका-शारदापीठ पर शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त हैं, की गिरफ्तारी आपकी सरकार द्वारा की गई है। यह अवैध है, तथा करोड़ों हिन्दू भावनाओं को झझकोर देने वाली है। हम अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान महिला मण्डल की समस्त सदस्यायें आपसे अनुरोध करती हैं कि आप :-

(क) इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप कर सरकार को ज़गद्गुरु शंकराचार्य की गिरफ्तारी खत्म कर रिहाई के आदेश दें।

(ख) प्रधानमंत्री तथा उत्तरप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जो हिन्दू जन-मानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, को रोकें तथा उन्हें शंकराचार्य तथा हिन्दू समाज से सार्वजनिक क्षमा माँगने को कहें।

(ग) सौहार्दपूर्ण-हल हेतु शंकराचार्य जी से वार्ता हेतु सरकार को आदेश दें।

आशा है कि आप मामले की गम्भीरता को ध्यान में रखकर तुरंत कार्यवाही करेंगे।

"धन्यवाद"।

भवदीय
श्रीमती पार्वती पांडेय
अध्यक्षा, अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल

अ.भा. अनुसूचित जाति युवजन समाज (रजि.) शाखा जबलपुर द्वारा निन्दा

जबलपुर, (मध्यप्रदेश)

दि. : ४-५-९०

आदरणीया,

सुश्री कल्याणी पांडेय जी
विधायिका, जबलपुर।

महानुभाव,

अ. भा. आध्यात्मिक मंडल एवं आपके द्वारा स्वामी जगद्गुरु शङ्कराचार्य जी की रिहाई के संबन्ध में जो भी कदम उठाया जाएगा उसमें अ. भा. अनुसूचित जाति युवजन समाज संभागीय शाखा जबलपुर के अध्यक्ष (के. एल. गुहेरिया) के नाते उसका समर्थन करता हूँ साथ ही शासन द्वारा उठाये गये इस कदम की निन्दा करता हूँ।

आपका हितैषी :

के. एल. गुहेरिया

आध्यात्मिक उत्थान महिला मंडल

जबलपुर, मध्यप्रदेश

"महिला मण्डल ने किया–प्रधानमंत्री का पुतला दहन"

जबलपुर–४ मई। अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती पार्वती पाण्डेय के नेतृत्व में आज सायं ६ बजे घमण्डी चौक पर जगद्गुरु शङ्कराचार्य जी की गिरफ्तारी के विरोध में महिलाओं के एक विशाल हुजूम ने अधर्म दानव वी. पी. सिंह के पुतले का मर्दन व दहन किया।

पुतला दहन के पश्चात् सभी महिलायें घमण्डी चौक से मालवीय चौक तक पैदल नारे लगाती हुई गईं। पुलिस ने दो सौ महिलाओं को गिरफ्तार किया एवं कुछ समय पश्चात् रिहा कर दिया।

जगद्गुरु की गिरफ्तारी के विरोध में महिलायें इतनी अधिक आक्रोशित थीं कि पुलिस विभाग की एक बड़ी संख्या भी उन्हें रोक न सकी। इसी परिप्रेक्ष्य में शक्तिदायिनी माता राज राजेश्वरी की प्रसन्नता के लिये एवं भगवान श्रीराम की अनुकम्पा के लिये सर्वप्रथम मन्दिरों में महावीर हनुमान जी से वर माँगा और दुर्गा माँ व शंकर भगवान से मनौतियाँ मांगीं। स्मरण रहे, भारतीय संस्कृति की परम्परानुसार विश्व की प्रत्येक नारी शक्ति की प्रतीक है, जननी है अतः उसे अपने नारीत्व का गौरव बनाये रखने के लिये जगत् जननी जगदम्बा के श्री चरणों में लीन रहना अपना कर्तव्य समझना चाहिये।

हिन्दू समाज की जागृति के लिये महिलाओं द्वारा किये गये इस साहसिक प्रयास की सर्वत्र सराहना की जा रही है एवं जनमानस में शनैः शनैः सक्रियता देखी जा रही है।

卐

आध्यात्मिक उत्थान महिला मंडल

जबलपुर, मध्यप्रदेश

"अ. भा. आध्यात्मिक उत्थान महिला मंडल का आह्वान"

जबलपुर–५ मई। अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती पार्वती पाण्डेय ने देश की समस्त महिला मंडल शाखाओं से अनुरोध किया है कि जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द जी महाराज की गिरफ्तारी के विरोध में अपनी पूर्ण शक्ति से हर संभव विरोध करें। श्रीमती पाण्डेय ने सम्पूर्ण देश की नारियों को आह्वान करते हुए उन्हें स्मरण दिलाया है कि विश्व की प्रत्येक नारी भारतीय संस्कृति के अनुसार शक्ति की प्रतीक है–जननी है। अतः उसे अपनी भारतीयता का गौरव बनाये रखने के लिये अपने धार्मिक मूल्यों के अस्तित्व की लड़ाई हेतु संघर्षरत धर्मगुरु को अपना यथासंभव सहयोग प्रदान करना चाहिये।

उक्त संबन्ध में विज्ञप्ति में कहा गया है कि महाराज श्री के संदेश के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से अखण्ड कीर्तन द्वारा भक्तिभाव में लीन होकर शासन का ध्यान अपने इस शांतिमय प्रयास की ओर खींचें। देश की प्रत्येक महिला एक–एक पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री को उनके द्वारा किये गये दुःसाहसिक कुकृत्य के विरोध में प्रेषित करें।

卐

पाटन नगर के हिन्दुओं में रोष

जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज की गिरफ्तारी के समाचार से नगर में रोष की लहर व्याप्त हो गई। आज संपन्न एक आपातकालीन बैठक में सभी वर्ग के प्रतिनिधियों ने गिरफ्तारी की घोर निन्दा करते हुए प्रधानमन्त्री को चेतावनी दी है कि हिन्दुओं का अपमान किसी भी सीमा पर सहन नहीं किया जायेगा। बैठक में यह अपील की गई है कि सभी हिन्दू धर्मावलम्बी प्रधानमन्त्री वी. पी. सिंह तथा मुख्यमन्त्री मुलायम सिंह यादव को हिन्दू धर्म से बहिष्कृत कर उनके अति निन्दनीय कर्म की सजा दें।

इसी संदर्भ में पाटन नगर में ७ मई को बन्द का आयोजन किया गया है। तथा ५ मई को एक बृहत् जुलूस व बन्द का आयोजन किया गया है जो एस. डी. एम. के आफिस तक जायगा। इस बैठक में सर्वश्री ठा. विजय सिंह जी, भगवान दास वैद्य, देवचन्द जैन, सुरेश जैन, ठा. दशरथ सिंह, बाबूलाल नामदेव, रविठाकुर, शशि भूषण भुर्रक, ठा. मनोहर सिंह, तन्मय दुबे, विष्णु पाण्डेय आदि उपस्थित थे।

卐

नोनी में धर्म-सन्त की गिरफ्तारी का उग्र विरोध

(३ मई १९९०)

नोनी। शहपुरा। शहपुरा के पास ग्राम नोनी में आयोजित एक आपत्कालीन बैठक में क्षेत्र के वरिष्ठ ग्रामीण जनों ने जगद्गुरु शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी को राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की भयंकर भूल निरूपित कर हिन्दुओं का घोर अपमान बतलाया।

बैठक में शीघ्र रिहाई तथा प्रधानमन्त्री व मुख्यमन्त्री द्वारा क्षमा याचना न करने पर गंभीर परिणामों की चेतावनी दी गई। युवा किसान प्रतिनिधि सभा में सदस्यों ने ज्ञापन सौंपने तथा चक्काजाम का निर्णय लिया। कल एस. डी. एम., पाटन को ज्ञापन सौंपा जावेगा। बैठक में सर्वश्री शिवराम पटैल, हेमन्त पटैल, शिवहरि पटैल, रैयाखेड़ा, राजनारायण भुर्रक-महगवाँ, विष्णु बादल-जमखार, प्रेमलाल-खमदेही, बालकृष्ण गोंठिया-रैया खेड़ा, होरीलाल ठाकुर तथा शिवराम शर्मा आदि उपस्थित थे।

卐

चरगवां में हुआ वी. पी. का पुतला दहन व थाने का घेराव?

चरगवाँ। ३ मई। आज चरगवाँ क्षेत्र की आक्रोशित जनता के एक बड़े समूह ने जगद्गुरु शंकराचार्य की गिरफ्तारी के विरोध में प्रधानमन्त्री बी. पी. सिंह का पुतला दहन किया।

तत्पश्चात् रोष से भरे ग्रामीण जनों ने चरगवाँ थाने का घेराव भी किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जगद्गुरु को तत्काल रिहा कर क्षमा याचना नहीं की जाती तो वे हिंसक आंदोलन पर बाध्य हो सकते हैं।

भवदीय
नागरिकगण
चरगवा, शाहपुरा ब्लाक
पाटन, जबलपुर

मेरठ

उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर मेरठ में जब पूज्य शङ्कराचार्य जी की गिरफ्तारी का समाचार पहुँचा, सारा भक्त समुदाय आक्रोश से भर गया। मेरठ धर्मसंघ के प्रमुख वैद्य श्री श्याम सुन्दर वाजपेयी ने पूज्य शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी की कटु आलोचना की। श्री वैद्यजी ने कहा कि स्वतन्त्र भारत में आज भी हिन्दू गुलाम है, सरकार की तुष्टीकरण की नीति इसे साबित कर रही है। वी. पी. सरकार की नीति की घोर निन्दा करते हुए उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी के अपमान का घातक परिणाम होगा।

आध्यात्मिक उत्थान मण्डल, मेरठ की एक आपात बैठक सम्राट् पैलेस के भगवती राजराजेश्वरी मन्दिर के परिसर में की गई, जिसमें सरकार के इस कृत्य की घोर निन्दा की गई।

बैठक में श्री ओङ्कार शर्मा, श्री आनन्द अग्रवाल, श्री हरीश शर्मा एडवोकेट, श्री जायसवाल आदि प्रमुख रूप से सम्मिलित हुए।

२ मई को मेरठ बन्द किया गया, गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकाला गया। संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष श्री ओ. पी. खन्ना एवं महामंत्री श्री प्रकाश के निर्देश पर व्यापार संघों के विभिन्न दलों ने दुकानें बन्द करवानी शुरू कर दी थीं। जुलूस के साथ पी. ए. सी. एवं प्रशासनिक अधिकारी निरन्तर चलते रहे।

श्री वैद्य श्याम सुन्दर वाजपेयी, डॉ. भीष्मदत्त शर्मा, डॉ. प्रेम प्रकाश शर्मा, गौरी शंकर रस्तोगी, वेदप्रकाश अग्रवाल, श्री जे. डी. सिंघल एवं अन्य एक दर्जन कार्यकर्त्ताओं ने जिलाधिकारी श्री विजय शर्मा को ज्ञापन में हिन्दुओं के सर्वोच्च धर्माचार्य की गिरफ्तारी को अत्यन्त अशोभनीय एवं हिन्दू जनता के सामूहिक अपमान का कृत्य बताते हुए अनुरोध किया कि वे हिन्दू समाज के असन्तोष को केन्द्र और प्रदेश सरकार तक प्रेषित करें।

शिलान्यास के पूर्व पूज्य शङ्कराचार्य जी २४ अप्रैल को मेरठ पधारे थे। आध्यात्मिक उत्थान मण्डल, मेरठ तथा विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा चार शिलाएँ पूज्य शङ्कराचार्य जी को भेंट को गई थीं जिनके द्वारा सरयू स्नान के पश्चात् राम जन्मभूमि में शिलान्यास करना था।

गिरफ्तारी के विरोध में भक्तों ने अनशन करना आरम्भ कर दिया था। विरोध स्वरूप मन्दिरों में ताले लटका दिये गये। मेरठ की प्रबुद्ध महिलाओं ने भी जुलूस निकाला और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया।

मेरठ के भक्त पूज्य शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी के विरोध में गिरफ्तारी देकर जेल गये। उनमें कोई राजनैतिक भेदभाव नहीं था सभी पक्षों के लोग अनशन और गिरफ्तारी दे रहे थे। जेल में भी प्रातःकाल से भजन-कीर्तन प्रारम्भ हो जाता था। भा. ज. पा. सांसद उमा भारती का जेल में ही पुतला जलाया गया। करीब ३५० भक्तों ने गिरफ्तारी दी और जेल में रहे। ७ मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव एवं प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह का पुतला दहन किया गया।

मेरठ के निकट मवाना में प्रदेश के राज्यपाल वी. सत्यनारायण रेड्डी को पुलिस की विशेष सतर्कता के बावजूद काले झण्डे दिखाये गए। हापुड़, बागपत, शामली आदि विभिन्न नगरों में भी पूज्य शङ्कराचार्य जी की रिहाई के लिए बाजार बन्द रखे गये एवं लोगों ने जुलूस निकाला।

卐

श्री राजराजेश्वरी मठ

कोन नगर (पं. बंगाल)

–डा. कमल पाण्डेय

श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, पश्चिम बंग शाखा का उद्‌बोधन पूज्य जगद्‌गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती द्वारा सन् १९८९ के शारदीय नवरात्रों में कोन नगर में हुआ जिसमें डॉ. सत्यनारायण सिंह, हावड़ा अध्यक्ष श्री शङ्कर लाल हरलाल का कार्यकारी अध्यक्ष तथा मैं (डॉ. कमल पांडेय) सेक्रेटरी नियुक्त किए गए थे। महाराज श्री ने देश, काल और वस्तु की शुद्धि का विचार करते हुए हमें निर्देश दिया कि–मैं विश्व हिन्दू परिषद् के राम जन्मभूमि शिलान्यास का विरोधी नहीं, बल्कि विरोधी हूँ उन सब बातों का जो उन्होंने उक्त बातों को ध्यान में न रखकर किया है। सर्वप्रथम, मूल स्थान से १९२ फुट की दूरी पर शिलान्यास करना देश विरुद्ध कार्य है। दक्षिणायन में शिलान्यास का विधान नहीं होने के कारण यह काल–विरुद्ध है तथा बास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार नन्दा, भद्रा, जया और पूर्णा इन चार शिलाओं के एवज में श्री रामनामांकित शिलाओ का न्यास करना वस्तु–विरुद्ध है। पूज्य महाराज श्री के आदेशानुसार श्रीराम जन्मभूमि पश्चिम–बंग शाखा सक्रिय हो गई। श्री घनश्याम कनोई के स्थान पर पूज्य गुरुजी ने हमें निर्देश दिया कि तुम पति–पत्नी दोनों ही मनु और शतरूपा की भाँति अभियान में अग्रणी रहो। इस दिशा में हम सक्रिय हो गए।

१ मई १९९० को हमें महाराज श्री की गिरफ्तारी का समाचार मिला। हम हक्के–बक्के हो गए। हमने तुरन्त पुरी के शङ्कराचार्य स्वामी निरंजनदेव तीर्थ जी के पास जाने का निश्चय किया अतः श्री गिरधारी मालू और मैं दोनों ही पुरी पहुँचे। पुरी के शङ्कराचार्य जी ने प्रेस कान्फ्रेंस बुलाई तथा सत्याग्रह का आह्वान किया। कोन नगर में श्री अभिताभ मुखर्जी ने सभा की। ४ मई को चार महिलाओं श्रीमती लक्ष्मी देवी चारण, श्रीमती विमला अग्रवाल, श्रीमती सरोज मूंधड़ा तथा श्रीमती कृष्णा पांडेय (मेरी धर्म पत्नी) समेत सर्व श्री भगवती प्रसाद रूँगटा, गिरिधारी मालू, विनय चन्द्र खान, जगदीश प्रसाद मूंधड़ा, इन्द्रदान चारण, प्रवीणकिशन पुरिया तथा मैं अयोध्या चल पड़े एवं ५ मई को अयोध्या पहुँच गए। वहाँ पुलिस की घेराबन्दी से आँख मिचौनी खेलकर हमने दो दिन बिताए। ७ मई को दशरथ महल के सामने बड़े स्थान के आचार्य विश्वनाथ दास, सर्व श्री ब्रह्मचारी स्वयंभूचैतन्य, ब्रह्मचारी कैवल्यानन्द, ब्रह्मचारी तुरीयानंद, ब्रह्मचारी रामरक्षानंद, ब्रह्मचारी रामकृष्णानन्द आदि गुरु भाइयों तथा लगभग ढाई सौ महात्माओं के साथ कलकत्ते से हमारे साथ आए सभी ग्यारह व्यक्तियों ने गिरफ्तारी दी। अयोध्या

में निवास कर रहे श्री करोड़ी प्रसाद पाटोदिया के परिवार, श्री कन्हैया सिंह, निर्भीक जोशी, तथा उनके रसोइए को भी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी।

मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि शङ्कराचार्य को १५ मई तक हिरासत में रखा जायेगा पर देशव्यापी उग्र रोष को देखकर अधिक दिनों तक गिरफ्तार रखने की हिम्मत नहीं हुई, उन्हें घुटने टेककर ९ मई को ही गुरुजी को मुक्त करना पड़ा क्योंकि न केवल उत्तर-भारत, अपितु दक्षिण-भारत में भी पाँच हजार मन्दिर निष्प्रदीप हो गए थे। वहाँ आरती बन्द हो गई थी। जूना अखाड़ा के नागा साधुओं ने चुनार दुर्ग पर हमला करके शङ्कराचार्य जी को छुड़ाने की घोषणा कर दी थी। चाहे गुरुजी की गिरफ्तारी भले ही हुई लेकिन इसका परिणाम इतना तो अवश्य हुआ कि जिन्होंने १९२ फुट दूर शिलान्यास किया था ये भी गर्भ-गृह में मन्दिर निर्माण की बात करने लगे किन्तु उनकी धर्म की आड़ में राजनीतिक सत्ता-प्राप्ति की मानसिकता उनके मुखौटे को बार-बार उजागर कर देती है।

卐

पत्रकार की कलम से :–

आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार किए गए शंकराचार्य

चुनार के किले से लौटकर पत्रकार विनोद मिश्र ने १० मई १९९० को 'दैनिक जागरण' भोपाल में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बताया कि ४ मई १९९० को जब वे चुनार के किले में महराज श्री से मुलाकात करने गए तो वहाँ समस्त कस्बे में उन्होंने आतंक का वातावरण देखा। उन्हें लोगों ने बताया कि ३० अप्रैल को रातभर कस्बे में पुलिस की जीपें धड़धड़ाती रहीं। सारे कस्बे में यह अफवाह फैलाई गई थी कि कोई बेहद खतरनाक आतंकवादी चुनार किले में लाया जा रहा था। १ मई की दोपहर को लोगों को सूचना दी गई कि शंकराचार्य जी को चुनार के किले में अस्थायी जेल बनाकर रखा गया है। जब तक वे किले में रहेंगे, किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं दी जायगी। चुनार के किले में पी. ए. सी. का बैरीकोट लगा हुआ था। श्री मिश्र के अनुसार ४ मई को उन्हें चुनार के किले में महाराज श्री से नहीं मिलने दिया गया। चुनार के किले में पिछले १५ दिनों से बिजली की सप्लाई न होने के कारण जल की आपूर्ति भी नहीं हो रही थी। पी. ए. सी. के जवानों से बात करने पर पता चला कि कश्मीर से कोई खौफनाक आतंकवादी लाया जाने वाला था, अतः उन्हें सदा ही मुस्तैद रहने को कहा गया था। जवान अधिकारियों के निर्देशों से यही समझ रहे थे कि शायद अमेरिका से अमानुल्ला खाँ को गिरफ्तार करके लाया जा रहा था। श्री मिश्र ने जब अधिकारियों से श्री शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने यही कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय रोक देना ही अधिक उचित रहता परंतु अधिकारी ने अपनी नौकरी की मजबूरी बताई तथा कहा कि हम पूरी कोशिश में हैं कि महाराज श्री को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचने पाये। बाद में अधिकारी श्री मिश्र से इतना हिल मिल गया कि उसने शंकराचार्य जी से उनके मिलने की व्यवस्था कर दी।

अब तो तीन सौ मन्दिरों का शिलान्यास करूँगा

११-५-९० के 'नव भारत टाइम्स' में प्रकाशति इंटरव्यू के हवाले से बताया गया कि श्री विनोद मिश्र ने जब श्री शंकराचार्य जी से भावी कार्यक्रमों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाही तो महाराज श्री ने कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि विश्व हिन्दू परिषद् ने श्री राम मन्दिर का शिलान्यास कर दिया है। असलियत यह है कि उन्होंने सिंहद्वार का शिलान्यास किया है। गर्भगृह का शिलान्यास अवशिष्ट है। उन्होंने

जब विश्व हिन्दू परिषद् के मुहूर्त निकालने वाले ज्योतिषी श्री महादेव शास्त्री से गलत समय व गलत स्थान पर शिलान्यास करने का कारण पूछा तो श्री शास्त्री ने यही बताया कि जिस प्रकार आतुर संन्यास में मुहूर्त आदि का विचार नहीं किया जाता उसी प्रकार विहिप का भी शिलान्यास है। गर्भगृह का शिलान्यास अभी नहीं हुआ है। श्री मिश्र ने जब महाराज श्री से गर्भगृह के शिलान्यास के विषय में विस्तृत जानकारी चाही तो शंकराचार्य जी ने बतलाया कि मन्दिर के गर्भ–गृह के आग्नेय कोण में उत्तरायण में शुभ तिथि को ही नन्दा, भद्रा, जया और पूर्णा इन चार शिलाओं के न्यास का विधान है। श्री शंकराचार्य जी ने कहा कि विहिप के लोग मुझ पर कांग्रेस का हिमायती होने का आरोप लगा रहे हैं पर वास्तविकता यह है कि नवम्बर १९८९ के चुनावों को ध्यान में रखकर शिलान्यास का मुद्दा विहिप तथा उससे जुड़े हुए राजनीतिक नेताओं ने बनाना चाहा। वस्तुतः राम मन्दिर का मुद्दा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं उछाला जाना चाहिए। यदि विहिप के नेताओं को सचमुच मन्दिर का शिलान्यास करना था तो शुभ मुहूर्त व उत्तरायण में शिलान्यास शास्त्रीय विधि से करवाते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। श्री मिश्र ने शंकराचार्य जी से जब भावी योजना पर प्रकाश डालने को कहा तो उन्होंने बताया कि अबतक तो हम केवल श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर के उद्धार की बात कर रहे हैं लेकिन जिस प्रकार हमारे साथ सरकार ने रवैया अपनाया है उससे विवश होकर हमें अपने तीन–सौ धार्मिक स्थानों की मुक्ति की बात करनी पड़ेगी जिसे यवनों ने तोड़कर मस्जिद का आकार दे दिया है।

卐

जगद्‌गुरु जी के नाम सैयद शाहाबुद्दीन का पत्र

दि. ७-६-८९

आदरणीय जगद्‌गुरुजी,

अखिल भारतीय सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के सहयोग से राम जन्मभूमि उद्धार समिति द्वारा आयोजित सभा में दिया गया आपका वक्तव्य मैंने पढ़ा। मैं आपसे सहमत हूँ कि अयोध्या की समस्या का हल राजनीति के द्वारा संभव नहीं किन्तु जिन दो पक्षों की यह समस्या है उनकी पारस्परिक समझौते की अनुपस्थिति में कोर्ट के बाहर इस प्रश्न का निराकरण कैसे संभव है यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरा इस विषय में यह कहना है कि इस समस्या का हल तब हो जब दोनों पक्षों से तटस्थ एवं दोनों पक्षों से समान सद्भाव रखनेवाला कोई व्यक्ति मध्यस्थ हो। ऐसी स्थिति होने पर किए गए फैसले पर किसी प्रकार की आपत्ति होने पर विरुद्धपक्ष न्यायालय से अपील कर सके। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने का अधिकार है लेकिन आपने जो कहा है कि पछिले ४५० वर्ष पुरानी बाबरी मस्जिद जो मुसलमानों की बंदगी का स्थान है, वह मुसलमानों द्वारा बलपूर्वक कब्जा किया गया स्थान है यह बात सुसंगत नहीं है। आपने बाबरी मस्जिद के बदले दूसरी मस्जिद निर्माण कराने के लिए कहा है वह ठीक नहीं है क्योंकि मुस्लिम धर्म के अनुसार मस्जिद का स्थान स्वयं पवित्र है। एक बार बनाई गई मस्जिद में सुधार किया जा सकता है लेकिन उसका स्थान परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आपने यह दिखाया है कि यह बाबरी मस्जिद राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए किसी भव्य मन्दिर के स्थान पर बाबर द्वारा उस मन्दिर को तोड़कर उसी मन्दिर की ध्वस्त सामग्री द्वारा निर्मित है। लेकिन इस बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह प्रमाणित हो सके कि जहाँ पर आज बाबरी मस्जिद का कब्जा है वहाँ पर विक्रमादित्य या अन्य किसी के द्वारा निर्मित कोई मन्दिर था जिसे अकबर या अन्य किसी मुस्लिम शासक ने तोड़ा हो। बाबरी मस्जिद में लगे खंभे प्राचीन शिल्पकला शैली में निर्मित हैं इस विषय में कोई शंका नहीं है, लेकिन ऐसा भी संभव है कि वे स्तंभ अन्य किसी नजदीक स्थान से लाकर मस्जिद निर्माण में प्रयुक्त हुए हों इन स्तम्भों की ऊँचाई ८ से ९ फुट तक है इससे यह प्रमाणित होता है कि ये स्तम्भ किसी भव्य मन्दिर के नहीं हैं क्योंकि किसी भी भव्य मन्दिर के आधारस्तम्भ इतनी कम ऊँचाई के नहीं हो सकते। आपने यह भी कहा है कि १८५७ ई. में यह स्थान मुस्लिमों ने हिन्दुओं को दे दिया था लेकिन आपके इस कथन की पुष्टि के लिए मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला है। अपने कथन को सत्य

साबित करने के लिए आप इस विषय में लिखित कोई भी अर्वाचीन दस्तावेज प्रस्तुत करें तो मैं आपका आभारी रहूँगा।

आदरणीय जगद्गुरुजी, अयोध्या में कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें राम का जन्मस्थान कहा जाता है। आपको अयोध्या में स्थित राम जन्मस्थान मन्दिर, रामचबूतरा, कनक-भवन इत्यादि प्रसिद्ध स्थलों के विषय में विस्तृत जानकारी रखनी ही चाहिए। किस आधार पर यह कह सकते हैं कि आज जहाँ बाबरी मस्जिद स्थित है वही स्थान राम जन्मस्थान है। मुझे यह कहने की इजाजत दीजिए कि हिन्दू भाई अयोध्या को राम की जन्मभूमि मानते हैं उनके यह मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस मान्यता के विषय में कोई पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक या साहित्यिक प्रमाण प्राप्त नहीं होता, अथवा राम जन्मस्थान में निर्मित किसी मन्दिर को तोड़कर मस्जिद बनाने के लिए प्रयुक्त किया हो ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है। मुझे यह भी कहने दीजिए कि किसी धार्मिक पूजास्थान को तोड़ना हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों एवं संस्कृति के विरुद्ध है।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि बाबरी मस्जिद जिस स्थिति में है उसे वैसी ही स्थिति में रहने दिया जाय और उसे मुसलमानों को पुनः सौंप दिया जाय और यदि राम जन्म स्थान पर मन्दिर बनाना ही है तो वह मस्जिद के पश्चिम में खाली पड़ी जगह पर अथवा बाबरी मस्जिद के कम्पाउण्ड के बाहर जहाँ आज राम चबूतरा है उस स्थान पर बनाया जाय।

मस्जिद और मन्दिर का शान्तिपूर्ण अस्तित्व अपनी मातृभूमि का गौरव बढ़ाएगा।

साभार,

आपका ही,
सैयद शाहाबुद्दीन

अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज द्वारा

सैयद शाहाबुद्दीन के पत्र का प्रत्युत्तर

श्री शाहाबुद्दीन जी,

आपका पत्र मिला, 'श्रीराम जन्मभूमि उद्धार समिति' की सभा से अथवा उससे पूर्व हमने यही कहा था कि राजनीति से हटकर इस समस्या का हल किया जाय। सर्वोत्तम हलवाला मार्ग यही है कि दोनों सम्प्रदाय के प्रमुख व्यक्ति धर्महित और लोकहित की दृष्टि से सद्भावना पूर्वक परस्पर विचार-विमर्श के बाद इस समस्या का हल निकालें। अदालत का निर्णय दूसरा उपाय है। मध्यस्थ जो भी हो वह आपसी विचार-विमर्श का संयोजन करे, निर्णायक न बने। निर्णायक हम सभी मिलकर हों। आपने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि मुस्लिम शिल्पी मस्जिद में बुत नहीं बनाते जबकि आप इसको बाबरी-मस्जिद कह रहे हैं, और जहाँ अनेकों वर्षों से भगवान राम की पूजा की जा रही है उसमें चौदह खम्बे ऐसे हैं जो काले पत्थर के हैं और उनमें से कुछ में स्पष्ट रूप से हनुमानजी की मूर्ति अंकित दिखाई देती है। आपने यह सम्भावना व्यक्त की है कि वे स्तम्भ नजदीकी स्थान से लाकर मस्जिद निर्माण में प्रयुक्त किये गये होंगे क्योंकि इनकी ऊँचाई ८ से ६ फुट तक की है। आपने शायद यह नहीं सोचा होगा कि उससे भी मुस्लिम शासकों का अन्याय ही सिद्ध होता है। क्या आप इसको उचित समझते हैं कि किसी मन्दिर की सामग्री उठाकर उससे मस्जिद बनाई जाय? आपने यह प्रश्न उठाया है कि 'विक्रमादित्य द्वारा निर्मित किसी भी भव्य मन्दिर को भ्रष्ट करके उसी मन्दिर की सामग्री से यह मस्जिद बनाई गई है। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता'। इस सम्बन्ध में सनातन धर्म के पक्ष से यह कहा जा सकता है कि वे चौदह काले पत्थर के खम्बे ही इसके प्रमाण है क्योंकि आधुनिक इतिहास के निर्माण में और तथ्यों के संकलन में इसी प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है तथा इतिहास की पुस्तकें लिखी जाती हैं। इसके विपरीत न तो बाबरनामा में और न ही आइने अकबरी में ऐसा कोई विवरण उपलब्ध होता है जिससे यह सिद्ध हो कि बाबर ने अयोध्या में किसी मस्जिद का निर्माण किया था। ऐसे स्थिति में यह समझ में नहीं आता कि उसको बाबरी मस्जिद किस आधार पर कहा जाता है। हमने यह कहा था १८५७ में अमीर अली और बाबा रामचरण दास उक्त स्थान को हिन्दुओं को दिलाने के लिए आपस में मिल्ल जुलकर मुस्लिम भाइयों को राजी करने का प्रयास कर रहे थे और मुस्लिम भाई इसके लिए सहमत भी हो गये थे। पर जब इस बात का अंग्रेजों को पता लगा तो उन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता को अपने राज्य के लिए बाधक समझ कर

बाबा रामचरण दास और अमीर अली को कुबेर टीले के पेड़ की डाल से फाँसी लगवा दी। इसका उल्लेख स्वर्गीय अमृत लाल नागर ने 'गदर के फूल' नामक अपनी पुस्तक में किया है। श्रीमान् शाहाबुद्दीन जी राम का जन्म हम लोगों की वाल्मीकि रामायण के अनुसार आज से नौ लाख वर्ष पहले हुआ था और तभी से अयोध्या की प्रसिद्धी रामजन्मभूमि के रूप में चली आ रही है।

अयोध्या सृष्टि के आरम्भ से ही इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की राजधानी रही है। इसी वंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ था। आधुनिक इतिहास का लेखन काल बहुत बाद का है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के सम्बन्ध में जिन स्थानों की प्रसिद्धी की आपने चर्चा की है उनमें से वही एक मात्र स्थान राम जन्मभूमि के रूप में चिरकाल से प्रसिद्ध है। इतिहास की पुस्तकों का लिखना जिस समय प्रारम्भ हुआ भगवान राम का जन्म उसके पहले का है। हम सोचते हैं कि यदि मुस्लिम समाज समाज भगवान राम के अवतार पर विश्वास नहीं करता उसको इस प्रश्न के उठाने की आवश्यकता और अधिकार नहीं है। आपके लिए तो खम्बे उसके साक्षी हैं। इसके अतिरिक्त इमारत के सामने का राम चबूतरा, शिव पंचायतन, छट्ठी, सीता रसोई और भगवान वाराह की मूर्ति यह सिद्ध कर रहे हैं कि यह भूमि हिन्दुओं की है। आपको विदित होगा कि निर्मोही अखाड़े का राम चबूतरा और जिसको आप बाबरी मस्जिद कहते हैं दोनों का प्लाट नम्बर एक ही है। यदि यह भूमि भिन्न विश्वास वाले दो सम्प्रदायों की होती तो प्लाट नम्बर अवश्य बदल जाता। यदि केवल मुसलमानों की होती तो उसमें वाराह भगवान की मूर्ति तो वे कभी न रहने देते। इसलिए यह सुनिश्चित है कि हिन्दुओं के धर्मस्थान पर ही यह तोड़-फोड़ की गयी है। मूर्तियों को हटाया गया है। और यह कार्य जबसे प्रारम्भ हुआ तभी से हिन्दुओं की ओर से इसका विरोध चल रहा है। कनक भवन कैकेयी माता का था जहाँ भरत का जन्म हुआ था। आपको यह भी विदित होना चाहिए कि कथित बाबरी मस्जिद से लगे हुए स्थान पर एक भूमि और है जहाँ पर सुमित्रा जी का महल था और जहाँ लक्ष्मण जी ने अवतार लिया था।

इसलिए आपने जिन स्थानों की चर्चा की है वे राम जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध नहीं हैं। यों तो पूरी अयोध्या ही राम जन्मभूमि है, और वहाँ लगभग ५०० राम मन्दिर हैं लेकिन और किसी को रामजन्मभूमि मन्दिर की प्रसिद्धि प्राप्त नहीं है।

आपकी जानकारी के लिए हम यह बताना चाहते हैं या आवश्यक समझते हैं कि अयोध्या में और भी मस्जिदें हैं जो जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं हमारे मुस्लिम भाई यदि उनमें जाकर अपनी उपासना करते हैं तो हिन्दुओं को इसमें कोई आपत्ति न होगी। इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है केवल इसी के लिए संघर्ष क्यों?

आपके पत्र से हम इसलिए प्रसन्न हैं कि इसके द्वारा आपने परस्पर विचार-विमर्श का मार्ग खोला है इसके पहले दोनों ओर से तलवारें उठती थीं, खून-खराबा होता था जो न तो देश के और न किसी सम्प्रदाय के ही हित में माना जा सकता है। हम आपसी विचार-विमर्श का स्वागत करते हैं इसी उद्देश्य से मुनि सुशीलकुमार के निमन्त्रण पर २१ जनवरी को दिल्ली गये थे। मुनि सुशीलकुमार के अहिंसा भवन में मुस्लिम सम्प्रदाय के अनेकों नेताओं से हमारी सौहार्द्रपूर्ण चर्चा हुई थी। हम चाहते थे कि आप भी उस अवसर पर उपस्थित होते तो यह चर्चा अधिक सार्थक होती। हमने पाया कि बहुत से लोग और सरकार इस समस्या को टाल रहे हैं। पर मामला जितना लम्बा खिंचेगा उतना ही अधिक जहर फैलेगा।

काशी विद्वत् परिषद् के विद्वानों और अन्य अनेक महात्माओं और पुरी के शङ्कराचार्य का कथन है कि नौ नवम्बर का शिलान्यास शुभ मुहूर्त में नहीं हुआ था इसलिये इसको मई के प्रथम सप्ताह में पुनः सम्पन्न कराया जाय। और यह शिलान्यास उसी स्थल पर होगा जो विवादास्पद है। यदि महात्माओं का अधिक आग्रह रहा तो हमें भी उक्त आयोजन में सम्मिलित होना पड़ेगा।

यदि आपने इस विवाद को सुलझाने में अपना अमूल्य योगदान दिया तो यह देश की महती सेवा होगी और आपका नाम इतिहास में अमर रहेगा।

भवदीय,
(ब्रह्मचारी सुबुद्धानन्द)
सचिव
श्री जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज
ज्योतिष्पीठद्वारकाशारदापीठ

विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा जगद्गुरुजी को पत्र

दिनांक २७ मार्च, १९९०

परमपूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानन्दजी,

श्रीचरणों में साष्टांग प्रणाम।

पिछले कुछ दिनों से अनेक समाचार पत्र-पत्रिकाओं में इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं कि आपने यह कहा है कि विश्व हिन्दू परिषद ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर निर्माण के लिये विदेशों से ५०० करोड़ रुपया प्राप्त किया है और जिसका कोई हिसाब नहीं है।

हम नहीं जानते हैं कि आपने ऐसी बात कही है या नहीं। विदेशों से यदि कोई पैसा आता है तो उसके लिये विश्व हिन्दू परिषद को उसे स्वीकार करने से पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय से स्वीकृति लेनी पड़ती है। विश्व हिन्दू परिषद के पास लगभग दो लाख रुपये के ड्राफ्ट भिन्न-भिन्न देशों से भिन्न-भिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों से अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण करने के लिये आये हैं। हमने इन राशियों को स्वीकार करने के लिये गृह-मन्त्रालय से स्वीकृति माँगी भी, उन्हें पूरा विवरण भेजा था कि राशि कहाँ से किस व्यक्ति या संस्था में आयी और जिस ड्राफ्ट द्वारा आयी है, उसकी एक फोटोप्रति भी उन्हें भेजी थी, परन्तु अभी तक सरकार ने मन्दिर निर्माण के लिये विदेशों से आयी हुई राशि को स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी है। ये सारे के सारे ड्राफ्ट हमारे पास वैसे के वैसे पड़े हैं। अतः वस्तुस्थिति यह है कि विदेशों से अभी तक एक पैसा भी मन्दिर निर्माण के लिये जमा नहीं हुआ है।

जहाँ तक श्रीराम जन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण के लिये भारत में धन एकत्रित करने का प्रश्न है, वह पैसा "श्रीराम जन्मभूमि न्यास" के नाम पर उन्हीं के कूपनों एवं रसीदों पर विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकताओं द्वारा एकत्रित किया गया है। विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता केवल शिलापूजन के कार्यक्रम सम्पन्न करने एवं धनराशि एकत्रित करने के एक माध्यम थे। सारा एकत्रित किया हुआ धन श्रीराम जन्मभूमि न्यास के खाते में जमा है। यह राशि ३० सितम्बर, १९८९ के पश्चात् ही एकत्रित की गयी थी, उससे पहले नहीं।

श्रीराम जन्मभूमि न्यास ने एक प्रस्ताव पारित करके विश्व हिन्दू परिषद से यह अपील की थी कि वे शिलापूजन के कार्यक्रमों को सम्पन्न करने तथा मन्दिर निर्माण

के लिये उनके छपे हुए रसीदों एवं कूपनों पर धन एकत्रित करने में सहायता करे तथा उनकी अपील को मानकर शिलापूजन एवं धन एकत्रित करने का कार्यक्रम विश्व हिन्दू परिषद ने सम्पन्न किया।

१५ जनवरी, १९९० तक कुल ८,२९,३१,०००/- रुपये की धनराशि एकत्र हुई है। प्रान्तशः कितनी राशि एकत्रित हुई है, उसकी फोटोप्रति संलग्न है। इस राशि में से १,६३,१९,०००/- रुपये की राशि कूपनों और रसीद बुकों के छपवाने, शिलापूजन के सम्बन्ध में प्रचार सामग्री छपवाने, ग्रामों में सम्पर्क करने, शिलायें एवं कूपनों को तीन लाख ग्रामों तक पहुँचाने एवं प्रान्तों से अयोध्या तक शिलाओं को पहुँचाने में खर्च हुई है। शेष ६,६६,१२,०००/- रुपये की राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सरकारी कम्पनियों में जमा है। एक-एक पाई का हिसाब मौजूद है। प्रान्त-प्रान्त में समस्त आमदनी और खर्च का हिसाब आडिट हो रहा है। इसलिये यह कहना कि विश्व हिन्दू परिषद ने सैकड़ों करोड़ रुपया मन्दिर निर्माण के लिये एकत्रित कर लिया है, बिलकुल बेबुनियाद और झूठ है।

प्रत्येक व्यक्ति सवा रुपये की राशि इस पवित्र कार्य हेतु प्रदान करे, यह संकल्प था। भगवान की महान कृपा से लगभग तीन लाख ग्रामों में कार्यकताओं के माध्यम से यह कार्य शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुआ।

आपसे हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि कुल कूपन लगभग २५ करोड़ की राशि के ही छपवाये गये, जिसमें से उससे कुछ कम राशि के जारी किये गये। उसमें-से आठ करोड़ उन्तीस लाख इकतीस हजार रुपये एकत्र हुए। इस तरह प्रति ग्राम से औसत २७५/- रुपये की राशि एकत्र हुई। इसमें पचास हजार वनवासियों के ग्राम भी सम्मिलित हैं।

ऊपर दी गयी स्थिति से आपको यह स्पष्ट होगा कि भारत में शिलापूजन के कार्यक्रमों में केवल ८,२९,३१,०००/- रुपया ही एकत्रित हुआ है और १,६३,१९,०००/- रुपया खर्च करने के पश्चात् ६,६६,१२,०००/- रुपया श्री राम जन्मभूमि न्यास के खाते में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सरकारी कम्पनियों में जमा है।

यदि आपके पास कोई ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर आप यह कहते हैं कि विश्व हिन्दू परिषद ने सैकड़ों करोड़ रुपये श्रीराम जन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण के लिये एकत्रित किया है तो हम आपके आभारी होंगे यदि आप इन तथ्यों की सार्वजनिक रूप से घोषणा करें और हमें भी उन तथ्यों की जानकारी दें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी ओर से आपका उत्तर एवं ऐसे तथ्यों की जानकारी यदि कोई है तो हमें शीघ्र ही उपलब्ध होगी। यदि आपकी ओर से १५ दिन के अन्दर कोई उत्तर नहीं

आता है तो हम इस पत्र को समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर देंगे, ताकि समाज में आपके नाम से समाचार-पत्रों में समय-समय पर जो वक्तव्य छप रहे हैं, उनके कारण जो भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं, उनका निराकरण हो सके।

आपसे एक बात और कहना चाहूँगा-पूजित श्रीराम शिलाएँ दो मन्दिरों के परिसर में बड़े सम्मान के साथ रखी हैं। ये शिलाएँ गटर में पड़ी हैं, यह कहकर आपने सत्य का आश्रय नहीं लिया। इससे हमें महान पीड़ा भी हुई और संत वचन ऐसे भी हो सकते हैं, इसका हमें धक्का भी लगा।

आपकी सूचना के लिये श्रीराम जन्मभूमि शिलान्यास के लिये स्थान और मुहूर्त एवं दक्षिणायन में निर्माण कार्य का निर्णय काशी के ज्योतिषाचार्यों के विद्वत् मण्डल में लिया गया था, उस सम्बन्ध में आप उनके प्रमुख श्री जनार्दन शास्त्री से ही वार्ता कर सकते हैं। ऐसे महान विद्वानों का अपमान करना हम अनुचित मानते हैं। शिलान्यास अयोध्या के वैदिक विद्वानों ने किया है और भारत के प्रमुख जगद्गुरु, आचार्य एवं दस हजार संतों तथा लाखों धार्मिक जनता के बीच शास्त्रीय विधि से हुआ। उसे अशास्त्रीय कहना उपरोक्त पूरे समाज का ही अपमान है, ऐसा क्या आपको नहीं लगता? अच्छा होता आप हम लोगों को स्वयं बुलाकर इसकी जानकारी लेते, उसके पश्चात् ही अपना बयान जारी करते।

पुनः श्रीचरणों में सादर प्रणाम सहित,

भारत माँ एवं हिन्दू समाज की सेवा में,

विष्णुहरि डालमिया
कार्यकारी अध्यक्ष

परमपूज्य जगदगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानन्दजी महाराज,
शारदा पीठ,
पो. डाकोर (जिला नडियाद) गुजरात
३८८ २२५

श्रीराम शिलापूजन आँकड़ों में

कुल श्रीराम शिलापूजन स्थान	२,९७,४११
सम्मिलित जनता	१०,९७,९५,८०४
श्रीराम महायज्ञ स्थान	४,२५१
यज्ञों में सहभागी जनता	३,२४,१३,७४५
कुल एकत्रित राशि	८,२९,३१,०००

STATEWISE COLLECTION OF SRI RAMA JANMABHUMI NYAAS

Assam	9,50,000	
Bihar	65,00,000	
West Bengal	20,00,000	
Orissa	25,00,000	
Andhra Pradesh	50,00,000	
Karnataka	51,00,000	
Maharashtra	63,35,000	
Bombay	12,50,000	Maharashtra State
Vidarbha	8,00,000	Rs. 83,85,000
Gujarat	70,00,000	
Mahakaushal	25,00,000	Madhya Pradesh
Madhya Bharat	54,00,000	Rs. 79,00,000
Indraprastha	22,67,000	
Punjab	19,00,000	
Jammu & Kashmir	5,12,000	
Western U.P.	48,60,000	Uttar Pradesh State
Eastern U.P.	75,00,000	Rs. 1,23,60,000
Tamil Nadu	7,10,000	
Kerala	9,33,000	
Haryana	27,00,000	
Rajasthan	1,56,00,000	
Himachal Pradesh	6,14,000	
TOTAL COLLE.	Rs. 8,29,31,000	
TOTAL EXPENDITURE (Till Jan. 15, 1990)	Rs. 1,63,19,000	
Balance as on 15th January, 1990	Rs. 6,66,12,000	

जगद्गुरुजी की ओर से ब्रह्मचारी सुबुद्धानन्द द्वारा विहिप के पत्र का उत्तर

स्वस्तिश्री,

डालमियाजी,
पूज्य गुरुजी का नारायण स्मरण पूर्वक शुभाशीर्वाद

विषय : आपका पत्र २७-३-९० के सन्दर्भ में।

आपका पत्र मिला। सबसे पूर्व शिलान्यास की शास्त्रीयता पर ही विचार कर लिया जाय। शिलान्यास से सम्ब्ध में हमने काशी विद्वद् परिषद और वहाँ के गण्यमान्य ज्योतिर्विदों से चर्चा की। जिस मुहूर्त में विश्व हिन्दू परिषद के द्वारा सिंहद्वार पर शिलान्यास किया गया है उसकी शास्त्रीयता की पुष्टि नहीं हो पायी, हमने अयोध्या के पंडित महादेव शास्त्री "जिन्होंने विश्व हिन्दू परिषद का शिलान्यास संपन्न करवाया था" से भी पूछा कि आपने दक्षिणायण कार्तिकमास में कैसे शिलान्यास करवाया, इस समय उग्र देवताओं का ही शिलान्यास होता है। भगवान विष्णु के अवतार रामजी के मंदिर का शिलान्यास गर्भ गृह से दूर कैसे करवा दियां?

उसके उत्तर में उन्होंने कहा–जैसे आतुर सन्यास बिना मुहूर्त के भी मरणासन्न व्यक्ति कर लेता है और यदि स्वस्थ हो; जाता है तो फिर शुभ मुहूर्त में इसकी विधि पूर्ण करके विधिवत दण्ड ग्रहण करता है। उसी प्रकार हमने सिंहद्वार का ही शिलान्यास करवाया। मुख्य शिलान्यास तो गर्भ गृह के आग्नेय कोण में ही होता है। जो सोने-चाँदी की शिलायें आयी थीं उनको गर्भ गृह के शिलान्यास के लिए हमने पृथक् रखवा दिया।

इसका अर्थ यह निकला की आपके द्वारा प्रचारित और सम्पादित शिलान्यास राम मंदिर का न होकर मात्र सिंहद्वार का हुआ है। मुख्य शिलान्यास न हो और उसके अंग का ही हो; इसको कौन शास्त्रीय कहेगा। जहाँ तक शिलान्यास के मुख्य पक्ष का प्रश्न है–

"समराङ्गण सूत्रधार नामक" वास्तु शास्त्र के २०वें अध्याय में (जिसमें शिलान्यास की विधि है) कहा गया है–

अथ ब्रूम शिलान्यास विधिमंत्रयथागमम् ।
तत्रोन्दगयने पुण्ये शुक्लपक्षे शुभेहनि ॥

अर्थात् शास्त्रानुसार हम शिलान्यास की विधि बतलाते हैं।–

शिलान्यास उत्तरायण के शुक्लपक्ष और शुभ दिन में होना चाहिए। विश्वकर्माविरचितवास्तुविद्या का "ज्ञानप्रकाश दीपार्णव" एक ग्रन्थ हैं। जिसमें कार्तिकमास में शिलान्यास अशुभ बताया है।

"कलहश्चाश्विनेमासे भृत्यनाशश्च कार्तिके"

अर्थात् आश्विन मास में कलह, कार्तिक मास में भृत्यनाश होता है। शिलाओं की संख्या ४ ही बतलायी गयी हैं– नन्दा, भद्रा, जया, पूर्णा।

"चतस्रस्युरिमाशिला" अर्थात् नन्दा, भद्रा, जया, पूर्णा चार ही शिलायें होती हैं। विश्व हिन्दू परिषद के लोगों की ओर से इन सब बातों की उपेक्षा की गई है, हमारे पास विश्व हिन्दू परिषद के विरोध में और भी पत्र आये हैं। जिनमें यही कहा गया है कि हमको कर्मकाण्ड से ऊपर उठना चाहिए।

हम लोग सनातन धर्मी हैं। इसलिए इन बातों पर विश्वास रखते हैं। मंदिर और मूर्तिपूजा सनातन धर्मी ही मानते हैं, देवता को मंदिर की आत्मा और मंदिर देवता का शरीर माना जाता है। इनका आरंभ, प्रतिष्ठा और पूजा शास्त्रोक्त विधि से करने पर ही फलवती होती है।

यह आप और हम सभी जानते हैं कि राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के उपक्रम से बहुत लोग अप्रसन्न हैं इसलिए इस कार्य में अभी और पश्चात् भी विघ्न–बाधायें उपस्थित हो सकती हैं। इसीलिए यह कार्य शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। आतुर सन्यास जैसी त्वरा यदि थी तो शिलान्यास करके भी अभी तक कार्य क्यों बंद पड़ा है? यदि अनुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा की जा रही है तो पहले ही इस पर विचार क्यों नहीं किया गया?

यह आप भी जानते हैं कि सन् १९३५ के पश्चात् राम जन्मभूमि में मुसलमान नहीं जाते थे और जबसे वहाँ रामलला प्रगट हुये अनवरत उनकी पूजा हो रही है। अखंडनामसंकीर्तन चल रहा है और निर्मोही अखाड़े के सन्तों द्वारा इसके मुकदमें की पैरवी भी की जा रही है। उस समय विश्व हिन्दू परिषद का जन्म भी नहीं हुआ था। कुछ वर्षों से निश्चय ही वह सक्रिय हुयी है पर यदि उसके परिणामों और उपलब्धियों की हम समीक्षा करें तो उससे अभी तक कोई ठोस लाभ नहीं हुये। यदि हिन्दुओं में जागरण हुआ है तो उससे अधिक मुसलमानों हुआ है।

अयोध्या में जिनकी अरजी पर ताला खुला वे उमेश पाण्डेय भी विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता नहीं हैं। मुख्य मंदिर से हटकर शिलान्यास करने से वे भी क्षुब्ध

हैं। २५ करोड़ रु. के व्यय से मंदिर बनाने की योजना घोषित हुयी है। अभी तक आपके कथनानुसार ६ करोड़ ६६ लाख १२ हजार रुपया ही श्रीराम जन्मभूमि खाते में जमा हो सका है। लगभग १८ करोड़ ३३ लाख ८८ हजार रुपया अभी भी जनता से फिर माँगना पड़ेगा। इतनी बड़ी धनराशि आप पुनः एकत्र कर लेंगे इसमें संदेह है।

आपने लिखा कि जो हमारे पास विदेशों से २ लाख के चैक आये हैं जो सरकार की मंजूरी के लिए पड़े हैं। तथा जो विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता धनराशि माँग कर लाये हैं। रसीदों पर कोई हिसाब नहीं दिखाया गया है। जबकि वह राम जन्मभूमि के मंदिर बनाने के उद्देश्य से ली गई धनराशि इसके अतिरिक्त शिलापूजन में जो फुटकर राशि चढ़ायी गयी वह मात्र सवा-सवा रुपये नहीं रही है। लोगों ने सैकड़ों रुपया चढ़ाया है। दर्शकों का कहना है कि इस राशि में भारी गोलमाल हुआ है। विश्व हिन्दू परिषद के विभिन्न नेताओं ने उक्त धनराशि के संबन्ध में वक्तव्य दिये हैं उससे जनता में भारी अश्रद्धा का सर्जन हो गया।

अयोध्या में जो आपकी प्रदर्शनी लगी है उसमें एक बोर्ड है, जिसमें लिखा है देश-विदेशों से समागत शिलाओं का दर्शन कीजिए। शिलायें दर्शन के लिए रखी हैं और आप कहते हैं कि उनके साथ कुछ भी नहीं आया, यह कैसे सम्भव है। जबकि एक छोटे गाँव से आयी हुई शिला के साथ पैसा आया है। चीन जापान, ग्रेट-ब्रिटेन आदि से आयी शिलाओं में एक भी पैसा नहीं आया इस पर कौन विश्वास करेगा। इसीलिए अब जो राशि अपेक्षित है उनका संग्रह कैसे होगा यह एक समस्या बन गयी। सुनने में आया है कि अभी जो गाँवों से रुपये जिले में आये हैं, जिलों ने कुछ राशि अपने पास रखकर प्रदेशों को दी। और प्रदेशों ने कुछ राशि रखकर विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्र को दी। आपने राज्योवार जो ब्योरा छापा है क्या उसी क्रम में जिलों की, प्रान्तों की तथा केन्द्र को प्राप्त हुयी राशि का समावेश हो चुका है अथवा नहीं, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

विश्व हिन्दू परिषद् के विशाल विश्वव्यापी संगठन को देखते हुए हिन्दुओं के मन में यह आशा बंधी थी कि यह संगठन राम जन्मभूमि में हिन्दुओं का कब्जा कराने में सफल हो जायगा, विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ता यह कहते भी थे-

"हम कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनायेंगे"

लेकिन अदालत की निषेधाज्ञा से भयभीत होकर जब विश्व हिन्दू परिषद् ने मुख्य भूमि से १९२ फिट दूर शिलान्यास किया तो इससे सबको घोर निराशा हुयी। यदि अदालत का ही कहना मानना था तो बार-बार यह घोषणा क्यों की गयी कि हम अदालत का फैसला नहीं मानेंगे। यदि ऐसी बात थी तो इसी पर दृढ़ रहना चाहिए था।

कुल मिलाकर समीक्षा की जाय तो विश्व हिन्दू परिषद् के इस अभियान से राम जन्मभूमि की समस्या सुलझने के स्थान पर और उलझी है। राम जन्मभूमि के नाम पर यदि मुख्य भूमि से हटकर दूसरा मंदिर बना तो फिर यह माँग प्रबल होगी कि जब मंदिर अन्यत्र बन ही गया है तो रामलला की मूर्ति को ससम्मान उस नवनिर्मित मंदिर में रख लिया जाय और मस्जिद मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए खाली कर दी जाय। जिससे अभी तक जितने प्रयास इस भूमि के उद्धार के लिए हुए हैं उन सब पर पानी फिर जायेगा।

आपने यह लिखा कि पूजित शिलायें अत्यन्त आदर के साथ वहाँ रखी गयी हैं। आपका वक्तव्य असत्यता से भरा हुआ है किन्तु खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि शिलाओं के ऊपर जूता पहने खड़े लोगों को हमने अपनी आँखों से देखा है। गंदी नालियों में राम शिलाओं के द्वारा बने हुए मार्ग पर जूता पहनकर चलते हुए लोगों को हमने देखा। अयोध्या के लोगों के कहने पर हम वहाँ गये थे, और हमारे पास उनके चित्र भी हैं। अपने अपराध को स्वीकार करने का साहस आपमें नहीं है। उचित तो वही था कि आप उस अपराध को स्वीकार करके क्षमा याचना करते, परंतु आपने दोषों को छिपाने के लिए अपने मान्य आचार्य को झूठा कहे में भी संकोच नहीं किया। आपके किसी प्रवक्ता ने यह कहा है कि–

रामनाम अंकित शिलाओं के ऊपर चढ़कर वानरभालुओं ने समुद्र पार किया था, इसीलिए यदि उनमें किसी ने पैर रख लिया तो इसमें कोई दोष नहीं है। पर विदित होना चाहिए कि शिलाओं में रामनाम लिखा नहीं गया था, शिलायें रामनाम लेकर समुद्र में छोड़ी गयी थीं। यदि किसी शिला में रामनाम लिखा होता तो कोई भी वानरभालु उस पर अपना पैर नहीं रखता। कोई भी आस्तिक हिन्दू, सनातन धर्मी तुलसीकृत रामायण के ऊपर पैर रखने का साहस नहीं कर सकता।

आखिर रामचरित मानस में क्या है, चौपाइयाँ लिखी हैं–

इह महि रघुपतिनाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुतिसारा ।
मंगलभवन अमंगलहारी, उमासहित जेहि जपतपुरारी ।।

अर्थात् रामचरित मानस में भगवानश्री रघुनाथ जी का उदार चरित्र, वेद–पुराणों का सार, रामनाम अंकित हैं। जो मंगल का भवन और अमंगल का हरण करेवाला है। जिसका पार्वती सहित भगवान शंकर जप करते हैं। जिस प्रकार रामनाम के कारण रामचरित पूज्य हैं उसी प्रकार रामनाम के कारण राम शिलायें पूज्य हो गयीं। फिर उनकी इतनी दुर्दशा क्यों?

अभी तो कम ही हुयी है। जब आप उन शिलाओं से दीवार बनायेंगे तो मिस्त्री लोग एक शिला तो सीधी लगायेंगे और दूसरी शिला वसूली आदि से दो टुकड़े करके लेकिन बनाने के लिए उस पर मसाला भी भरेंगे और निर्मित दीवार के ऊपर जूते सहित बैठकर उस पर काम करेंगे। इतनी अधिक शिलायें शिलान्यास के लिए शास्त्र सम्मत नहीं हैं। इसलिए चार ही शिलायें उपयुक्त मानी गयी हैं।

अब रुपयों के हिसाब पर आइये। हमने रागद्वेष से कुछ भी नहीं कहा। जो कुछ कहा वह देश और धर्म तथा आप सबके हित में कहा है। जब हम अयोध्या जा रहे थे तो रेल में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो इंग्लैण्ड में रहता था। उसने बतलाया कि केवल ग्रेटब्रिटेन में पाँच अरब सड़सठ करोड़ बीस लाख रुपया राम जन्मभूमि के लिए एकत्र किया गया है। वह कह रहा था कि चन्दा मैंने भी दिया है। हो सकता है उक्त राशि अभी इंग्लैण्ड में ही हो आपने प्रवेशवार कहाँ से कितना रुपया आया यह लिखा है। आपको किस जिले से कितना रुपया आया है यह लिखना चाहिए था। मध्यप्रदेश–जबलपुर जिले में एक कटनी नगर में राम जन्मभूमि के लिए १५ लाख रुपया एकत्र हुआ है। जिसमें केवल ८० हजार रुपया ही बैंक में जमा किया गया, यही कुछ उदाहरण हैं जो इस संदेह की पुष्टि करते हैं कि राम जन्मभूमि की एकत्र राशि में भारी गोलमाल हुआ है। आपके द्वारा आलोचकों को अदालत में ले जाने की धमकी और हम १५ दिन में उत्तर न दें तो इस उक्त पत्र की प्रतियाँ प्रेस को देने की धमकी आयकर के अधिकारी का ट्रांसफर करवा देना आदि आपकी छवि को बढ़ा नहीं रहा है। आपके मंच से बराबर यह बात कही गयी कि सभी शंकराचार्य हमारे साथ हैं पर आपके शिलान्यास के चित्र में एक भी शंकराचार्य नहीं देखा गया। हमें लगता है आप स्वयं को हिन्दुओं के एकमात्र प्रतिनिधि और प्रवक्ता मान बैठे हैं जिसको चाहें आप जगद्गुरु और शंकराचार्य कह देते हैं।

आगे इससे अधिक और हमें कुछ नहीं कहना है। अयोध्या में हमारे कार्यकर्त्ता हैं। जिनमें से एक दामोदराचार्य नाम के वृद्ध संत हैं। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि मुक्तिन्यास के कार्यकारी अध्यक्ष ने ब्रूहमलीन पूज्य करपात्री जी और हमें गालियाँ दीं और जब उन्होंने उसका प्रतिकार किया तो उनको पटककर पीटा गया। ऐसे ही शिष्ट लोगों के सहयोग से क्या आप इतना बड़ा कार्य कर देंगे।

काशी विद्वद् परिषद्, भारत धर्म महामण्डल, पंडित धर्ममहापरिषद् के सत् परामर्श और अयोध्या के प्रसिद्ध संत, महन्तों, संत–महन्तों के परामर्श और लिखित संमति के अनुसार आगामी वैशाख मास की त्रयोदशी ७ मई को उसी स्थान पर जिसको लोग विवादग्रस्त क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम राम जन्मभूमि मानते हैं उसी मुख्य भूमि के आग्नेय कोण पर हम राम मन्दिर के निर्माण के लिए शिलान्यास करने जायेंगे।

उक्त अवसर पर भारत के कोने-कोने से धार्मिक लोग आयेंगे, आप सबको भी हिन्दू होने के नाते आना चाहिए। हमने सभी पक्ष के हिन्दुओं को ाने का निमंत्रण दिया है। क्योंकि हम राजनीतिक पक्षों के आधार पर हिन्दुओं के विभाजन को स्वीकार नहीं करते।

अभी तक यह निश्चय हुआ कि सरयू तट से रामभक्त श्रीराम जयराम जय जय राम राम का मंगलमय कीर्तन करते हुए विशाल संख्या में राम जन्मभूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। जहाँ पुलिस रोकेगी वहाँ हमारा जनसमूह रुक जायेगा। और चार महात्मा चार शिलायें लेकर शिलान्यास के लिए आगे बढ़ेंगे और सरकार जो भी दण्ड देगी उसे शांतिपूर्वक स्वीकार करेंगे। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा।

आइये हम सब आपस के मतभेद मिटाकर राम जन्मभूमि के उद्धार के कार्य के लिए एक होकर जुटें।

परम पूज्य महाराजश्री सतत प्रवास में रहते हैं इसीलिए आपका २७-३-९० का पत्र हमें आज ११-४-९० को मिला है। और आज ही हम इस पत्र का उत्तर आपको भेज रहे हैं। साथ ही आपके कथनानुसार आपके पत्र के प्रति और अपने उत्तर के प्रति जो हम आपको भेज रहे हैं, दोनों को प्रकाशनार्थ समाचार पत्रों को दे रहे हैं। ताकि सही स्थिति स्पष्ट हो सके।

आशा है आप प्रसन्न होंगे।

पूज्य महाराजश्री की आज्ञा से,

भवदीय,

(सुबुद्धानंद ब्रह्मचारी)
निजी सचिव,
पं. पूज्य जगद्गुरु श्री शंकराचार्यजी महाराज
श्री शारदापीठ, द्वारका।

MANSAROVAR
3, Nyaya Marg
CHANAKYAPURI
NEW DELHI-110021

Statement

The arrest and continued detention of Swami Swaroopanandaji, Shankaracharya of Dwarika Peeth, has been most unfortunate. He should be honourably released without delay and government should enter into a dialogue with him to explore avenues for a peaceful and mutually acceptable solution of this vexed issue. To keep him in jail any longer will further injure the sentiments of millions of Indians throughout the Country.

6th May 1990 — KARAN SINGH

विश्व अहिंसा संघ

संस्थापक-अध्यक्षः परम पावन आचार्य सुशील कुमार जी महाराज
आचार्य सुशील आश्रम, सी. ५९९, चेतन मार्ग, डिफैन्स कॉलोनो,
नई दिल्ली-११० ०२४ भारत
फोन : ६२२७२९, ६१६६८८ तार : AHIMSABODI

जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द जी महाराज की गिरफ्तारी के विरुद्ध आचार्य सुशील कुमार जी महाराज का अमेरिका से वक्तव्य–

दिनांक : ६-५-१९९०

"मुझे दूरभाष से ज्ञात हुआ कि सरकार ने जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द जी को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे देश की संस्कृति में धर्माचार्यों, गुरुओं, सन्तों और महात्माओं का विशिष्ट स्थान है। जगद्गुरु देश की सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है।

बहुत ही अच्छा होता कि वार्ता के माध्यम से इस विवाद को सुलझा कर सद्भाव पूर्ण वातावरण को बनाए रखा जाता और इस समस्या का समुचित निदान किया जाता पर ऐसा न करके जगद्गुरु शंकराचार्यजी को गिरफ्तार कर सरकार ने अपनी अदूरदर्शिता का ही परिचय दिया है। सरकार से अपील की जाती है कि वह ससम्मान जगद्गुरु शंकराचार्य को रिहा कर दोनों पक्षों के सहयोग से सद्भावपूर्ण वातावरण में प्रेम से इस समस्या का समाधान कर देश की एकता व अखंडता को मजबूत बनाए।"

गौतम ओसवाल
महासचिव

मेरठ में मुस्लिम भाइयों ने सहयोग का आश्वासन दिया

बिरादरानेवतन, हम सब लोग इस मुल्क हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं। और हम इस मुल्क से बेहद प्यार भी करते हैं क्योंकि हमारे बुजुर्ग इस मुल्क की मिट्टी में दफन हैं और हम भी इसी मुल्क में पैदा हुये हैं। इसलिये ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क से प्यार करना हमारी फिदरत में शामिल है और जो लोग इस मुल्क में फिरकावाराना माहौल पैदा करके इस मुल्क के मुसलमानों को भड़का कर इस मुल्क के लिये अलग माहौल बनाना चाहते हैं; इस मुल्क का मुसलमान ऐसा कभी नहीं होने देगा। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के हर इन्सान को अपने मजहब के लिये पूरी आजादी होनी चाहिये। चाहे वो किसी भी मजहब को मानने वाला हो। हम सबको एक दूसरे के मजहब के वास्ते इज्जत की निगाह रखनी चाहिये। आज कल दुनिया भर में मजहब का माहौल कम हो रहा है। हर मजहब का आदमी अपने धर्म, मजहब को छोड़कर दुनियावी उठा पटक में लगा पड़ा है बुनियादी चीज से दूर होता जा रहा है। कुछ फिरकापरस्त जमातें इस मुल्क में हमें आपस में लड़ाकर इस मुल्क को कमजोर और बदनाम कर रहे हैं। और ये मुल्क जो हमेशा से हर मजहब के मानने वालों को इज्जत बक्शता आया है। यहाँ से धर्म का नाम मजहब का नाम मिटा देना चाहते है। लेकिन यहाँ हर मुसलमान ऐसे हर फिरकापरस्त को मुह तोड़ कर जवाब देगा और इस मुल्क को बर्बाद नहीं होने देगा। और हम चाहते हैं। हमारी जो भी उलझने हों हम अपने घर में अपने मुल्क में ही आपसी तौर या एक दूसरे के साथ जाइज बात करके उन्हें निबटाये। चाहे वे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला हो या और किसी तरह का निफाक–बात तो तब है। कि दूसरे मुह देखते रह जाये और हम अपने मामलात को खुद हल कर लेंगे।

ऐसे माहौल में हमें जगद्गुरु शङ्कराचार्य जी का विचार बेहद पसन्द आया उन्होंने कहा चाहे हिन्दू हो या मुसलमान सब इस मुल्क की अमानत हैं। यहाँ की धरोहर हैं। हम उनमें से किसी को भी बिसौना नहीं चाहते। सब यहाँ मिल जुल कर रहें ऐसा हम चाहते हैं और जो भी धर्मस्थल मुसलमानों के कब्जे में हैं, जो हिन्दू के हैं। वो हिन्दू को मिले और जो इबादत चाहे मुसलमानों की, हिन्दू के कब्जे में हैं वो मुसलमानों को वापिस दी जायें। इस तरह से उन संगठनों का सफाया हो जायेगा जो इस मुल्क में फिरकाविराना जहर घोल रहे हैं। और हम तो ये ही चाहते हैं कि आज जो लोग राम जन्मभूमि को लेकर मुल्क के सामने एक खतरनाक हव्वा खड़ा किये हुये हैं। उनकी नापाक साजिस खत्म हो जाये और वो बेनकाब हो जायें। इस बात पर सोचना जरूरी है हम सबको। अयोध्या में हमारी २६ मस्जिद और हैं। हमें चाहिये हम खुदा

की इबादत से गाफिल न हों और हम नहीं चाहते कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मस्ला लम्बा खींचें और हम ये भी चाहते हैं कि ७ मई को जो शिलान्यास शङ्कराचार्य करने जा रहे हैं। करें। मगर मुल्क के सामने एक सही और साफ सुथरा माहौल बना कर करें। इस मामले की जिम्मेदारी हमारे मुल्क की सरकार पर कम आती है हम सब पर ज्यादा जिम्मेदारी है। इस मसले को सही तरह निपटाने की।

७ मई वाले शिलान्यास में हम व हर अच्छा आदमी शङ्कराचार्य जी के साथ है। मगर माहौल भी साजगार हो कोई सबूत ठोस के साथ के वहाँ जहाँ शङ्कराचार्य जी शिलान्यास कर रहे हैं। कल विश्व हिन्दू परिषद् कहे कि ये शिलान्यास भी गलत हुआ है। मामला विचाराधीन है और हम भी शङ्कराचार्य जी से हमख्याल हैं कि निफाक निवटना चाहिये। मगर किसी भी तरफ के समुदाय के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिये। होना चाहिये–इन्साफ और ऐसा ही शङ्कराचार्य जी भी चाहते हैं। क्योंकि वो कभी भी फिरकापरस्ती की बात नहीं करते।

मुल्क के हक में बात करते हैं ऐसा हम मानते हैं।

मिजानिब
चौ. मशकूर अहमद,
व
मो. नासिर अन्सारी,
मेरठ

मुख्यभूमि से हटकर शिलान्यास करने पर विश्व हिन्दू परिषद् को शंकराचार्य जी की चुनौती

विश्व हिन्दू परिषद् के महामन्त्री श्री अशोक सिंघल ने रामजन्मभूमि के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया है कि आगामी ९ नवम्बर को श्री रामजी के नव-निर्माणाधीन मंदिर का शिलान्यास राम जन्मभूमि से २५० फीट दूर हटकर किया जायेगा।

इस वक्तव्य पर ज्योतिषपीठ एवं द्वारका शारदापीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द जी सरस्वती महाराज ने अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्री शंकराचार्य जी ने कहा है, कि अशोक सिंघल के वक्तव्य की हिन्दू जनता उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। वह इस समाचार से चिन्तित थी कि शिलान्यास मुख्य भूमि से हटकर किया जा रहा है। विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्त्ता जनता को बार-बार आश्वासन दे रहे थे कि शिलान्यास उसी स्थान पर किया जाएगा जहाँ बाबरी मस्जिद है।

पश्चिम बंग विश्व हिन्दू परिषद् के उपाध्यक्ष ब्रह्मचारी देवानंद ने श्री शंकराचार्य जी से भेंट की थी और उन्होंने बताया था कि दिल्ली में कुछ दिन पूर्व विराट हिन्दू सम्मेलन हुआ था जिसमें पाँच हजार संतों ने भाग लिया था उसमें यही कहा गया था, कि शिलान्यास मस्जिद को हटाकर किया जायेगा। इसी आश्वासन पर वे गली-गली घूमें थे-"मंदिर वहीं बनाएंगे, राम की सौंगध खायेंगे" परन्तु अशोक सिंघल की इस घोषणा से यही सिद्ध होता है कि उन महात्माओं का उपयोग भिक्षा माँगने के लिए किया गया था।

श्री सिंघल के वक्तव्य से हिन्दू जनता में घोर निराशा छा गई है और वह अनुभव करती है कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है। श्री सिंघल ने अपने वक्तव्य में कहा है कि मुख्य भूमि से शिलान्यास २५० फीट दूर होगा और यह निर्णय कुम्भ मेले में आयोजित धर्म संसद में हुआ था। परन्तु उक्त निर्णय की जानकारी उनके वक्तव्य से अभी हुई है। शिला-पूजन के द्वारा जनता से करोड़ों रुपया हड़प लेने के बाद वे कह रहे हैं कि मस्जिद गिराना हिन्दू परम्परा के विरुद्ध है। अदालत का निर्णय आप मानेंगे नहीं और हिन्दू परम्परा के विरुद्ध मस्जिद गिरायेंगे नहीं तो कौन हाथ जोड़कर आपको राम जन्मभूमि दे देगा।

श्री सिंघल यह स्वीकार करते हैं कि मुसलमानों के लिए निर्माण का महत्त्व है जबकि हिन्दुओं के लिए भूमि का महत्त्व है, जिसमें भगवान राम का अवतार हुआ है। यदि ऐसी बात है तो उनको निर्माण पर जोर न देकर राम जन्मभूमि के उद्धार पर

जोर देना चाहिए। इसके लिए वे किस उपाय का अवलम्बन कर रहे हैं यह अभी उनके वक्तव्य से स्पष्ट नहीं हो सका है। आगामी ९ नवम्बर को नव राम मन्दिर का शिलान्यास २५० फीट हट करके हिन्दुओं का पीठ पर छूरा भोंक रहे हैं। हिन्दू जाति को २५० फीट हटकर शिलान्यास से कुछ लेना-देना नहीं। यदि विश्व हिन्दू परिषद् राम जन्मभूमि का उद्धार नहीं करा सकती तो वह चुप बैठ जाए। सोते हुए हिन्दू समाज को जगाकर अब उसे सुलाना संभव नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि जनता को अन्धकार में रखकर अभी तक जो रुपया इकट्ठा किया है या किया जा रहा है उसका क्या होगा?

केन्द्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह के साथ गुप्त समझौते का खण्डन करते हुए श्री सिंघल ने अपने वक्तव्य में कहा कि—बूटा सिंह का यह कहना गलत है कि सरकार के साथ उनका कोई गुप्त समझौता हुआ है भले ही गुप्त न हो, समझौता अवश्य हुआ है। तभी सरकार ने उनके तथाकथित् शिलान्यास के लिए सहयोग देने का आश्वासन दिया है। ऐसा लगता है कि विश्व हिन्दू परिषद् का सारा अभियान अरबों रुपया बटोर लेने के लिए था, जैसी उनकी योजना है मुख्य मन्दिर से हटकर २५० फीट दूर शिलान्यास होगा, उस स्थल पर जो भी नव-निर्माण किया जायेगा, वह विश्व हिन्दू परिषद् का कार्यालय और प्रदर्शनी होगा राम जन्मभूमि का मन्दिर नहीं।

इस सम्बन्ध में पुरी के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निरंजनदेव तीर्थ का वक्तव्य ध्यान देने योग्य है, जिसमें उन्होंने कहा है—अयोध्या में रम जन्मभूमि के नव मन्दिर के निर्माण के लिए मेरी शुभकामना पर शास्त्रीय आचार से शुभ मुहूर्त में वहीं (तत्रैव) अर्थात् जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, खात मुहूर्त और शिलान्यास आदि किए जाएं अन्यथा नहीं।

इससे यह भी सिद्ध होता है कि मुख्य भूमि से अलग दूर शिलापूजन करना अशास्त्रीय एवं परम्परा के विरुद्ध है।

अशोक सिंघल के इस कथन में कोई नवीनता नहीं है कि राम जन्मभूमि कौन सी है। इस सम्बन्ध में अदालत का निर्णय उन्हें मान्य नहीं है। वस्तुतः समस्त हिन्दू जाति का यह निर्णय है कि राम जन्मभूमि वहीं है जहाँ मस्जिद बनी हुई है उसी भूमि को प्राप्त करने के लिए अदालत की सहायता ली जा सकती है, जिस प्रकार ताला खुलवाने के लिए ली गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में विश्व हिन्दू परिषद् की ओर से श्री देवकीनंदन अग्रवाल पैरवी कर रहे हैं यह बात श्री सिंघल क्यों छुपाते हैं। उसके निश्चय में यदि अदालत ने हिन्दू के पक्ष में फैसला दिया क्या अशोक सिंघल उसे अस्वीकार कर देंगे? निर्णय के पहले ही यह घोषित कर देना कि हम अदालत का निर्णय नहीं मानेंगे। जब आप नहीं मानोगे तो मुसलमान क्यों मानेंगे? उनको निर्णय मानने के लिए कैसे बाध्य किया जा सकता है? विश्वस्त सूत्रों से

पता लगा है कि विश्व हिन्दू परिषद् के श्री देवकी नन्दन जी अग्रवाल और सैय्यद शाहबुद्दीन अदालत का निर्णय मानने का आश्वासन लिखित रूप में दे चुके हैं।

मुख्य स्थान से हटकर २५० फुट दूर शिलान्यास करने के निश्चय की घोषणा का हिन्दुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता देखकर अब विश्व हिन्दू परिषद् के लोग कह रहे हैं कि अशोक सिंघल ने ऐसा वक्तव्य दिया ही नहीं अखबार वालों ने शरारत से ऐसा छाप दिया है। पर प्रश्न यह उठता है कि क्या पाञ्चजन्य नाम की पत्रिका ने भी शरारत की है? वह तो उन्हीं की पत्रिका है।

जालन्धर में दिए गए सरसंघ संचालन बाला साहब देवरस के भाषण से भी इस बात की पुष्टि होती है जिसमें उन्होंने कहा है : अभी मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी और मन्दिर का निर्माण अगले वर्ष किया जाएगा। अशोक सिंघल संघ के कार्यकर्त्ता हैं अपने सरसंघ संचालक के विरुद्ध एक कदम भी वे नहीं जा सकते।

कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने स्वयं मस्जिद तोड़ने की घोषणा की है यदि यह सत्य है तो उन्हें तोड़ने का मौका देना चाहिए। जब मन्दिर का निर्माण अगले साल ही होना है तो अभी से जनता से रुपया क्यों बटोरा जा रहा है।

शिला-पूजन के बहाने जो रुपया इकट्ठा किया जा रहा है उसमें कुछ कूपन भी छपे हैं, जिनमें हिन्दी में तो मंदिर निर्माणविधि, लिखा है किन्तु इंगलिश में कार्पस डोनेशन लिखा है। यह भी धोखा है। इसका अर्थ है कि मंदिर निर्माण के नाम पर जो दान लिया जा रहा है उसका खर्च मुक्ति के आंदोलन पर भी किया जाएगा। जबकि दान-दाताओं की एक-एक कौड़ी मन्दिर निर्माण में ही लगनी चाहिए।

विश्व हिन्दू परिषद् के लोग कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि को मुक्ति के लिए जन-जागरण में हमने पुरुष किया है पर वास्तविकता यह है कि दूरदर्शन पर रामायण नामक सीरियल को देखकर जनसाधारण के हृदय में जो भगवान राम के प्रति श्रद्धाभक्ति उमड़ी है उसी का विश्व हिन्दू परिषद् दोहन कर रही है। यही कारण है कि राम शिलाओं के ऊपर रुपयों का अम्बार लग रहा है मुसलमान भी रुपया चढ़ा रहे हैं।

विश्व हिन्दू परिषद् के कारण साम्प्रदायिक झगड़े भी प्रारम्भ हो गए हैं। सुना जा रहा है कि अब मुसलमान भी अपने पक्ष के समर्थन में रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। समय रहते यह आग नहीं बुझाई गई तो यह भीषण रूप धारण कर सकती है। शांतिपूर्ण मार्ग न मिलने पर ही संघर्ष का मार्ग अपनाया जाता है। जब मुसलमान स्वयं ही मस्जिद हटा रहे हैं तो उन्हें हटा लेने दिया जाय। हम बाद में मुख्य भूमि पर ही शिलान्यास करें।

卐

३० अप्रैल को फूलपुर जाते समय रात्रि में पूज्य शंकराचार्य जी के साथ गिरफ्तार उनके अन्य परिकर–

१. ब्रह्मचारी श्री सुबुद्धानन्द, सचिव जगदगुरु शंकराचार्यजी महाराज (जो चुनार जेल में प्राप्तः ५ बजे से ११ बजे तक रह कर जेल से बाहर निकल आये थे एवं जिन्होंने सर्वप्रथम महाराजश्री की गिरफ्तारी एवं गुप्त स्थान की सूचना प्रेस के माध्यम से पूरे भारत को दी।

२. ब्रह्मचारी श्री सदानन्द–ज्योतिर्मठ

३. " " नित्यानन्द "

४. " " विश्वनाथानन्द "

५. श्री विश्वनाथ, पुजारी, श्री चन्द्रमौलीश्वर, द्वारका शारदा मठ (गुजरात)।

६. श्री रतन लाल शर्मा, श्री परमहंसी गंगा आश्रम,
गोटे गाँव, नरसिंहपुर

७. श्री शिवानन्द " " "

८. श्री वसन्तकुमार पाठक " "

९. श्री राकेश कुमार " "

१०. श्री नारायण दास चोपड़ा " "

११. श्री सुशीलकुमार चतुर्वेदी " "

१२. श्री अनिल कुमार शर्मा " "

१३. श्री महेश शर्मा " "

१४. श्री सागर–ड्राइवर " "

१५. श्री गोपी–ड्राइवर " "

१६. श्री वैकुण्ठनाथ शर्मा " "

दिनांक ६-५-१९९० को अयोध्या में गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम जो फैजाबाद जेल में रहे

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित दिनांक ६-५-९० को धारा १५१/१०७/११६ के अन्तर्गत थाना अयोध्या (जिला फैजाबाद) से गिरफ्तार कर जेल में दाखिल किया गया था तथा नगर मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार दिनांक ८.५.९० को जेल से रिहा किया गया–

१. श्री मथुरा प्रसाद जोशी 'निर्भीक'–सुपुत्र स्व. लक्ष्मी नारायण जोशी

२. श्री गोविन्दानन्द ब्रह्मचारी–चेला ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानन्द

३. श्री चंडी प्रसाद शास्त्री–सुपुत्र श्री गुरु नारायण

४. श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र–उर्फ आत्माराम–सुपुत्र श्री सत्य नारायण मिश्र

५. श्री अनिल अग्रवाल–सुपुत्र श्री किरोड़ी प्रसाद अग्रवाल (कलकत्ता)

६. श्री राजेन्द्र प्रसाद शास्त्री–सुपुत्र श्री बद्रीप्रसाद द्विवेदी

(हस्ताक्षर)
अधीक्षक,
जिला–कारागार,
फैजाबाद

अयोध्या में अन्यत्र गिरफ्तारी देने वाले–

१. श्री प्रकाशानन्द ब्रह्मचारी–ज्योतिर्मठ–हिमालय, जेल में

२. श्री विष्णु पांडेय–होशंगाबाद, जेल में

३. ठा. राजाराम सिंह ग्राम टिकरी–नरसिंहपुर, जेल में

४. श्री कैलाश नाथ द्विवेदी, कालपी, जालौन–उ.प्र. जेल में

७ मई १९९० को बड़ा स्थान अयोध्या से शिलाएँ लेकर जा रहे गिरफ्तार रामभक्तों की सूचीः–

१. श्री श्री महन्त १००८ गोपालानन्द जी ब्रह्मचारी अध्यक्ष, अग्नि अखाड़ा, जूनागढ़, गुजरात

२. श्री श्री १००८ महन्त विश्वनाथ प्रसादाचार्य बड़ा स्थान, अयोध्या

३. श्री महन्त मैथिली रमण शरण, बड़ा जानकी घाट, अयोध्या

४. श्री महन्त महादेवदास शास्त्री, मणिमहल मंदिर निकट कनक भवन, अयोध्या

५. महामण्डलेश्वर महन्त श्री श्री १००८ रामकुमार दासजी वेद भवन मन्दिर, अयोध्या

६. महन्त श्री रामचन्द्र दास, शृंगार भवन, अयोध्या

७. श्री महन्त रामवचन दास जी, अयोध्या

८. स्वामी श्री दामोदराचार्य, प्रचार-मंत्री अखिल भारतीय वैष्णव-सम्मेलन, उत्तर बाणद्रिमठ, रामकोट अयोध्या

९. दण्डी स्वामी श्री आनन्द आश्रम, अद्वैत आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात

१०. " " " अवधेश आश्रम, चौंसट्ठीमठ, वाराणसी, उ.प्र.

११. दण्डी स्वामी त्रिपुरारि आश्रम चौंसट्ठीमठ, वाराणसी

१२. " धर्मानन्द तीर्थ, काशी

१३. " राजेश्वर आश्रम, असी घाट

१४. " हरिदेव आश्रम, अन्नपूर्णा, असी घाट

१५. " शिवाश्रम, वाराणसी

१६. " वीरभद्र आश्रम, मधुसूदन मठ, काशी

१७. " सत्यबोधाश्रम, रसूलाबाद

१८. दण्डी स्वामी श्री आशुतोष आश्रम, वाराणसी, उ.प्र.

१९. " " रामतीर्थ जी, भूमानिकेतन, सप्त-सरोवर, हरिद्वार (उ.प्र.)

२०. महन्त श्री रामनन्दन शरण जी, आनन्द भवन, अयोध्या
२१. महन्त श्री परमेश्वर दास जी, श्री रामकृष्ण मन्दिर, अयोध्या
२२. भजरामदास जी, वेद भवन मान्दर, अयोध्या
२३. श्री बालमुकुन्दाचार्य जी, अशर्फी भवन, अयोध्या
२४. स्वामी नारायणाचार्य जी, अशर्फी भवन, अयोध्या
२५. बाबा भगवान दास जी, अशर्फी भवन, अयोध्या
२६. श्री लाल बाबा, प्रेसिडेंट, महाकाली संहार सेना, अयोध्या
२७. श्री मधुसूदन दास, मणिमहल मन्दिर, कनक-भवन मन्दिर, अयोध्या
२८. बाबा बजरङ्गदास, मणिमहल मन्दिर, कनक भवन मन्दिर, अयोध्या
२९. " तपेश्वर दास " " "
३०. " सीताराम दास " " "
३१. श्री स्वामी राजारामाचार्य, अशर्फी भवन, अयोध्या
३२. " " दयानन्दाचार्य " " "
३३. " " राघवेन्द्र रमानुज दास " "
३४. श्री स्वामी श्रीधराचार्य, राघवेन्द्र भवन, रामकोट, अयोध्या
३५. ब्रह्मचारी स्वयंभू चैतन्य, श्री शङ्कराचार्य आश्रम, ग्राम- अम्बाला, पो.- पंजैहरा, जिला- सोलन (हि.प्र.)
३६. ब्रह्मचारी कैवल्यानन्द, ज्योतिर्मठ, हिमालय
३७. " रामरक्षानन्द, " "
३८. " तुरीयानन्द, " "
३९. " रामकृष्णानन्द, " "
४०. श्री रामेश्वरानन्द, ज्योतिर्मठ, हिमालय
४१. " अक्षयानन्द, " "
४२. स्वामी श्री वैदेही शरण, लक्ष्मण किला, अयोध्या
४३. " श्री सीतारामदास, मणि महल मन्दिर, कनक-भवन मन्दिर, अयोध्या

४४. " अशोक कुमार झा, लक्ष्मण किला, अयोध्या

४५. " संजय झा, लक्ष्मण किला, अयोध्या

४६. स्वामी श्री लखनदास राम जानकी मन्दिर, जनकपुर

४७. योगिराज सुखदेवानन्द वेद मन्दिर, अयोध्या

४८. " कुलदीप दास " "

४९. " रामशरण दास " "

५०. " रामसेवक दास " "

५१. " विद्यानन्द दास " "

५२. " विश्वम्भर दास " "

५३. " जानकी दास " "

५४. " महावीर दास " "

५५. " रामलखन दास " "

५६. " परमेश्वर दास " "

५७. " रामदास " "

५८. " रघुवर दास " "

५९. " प्रयाग दास " "

६०. " सीताराम दास " "

६१. " मौनी बाबा " "

६२. " रामधीर दास " "

६३. " राजाराम दास " "

६४. " राम दास " "

६५. " रामनरेश दास " "

६६. " राम दास " "

६७. " फोकसी दास " "

६८. " उष्मी दास " "

६९. " नीरज दास " "

७०. " शंकर दास " "

७१. " मैनेजर दास " "

७२. आचार्य पं. श्री रविशङ्कर द्विवेदी, ज्योतिष्पीठ पंडित प्रधानाचार्य, ज्योतिरीश्वर संस्कृत विद्यालय परमहंसी गंगा आश्रम, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश

७३. श्री विद्याधर द्विवेदी, परमहंसी गंगा आश्रम, पो. झोतेश्वर, जिला नरसिंहपुर

७४. श्री रेवा प्रसाद तिवारी, पो. झोतेश्वर, जिला नरसिंहपुर

७५. पं. श्री गौरीशङ्कर तिवारी, सिवनी, म.प्र.

७६. श्री नागा बाबा गंगा तरंग नगवा, वाराणसी

७७. पं. श्री केशव पाठक मणिमहल मन्दिर, रामकोट अयोध्या

७८. श्री बालकृष्ण पाठक " "

७९. सुश्री नीलमणि पाठक " "

८०. " लक्ष्मीमणि पाठक " "

८१. डॉ. श्री कमल पांडेय, सेक्रेटरी श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार-समिति, पश्चिम बंगाल

८२. श्रीमती कृष्णा पांडेय, धर्म पत्नी डॉ. कमल पांडेय

८३. डॉ. अजीत कुमार सिंह, मनकापुर हाउस

८४. श्री भगवती प्रसाद जी रूँगटा-कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता

८५. श्री इन्द्रदान चारण, रिसड़ा, हुगली (प. बं.)

८६. श्रीमती लक्ष्मी देवी चारण, धर्म पत्नी श्री इन्द्रदान चारण

८७. श्री जगदीश प्रसाद मूँघड़ा हावड़ा, (प. बं.)

८८. श्रीमती सरोज देवी मूँघड़ा धर्म पत्नी श्री जगदीश प्रसाद मूँघड़ा, कलकत्ता

८९. श्रीमती विमला अग्रवाल, रिसड़ा, हुगली

९०. श्री प्रवीण कुमार किशनपुरिया, साल्ट लेक, कलकत्ता

९१. श्री गिरिधारी लाल मालू, रिसड़ा, हुगली

९२. कन्हैया सिंह 'कृष्ण' बलिया, उ. प्र.

९३. श्री निवास मिश्र, अशर्फी भवन, अयोध्या

९४. बाबू रामदास तिवारी, बड़ा स्थान, अयोध्या

९५. श्री श्याम सुन्दर दास " " "

९६. श्री कोमल पांडेय, रायपुर, मध्य प्रदेश

९७. श्री दामा यादव, ग्राम रौदरा, पो. देवरबीजा, जिला दुर्ग

९८. श्री दुखितराम पटेल ग्राम कोटमर्रा देबरबीजा, जिला दुर्ग

९९. श्री खेलन सिंह पटेल ग्राम– मोतेसरा " "

१००. रामाधार, ग्राम पदमी, पो. पदुमपुरा, जिला दुर्ग

१०१. असमनी " " "

१०२. श्री सुदर्शन महाराज का पौत्र देवरबीजा "

१०३. पंडित श्री भवानी शङ्कर खड्डुर एम. आई. जी–८६, सेक्टर २/ए- भोपाल

१०४. श्री शेखर चौधरी, जबलपुर

१०५. श्री विनय चन्द्र खान, कलकत्ता

१०६. श्री राजकिशोर पांडेय गोटेगाँव–नरसिंहपुर सपत्नीक थे।
अतः उन्हें पुलिस ने अयोध्या में अन्यत्र प्रेषित कर दिया।

उक्त सूची हमें पुलिस द्वारा उपलब्ध हुई है। अतः जिन व्यक्तियों का नाम न आ सके हों उसके लिए हमें खेद है तथा हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं।

卐

जेल से छूटने के पश्चात् प्रथम पत्रकारवार्ता

प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुझे राजनीतिक शक्ति से कुछ लेना-देना नहीं है। मैं द्वारका और बदरिकाश्रम का शङ्कराचार्य हूँ। मेरे पद का यह दायित्व है कि मैं वैदिकशास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करूँ। मैं सर्वसम्भव प्रयास, यहाँ तक कि प्राण निछावर कर भी धर्म एवं धार्मिक संस्थाओं की पवित्रता की स्थापना करूँगा। इस क्षेत्र में शङ्कराचार्य शताब्दियों से धार्मिक चेतना का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और वे धर्म के आधिकारिक प्रवक्ता रहे हैं।

इसी मूलबात को ध्यान में रखते हुए यदि मैं राम जन्मभूमि की पवित्रता के सम्बन्ध में व्यवस्था न दूँ, उसकी रक्षा मैं सर्वसम्भव प्रयास न करूँ और उसे उन लोगों के चंगुल से मुक्त न कराऊँ जो इस प्रश्न को अपनी गर्हित योजना के साथ जोड़कर राजनीतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो यह मेरे पद की गरिमा के प्रतिकूल होगा। यह निर्विवाद सत्य है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर श्रीराम की प्रतिमा स्थापित है। उसका पूजन हो रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा दायित्व है कि इस वैदिक धर्म के महत्वपूर्ण स्थान की शास्त्र विहित मर्यादा की व्यवस्था करूँ और वैदिक शास्त्रों द्वारा निश्चित प्रक्रिया से वहाँ पूजन आदि की मर्यादा की स्थापना करूँ। ७ मई को घोषित शिलान्यास को किसी भवन निर्माण की नींव का भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए। मेरे द्वारा घोषित शिलान्यास वैदिकशास्त्रों में विहित मूर्तिपूजन प्रक्रिया का मौलिक और अविभाज्य अंग है। मेरे पद की गरिमा के यह प्रतिकूल होगा कि इतने महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पर शास्त्रीय प्रक्रिया का पूर्ण पालन न हो और मैं उसे सहन करूँगा।

इस संदर्भ में यह अत्यन्त स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि स्थान से जुड़ी जमीन आदि के स्वामित्व का प्रश्न न्यायालय तय करे, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जिसे सभी लोग मन्दिर मान रहे हैं, भगवान् श्रीराम का वहाँ पूजन हो रहा है तो उसमें सांगोपांग प्रक्रिया का पालन किया जाय, इसमें शङ्कराचार्य का ऐकान्तिक अधिकार और दायित्व होता है। चूँकि पूजन संहिता, इसके अनिवार्य घटक एवं कर्मकाण्ड धर्म के मौलिक अंग हैं इससे सम्बद्ध सभी कार्य संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतन्त्रता की धारा २५ और २६ के तहत मान्य हैं। इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप देश के करोड़ों लोगों की धार्मिक भावना का अपमान ही नहीं है बल्कि संविधान का उल्लंघन भी है।

वस्तुतः यह दुर्भाग्य का विषय है कि वर्तमान सरकार चुनावी लाभ को मद्देनजर रखकर साम्प्रदायिक और फासिस्ट ताकतों को प्रश्रय दे रही है। मैं सह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मात्र सत्ता में बने रहने के लिए इन साम्प्रदायिक एवं फासिस्ट

तत्वों को मदद पहुँचा कर वर्तमान नेतृत्व न राष्ट्र का हित कर रहा है, न जनता का। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि रुपया और प्रभुत्व की वासना से अन्धे हुए लोगों को प्रकाश दे। धर्म और राजनीति को इस मसले में इस प्रकार न मिलाना चाहिए जिसमें राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में धर्म का दुरुपयोग हो।

जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं भारत की धर्म प्राण जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि धर्म एवं धार्मिक संस्थाओं की पवित्रता की रक्षा के लिए रक्त की अन्तिम बून्द और श्वांस के अन्तिम क्षण तक संघर्ष करता रहूँगा। इसमें चाहे हिन्दू धर्म की मर्यादा की रक्षा का प्रश्न हो चाहे ईसाई, मुसलमान और सिक्ख धर्म का।

(दृष्टव्यः– विस्तृत विवरण अगले पृष्ठों में)

रिहाई के बाद ११ मई ९० को वाराणसी के पराड़कर भवन में आयोजित 'प्रेस से मिलिए' कार्यक्रम का विस्तृत विवरण

आज इस पराड़कर भवन में आकर हम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। पराड़कर जी के नाम से यहाँ यह भवन है जो बड़ी प्रसन्नता का विषय है। हम लोगों ने पराड़कर जी के विचार उस समय पढ़े हैं जब स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस समय निर्भीक पत्रकारिता एक अपराध माना जाता था, और ऐसे लोगों को लम्बी अवधि तक जेल में ठूँस दिया जाता था। तब उन्होंने एक मानदण्ड स्थापित किया, पत्रकारिता का गौरव बढ़ाया। इसके लिए वे सदा ही स्मरणीय रहेंगे। ौर पत्रकारों के आदर्श रहेंगे। इस संदर्भ में मैं पत्रकार बन्धुओं को बधाई दूँगा, आभार व्यक्त करूँगा और आशीर्वाद दूँगा कि इस बीच में जो घटनाएँ हुईं उनमें ये पत्रकार लोग यदि हमारी भावनाओं को अभिव्यक्ति न देते तो शायद हम देशद्रोही ही मान लिए जाते। और जनता की दृष्टि में हमको लोग घृणित सिद्ध कर देते। लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि पत्रकारों ने इस बात को समझा, और ऐसा नहीं होने दिया। हम अपने इन पत्रकार बन्धुओं को इसके लिए बहुत बधाई देते हैं आशीर्वाद देते हैं। हमें जो इस यात्रा के दौरान प्रेम मिला है। स्थान-स्थान पर लोगों ने सरकार के इस कृत्य का विरोध किया है कोने-कोने से समाचार आ रहे हैं कि लोगों ने बन्दी की, लोगों ने इसके लिए उपवास रखा, और बहुत जगह प्रार्थनाएँ की गईं। इसके साथ-साथ इस बात का हमें गर्व है कि हमारी गिरफ्तारी के दौरान जनता में रोष तो आया। परन्तु हमारे किसी अनुयायी ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। जिसकी आशंका की जा रही थी कि अयोध्या में एक बहुत बड़ा हिंसात्मक काण्ड होगा। वह बिल्कुल निर्मूल निकला, सरकार खुद कह रही है, स्थिति शान्तिपूर्ण है। और इससे एक चीज और सामने आई कि हिंसा और भय के द्वारा आप किसी भी जनतांत्रिक भावना को, लोगों की भावना को कुचल नहीं सकते। इतना दमन किया, आप सब पत्रकार गण जानते हैं—अयोध्या के प्रत्येक मठ की तलाशी ली गई। जो महात्मा या भक्त गण बाहर से गए थे वे जिन कमरों में बैठे थे उन कमरों में बाहर से ताला लगा दिया गया। कोई निकलने न पाये। यह प्रयत्न किया गया कि सात मई को कोई गिरफ्तारी न देने पाए। इसके पहले ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए जिससे कि अखबार में यह खबर न निकलने पाए कि ७ मई को किसी ने गिरफ्तारी दी, और लोग यह कहें कि उत्तर-प्रदेश की सरकार का प्रबन्ध इतना चुस्त रहा कि ७ मई का जो आयोजन था वह विफल हो गया। इस दमन के बावजूद वहाँ हम लोगों का

आयोजन हुआ और १७५ व्यक्तियों ने गिरफ्तारी दी, कुछ लोग अभी भी जेल में पड़े हैं। हम अगर बन्दी न बनाए गए होते तो हमारा विचार केवल १०० व्यक्तियों की गिरफ्तारी का था। नन्दा, भद्रा, जया, पूर्णा ये चार शिलाएँ लेकर २५ ग्रुप तैयार थे और जो लोग वहाँ पर पहुँचते, जिन्हें हमने वहाँ बुलाया था हमला बोलने के लिए नहीं बुलाया था, हम यह सरकार को और समाज को बताना चाह रहे थे कि कितने लोग राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी थी कि प्रदर्शन बहुत ही अहिंसक और शांतिपूर्ण होगा हम सरयू से स्नान करके चलेंगे। 'श्रीराम जयराम जय जय राम' को छोड़कर दूसरा कोई नारा नहीं लगाएँगे। मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। और नहीं किसी वर्ग विशेष के। हम सिर्फ वहीं तक जाएँगे जहाँ तक पुलिस हमें जाने देगी। और उसके बाद चार व्यक्ति आगे बढ़ेंगे, और उनके गिरफ्तार हो जाने के आधे घण्टे बाद (लगातार भी नहीं) दूसरा ग्रुप चलेगा। तो कुल मिलाकर १०० व्यक्तियों की गिरफ्तारी हमको देनी थी। हमारा उद्देश्य गिरफ्तारी का या शिलान्यास का मारपीट से या जबर्दस्ती शिलान्यास करने का नहीं था। हम देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे, एक भ्रम पैदा किया गया था कि शिलान्यास हो चुका है—मुख्य जन्मभूमि में अब मन्दिर बनना है और कुछ नहीं। हम ये बतलाना चाहते थे समाज को, कि जहाँ मन्दिर बनना है, जो हमारी राम जन्मभूमि है अभी हम वहाँ पर पैर भी नहीं रख सकते। एक पत्थर भी नहीं रख सकते, इसके लिए हमें कुछ कार्य करना था। हमें इसकी कोई जल्दी नहीं थी। पहले हम इस पक्ष में थे कि अदालत से इसका निर्णय हो। पिछली ३ मई को चित्रकूट में हम लोगों का जो विराट सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में हम लोगों ने यह कहा था, और हमारा यह प्रयत्न था कि यह मसला शीघ्रातिशीघ्र अदालत द्वारा निर्णीत हो जाए। लेकिन हमें अफसोस है कि अदालत इस मामले को लम्बा करती जा रही थी। उसी तरह जिस तरह से लोअर कोर्ट में ४० साल से यह मुकद्दमा चल आ रहा था अगर शताब्दियों तक इसका फैसला नहीं होता तो उसका क्या परिणाम होगा?

हमने नवरात्रि के मौके पर देखा, अयोध्या में हमने नौ दिन बिताए। हमने देखा कि लोग बाबरी मस्जिद देखते थे, फिर विश्व हिन्दू परिषद् के लिए शिलान्यास के पास जाते थे, वहाँ की प्रदर्शनी देखते थे जहाँ मुस्लिम शासकों के अत्याचार सचित्र दिखाये गये हैं वह प्रदर्शनी देखते थे और मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत लेकर लौटते थे। हम यह कहते हैं और मानना है हमारा कि जिन्होंने हमारा मन्दिर तोड़ा वे मर गए। उसके लिए यदि आज के मुसलमानों को हम लोग दोषी कहें तो वह उनके साथ अन्याय होगा। हम इस बात के विरोधी रहे हैं कि इसके लिए मुसलमानों के प्रति नफरता पैदा की जाय, या उनका कत्ले-आम किया जाय। तब हमारी राम-जन्मभूमि का मसला सुलझेगा। और इसीलिए हम लोगों ने 'राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति' का

गठन किया। और अपने ही बल-बूते पर कार्य को बढ़ाने का संकल्प किया। लेकिन हमें इस बात का भय था कि कुछ लोग जो हिंसा में विश्वास करते हैं। बहुत मात्रा में जुट जाते हैं। हमारे जुलूस के दौरान कहीं पत्थर फेंक देते हैं कहीं बम फेंक देते हैं, कोई ऐसा नारा, लगा देते हैं जो उत्तेजक और लोगों के लिए अहितकर हो तो हमारे कार्य में अवरोध खड़ा हो जाएगा। हम लोग चाहते थे कि शुद्ध और शांति पूर्श रीति से अहिंसा के साथ-साथ करें।

इस अवसर पर सरकार ने जो दमन की नीति अपनाई है। हमारे सत्याग्रहियों की निन्दा की है लेकिन निन्दनीय वो हैं जिन्होंने इतने शान्तिपूर्ण अहिंसक अभियान को विफल करने के लिए उग्र दमन का सहारा लिया। यह उनके लिये किया जाता है जो हाथ में हथियार लिये रहते हैं, हिंसा पर उतारू होते हैं, जिनकी गतिविधियाँ खराब होती हैं उनके साथ ऐसा कठोर व्यवहार किया जाता है। जो लोग स्वयं अहिंसक थे, अनुशासित रहना चाहते थे। जिन्होंने दमन के दौरान भी अहिंसा का और शान्ति का आश्रय लिया। उनके विरुद्ध हिंसापूर्ण अभियान की निन्दा की जानी चाहिए।

लोग इसके बाद यह कह रहे हैं कि शङ्कराचार्य अनुयायी बहुत कम हैं लेकिन उन्हें तब पता चलता जब हम अयोध्या में होते और हमारे लोगों को निर्बाध रूप से वहाँ आने दिया जाता। ट्रेन की टिकटें बन्द की गईं बसों का आना बन्द किया गया और लोगों का अयोध्या में प्रवेश रोका गया, ३ बसों में आदिवासी लोग आए थे उनको भोजन नहीं करने दिया गया पुलिस ने उन्हें धक्का देकर अयोध्या से बाहर निकाल दिया, और उन्हें यहाँ बनारस लाकर छोड़ा। फिर वे चुनार के जेल में हमारे पास पहुँचे, जेल में भी जाने से उन्हें रोक दिया गया। अभी बीच में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की गई तो अर्जी के खिलाफ जो सरकार ने एफिडिविट दिया उसे हम पढ़कर तो नहीं सुना पाएँगे पर उसका सार यह है कि शङ्कराचार्य ने यह कहा कि 'किसी मुसलमान को जिन्दा मत रहने दो और उनको भारत से बाहर निकाल दो।' उनके इसी बयान के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया।

आप समझिये, आप सब पत्रकार हैं हमारे विचारों से भलीभाँति परिचित हैं क्या इस तरह का भाषण हमने आज तक दिया है? या दे सकते हैं; तो यह इतना बड़ा झूठ सरकार ने क्यों बोला? इसके अतिरिक्त जब हमारी गिरफ्तारी हुई तो उस गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उसके समर्थन में सरकार के जो वक्तव्य आए उसमें यह कहा गया कि शङ्कराचार्य को उनका इरादा बदलने के लिए समझाया गया पर जब वे न माने तब उनको गिरफ्तार किया गया। यह बिल्कुल झूठ है। जब से हमने यह घोषणा की तब से सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आकर हमसे नहीं मिला। न उसने हमारे इरादे को समझा और उसको बदलने के लिए हमको कोई प्रेरणा दी। हमने तो यहाँ तक कहा था कि

परिषद् ने चार महीने का समय दिया है यदि उसे तसल्ली हो जाए कि गंभीरता से इस विषय में कार्य किया जा रहा है तो मैं चार की जगह ६ महीने रुकने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है। और यह भी मैंने स्पष्ट किया था कि अगर इस दौरान भारत के ऊपर किसी विदेशी शक्ति का हमला हो जाता है तो मैं यह कार्यक्रम रोक दूँगा। और अगर मैंने बुला लिया है और लोग पहुँच भी जाते हैं तो मैं राम जन्मभूमि में बारत की विजय हेतु प्रार्थना करूँगा। तो ऐसी स्थिति में एक शङ्कराचार्य को कैद करके यह पूछना कि राष्ट्र बड़ा कि शङ्कराचार्य बड़ा? इसका अर्थ यह है कि हम राष्ट्रद्रोही थे। राष्ट्र के हितों को क्षति पहुँचा रहे थे, यह कहना है। वस्तुतः हम लोगों ने कोई काम ऐसा नहीं किया है न कोई इरादा है। और उसी समय आप लोगों ने यह बात छापी थी कि जिस समय राष्ट्र परतन्त्र था उस समय हम लोगों ने जो कार्य किया उस समय शायद हमारे मुख्यमन्त्री जी पैदा भी नहीं हुए होंगे। और आज हम लोग जो वक्तव्य पढ़ रहे हैं उसको भी भय, भय देकर ये चाहते हैं कि हम शिलान्यास रोक दें या कार्य रोक दें। भय से नहीं होगा। सूझ-बूझ से काम लेना होगा, और इसी मुद्दे के पीछे सल्लनत बदल चुकी है अब कोई भी सरकार इस मामले को रफा-दफा नहीं कर सकेगी। प्रतिदिन कटुता बढ़ेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस मामले को रफा-दफा कर लिया जाए। हम लोग जो राम जन्मभूमि की मुक्ति की बात कह रहे हैं। लोगों ने हमसे पूछा, सरकारी अधिकारियों से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि शायद आप लोग इस आधार पर चल रहे हैं कि अब भारत स्वतन्त्र है, हिन्दुओं का राज्य हो गया है, इसीलिए मुसलमानों की मस्जिदें नष्ट कर दी जाएँ। हमने कहा–'यह आपका सोचना गलत है, हम यह मानते हैं कि भारत में प्रत्येक धर्म के निवासी को रहने का अधिकार है, अपने-अपने अधिकार के अनुसार वे ईश्वर की आराधना करें। हमें कोई आपत्ति नहीं। अयोध्या के ही सम्बन्ध में हमने कहा कि अयोध्या में कुल २६ मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों में हमारे मुस्लिम बन्धु खुदा की इबादत करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो केवल राम जन्मभूमि का मन्दिर तोड़कर मस्जिद का आकार देने का प्रयत्न किया गया। वह भी सफल नहीं हो पाया, सिर्फ उसकी मुक्ति चाहिए, उद्धार चाहिए। हम चाहते हैं कि अगर कोई मन्दिर बनता है, राम जन्मभूमि के नाम पर तो उसी स्थान पर बनना चाहिए। दूसरे स्थान पर नहीं। विश्व हिन्दू परिषद् ने मुख्य भूमि से १९२ फुट दूर शिलान्यास किया है। जब हम लोगों ने इस पर आपत्ति की तो उन्होंने ये कहा कि यह सिंहद्वार का शिलान्यास है। हम गर्भगृह वहीं बनाएँगे। अयोध्या में हमने उन पण्डित जी से पूछा जिन्होंने वहाँ शिलान्यास का कर्मकाण्ड करवाया था, तो उन्होंने बताया कि जैसे आतुर सन्यास बिना मुहूर्त के किया जाता है, उसी तरह से यह शिलान्यास सिंहद्वार पर हुआ है। गर्भगृह का शिलान्यास तो आग्नेय-कोण में होता है, उत्तरायण में होता है। उसके लिए हम लोगों ने जो सोने-चाँदी की ईंटें लाई थीं, वो सुरक्षित रख छोड़ी हैं।

मुख्य शिलान्यास अभी नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह है कि 'पुनर्शिलान्यास हो रहा है' यह कहना गलता है। वस्तुतः गर्भगृह का शिलान्यास पहला होता है।

दिक्, देश और काल तीनों चीजों का ध्यान रखा जाता है। दिक् माने गर्भगृह के आग्नेय-कोण में शिलान्यास होना चाहिए। देश वही होना चाहिए जहाँ मन्दिर बनना है। ऐसा नहीं कि आप मन्दिर तो टाउन हॉल में बनाएँ और शिलान्यास दशाश्वमेधघाट पर करें। और काल उत्तरायण होना चाहिए।

कुछ महात्माओं ने जिनमें प्रमुख हमारे अबैद्यनाथजी हैं, ने यह बात उठाई है कि इन्होंने खुद ही अपे त्रिपुर सुन्दरी मन्दिर का शिलान्यास दक्षिणायन में किया और अब उत्तरायण की बात करते हैं। लेकिन यह हम आपको बता दें कि यह प्रतिष्ठा हुई है दक्षिणायन में शिलान्यास नहीं। और आप समझते हैं कि प्रतिष्ठा और शिलान्यास में क्या अन्तर होता है। शिलान्यास तो प्रतिष्ठा से पहले हो चुका था, और शुभ मुहूर्त में हुआ था। इसका उन्हें पता ही नहीं है। महन्त अवैद्यनाथ कभी कहते हैं बगलामुखी का शिलान्यास किया, कभी कहते हैं त्रिपुर सुन्दरी का किया। और शिलान्यास तथा प्रतिष्ठा में अन्तर ही स्पष्ट नहीं किया और यह कहा है कि इन्दिरा गान्धी ने उसका उद्घाटन किया। सच बात यह है कि उसका उद्घाटन शृंगेरी के जगद्गुरु जी ने किया था।

शास्त्र की मर्यादा यह है कि विष्णु सौम्य देवता हैं जिनका शिलान्यास और प्रतिष्ठा उत्तरायण में होती है। जबकि भगवान् महादेव की प्रतिष्ठा श्रावणमास में भी होती है। देवी की नवरात्रि में होती है। यह प्रतिष्ठा देवी की थी विष्णु की नहीं थी इतना भी जिसे स्पष्ट नहीं वही एक शङ्कराचार्य के खिलाफ उँगली उठाए। यह नितान्त निन्दनीय बात है। यह सब भ्रम फैलाने का प्रयत्न किया गया है।

कुछ ज्योतिषियों ने बात उठाई हम लोगों ने यहाँ काशी के ज्योतिषियों से पूछा, और उन्होंने वही मुहूर्त बताया। श्री केदारदत्त जोशी, जो काशी के एक मान्य ज्योतिर्विद हैं जिनके यहाँ राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ ज्योतिष पढ़ने जाते हैं। उनका बताया हुआ यह मुहूर्त है, और भी विद्वानों ने मुहूर्त बताया। फिर काशी विद्वत्परिषद् से उसकी पुष्टि कराई। हमें क्या स्वप्न आता है कि इसमें कोई त्रुटि है। हमने अपनी सम्मति दी। और एक बात और आपको स्पष्ट बता दें कि यह जो काशी है या अयोध्या है वे ज्योतिर्मठ के क्षेत्र हैं। यहाँ का जो धर्म सम्राट है शङ्कराचार्य है उसका निर्णय अन्तिम है। किसी दूसरे शङ्कराचार्य से इसकी पुष्टि कराने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उनके क्षेत्र में अगर कोई बात होती है, अगर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर में कोई समस्या हो तो उसका निर्णय मुक्ति मण्डल के अध्यक्ष वहाँ के शङ्कराचार्य करेंगे। वहाँ ज्योतिर्मठ या द्वारका हस्तक्षेप करने नहीं जायेगा। इसी प्रकार दक्षिण के शङ्कराचार्य दक्षिण की व्यवस्था देंगे। इसलिये यह पूछना, बार-बार कहना कि आप सारे

शङ्कराचार्य एक क्यों नहीं होते। ज्योतिर्मठ के शङ्कराचार्य ने जो बात कही वह आप सबके लिए अन्तिम है अकाट्य है। यह अवश्य है कि हमने अपने निर्णय के पहले काशी के विद्वानों से राय ली। जब भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण अवसर आता है हम काशी की विद्वत्परिषद्, वहाँ के विद्वानों को बुलाते हैं और उनसे विचार करते हैं।

तो, यह सब बाते हैं जिनको हम आपके सामने व्यक्त करना चाहते थे। वहाँ पूजा हो रही है, आपने पढ़ा होगा, चालीस साल से रामलला वहाँ स्थापित हैं। उनकी पूजा हो रही है। आप सोचिए, इसको कब तक आप विवादास्पद बनाए रखेंगे। हम लोगों की जिन्दगी बीत जाएगी तब आपकी अदालत का निर्णय होगा तो किस काम आएगा वह हमारे। हमें तो आज निर्णय चाहिए, अदालत क्यों नहीं निर्णय दे रही है? इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है? तो, ऐसी हालत में हम अदालत की तरफ से निराश हुए। हमने प्रयत्न किया अपने मुस्लिम बन्धुओं से आपसी समझौते के लिए। मुनि सुसील कुमार जी को हमने लगाया था कि मुस्लिम नेताओं से बात करो। दो मीटिंगें हुईं। और दूसरी में हम स्वयं उपस्थित हुए। जह हमें वहाँ भी सफलता नहीं मिली। हमने आखिरी प्रश्न किया कि कृपा करके आप यह बताइये कि क्या यह मुमकिन है कि जहाँ चालीस साल से भगवान की मूर्ति की पूजा हो रही है, वहाँ ६० करोड़ हिन्दुओं की भावना की अवहेलना करते हुए आप मूर्ति हटवाएँगे और नमाज अदा करवा लेंगे? तो एक सज्जन बोल पड़े कि हमारे लिए तो वो जगह नापाक हो गई। तो हमने कहा जब आपके लिए नापाक हो गई और हमारे लिए पाक है तो फिर झगड़ा किस बात का। तो, हमारा यह कहना है कि इस मामले को सीधा ग्रहण किया जाय और ३ मंदिर लेकर समाप्त कर दिया जाय। अभी समझौता हो सकता है। नहीं तो हम ३०० मंदिरों की माँग करेंगे। किसी पत्रिका में यह छपा है कि ६०० जगह मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। हम उनका पता लगाएँगे, और सरकार अगर हमें पुनः पकड़ने का भय दिखाएगी तो हम ३०० मंदिरों में एक साथ शिलान्यास की घोषणा करेंगे। फिर देखेते हैं कितनी पुलिस लगाते हैं कितनी फौज लगाते हैं और कितनी औरतों की हत्या करते हैं। लेकिन यहाँ हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सभी जगह आगे भी हमारे आंदोलन अहिंसात्मक होंगे। शांतिपूर्ण होंगे। हम मरेंगे, मारेंगे नहीं। गाली खायेंगे, गाली नहीं देंगे। तो हम लोगों की नीति सदा ही अटल रहेगी, हम लोग अपने अभियान को समाप्त नहीं होने देंगे, और किसी तरह से भयभीत नहीं होंगे। बस इतना ही आप सब लोगों से हमें निवेदन करना था। और हमें इसकी इसलिए आवश्यकता पड़ गई कि हमारे विरुद्ध गाँव-गाँव यह बात कही जा रही है। घूम-घूम के यहाँ के मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं, कुछ शासन वाले कह रहे हैं–उलटी-पुलटी बातें। और पत्रकारों से हमको मिलने नहीं दिया गया। जितने भी पत्रकार गए उनको वो सांसत भोगनी पड़ी, तीन-तीन चार-चार घंटे एक किलोमीटर दूर उनको रोक दिया जाता था। और वहाँ न तो छाया थी न पीने का पानी

थी। बेचारे छुप-छुप कर गए, नजरें बचा कर गए। हमने देखा कि यह अभी पर्याप्त नहीं हुआ है, इसलिए आवश्यक था। हमने जेल में अरजी दी। वहाँ के अधिकारियों को कि हम प्रेस कान्फ्रेन्स करना चाहते हैं। उसी दिन दोपहर में। पहले तो इन लोगों ने कुछ शर्त लगाई कि आपको उत्तर-प्रदेश छोड़ना होगा। आप मध्य-प्रदेश चले जाइए। तो हमने उनसे कहा कि एक बार स्वामी करपात्री जी महाराज ने कलक्ता, दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद और लखनऊ पाँच जगह गौरक्षा आन्दोलन प्रारम्भ किया। कलकत्ता में उन्होंने चातुमास्य किया अपना सन्तुलन बनाया। वे गिरफ्तार हो गए उनके सब कार्य हमारे जुम्मे आए हम स्थिति को समझ ही रहे कि हमें ९६ घन्टे के अन्दर कलकत्ता छोड़ने का आदेश सरकार ने दे दिया। हम मजिस्ट्रेट के यहाँ चले गये। मजिस्ट्रेट ने पूछा, 'आपने सत्याग्रह एक बार तो कर ही लिया फिर दोबारा आपको क्या है? हमने कहा कि हमको ९६ घन्टे के अन्दर कलकत्ता छोड़ने का आदेश दे दिया गया है और यहाँ गोहत्या बन्दी आंदोलन चल रहा है। और हम जब दूसरी जगह जायेंगे तो वहाँ भी चल रहा है। वहाँ से भी हमको हटाया जायेगा, तो तीसरी जगह जाएँगे वहाँ से भी हटाया जायेगा तो क्या हम आसमान में रहेंगे, इसीलिए हम आपके यहाँ आ गये। इसी तरह से हमने कहा कि राम जन्मभूमि का मसला पूरे भारत में है। हम जहाँ जाएँगे लोग यही कहेंगे 'यहाँ से निकलो'। हमको कोई जल्दी नहीं है हमको आप यहीं रहने दीजिए। जब हम कहीं भी जाने के लिये पूर्ण रूप से आजाद हों तभी हमको छोड़ियेगा। छोड़ने के बाद हम पहले काशी जाएँगे। उसके बाद ही कहीं अन्यत्र जाने का कार्यक्रम बनाएँगे। बहुत देर तक यह बात चलती रही। फिर हमने कहा कि और आगे अब हमको सुनना नहीं है। आप सिर्फ एक बात कहिए रहना है या जाना है। अन्ततोगत्वा उन्होंने हमसे कहा कि आप मुक्त हैं। फिर हमने वहाँ से निकलना स्वीकार किया। और इस तरह काशी और आप आप सबके बीच आकर हम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं।

और किसी को कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो तो हम पूर्णरूपेण तैयार हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम किसी पार्टी के हैं। हम किसी पार्टी के नहीं हैं। हमें किसी नेता ने प्रेरित नहीं किया है। श्रीराम जन्मभूमि के उद्धार के लिए हमें हमारी अन्तरात्मा ने प्रेरणा दी है। और इसका कारण यह है कि रामायण पढ़ कर ही हम साधु हुए। रामचरितमानस पढ़ते-पढ़ते हमको वैराग्य हुआ है। श्रीराम के प्रति हमारी भक्ति हमें बार-बार कहती है कि 'श्रीराम जन्मभूमि के उद्धार के लिए आगे आओ। इसीलिए हम आगे आए। अगर कोई पार्टी, कोई व्यक्ति हमारे कार्य में सहयोग दे तो हिन्दू होने के नाते हम उसका पक्ष करेंगे, उसे भी साथ लेकर चलेंगे। हम यह नहीं देखेंगे कि वह किस पार्टी का है। हम तो हिन्दू को एक समझते हैं। और पार्टी के आधार पर उनको विभाजित भी नहीं करना चाहते।

卐

रिहाई के बाद गुजरात में भव्य स्वागत, जनसभायें एवं प्रवचन

सूरत (दिनांक ३-६-९०)

इन दिनों (जेल के दिनों में) हमारे बारे में कई ऐसी बातें कही जाती थीं जो हमारे विचारों के अनुरूप नहीं थीं। और यह सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा था कि मानों हम देश के लिए द्रोह का काम कर रहे थे। और उत्तर-प्रदेश के मुख्यमन्त्री घूम-घूम कर यह प्रचार कर रहे थे कि या तो देश को ले लो या शङ्कराचार्य को ले लो। तो, मानों शङ्कराचार्य देश के लिए कोई घातक काम कर रहा है। उनके कथन से यही सिद्ध होता था और लोक सभा में व सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार हमारे विरुद्ध कह रही थी तो वह सर्वथा झूठ था और पत्रकारों को हमसे मिलने तक नहीं दिया जाता था। बड़े-बड़े पत्रकार जेल में मिलने आए पर ३-३ घण्टे धूप में खड़े रहकर चले गए। लेकिन सरकार ने उनको मुलाकात नहीं करने दिया। जो किसी तरह छिपकर या भक्त बनकर आते थे तब कहीं उनको मुलाकात मिलती थी। फिर भी आप सबों ने हमारे विचारों को जो अभिव्यक्ति दी, उसका परिणाम यह हुआ कि देश के सामने यह बात साफ हो गई कि ऐसा कुछ नहीं था जैसा कि लोगों ने हौवा खड़ा किया था। हम तो सिर्फ चार शिलाएँ लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे थे। और हमारे सभी जितने भी साथी थे वे सब अहिंसात्मक, शांतिपूर्ण ढंग से ही अपना कार्य करने वाले थे। जबरदस्ती या हिंसा के द्वारा कोई बात करने वाली स्थिति नहीं थी, और यह भी हमने कहा था कि अगर पुलिस हमें रोकेगी तो सरयू में स्नान करके लोग चलेंगे राम जन्मभूमि की ओर। और जहाँ पुलिस रोक देगी हम रुक जाएँगे। फिर केवल चार व्यक्ति चार शिलाएँ लेकर आगे बढ़ेंगे। इस तरह कुल २५ (चार-चार व्यक्तियों के) ग्रुप गिरफ्तारी देते। इसका मतलब यह हुआ कि केवल १०० व्यक्तियों की गिरफ्तारी होनी थी। इतना छोटा सा कार्यक्रम था। सरकार ने हमको पहले ही पकड़ कर ऐसा रूप दे दिया जैसे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र होने वाला हो। कोई भीषण-काण्ड होना हो। वह तो आपने अखबारों के माध्यम से सुना ही होगा कि जो उन्होंने एफ़. आई. आर. दर्ज किया है वह बिल्कुल ही झूठ है जिससे उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। जबकि इस निवेदन में फूलपुर के दो मुसलमानों के भी हस्ताक्षर हैं जो कहते हैं कि शङ्कराचार्य जी यहाँ आए ही नहीं। तो आप लोगों को हमने पहले भी कहा है। यहाँ तो कई बार प्रेस कान्फ्रेन्स हो चुकी है। हिन्दू-मुस्लिम एकता के हक में यह बात है कि राम जन्मभूमि के मसले को जल्दी से हल कर दिया जाए।

क्योंकि जितना हम इसको लम्बा खींचेंगे। उतना ही लोगों के अंतस् में द्वेष की अग्नि भड़केगी, लड़ाइयाँ होंगी। साम्प्रदायिक उपद्रव होंगे और उससे देश कमजोर होगा। हम चाहते थे कि इसको जल्दी से जल्दी हल कर दिया जाए। पर इसको करने में देरी की जा रही थी। इसके लिए पूरे देश का ध्यान हमें आकर्षित करना था। दूसरी चीज यह थी कि राम जन्मभूमि के मामले में विश्व हिन्दू परिषद् ने जो शिलान्यास किया था उससे भ्रमजन्य स्थिति बन गई थी। भ्रम यह था कि उन्होंने मुख्य भूमि से १९२ फुट दूर हटकर शिलान्यास किया था। जबकि हमारे यहाँ शिलान्यास का यह नियम है–जहाँ मुख्य भवन बनना है, जैसे अम्बिका निकेतन के मुख्य भवन में शिलान्यास होगा तो वहीं गर्भगृह बनेगा। ऐसा नहीं कि शिलान्यास तो अम्बिका निकेतन में हो और मन्दिर डुम्मस में बने और वही भी आग्नेय अर्थात् दक्षिण और पूर्व कोण में होगा। और देवी के सम्बन्ध में तो यह नियम नहीं है कि उत्तरायण में ही हो, देवी का तो दक्षिणायन में हो सकता है, और शंकर जी का भी दक्षिणयान में हो जाता है। लेकिन विष्णु भगवान का उत्तरायण में ही होता है। विहिपने तो वह नहीं किया। हम सनातनधर्मियों का यह दायित्व हो जाता है कि राम जन्मभूमि मुख्य रूप से सनातन धर्मियों की है और अगर वहाँ मन्दिर बनाना है तो वह शास्त्रोक्त रीति से बनना चाहिए। हमारा यह कथन है और यह बात सच है कि जो मन्दिर होता है वह भगवान का शरीर होता है। और मन्दिर के भीतर जो मूर्ति होती है वह जैसे शरीर में में आत्मा रहता है, उस तरह होती है। शरीर जब उत्तम परमाणुओं से बनता है तो उसमें उत्तम आत्मा आकर निवास करता है। और यदि उसमें राजसिक, तामसिक परमाणु आ गए तो आत्मा भी उसमें इसी तरह का आएगा। हम लोग मन्दिर को भगवान का शरीर मानते हैं और शिलान्यास को उसका प्रारम्भ मानते हैं। वह अच्छे ढंग से होना चाहिए। हम उसे एक शङ्कराचार्य के नाते करने जा रहे थे। उसमें किसी के प्रति द्वेष की भावना या किसी को नीचा दिखाने वाली बात नहीं थी। और इसमें हमें बहुत से समझदार मुसलमानों का भी समर्थन प्राप्त था। मेरठ के दो मुस्लिम नेताओं ने हम लोगों के पक्ष में वक्तव्य दिया था। और लगभग १०० के करीब मुसलमान मध्य-प्रदेश से उस आयोजन में आने वाले थे। इस तरह से यह बिल्कुल साम्प्रदायिक विद्वेष की भावना से रहित था जिसको यह तर्ज दे दिया गया कि इससे देश में बहुत बड़ा विद्वेष फैल जाता अगर कुछ दिन हमको जेल में और रखा जाता। क्योंकि लोगों के मन में धीरे-धीरे क्रोध बढ़ रहा था। और लोग अधीर होते जा रहे थे। आपको शायद विदित होगा कि उत्तर-प्रदेश में एक शाहजहाँपुर नाम का जिला है, वहाँ एक व्यक्ति ने आत्मदाह करके प्राण ही छोड़ दिया। ऐसी कई घटनाएँ हो जाती अगर सरकार हमें नहीं छोड़ती तो ऐसा खेल सरकार को नहीं खेलना चाहिए क्योंकि हमारे विचारों से देश के अधिकांश लोग परिचित हैं। हमें इस तरह की बात नहीं करते जो भड़काने वाली हो तथा देश के लिए घातक हो। यही

आप सबसे कहना है। और मुख्य रूप से आप सबका आभार व्यक्त करना है जो आपने हमें सहयोग दिया है और हम यह चाहेंगे कि आगे भी आपका सहयोग हमें मिलता रहे। वैसे आप चाहें तो यह इ.ई. पढ़कर सुना सकते हैं।

असल में अयोध्या में शिलान्यास के लिए ग्रुप में जाने के समय गिरफ्तार करने से सरकार को यह डर था कि लोग यह समझेंगे कि हमारे जगदगुरु को राम जन्मभूमि में जाने और शिलान्यास से सरकार ने रोक दिया। वह इस चीज को प्रकाशित नहीं होने देना चाहते थे। इसीलिए हमें अनुमान है कि हमारे ऊपर वे गन्दे आरोप लगाए गए कि हम हिन्दू-मुसलमानों को भड़का रहे थे। आप यह कल्पना कीजिए कि जब एक शङ्कराचार्य के साथ ऐसा होगा तो साधारण जनता के साथ क्या होगा। सरकार इस तरह का काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो जस्टिस लोग हैं जो न्यायमूर्ति हैं वे ऐसी इ.ई. पर विश्वास करके हमारी जो रिहाई की अर्जी है उसको खारिज कर देते हैं। कम से कम उन्हें उसकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, कि इ.ई. सही है कि गलत है। एकाएक किसी ने हमको बताया कि १० मिनट में गीता मुखर्जी ने ५० लोक सभा के सदस्यों के दस्तखत करवा लिए। हमारी गिरफ्तारी के समर्थन में उनको भी इस बात का विचार तो करना चाहिए कि सांसद जो इतने बड़े जन-समाज के प्रतिनिधि होते हैं उनको किसी के खिलाफ बोलने के लिए। क्योंकि लोकसभा के सदस्यों या लोक सभा के खिलाफ बोलना जुर्म है। एक व्यक्ति ने थोड़ा-बहुत कहा तभी उसे झटकनी दी गई। उसको प्रताड़ित किया गया। जो जनता बोल नहीं सकती उनके खिलाफ, तो उनको भी तो सोच-समझकर बोलना चाहिए, हमको आप शङ्कराचार्य मत मानिए, मत मानिए सन्यासी। भारत के एक नागरिक तो हैं हम। हमको जीने का अधिकार है कि नहीं है? न्याय पाने का अधिकार है कि नहीं है? अगर है, तो इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ कैसे हुआ?

आप यह सोचिए कि सरकार खुद भी न्यायालय का निर्माण कहाँ मान रही है। वहाँ पर "जाजरू" (शौचालय) बन गया। सीता रसोई से २० फुट पर सरकार ने जाजरू बना दिया। सरकार उसको घेर रही है वहाँ थाना बन रहा है। जब वह स्वयं ही कानून का उल्लंघन कर रही है तो हमें कैसे रोकती है?

हमारे कथनानुसार कि वह राम जन्मभूमि है और उसको छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए वह हिन्दुओं को सौंप दी जानी चाहिए। जितना ही शीघ्र यह कार्य हो जाएगा उतनी ही जल्दी शान्ति आ जाएगी।

आपको शायद याद नहीं होगा कि आज ३ जून है। इसी ३ जून को एक साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी तब हमने चित्रकूट में एक विशाल सन्त सम्मेलन किया था। और वहाँ लाखों व्यक्तियों के बीच में यह बात कही थी कि राम जन्मभूमि हिन्दुओं की है, हिन्दुओं को मिलनी चाहिए। उस समय कांग्रेस सरकार थी, इस सरकार का पता ही नहीं था। एक अन्य प्रश्न पर–

बाबरी मस्जिद का तो यह है कि बाबर न तो कोई महात्मा था, और न कोई पीर, औलिया था। वह तो एक आक्रमणकारी था। भारत में उसका राज्य भी नहीं बना था। उस समय उसने जो तोड़–फोड़ की उसको बनाए रखने का क्या तुक है। जब अंग्रेजों के बड़े–बड़े स्टैच्यू हमने निकाल दिये और उनकी जगह राष्ट्रीय नेताओं का स्थापित कर दिया तो आप भगवान राम के जन्मस्थान को उसी तरह बनाए रखना चाहते हैं। हमने एक बात अभी कही है। अभी हम सौराष्ट्र से घूमकर आए: पोरबन्दर भी गए थे। वहाँ हम महात्मा गान्धी के जन्म स्थान पर पहुँचे। नानजी कालिदास ने बहुत भव्य, सुन्दर स्मारक वहाँ बनाया है महात्मा गान्धी का उनकी जन्मभूमि पर इतना भव्य स्मारक हमने देखा जिनका नाम लेकर वे मरे–

रघुपति राघव राजा राम।
पतित पावन सीता राम ॥

महात्मा गान्धी जीवन भर जिनका कीर्तन करते रहे, उनकी जन्मभूमि क्या ऐसी ही पड़ी रहे?

अब विश्वास की तो बात क्या है, प्रत्यक्ष है। आप सोचिए कि विश्व हिन्दू परिषद् ने उनको चार महीने का समय दिया। हम उसी समय से विरोध कर रहे हैं कि यह गलत है। इस समय का उपयोग ये लोग उसकी घेराबन्दी में करेंगे और उसको घेर लेंगे। जिससे कोई हिन्दू उसमें जाने न पाए। और चार महीना बीत गया। एक कदम भी बात आगे न बढ़ी।

हमारा तो यह है कि हम तो कोई भी कार्य करेंगे जब हमारा शिलान्यास होगा शिलान्यास हम उत्तरायण में करते हैं। दक्षिणायन में हम करेंगे नहीं। इसलिए अभी छः महीने हम कुछ करने वाले नहीं हैं। लेकिन इस बाच हम जन–जागृति करेंगे। जनता को समझाएँगे। और फिर उसके बाद शान्तिपूर्ण ढंग से दूसरी बार शिलान्यास का अभियान शुरू करेंगे।

हाँ ऐसा है कि हिन्दुओं में एकता तभी होगी जब वे शङ्कराचार्य के कहने पर चलेंगे। राजनीतिज्ञों या राजनीतिक पार्टियों के कहने पर चलेंगे तो एकता कभी नहीं होगी। विश्व-हिन्दू परिषद् जो व आप जानते हैं कि वह एक पार्टी से सम्बद्ध है। और हमने शुरू से तमाम हिन्दुओं का आवाहन किया है। वह हिन्दू चाहें किसी भी पाटी का है। पार्टी निरपेक्ष होकर हिन्दू राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए कार्य करें। यह आवाज हमने उठाई है। हमारी आवाज व्यापक है। और उसी से हिन्दुओं की एकता होगी। उन लोगों से नहीं होगी।

ऐसा है कि हमारे हिन्दू धर्म में आदि शङ्कराचार्य ने चार मठ बनाए। तो जो क्षेत्र जिसके ज्यूरिडिक्शन' में होता है वहाँ का निर्णय उस क्षेत्र के शङ्कराचार्य का अन्तिम माना जाता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि दूसरे शङ्कराचार्यों से पूछने जाए। हम दो पीठ के शङ्कराचार्य हैं यह आप जानते हैं। द्वारका के और ज्योतिष्पीठ के। तो हम ज्योतिष्पीठ के नाते वहाँ के सुप्रीम हैं। जो हम फैसला दें वह हिन्दुओं के लिए अन्तिम है। उसमें हमें किसी और शङ्कराचार्य से पूछने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ गुजरात में हम जो कुछ कहते हैं आप क्या आशा करते हैं कि शृंगेरी के शङ्कराचार्य आकर निर्णय दें। आप कभी ऐसा करते हैं? (चुप्पी के बाद) कभी नहीं करेंगे? इसी तरह से शृंगेरी वाले जो निर्णय देंगे अपने क्षेत्र में; उसमें हमसे नहीं पूछा जायेगा। और हमें उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। हम यह मानते हैं कि वे ठीक ही करेंगे। इसी तरह पुरी में जगन्नाथ जी के मन्दिर का कोई निर्णय होता है वहाँ पर मुक्ति मंडप' नाम की एक संस्था है जिसके अध्यक्ष पुरी के शङ्कराचार्य होते हैं। वे जो फैसला करते हैं वह माना जाता है। वहाँ ज्योतिर्मठ के शङ्कराचार्य से नहीं पूछा जाता।

हम लोगों का जो निर्णय है वह स्वतन्त्र नहीं होता। वह शास्त्र से होता है। और शास्त्र सब जगह एक है। वही वेद है, वही शास्त्र है। अब समझ लीजिए कि एकादशी का निर्णय सिन्धु और धर्म सिन्धु देखेंगे। और शृंगेरी महाराज को जब निर्णय करना होगा तो वे भी ऐसा ही करेंगे। ऐसी स्थिति में दोनों निर्णय एक होंगे। यह थोड़े ही है कि जो वो फतवा देते हैं वो मन से देते हैं हमारे यहाँ वेदों और शास्त्रों का सबके ऊपर नियन्त्रण है। उसी अनुसार बोलना पड़ता है। आचार्य का मतलब ही होता है– शास्त्र विहित आचार को जो बतलाए।

卐

जूनागढ़–२६ मई, भूतनाथ मन्दिर के प्रांगण में ज्योतिष्पीठ एवं द्वारका शारदा पीठ के जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द जी सरस्वती महाराज का जूनागढ़ में कई–कई अग्रणी संस्थाओं द्वारा परम्परागत रीति से भव्य स्वागत किया गया। पूज्य शङ्कराचार्य जी के साथ सौराष्ट्र के प्रमुख सन्त श्री गोपालानन्द जी महाराज भी थे। जिन्होंने अयोध्या में शिलान्यास के कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। समारोह की अध्यक्षता जूनागढ़ हवेली के श्री किशोर चन्द्र जी महाराज ने की।

उक्त अवसर पर पूज्य शङ्कराचार्य जी ने कहा कि हम हिन्दू और मुसलमानों की एकता चाहते हैं। साम्प्रदायिक सद्भाव को तोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। राम जन्मभूमि के शिलान्यास कार्यक्रम में हमारी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई थी। श्री शङ्कराचार्य जी ने गलत गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रीय मोर्चा सरकार एवं उत्तर–प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार को दोषी ठहराया। वी. पी. सिंह की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार राम जन्मभूमि में ढील डाल रही है। यह विवाद हजारों वर्ष तक नहीं सुलझेगा तो हिन्दू कब तक सहन करते रहेंगे।

श्री शङ्कराचार्य जी ने कहा कि भारत के नेता महात्मा गाँधी को पूजनीय मानते हैं, उनकी समाधि पर भी फूल चढ़ाते हैं परन्तु वे यह नहीं जानते कि महात्मा गाँधी की अन्तिम श्वास तक में राम थे। इसलिए राम जन्मभूमि हिन्दुओं को दिलाने का भी नैतिक फर्ज बन जाता है। श्री शङ्कराचार्य जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में हिन्दुओं का राज्य नहीं है, यदि हिन्दुओं का राज्य होता तो हिन्दुओं के धर्मगुरु शङ्कराचार्य की गलत तरीके से गिरफ्तारी कभी नहीं होती।

स्वागत प्रवचन वि. हि. प. जूनागढ़ शाखा के प्रमुख श्री ए. के. व्हौरा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रसिद्ध पत्रकार श्री जयेन्द्र जीवनपत्रा ने किया। शक्तिपीठ के श्री पथिक जी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में साधु–सन्तों के साथ साथ जूनागढ़ के विधायक श्री महेन्द्र मशरू भी उपस्थित थे।

हिन्दू मुस्लिम एकता को तोड़ने क हमारा कोई इरादा नहीं–

राजकोट–३१ मई ९०, जगद्गुरु शङ्कराचार्य जी की जनता दल की सरकार द्वारा गिरफ्तारी हुई उसके बाद प्रथम बार राजकोट आये। आज पंचनाथ महादेव मन्दिर के मैदान में सरकार के विरोध में तीखा भाषण किया। प्रारम्भ में श्री शङ्कराचार्य जी के शिष्य द्वारा बताया गया कि उन्हें किस तरह से गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया।

श्री शङ्कराचार्य जी ने अपने प्रवचन में कहा कि जैसे रावण ने हनुमान जी की पूँछ में आग लगा दी थी, जिससे पूरी लंका जल गयी थी, उसी प्रकार मेरी गिरफ्तारी करके सरकार ने खुद आपत्ति मोल ली है। मेरी गिरफ्तारी के बाद भी मेरे भक्तों के ऊपर उत्तर-प्रदेश सरकार की पुलिस ने अयोध्या में आतंक फैलाया है।

श्री शङ्कराचार्य जी ने कहा कि समस्त भारत में हिन्दू-धर्म-रक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए : समस्त देश के हिन्दुओं को एक हो जाना चाहिए। हिन्दू कोई कायर जाति का नाम नहीं है। काश्मीर में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार के प्रति शङ्कराचार्य जी ने चिन्ता व्यक्त की। यदि हिन्दुओं के रामायण और महाभारत न होते तो गाँधी जी को अहिंसा की प्रेरणा कहाँ से मिलती।

शिलान्यास करने जाते हैं तो सरकार रोकती है। सरकार ने चार महीने का समय लिया उसमें क्या किया? हम पहले ही कहते थे कि यह सरकार कुछ नहीं कर सकती। यह सरकार केवल बातें ही करती हैं। अब सरकार राम जन्मभूमि में कड़ी सुरक्षा कर रही है परन्तु अब राम मंदिर बनकर रहेगा। स्वागत भाषण सौराष्ट्र युनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. श्री लाभू भाई द्विवेदी ने किया।

अमरेली-३० मई १९९०, अयोध्या में राम जन्मभूमि में शिलान्यास विधि-ये कार्य कोई कोमावादी नहीं है। यह समस्त विश्व के मानव कल्याण का कार्य है। इस कार्य को करने जाते समय सरकार ने मेरी गिरफ्तारी की। बाबर की भूल का दोष आज के मुस्लिम समाज को नहीं देना चाहिए। श्री शङ्कराचार्य जी ने समाज एवं संस्कृति के बीच धर्म और धर्म स्थानों के महत्व को समझाया। स्वागत प्रवचन आरोग्य समिति के अध्यक्ष श्री अरविन्द भाई पाठक ने किया। जगद्‌गुरु जी का पूजन ब्रह्म समाज के प्रमुख श्री छैल भाई जोशी ने किया। सभा की अध्यक्षता रामायणी श्री अमरदास ने की। श्री शङ्कराचार्य जी का स्वागत जिला पंचायत, नगरपालिका, चेम्बर ऑफ कामर्स, म्यूजियम हाउस, नागनाथ ट्रस्ट आदि संस्थाओं द्वारा किया गया।

मोरवी-३१ मई १९९०, आज विश्व का मानव समाज भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति की ओर देख रहा है। भारत को भगवान आद्य शङ्कराचार्य जी ने जो अद्वैत सिद्धान्त दिया वह बहुत दुर्लभ है। उन्होंने समग्र भारत का भ्रमण किया था। आज भारत की एकता का कारण धर्म है। आज दक्षिण भारत का व्यक्ति उत्तराखण्ड जाकर भगवान बदरीनाथजी का दर्शन करता है। उत्तराखण्ड का व्यक्ति रामेश्वरम् में जाकर दर्शन करता है। पूरे देश के हिन्दू हमारी पवित्र नदियों गंगा-जमुना-सरस्वती में समान

रूप से आस्था रखते हैं। भगवद्गीता भी भारत का प्राण है। भगवान बदरीनाथ की मूर्ति को बौद्धों ने अलकनन्दा के नारद कुण्ड में डाल दिया था। द्वारका में द्वारकाधीश की मूर्ति को नास्तिकों ने समुद्र में डाल दी थी। परन्तु भगवान आद्य शङ्कराचार्य जी ने मूर्तियों को निकाल कर मन्दिर में स्थापना की। उन्होंने देश की दिशाओं में चार मठों की स्थापना की। अपने सुयोग्य शिष्यों को पीठों पर अधिष्ठित किया। सुरेशश्वराचार्य जी को द्वारका शारदापीठ का प्रथम आचार्य बनाया। सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसकी रक्षा के लिए साक्षात् परब्रह्म ने अवतार लिया।

"यद यदा हि धर्मस्य"

भगवान के अनेकों अवतार हैं परन्तु दो प्रमुख अवतार हैं। एक राम और दूसरा कृष्ण का। भगवान ने धर्म का आचरण करके मनुष्यों को धर्म की ओर प्रेरित किया। अपने माता-पिता की आज्ञा से भगवान राम ने राज्य का परित्याग कर दिया और १४ वर्ष तक वनवास में रहे। भगवान वन में गये ऋषि-मुनियों की रक्षा की।

"यदि वा जानकी मयि अराधनाय लोकस्य"

भगवान राम ने जो कहा उसका पालन किया। उनके राज में कोई आपस में वैर नहीं करता था। सभी सुख पूर्वक रहते थे। भारत का यह सौभाग्य है कि यहाँ साक्षात् परब्रह्म परमात्मा ने अवतार धारण किया था।

आज लोग अपने भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं। स्कूलों और कालेजों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा रही है।

आज राम जन्मभूमि की बात आती है तो कहते हैं, बाबरी मस्जिद बनाम राम जन्मभूमि। कहाँ राम कहाँ बाबर। बाबर बाहर से आया उसने तलवार की नोक पर भारत में प्रवेश किया। राम जन्मभूमि को तोड़वाकर मस्जिद बनवाई।

भारत का क्षत्रिय चाहता था कि हम रणभूमि में मर जायं। परन्तु मुसलमान हिन्दुओं का बलात् धर्म परिवर्तन करने लगे। यदि वे नहीं हुए तो उनका कत्लेआम किया। राम जन्मभूमि को तोपों उड़वा दिया और हिन्दुओं के खून के गारे से वहाँ मस्जिद का निर्माण कराया। अदालत में यह मामला विचाराधीन है। परन्तु यह मामला सैकड़ों हजारों वर्ष में नहीं सुलझने वाला है। वहाँ ४० वर्ष से पूजा हो रही है।

हम न्याय की माँग करते हैं। अयोध्या में २६ मस्जिद हैं, हम २६ की माँग तो तो करते नहीं। हम तो राम-जन्मभूमि की माँग कर रहे हैं। राम जन्मभूमि अयोध्या की।

हमारी मुस्लिम नेताओं से बात हुई हमने कहा वहाँ मन्दिर था तो वहाँ मस्जिद क्यों बनाई। (मुसलमानों ने कहा कि वह भूमि हमारे लिये नापाक है) हमने कहा तुम्हारे लिए नापाक है परन्तु हमारे लिए पवित्र है।

"कौरवैःत्परिभूतानां किंनजानासि केशवः" राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मन्दिर हिन्दुओं को वापस करना चाहिए।

सरकार हमें अयोध्या में भी गिरफ्तार कर सकती थी परन्तु पहले ही कर लिया और झूठा बहाना बनाया। हम से पत्रकारों को मिलने नहीं दिया जाता था क्या देश में मानव के अधिकारों का हनन नहीं किया जाता है?

पोरबन्दर-२३ जून ९०- हम सब भारत देश के निवासी हैं। यह भारत देश कितना पवित्र है इसका वर्णन श्रीमद्भागवत में आता है। श्रीमद्भागवत के पाँचवें स्कन्ध में भारतभूमि का वर्णन आता है कि जब भारत में निवास करने वाले मनुष्यों को आकाश से देवगण विमानों में बैठकर देखते हैं तो उनके भाग्य की सराहना करते हुए, उनके मुख से निकलता है:-

अहो अमीषां किमकारि शोभनं
प्रसन्न एषां किमुत स्वयं हरिः।
यैर्जन्मलब्धं नृषु भारताजिरे
मुकुन्द सेवौपयिकं स्पृहा हि नः।।

भारत के मनुष्यों को जब देवता देखते हैं तो उनके मुख से निकलता है, अहो! इन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य कर लिया, क्या साक्षात् श्री हरि ही तो इन पर प्रसन्न नहीं हो गये? जो इनको भारत भूमि में मानव जन्म मिला है। जिस मानव जन्म से भगवान की सेवा हो सकती है। तो, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब हमारे पुण्यों का क्षय हो हमें कहीं जन्म लेना पड़े तो भगवान कहीं भारत में हमें मानव जन्म दें। तो यह भारतभूमि कितनी पवित्र है। इसमें जन्म लेना कितना पवित्र है। इसी से आप समझ सकते हैं। (आप देखिए हमारे भारत का कितना बड़ा सौभाग्य है, मुसलमान

चिल्लाते रह गए–खुदा (खुद आ) पर वह खुद नहीं आया। खुदा कहते रहे पर खुद नहीं आया दूत को भेजा। ईसाई कहते रहे खुद आ लेकिन खुद नहीं आया–अपने बेटे को भेजा। लेकिन भारत के सनातन धर्मियों ने जब–जब पुकारा तो खुद आया। और एक बार नहीं चौबीस बार आया। यह भारत का सौभाग्य है।

भगवान् श्रीमन्नारायण ने, विष्णु ने चौबीस अवतार धारण किये। जगदम्बा ने नव–दुर्गा और दशमहाविद्याओं के रूप में अवतार धारण किया। भगवान शङ्कर ने द्वादश ज्योतिर्लिंग और विविध रूप धारण किए। और अनेकों सन्तों, महन्तों, महापुरुषों ने अपने चरण कमलों की रज से इस भारतभूमि को पवित्र किया। इसलिए यह हमारी भारतभूमि हमारे लिए बहुत ही पवित्र, बहुत ही आदरणीय और पूजनीय बन गई है। इसलिए हमलोग इसको बहुत ही पवित्र मानते हैं। और यह सम्मान (मातृभूमि का) भगवान श्री राम ने हमको सिखाया है। जब भगवान पुष्पक यान में बैठकर लंका से अयोध्या की ओर आ रहे थे और जब सबसे पहिले उनकी दृष्टि अयोध्या पर पड़ी तो उनका हृदय गदगद हो गया। नेत्रयुगल में आँसू आ गये। शरीर में रोमाञ्च हो आया और लक्ष्मण से बोले।

"अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते ।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।"

हे लक्ष्मण! यद्यपि लङ्का स्वर्णमयी है पर वह मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी एवं जन्मभूमि सबसे उत्तम होती है।

आप यह समझिए यही जो जननी जन्मभूमि की धारणा है उसी को लेकर हमने भारत को मातृभूमि माना। और उसके लिए न जाने कितने लोगों ने भारत की आजादी के लिये जान दे दी। तो, यह हमारी भारत भूमि कितनी पवित्र है जिसमें साक्षात् परमपिता परमात्मा श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श रूप धारण किया। उसकी पवित्रता के सम्बन्ध में कोई शंका नहीं है। प्रभु ने इसी भूमि को चुना। अयोध्या पहले ही से पवित्र थी। हमारी सप्त पुरियों में से एक है। बतलाया है–

"अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवन्तिका
पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षिदायिकाः ॥"

अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार) काशी, काँची, अवंतिका (उज्जैन) द्वारावती (द्वारका), पुरी ये सात पुरियाँ मोक्षदायिका हैं। अयोध्या का वर्णन अथर्ववेद में आता है। अयोध्या महाराजा मनु के द्वारा बसाई गई थी। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने वहाँ रहकर पृथ्वी का पालन किया। इसी वंश में राजा हरिश्चन्द्र हुए, सगर हुए–जिनके ६० हजार पुत्रों ने सागर बनाया। इसी वंश में रघु, दिलीप, अज और दशरथ हुए। और इसी वंश में भगवान श्रीराघवेन्द्र राम हुए। केवल भगवान राम का ही अवतार नहीं हुआ। बड़े-बड़े महाराजाओं ने इस भूमि में अवतार लेकर प्रजा का पालन किया। इसी अयोध्या में शक्तिपीठ भी है। देवी भागवत के अनुसार राजा सुदर्शन के ऊपर भगवती ने अनुग्रह किया। अतः ऐसे तो पूरी अयोध्या ही हमारे लिए पवित्र है परन्तु जहाँ भगवान का अवतार हुआ। जहाँ माता कौशल्या को पहले-पहल भगवान ने दर्शन दिया और जहाँ–

दशरथ पुत्र जनम सुनि काना ।
मानहुं ब्रह्मानन्द समाना ।।

तो वह भूमि हमारे लिए बड़ी पवित्र है लेकिन यह दुर्भाग्य देश का, वह समय हम लोगों के लिए बड़ा ही दुःखद था, उसका स्मरण करते ही हमारे मन में पीड़ा होती है जब बाहर से आए आक्रान्ता बाबर ने अपनी बर्बरता दिखलाते हुए उस रामजन्म भूमि में राजा विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित मन्दिर को तोड़ने का उपक्रम किया। मन्दिर तोड़ा गया, उसको मस्जिद के रूप में परिणत करने का प्रयत्न किया गया। पर राम-जन्मभूमि का प्रभाव, दिन में जोड़ते थे रात में गिर जाता था मस्जिद बन नहीं पाई। खण्डहर रह गया। आधे में राम चबूतरा है आधे में खण्डहर पड़ा था। आज से चालीस वर्ष पहले कुछ रामभक्तों ने वहाँ पर रामलला को स्थापित कर दिया। तब से अनवरत वहाँ भगवान की पूजा हो रही है।

तो, बन्धुओं! उस भूमि में राम मन्दिर बने यह भारत की जनता चाहती है, बने वहीं जहाँ पर राम का जन्म हुआ है दूसरे स्थान पर यदि मन्दिर बनता है, चाहे वह कितना ही बड़ा बन जाए पर उसकी वह महिमा नहीं हो सकती जो राम जन्मभूमि में बने मन्दिर की हो सकती है।

इस अवसर पर खंमालिया के धर्मवीरों ने जो अपने त्याग और साहस का परिचय दिया है हम उनको बहुत-बहुत बधाई देते हैं। उनका आभार मानते हुए उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार उनकी बुद्धि धर्म में लगी रहे। रामकृष्ण शास्त्री

हमारे अनन्य सहयोगी हैं, शम्भू महाराज थे। शम्भू महाराज तो अब नहीं रहे, स्वर्गीय हो गये। अब रामकृष्ण शास्त्री हैं जो यह सब कार्य आगे करेंगे। पूरे गुजरात का हम लोगों को संगठन करना है। यह गुर्जर भूमि है, वीर-प्रसू है। यहीं से जब क्रांति का शंखनाद होगा तब दूसरी जगह के लोगों के कान खुलेंगे और हमारा मनोरथ पूरा होगा। इसके लिए हम लोगों को सतत प्रयास करना है, निर्भीक और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर।

लोग कहते हैं–देश के ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, तुम्हारे चुनाव हो रहे हैं, तुम्हारे सारे लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। उसमें तुम्हें कश्मीर नहीं दिखाई पड़ता। राम जन्मभूमि की जब बात आती है तो आप कश्मीर का नाम लेते हैं। अरे, देश के ऊपर जिस समय आक्रमण होगा, हम सब काम छोड़कर देश रक्षा के काम में जुटेंगे। हम और सब बातें भूल जायेंगे। लेकिन जब तक यह बात नहीं आती है तब तक हम अपने प्रयास को जारी रखेंगे। हिन्दुओं का संगठन होगा। आप जिनके भरोसे देश रक्षा की बात सोचते हैं। जरा आँख मूँदकर सोच लो। क्रिकेट का खेल जब लोग टेलीविजन में देखते हैं और पाकिस्तान हारता है तो भारत के मुसलमान मातम मनाते हैं और पाकिस्तान के जीतने पर मिठाई बाँटते हैं। उनके भरोसे आप कश्मीर के मामले को हल कर लोगे? पूरे देश को अगर बचा सकेगा कोई, तो संगठित हिन्दू बचाएगा, राष्ट्र भक्त बचाएगा। उसको विश्वास में लो उसके राम कृष्ण का आदर करो। तब तुम्हारा देश मजबूत होगा। तब तुम अपनी सेना के द्वारा अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकने में सफल हो सकोगे। बस यही बात हमें आपसे कहनी है।

इतना ही कहकर पुनः आप सब लोगों को आशीर्वाद देते हुए अपना प्रवचन पूर्ण करते हैं।

शिवकुंज आश्रम (गुजरात)

आपके इस शिवकुंज आश्रम में जो बालक संस्कार ग्रहण कर रहे हैं, वह अत्यन्त आवश्यक है। भारत के जो भावी नागरिक हैं वे यदि भारत से परिचित न होंगे तो भारत फिर भारत नहीं रह जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि जितने भी अभिभावक हैं, माता-पिता हैं, वे ध्यान से अपने बालकों को धर्म की शिक्षा दिलाएँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कलियुग के माता-पिता अपने बालकों को धर्म की शिक्षा नहीं दिलाएँगे।

माता – पिता बालकन्ह बोलावहिं ।

उदर भरै सोइ धर्म सिखावहिं ॥

कलियुग के माता-पिता अपने बालकों को बुलाएँगे और जिससे पेट भरे वह धर्म सिखाएँगे। तो आज-कल कॉन्वेन्ट स्कूलों में माता-पिता अपने बालकों को भेजते हैं, अंग्रेजी में बोलना जब वे सीखकर आते हैं और अपने माता-पिता को मम्मी, डैडी कहते हैं तो उनकी छाती फूलती है। अपने जीवन की सारी कमाई वे इसी में दे देते हैं। और वहाँ अंग्रेजी के साथ-साथ अंग्रेजियत और ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती है। आप यह समझिए कि भारत के साथ यह बहुत बड़ा षड्यन्त्र चल रहा है और यदि यह चलने दिया गया और हम लोग नहीं चेते तो आगे की पीढ़ी धर्म से सर्वथा विमुख हो जाएगी। मध्य-प्रदेश में एक बहुत अच्छा कुटुम्ब था, उसका एक बालक इसी प्रकार के किसी स्कूल में पढ़ता था, परीक्षा के दिन आए, उस बालक के पिता ने हनुमान जी की मनौती मानी। वह अच्छे नम्बरों से पास हुआ। माता-पिता मोटर में ले जाकर हनुमान जी की उससे पूजा करवाना चाहते थे, पूजा की सामग्री साथ में ले ली। माता-पिता मंदिर पहुँचकर मोटर से उतरे, बालक से कहा, बेटा चलो हनुमान जी का पूजन करें। बोला, हम तो नहीं उतरेंगे क्योंकि 'फादर' कह रहा था कि मन्दिर में शैतान रहता है। इसलिए हम शैतान की पूजा नहीं करेंगे। यह शिक्षा हमारे बालकों को जब दी जा रही है तो आप समझिए—कैसे बालक पैदा होंगे? जैसे मुलायम सिंह यादव पैदा हो गया, जो अपने ही गुरु को गिरफ्तार करके मूँछें उमेठ रहा है।

कहना तो यह है यदि इसी तरह भारत के भावी नागरिक तैयार हुए तो आप कल्पना कीजिए कि देश की क्या दशा होगी, और जो माँ-बाप अपने बालकों की इस तरह की शिक्षा दिलाते हैं उनकी क्या दशा होगी? जब लड़का पढ़कर आएगा तो माता-पिता का सबसे पहले अनादर करेगा। वह कहेगा कि हमारी मम्मी कुछ नहीं जानती और डैडी तो एकदम मूर्ख हैं। यही शिक्षा आजकल के स्कूलों में दी जाती है। हमारे यहाँ भारत में पहले पढ़ाया जाता था—

मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव।

माता को अपा भगावन समझो, पिता को देवता समझो और गुरु को देवता समझो। यह शिक्षा हमारे भारत में दी जाती थी। आज शिक्षा इससे उल्टी दी जा रही है कि माता-पिता कुछ नहीं जानते सबसे ज्यादा ज्ञान हमको है तो आज इस बात को हमें समझना है और उसका सही प्रतिकार करना है। विरोध करने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम अच्छा करके बताएँ। तो, यह बहुत अच्छा प्रयास है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं।

दरअसल एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे भगवान श्रीराम जिनकी अभी आपने कथा सुनी, उनका अवतार त्रेतायुग में हुआ, और अयोध्यापुरी में हुआ। भगवान श्रीराम ने जब से अयोध्या में अवतार लिया अयोध्या पुरी धन्य हो गई। और चूँकि अयोध्या भारत में है इसलिए भारत धन्य हो गया। तो, भगवान श्रीराम का जिस भूमि में अवतार हुआ वह हमारा एक बहुत बड़ा तीर्थ है और सिद्धभूमि है। आप समझिए जिस स्थान पर साधु-महात्मा तपस्या कर लेते हैं जहाँ कुछ ऋषि-मुनि रह जाते हैं उस स्थान को सिद्ध स्थान माना जाता है। और वहाँ बैठकर यदि कोई जब-तप पूजन अनुष्ठान हो तो सिद्धि बहुत शीघ्र होती है। तो, आप समझिए, भगवान राम का जिस भूमि में अवतार हुआ उसमें हमलोग पूजन करते हैं वहाँ हमारा मन्दिर है हम वहाँ भगवान की आराधना करते थे, उनका ध्यान करते थे तो म्लेच्छों ने यह सोचा कि जब तक हिन्दुओं के धार्मिक स्थान इनके हाँथों में रहेंगे, इनकी शक्ति कम नहीं होग। ये वहाँ जप-तप करके प्रबल हो जाएँगे। इसलिए इनके धर्म को नष्ट करने के लिए इनके धार्मिक स्थानों को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बना दो। तो यह उपक्रम किया गया और परिणामतः हमारे बहुत सारे मन्दिर, मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिये गये।

तो बन्धुओं! यह नियम है कि मनुष्य अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। उसको अपनी रक्षा के लिए दैवी शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, प्रत्येक गाँव में एक ग्रामदेवता का मन्दिर होता है गाँव के बाहर। आप लोग उन्हें क्या कहते हैं? गुजराती में-जनता से आवाज-क्षेत्र देवता-। तो ग्रामदेवता गाँव के बाहर रहता है, और जब गाँव के लोगों पर संकट आता है तो लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। क्योंकि इस पूजा से गाँव की आधि-व्याधि, शोक-संताप सब दूर होते हैं। तो जैसे क्षेत्रपाल, ग्राम देवता ग्राम की रक्षा करते हैं उसी प्रकार हमारे देश-देवता हैं वे सारे देश की रक्षा करते हैं। तो भगवान राम हमारे देश-देवता हैं, कृष्ण हमारे देश-देवता हैं। बदरीनाथ, तथा रामेश्वर हमारे देश-देवता हैं। द्वारकाधश तथा जगन्नाथ जी हमारे देश-देवता हैं। अगर इनके मन्दिरों में भगवान की आराधना नहीं होगी, इनकी पूजा ठीक से नहीं होगी तो देश का कल्याण नहीं हो सकता। आप कितना ही प्रयत्न कर डालें। जब तक कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि तथा काशी-विश्वनाथ का उद्धार नहीं होगा, तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। देश की एकता और अखण्डता की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए आज आवश्यकता है अगर देश को उन्नत बनाना है तो इन भूमियों को हम लोग मुक्त करें। और वहाँ से हमारे माथे पर जो यह कलंक लगा ही उसको मिटाएँ। कहाँ राम, कहाँ बाबर? आप सोचिए भगवान राम का जीवन कितना ऊँचा, और बाबर का कितना नीचा। इन दोनों का कहीं कोई सामना है? उनकी कोई "सरखावणी" है? लेकिन आज कलंक लगा दिया गया। आप रेडियो में

सुनते हैं, बाबरी मस्जिद–राम जन्मभूमि का विवाद सुलझाया जायेगा। टेलीविजन में दिखलाया जाता है, अखबारों में पढ़ते हैं। बाबरी मस्जिद का जो राहु राम–जन्मभूमि रूपी चन्द्रमा को ग्रसे हुए हैं; हमें उस चन्द्रमा को संकटमुक्त करना है।

नर्मदेश्वर महादेव

वेदों में जिसका वर्णन है, जो हमारी सप्तपुरियों में से एक है, जो हमारा शक्तिपीठ है और जिसमें मनु, इक्ष्वाकु, सगर, भगीरथ, हरिश्चन्द्र, शिवि जैसे परम प्रतापी नरेशों ने जन्म लेकर अखिल भूमण्डल का शासन किया। जिसमें दिलीप, रघु, अज, दशरथ आदि उत्पन्न हुए, और जहाँ साक्षात् परब्रह्म परमात्मा ने विश्व के कल्याण के लिए चार रूपों में अवतार लिया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में भगवान प्रकट हुए जिस पुरी में उस पुरी का नाम अयोध्या है।

'योद्धुमशक्या अयोध्या'

जिसके साथ कोई युद्ध न कर सके। बड़े-बड़े प्रतापी राजा हुए। रावण त्रैलोक्य विजयी था लेकिन अयोध्या को जीतने के लिए जब महाराजा दिलीप के समय अयोध्या आया तो दिलीप ने एक ऐसा बाण मारा कि रावण लंका में जाकर गिरा। उसके पश्चात् अयोध्या आने का उसका कभी साहस नहीं हुआ। उस पुरी में जो कि हमारा पहले से ही तार्थ था, पर जब से भगवान राघवेन्द्र राम का अवतार हुआ वह हमारे लिए एक महान् तीर्थ–धाम हो गया। कोई भी सनातन धर्मी हिन्दू जब तक अयोध्या की यात्रा नहीं कर लेता, मथुरा की यात्रा करके भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान का दर्शन नहीं कर लेता द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भगवान काशी विश्वनाथ का दर्शन नहीं कर लेता, वह अपने जीवन को सफल नहीं मानता।

ऐसी अयोध्या पुरी जिसका यशरूपी चन्द्र अखिल भूमण्डल में व्याप्त है और जहाँ श्रीराम की जन्म–भूमि में राजा विक्रमादित्य ने भव्य मन्दिर का निर्माण किया था। एक दुर्दिन आया, भारत के इतिहास का। वह दिन हम लोगों के लिए अत्यन्त दुःखद है। जब आक्रान्ता बाबर ने अपने सिपहसालार मीराबंकी से उस मन्दिर को तुड़वाकर उसे मस्जिद के रूप में परिणत करना चाहा था। कुछ अंश तोड़ा गया, पूरा टूट न सका। लाखों हिन्दुओं ने उसका विरोध किया। अनेकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। फिर भी उसका निर्माण प्रारम्भ किया, तो दिन में जो निर्माण होता था वह रात को गिर जाता था। अन्ततोगत्वा मीरबांकी को ज्यों का त्यों छोड़ना पड़ा। वह स्थान तब से खन्डहर के रूप में पड़ा था। उसमें आज से चालीस वर्ष पूर्व सन् १९४९ में भगवान

श्री राघवेन्द्र राम का श्रीविग्रह प्रकट हुआ। राम-लला वहाँ पर प्रकट हुए, तब से भगवान श्री राम की उस स्थान पर पूजा अर्चना चली आ रही है। उस स्थान पर अखण्ड रूप से नाम-संकीर्तन चल रहा है। वहाँ पर लोग बराबर दर्शन करने जाते हैं। उसी के ठीक पास में, बाजू में एक दीवाल का अन्तर देकर हिन्दुओं का राम-चबूतरा है। शिव-पञ्चायतन है, सीता रसोई है, और भगवनान वाराह की मूर्ति है। ये सब चिन्ह हम राम-भक्तों को क्या बतला रहे हैं? कुछ समय पहले मुसलमानों के नेताओं ने हमारे पास यह खबर भेजी कि अगर यह बात सिद्ध हो जाए कि वह अयोध्या कि बाबरी मस्जिद मन्दिर तोड़कर बनाई गई है तो हम उसको छोड़ देंगे।

इस पर हमने सोचा कि इसको जरा और नजदीक से देख लें। हम अयोध्या गये, और उस स्थान पर जाकर देखा-१४ खम्भे अभी भी वहाँ पर लगे हैं जिन पर हनुमान जी तथा भगवान श्रीकृष्ण के श्रीविग्रह अंकित हैं। खम्भे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किसी समय यह हमारा मन्दिर था। शहाबुद्दीन को हमलोगों ने ले जाकर दिखाना चाहा था पर वे आये नहीं, और मुस्लिम नेता आए थे, उन्हें वे चित्र दिखाए। उन्होंने उसे देखकर कहा-हाँ, हाँ, हम विचार करेंगे, कोई ठीक उत्तर नहीं दिया। वहाँ से हम लौटकर आए तो शहाबुद्दीन साहब का एक पत्र मिला कि ये जो चौदह खम्भे हैं ये विक्रमादित्य के द्वारा बनाए गए भव्य मंदिर के अंश नहीं हैं क्योंकि इनकी ऊँचाई कुल ६ से ८ फीट तक है। हो सकता है कि ये किसी दूसरे स्थान से लाकर उस मस्जिद में लगाये गए हों। हमने इसके उत्तर में उनसे कहा-लिखा है, और वह अखबारों में छपा है। हमने कहा कि अगर वे विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित मन्दिर के अंश नहीं हो सकते तो फिर शहंशाह बाबर की मस्जिद के अंश भी नहीं हो सकते। क्योंकि वह भी शंहशाह था, वह ऐसा छोटा खम्भा क्यों बनाता? और दूसरी जगह से लाकर क्यों लगाता? और क्या आप यह उचित समझते हैं कि किसी के मन्दिर को तोड़कर वहाँ के खम्भे ले आए जाएँ और उनसे मस्जिद बनाई जाय? ये कहाँ का न्याय है। उनकी ओर से कोई उत्तर हमारे पास अभी तक नहीं आया है।

तो, बन्धुओं! हमने सब प्रकार का प्रयास किया। हमने सबका दरवाजा खटखटाया। पिछली बार जब आपके यहाँ प्रतिष्ठा में आए थे तो यहाँ के बाद ३ जून को हम लोग एक सम्मेलन करना चाहते थे। यहाँ से एक बस भी रवाना होने वाली थी। किसी कारण से आप लोग नहीं पहुँच पाए। पहुँचते तो आपको स्थिति का ज्ञान होता, तो वहाँ चित्रकूट में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हम लोगों से यह कहा जाता है, लोग कहते हैं कि आज आप कहने चले हैं जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप नहीं बोले, राम जन्मभूमि के सम्बन्ध में। लेकिन आपको

स्मरण होगा, उस समय भी हमने एक विशाल सम्मेलन किया था, और यह माँग दोहराई थी कि राम जन्मभूमि हिन्दुओं की है। और उन्हें ही मिलनी चाहिए, और वहाँ पर राम मन्दिर का निर्माण होना चाहिए। पर किसी ने ध्यान दिय नहीं। बीच में विश्व-हिन्दू परिषद् ने शिलापूजन का कार्यक्रम चलाया उससे उन्होंने पूरे भारत में जगह-जगह और विदेशों में शिलाएँ भेजीं। ईंटों में श्रीराम-नाम लिखा गया, उनको भट्ठे में पकाया गया और उनमें देवताओं का आह्वान करके उनकी पूजा की गई। करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ, पर जब शिलान्यास करने का अवसर आया तो कार्तिक मास में, तुला के सूर्य में, दक्षिणायन में उन्होंने राम जन्मभूमि से १९२ फुट दूर शिलान्यास किया। जबकि हमारे यहाँ यह बतलाया गया है कि भगवान विष्णु के मन्दिर का शिलान्यास तथा प्रतिष्ठा उत्तरायण में होती है। भगवान शंकर की प्रतिष्ठा तो श्रावण मास में भी हो जाती है। देवी की प्रतिष्ठा भी दक्षिणायन में नवरात्र में हो जाती है। लेकिन भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा और शिलान्यास उत्तरायण में ही होता है। उत्तरायण ही मुख्य पक्ष है। समरांगण सूत्रधार नाम का एक ग्रन्थ है, जो कि राजा भोज के द्वारा लिखा हुआ है। उसमें लिखा है--

"अथ ब्रूमः शिलान्यास विधिमत्र यथागमम् ।
तत्रोदगयने पुण्ये शुक्लपक्षे शुभऽहनि ।।"

अब आगम के अनुसार शिलान्यास की विधि कहते हैं, वह शिलान्यास उद्‌गयन याने उत्तरायण में शुक्लपक्ष में शुभ दिन में होना चाहिए। और अपरिमित (बहुत सी) शिलाओं के पूजन का विधान भी नहीं है। केवल चार शिलाओं का विधान है।

"नन्दा, भद्रा, जया पूर्णा चतस्त्रः स्युरिमाः शिलाः, नन्दा, भद्रा, जया और पूर्णा चार ही शिलाएँ होती हैं। उन चार शिलाओं को विधि-विधान से उत्तम मुहूर्त में जहाँ पर मन्दिर बनाना होता है उसके गर्भगृह के आग्नेय कोण में शिलान्यास होता है। आपका यह जो मन्दिर बना इसका शिलान्यास मैन-गेट (Main-gate) में नहीं होगा, यह इसी स्थान पर हुआ होगा और मन्दिर के आग्नेय कोण में हुआ होगा।

तो इस पर हम लोगों ने विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। परन्तु उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि जन्म-स्थान से भिन् भूमि पर शिलान्यास हो गया। और उसमें अनेकों प्रकार के झगड़े चलने लगे स्थिति यह आ गई कि वह मन्दिर राम जन्मभूमि के बाहर ही बनने की स्थिति बन गई।

तो हमको इस बात की चिन्ता हुई कि अगर राम जन्मभूमि से भिन्न स्थान पर राम मन्दिर बन गया तो फिर मुसलमान कहेंगे कि आपका मन्दिर तो अब बन ही गया आप अपने राम लला को ससम्मान वहाँ ले जाइए और यह मस्जिद हमारे लिए खाली कर दीजिए। और यह भी भ्रम होगा कि राम जन्मभूमि यह है कि नहीं।

हम यह चाहते हैं कि वहाँ पर ही मन्दिर बने उसी स्थान पर गर्भगृह के आग्नेय कोण में शिलान्यास हो। हमारे शास्त्रों के अनुसार मन्दिर को भगवान का शरीर और मन्दिर के भीतर की मूर्ति को शरीर का आत्मा माना जाता है। तो जैसे शरीर का शिलान्यास गर्भाधान होता है, वह पवित्र होता है। यदि उसमें कोई त्रुटि या अपवित्रता रह गई तो शरीर ही अपवित्र हो जाता है उसी प्रकार शुभ मुहूर्त में किए गए शिलान्यास के ऊपर मन्दिर की भीत्ति का निर्माण होना चाहिए, तभी वहाँ भगवान का श्रीविग्रह बनता है। विश्व हिन्दू परिषद् से हमारा विरोध नहीं है। हिन्दू धर्म की बात कोई भी करे, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार चलना चाहिए।

सनातन धर्म वह जो शास्त्रों के अनुसार है। हिन्दू किसको कहते हैं? जो हिन्दू धर्म को माने वह हिन्दू! जो हिन्दू वेद-शास्त्रों को माने वह हिन्दू।

卐

गिरफ्तारी से दुःखी होकर

अखिल भारतीय हिन्दू शक्ति दल के

ज्ञानदेव हिन्दू द्वारा आत्म-दाह

श्री राम-जन्म-भूमि के प्रति सरकार के पक्षपात, उदासीन व्यवहार व तुष्टीकरण नीति के कारण ज्ञानदेव क्षुब्ध रहते थे। श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मन्दिर निर्माण न होने के कारण उनका मन व्यथित रहता था। ज्ञानदेव हिन्दू की भावनाओं को उस समय गहरा आघात लगा, जब १-५-१९९० को श्री राम जन्मभूमि गर्भ-गृह का शिलान्यास करने के लिए जा रहे श्री द्वारिका पठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती महाराज को सरकार ने गिरफ्तार कर हिन्दुओं के आत्म-सम्मान को ललकारा था। ज्ञानदेव हिन्दू हिन्दुओं के गौरव पर सरकार द्वारा मारी गई करारी चोट को सहन न कर सके और जब ७-५-१९९० को जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्य की कारावास अवधि और बढ़ा दी गई तो यह व्याकुल हो गये। कार्यालय में नित्य ही विचार मन्थन होता था। ७-५-१९९० को श्री शङ्कराचार्य की कारावास अवधि बढ़ाने पर मन्थन के पश्चात् निर्णय लिया गया कि हिन्दुओं के गौरव की रक्षा के लिए बलिदान की आवश्यकता है। बलिदान शब्द से ज्ञानदेव हिन्दू का मुख-मण्डल तेजोमय हो गया था।

आत्मदाह की घोषणा

ज्ञानदेव हिन्दू ने आत्मदाह की घोषणा कर सगर्व कहा कि आप निर्णय लें, मैं ज्ञानदेव हिन्दू हिन्दुओं के गौरव की रक्षा के लिये सर्वस्व न्यौछावर कर दूँगा। मैं आत्मदाह करूँगा। वातावरण में गम्भीरता आई, परन्तु ज्ञानदेव के जय भारत उच्चारण से वातावरण वीररसमय हो गया। ७-५-१९९० को ही सरकार को सूचित कर घोषणा कर दी गई, कि ९-५-१९९० को ११ बजे तक अगर जगद्गुरु शङ्कराचार्य को मुक्त न किया गया तो मैं "ज्ञानदेव हिन्दू" शाहजीपुर कचहरी में आत्मदाह करूँगा। बुद्ध पूर्णिमा के कारण ९-५-१९९० को कचहरी बन्द थी अतः ज्ञानदेव हिन्दू अपे वीरों के साथ सिंह गर्जना करते हुये सदर थाना पहुँचे। ज्ञानदेव हिन्दू ने वहाँ ललकार कर कहा कि हिन्दुओं के आत्म-सम्मान पर मारी गई चोट असहनीय है। हिन्दुओं को हमेशा नेताओं ने धोखा ही दिया है। अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के कारण सच्चाई से आँखें बन्द करके इन लोगों ने फिरकापरस्त मुसलमानों व ईसाइयों की सारी की सारी करतूतों को जिनमें घोर राष्ट्रविरोधी गतिविधियाँ भी शामिल हैं इसका समर्थन कर प्रोत्साहित किया है। हिन्दू साम्प्रदायिकता का हौवा खड़ा करके भारतीय अस्मिता पर अपने

कुतर्कों का छूरा भोंकने के लिए सदा सन्नद्ध रहते हैं। देश के नेता वोट लेने हमारे पास आते हैं, सिर पर उन्हें चढ़ाते हैं, जो हम पर प्रहार करते हैं। जब हम उनके आक्रमण से अपना बचाव करते हैं, तब साम्प्रदायिक कह कर हमें ही दोषी ठहराते हैं, और गिरफ्तार करते हैं। अल्पसंख्यकों के नाम पर उन्हें समर्थन देते हैं। किन्तु कश्मीर और अनेक राज्यों में हिन्दुओं को अपमानित कर भगाया जा रहा है। वहाँ हमारी बहू-बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। हिन्दुओं के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक सा व्यवहार किया जा रहा है। सरकार अन्य राज्यों में जहाँ हिन्दू बहुसंख्यक है वहाँ पर अल्पसंख्यक करने के लिए तेजी से गतिशील है। परिवार नियोजन का पाठ मुसलमानों एवं ईसाइयों को नहीं पढ़ाते। दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के विज्ञापन भी हिन्दू परिवारों के ही दिखाये जाते हैं। मुसलमानों को एक से अधिक शादी करने का अधिकार दे रखा है। क्या यह हिन्दुओं को अल्पसंख्यक करने का षड्यन्त्र नहीं है? अब हमें अपने धर्म एवं संस्कृति का ऐसा पतन होते नहीं देखना है। अब समय आ गया है। अब हमें अपना बलिदान देकर धर्म एवं हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। यह हमारे धर्म एवं संस्कृति का घोर अपमान है कि ७० करोड़ हिन्दुओं के होते हुए भी मुसलमान एवं सरकार ने मिलकर षड्यन्त्र कर जगद्गुरु शङ्कराचार्य जी को गिरफ्तार किया है। भगवान् मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि हम से छीन रहे हैं। श्री रम को देश का महापुरुष न मानकर एक विदेशी डाकू, आक्रमणकारी, लुटेरे एवं पापी बाबर को देश का राष्ट्रपिता एवं संस्कृति का प्रतीक मानकर, हिन्दुस्तान का मार्ग दर्शक बनाकर संसार में अमर करना चाहते हैं। भगवान् श्री राम से एक पापी लुटेरे बाबर की समानता करते हुए हम सब हिन्दुओं को ललकार रहे हैं। जहाँ श्री राम की जन्मभूमि है, वही हमारी जन्मभूमि है। जन्मभूमि हमारी जन्मदात्री माँ से भी अधिक सम्माननीय है। उसी जन्मभूमि से हमारा पालन-पोषण हमारी जन्मदात्री माँ ने किया। उस जन्मदात्री माँ का पालन-पोषण भी जन्मभूमि से हुआ है। श्री भगवान् राम की जन्मभूमि हमारे लिए कितना महत्व रखती है, उसे कहा नहीं जा सकता। अगर कोई हमसे हमारी माँ को छीने तो क्या हम दे देंगे? क्या हमारी माँ को कोई जबरदस्ती छीने तो हम उसे जिन्दा रहने देंगे? फिर हम भगवान् श्री राम की जन्मभूमि को ७० करोड़ हिन्दुओं के जीवित रहते कैसे छूने देंगे? आप सब हिन्दू मर मिटने के लिए तैयार रहो, अगर सरकार हमारी संस्कृति, सभ्यता की सुरक्षा नहीं कर सकती तो हमें इसका राजनीतिक बहिष्कार करना होगा। सत्ता में उन्हीं लोगों को लाना होगा जो हिन्दुत्व की रक्षा के लिए शपथ लें। हम निश्चय करें कि रामद्रोही को शासन नहीं करने देंगे।

कश्मीर में षड्यन्त्र पूर्वक हिन्दू धर्म पर प्रहार कर हमारे मंदिर मुसलमान पुनः तोड़ रहे हैं। उन्हें बन्दी क्यों नहीं बनाया जाता? श्री शङ्कराचार्य को गिरफ्तार कर हिन्दुओं के अस्तित्व को ललकारा गया है।

जबकि जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला बुखारी द्वारा अनेकों बार देश व विदेश में हिन्दुस्तान विरोधी वक्तव्य दिये गये। उसके खिलाफ अनेकों बार न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारन्ट भी जारी किये गये, जिसे उसने अपने जूते से कुचल डाला। न्यायालय का अपमान करने पर भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। जगद्गुरु शङ्कराचार्य को गर्भ-गृह में श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने जाते हुए रास्ते में रोक कर गिरफ्तार कर लिया गया। आज तक मुगल, अंग्रेज व कांग्रेसी शासन ने भी जगद्गुरु शङ्कराचार्य की गिरफ्तार करने का साहस नहीं किया। जगद्गुरु शङ्कराचार्य की गिरफ्तारी हिन्दुओं का सीधा अपमान है। हमें हिन्दुत्व के अस्तित्व की रक्षा के लिये अपने जीवन को समर्पित करना, अपना सौभाग्य समझना है। हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि हिन्दू आत्मा को अमर मानता है, "आत्मा" कभी नहीं मरता। यह शरीर हिन्दू हित व हिन्दुस्तान को अर्पित करने में मुझे बहुत ही आनन्द का अनुभव हो रहा है। "मैं ज्ञानदेव हिन्दू" यह घोषणा करता हूँ कि जब-जब भी जन्म लूँगा हिन्दू धर्म व हिन्दुस्तान की अखण्डता की रक्षा के लिये अपने प्राणों को इसी प्रकार न्यौछावर करता रहूँगा।

ज्ञानदेव हिन्दू के मुखमण्डल पर अद्भुत तेज विद्यमान था। उन्होंने हिन्दू नवयुवकों का आह्वान करते हुए कहा कि गीता में भगवान् "श्री कृष्ण" ने कहा है कि शरीर का त्याग वस्त्र बदलने के समान है। मृत्यु सत्य है। हमें सम्मान के साथ उसका आलिंगन करना चाहिए। हिन्दुस्तान को मुस्लिम व ईसाई देश बनाने के चक्रव्यूह रूपी षड्यंत्र को अभिमन्यु की तरह भेदन करना चाहिये। मृत्यु या विजय भगवान् के हाथ में है। हिन्दू नवयुवकों को 'वीर हकीकत राय' के समान धर्म के लिए शीश कटाने में गर्व होना चाहिए। हिन्दुओं के समक्ष केवल एक ही उद्देश्य, एक ही ध्येय 'अर्जुन' को दीखती चिड़िया की आँख के समान होना चाहिए कि हिन्दू राज्य हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, "हिन्दू राज्य अधिकार हमारा" प्रत्येक हिन्दू अन्तर्आत्मा की आवाज है। हिन्दू बचेगा तो, हिन्दुस्तान बचेगा। हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए हिन्दू संस्कृति एवं हिन्दू सभ्यता की सुरक्षा आवश्यक है। मुस्लिम व ईसाई शक्तियों को जिनकी दृष्टि हिन्दुस्तान की संस्कृति व सभ्यता का विनाश कर हिन्दुस्तान को हड़पने पर लगी है, ये दोनों शक्तियाँ योजनाबद्ध ढंग से हिन्दुस्तान के लोकतंत्र व प्रजातंत्र का दुरुपयोग कर रही हैं। हमें दृढ़प्रतिज्ञ बनकर हिन्दुस्तान को को हिन्दू राज्य बनाना है। हिन्दुस्तान की समस्याओं का एक मात्र बल है, हिन्दू राज्य! हिन्दू राज्य!! हिन्दू राज्य!!!

हिन्दू वीरों के जयघोषों में उत्साह था। ज्ञानदेव हिन्दू ने वीरों व जन-समुदाय से कहा कि मेरी घोषित प्रतिज्ञा का समय आ चुका है। आप लोग श्री राम-नाम का उच्चारण करें। ताकि भगवान् हिन्दुओं को संगठित होने के लिये सद्-बुद्धि का वरदान

दें। आप सभी राम-नाम-संकीर्तन करें; ज्ञानदेव हिन्दू के साथ सभी श्री राम, जय राम, जय-जय राम, का उच्चारण करने लगे।

श्री राम-नाम संकीर्तन से सारा वातावरण राममय हो गया। ज्ञानदेव हिन्दू ने साथ लाई लकड़ियों से चिता बनानी प्रारम्भ की। उनके मुख पर राम-नाम का उच्चारण था। चिता बनाकर श्री गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ यज्ञ किया। सभी उपस्थित जनसमुदाय ने पूर्णाहुति डाली। राम-नाम ध्वनि ने ज्ञानदेव हिन्दू को तेजोमय बना दिया। जगद्गुरु शङ्कराचार्य को मुक्त करो का गगन भेदी जयघोष गूँजा व साथ लाये मिट्टी के तेल और पेट्रोल को अपने शरीर पर डाल लिया। थाने में पाषाण की मूर्तिवत् बैठे उच्च पुलिस अधकारी मूक बने स्तब्ध थे मानों किसी ने बाँध दिया हो। अधिकारी किंकर्त्तव्यविमूढ़ थे। समय ने उनकी बुद्धि कुण्ठित कर दी। जिस प्रकार धनुष यज्ञ में भगवान् राम ने धनुष कब तोड़ दिया कोई जान ही नं पाया था। उसी प्रकार ज्ञानदेव क्या करने जा रहा है, सामने बैठे पुलिस अधिकारी समझ न पा रहे थे। मानो समय ने उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया हो। कब, कैसे, क्या हो गया कुछ भी दिखाई न दिया।

जगद्गुरु शङ्कराचार्य जी को मुक्त करो। हिन्दू-हिन्दू भाई-भाई, व हिन्दू एकता जिंदाबाद का जयघोष करते हुए, ज्ञानदेव हिन्दू ने अपने को अग्नि देवता को समर्पित कर दिया। भयंकर आग की लपटों ने व रामधुन में गति आने से पुलिस अधिकारी चेतन हुए। मानों स्वप्न में उठे हों, पुलिस अधिकारी हतप्रभ थे, समझ न पा रहे थे कि क्या करे; अर्ध चेतनावस्था में अधिकारी बिना उद्देश्य हाव-भाव प्रकट करने लगे, परन्तु जिह्वा जकड़ी हुई थी।

अग्नि पूर्ण प्रज्ज्वलित थी। राम-नाम धुन गुंजित हो रही थी। ज्ञानदेव हिन्दू चिता के अग्नि रथ पर आरूढ़ थे। मानों स्वर्ग रथ पर विराजमान हों। अग्नि की जलन-तपस से अनभिज्ञ श्री भगवान् राम एवं शङ्कराचार्य जी के चरणों में ध्यानस्थ ज्ञानदेव हिन्दू के अन्तिम शब्द थे-

हिन्दू एकता जिन्दाबाद!

हिन्दू एकता जिन्दाबाद!!

हिन्दू एकता जिन्दाबाद!!!

श्री शङ्कराचार्य जी को मुक्त करो!

पूज्य गुरुदेव की गिरफ्तारी पर बिलासपुर

उस दिन स्तब्ध रह गया शहर। हवाएं मानों थम सी गयीं। फिजाओं में दुःख की लहर फैल गयी। बात ही कुछ ऐसी थी। मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ज्योतिष्पीठ एवं द्वारिका शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी को आजमगढ़ जिले के फूलपुर में गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी शङ्कराचार्य जी द्वारा ७ मई को अयोध्या में प्रस्तावित शिलान्यास की योजना के मद्दे नजर की गई। गिरफ्तारी के बाद उन्हें और उनके अनुयायियों को वाराणसी से ४० कि.मी. दूर चुनार के किले में नजरबन्द कर दिया गया।

अपनी विकृत बुद्धि के चलते मौलाना के नाम से कुख्यात मुलायम सिंह की अपवित्र सरकार ने शङ्कराचार्य जी पर धार्मिक भावनाएँ भड़काने का आरोप लगाकर भारतीय दंड संहिता की धारा १३१, १०७, १५३ और ५०६ के तहत उनको और उनके अनुयायियों को बंदी बना लिया।

बिलासपुर और उसके आस-पास के इलाकों में इस गिरफ्तारी की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया। हिन्दुओं के देश में, हिन्दुओं के दम पर बनी सरकार का नेतृत्व कर रहा एक सिरफिरा व्यक्ति यह हिमाकत करेगा, इस पर मन एकाएक विश्वास करने को तैयार नहीं था। पर शक्कर से लिपटी कुनैन सरीखी यह खबर सही थी। स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती ने अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण के लिए शुरू उस व्यक्ति यज्ञ में अपनी ओर से आहुति दे डाली। गिरफ्तारी और नजरबन्दी कबूल कर ली। लेकिन हिन्दू द्वेष्ठा सरकार के आगे झुकना कबूल नहीं किया।

बहरहाल मुलायम के इस दुष्कृत्य की खबर देश के करोड़ों-करोड़ हिन्दुओं को कुछ यूँ लगी मानों किसी ने उनके कानों में पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया हो। बिलासपुर के लिए इस खबर के मायने इसलिए भी अधिक था क्योंकि शङ्कराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती का कस्बे से महानगर की ओर करवट ले रही इस नगरी पर सदैव से विशेष स्नेह रहा है। हावड़ा बम्बई मार्ग पर स्थित इस नगर की भी उन पर अटूट श्रद्धा रही है। ऐसा कदाचिद् ही हुआ होगा कि इस रेल मार्ग से गुजरते वक्त स्वामी जी की चरणरज इस नगरी पर न पड़ी हो पूरे जिले में फैली अपनी भक्तों एवं शिष्यों की विशाल संख्या तथा आध्यात्मिक उत्थान मंडल से जुड़े लोगों का स्वामी जी से अटूट स्नेह रहा है। अतः भक्तों एवं शिष्यों को आशीर्वाद देने के निमित्त हुए स्वामी जी के बिलासपुर प्रवासों ने यहाँ के जन-साधारण तक के हृदयों को जोड़ दिया है।

ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की खबर से यहाँ रोष भड़कना स्वाभाविक था। दो मई को मनहूस दिन था वह। बहरहाल खबर मिलते ही लोग घरों से सड़कों पर निकल आये सबकी आँखों में विस्मय, चेहरे पर हैरत और जुबान पर बस इसी घटना की चर्चा थी। लोग एक-दूसरे को बता भी रहे थे पर साथ ही अविश्वसनीय सी इस खबर की पुष्टि भी करते जा रहे थे।

स्वामी जी के अनन्य भक्त मंगतराय अग्रवाल ने खबर मिलते ही मुलायम सिंह की इस कार्यवाही की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दूसरे धर्मों के मामले में नपुंसक साबित होने वाली हमारी सरकारों ने यह कदम उठाकर बर्र के छत्ते को छेड़ने की भूल की है। प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कोटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेन्द्रप्रसाद शुक्ल ने स्वामी जी की गिरफ्तारी को हिन्दू, सनातन धर्मियों के श्रद्धास्थानों का घोर निरादर निरूपित किया उन्होंने इसे हिन्दुओं को सहिष्णुता का मिला दण्ड निरूपित किया और सरकार से पूछा कि क्या वह दूसरे धर्मों के पूज्य व्यक्तियों का इतनी सहजता से निरादर कर सकती है?

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है बिलासपुर में भी इस घटना के खिलाफ प्रतिक्रियाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। शहर के लोग बयान जारी करने तक ही सीमित न रहकर आंदोलन के मूड में आ गये। बिलासपुर प्रेस क्लब में हुई नागरिकों की सर्वदलीय बैठक में इस घटना की घोर निन्दा की गई। बैठक में मौजूद सभी पत्रकारों के अलावा पूर्व इंका विधायक श्री रोहिणी कुमार बाजपेयी, बैजनाथ चन्द्राकार, लेखक सतीश जायसवाल, पूर्व इंका विधायक मुरलीधर शर्मा, अकलतरा राजपरिवार के श्री धीरेन्द्र सिंह, लोकस्वर के सम्पादक निदकर केशव भाखरे, और युवा इंका नेता राजेश पाण्डेय ने गिरफ्तारी की आलोचना की। इस बैठक का संचालन लोकस्वर परिवार के प्रमुख और स्वामी जी के अनन्य शिष्य मंगतराय अग्रवाल जी कर रहे थे। ३ मई को हुई इस बैठक में यह तय किया कि दो दिन उपरांत किसी दूसरे स्थान पर एक बृहद् बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द जी सरस्वती की गिरफ्तारी के खिलाफ जन-आंदोलन चलाने की रूपरेखा तैयार की जायेगी।

उधर इसी दिन स्वामी जी को गिरफ्तार करने वाली बेशर्म सरकार उच्चतम न्यायालय में हंसी का पात्र बनी। न्यायालय द्वारा स्वामी जी का गिरफ्तारी का कारण पूछे जाने पर मुलायम सरकार कोई जवाब न दे पाई। इसी दिन चुनार के किले में नजरबन्द शङ्कराचार्य जी ने सिंह गर्जन की, कि हिन्दू धर्म और धर्माचार्यों के अपमान का दंड सरकार को भुगतना ही पड़ेगा।

३ मई को बिलासपुर भी शांत न रहा। लोग उत्तर प्रदेश सरकार को उसके इस कदम पर कोस रहे थे। इसी दिन आध्यात्मिक उत्थान मण्डल की बिलासपुर इकाई के सचिव हनुमान प्रसाद शुक्ल ने भी स्वामी जी की गिरफ्तारी को निन्दनीय बताया और उनकी तत्काल रिहाई की माँग की।

४ मई को भी पूरे देश में इस घटना का व्यापक विरोध हुआ। भोपाल में इसके खिलाफ हुई सर्वदलीय बैठक में स्वामी जी की गिरफ्तारी के विरोध में ७ मई को भोपाल बन्द का आह्वान किया। बालाघाट के नागरिकों ने इसी दिन अर्थात् ४ मई को नगर बन्द का शत-प्रतिशत आयोजन किया।

ग्वालियर में हिन्दू धर्म रक्षा समिति ने ५ मई को ग्वालियर बन्द का आह्वान किया। हिन्दू ही नहीं वरन् इसाई समुदाय ने भी इस गिरफ्तारी पर दुःख व्यक्त किया। मध्य प्रदेश क्रिश्चयन कौंसिल के अध्यक्ष बेबी वर्गीस ने रींवा में एक बयान जारी कर कहा कि शङ्कराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी की गिरफ्तारी से पूरा इसाई समुदाय दुःखी है। बिलासपुर में भी लोकस्वर कार्यालय में नागरिकों की बैठक में ५ मई को इस घटना के विरोध में जिलाधीश को ज्ञापन देने और ७ मई को बिलासपुर बन्द का निर्णय लिया गया। नागरिकों ने स्वामी जी की गिरफ्तारी के विरोध में जन-आंदोलन चलाने के लिए श्यामलाल अग्रवाल के संयोजकत्व में एक समिति गठित की और ७ मई को बिलासपुर बन्द के फैसले का अनुमोदन किया। इस बैठक में मालधक्का मर्चेन्ट एशोसिएशन के अध्यक्ष बाबूलाल बजाज, विश्व हिन्दू परिषद् इकाई के अध्यक्ष चन्द्रशेखर मौर्य, जिला युवा इंका (ग्रामीण) के अध्यक्ष राजेश पांडेय, नेहरू युवा केन्द्र के अध्यक्ष राकेश शर्मा, बैंक संघ के महेश चन्द्र गर्ग, जेसीस के संजय बुधिया, नारायण अग्रवाल, सिंधी समाज के सुन्दरलाल भोजवानी आदि उपस्थित थे।

इसके अगले दिन नागरिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि स्वामी जी की रिहाई न होने पर ७ मई को बिलासपुर बन्द रहेगा। इसी तरह ६ मई को नागरिक संघर्ष समिति ने बिलासपुर बन्द का आह्वान किया और नागरिकों, व्यापारियों से सहयोग माँगा।

इसके ठीक एक दिन बाद अर्थात् ७ मई को पूरा शहर स्वामी जी की गिरफ्तारी के विरोध में स्वस्फूर्त ढंग से बन्द सफल रहा। इसी दिन पूरे शहर में बन्द को सफल बनाकर शङ्कराचार्य जी की गिरफ्तारी के खिलाफ सशक्त विरोध दर्ज किया। नगर के सारे शिक्षा संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, पान ठेले तक बन्द रहे। इसी दिन दिल्ली में पुलिस ने सुरेश शर्मा नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया। वह स्वामी जी की गिरफ्तारी के खिलाफ आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा था। समाचार एजेंसी वार्ता के प्रिंटर पर आ रही खबरें बता रही थीं कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस राक्षसी

कृत्य के खिलाफ हापुड़ बन्द रहा, जबलपुर में बन्द रहा, मेरठ में ९५ युवकों ने इस कदम के विरोध में गिरफ्तारी दी। इस तरह सम्पूर्ण भारत में मुलायम सरकार के राक्षसी कृत्य का विरोध किया गया।

बिलासपुर बन्द के आयोजन के पश्चात् भी शांत नहीं रहा। यहाँ के लोगों ने आंदोलन के अगले कदमों पर विचार शुरू कर दिया। पर, स्वामी जी की गिरफ्तारी के बाद देश में उठे तूफान से घबराकर मुलायम सिंह की सरकार ने घुटने टेक दिए और ९ मई को स्वामी जी रिहा कर दिये गए।

आज-आज उक्त घटना के डेढ़ बरस बाद गिरफ्तारी के पश्चात् चुनार के किले से स्वामी जी द्वारा की गई घोषणा अक्षरशः हमारे सामने सत्य बनी खड़ी है कि हिन्दू धर्म और धर्माचार्यों के अपमान का दण्ड सरकार को भोगना ही पड़ेगा। वाकई इस नापाक साजिश के संचालक विश्वनाथ प्रताप सिंह और अंध हिन्दू द्वेषी मुलायम को जनता ने इसका कड़ा दण्ड दे दिया। उस वक्त सत्ता शिखरों पर बैठे ये लोग आज जमीन पर हैं। नियंता ने उन्हें हिन्दुओं के पूज्य जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी और हिन्दू के अपमान का दण्ड जनता जनार्दन के हाथों दे ही दिया।

卐

जबलपुर में गिरफ्तारी का सर्वत्र विरोध

जबलपुर में पूज्य शङ्कराचार्य जी की गिरफ्तारी के विरोध में जबलपुर बन्द एवं जुलूस निकाल कर वी. पी. सिंह एवं मुलायम सिंह के पुतलों का नागरिकों ने दहन किया। उक्त कार्य में विशेष रूप से नगर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री शिवनाथ साहू, भूतपूर्व महापौर श्री नारायण प्रसाद दुबे, डॉ. व्ही–व्ही श्रीवास्तव, श्री अजीत वर्मा, श्री किशोर पाण्डे एवं उनके सहयोगी तथा आध्यात्मिक उत्थान मण्डल के कार्यकर्त्ताओं का सराहनीय योगदान रहा।

श्री कल्याण सिंह द्वारा विरोध–

उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह ने भी पूज्य शङ्कराचार्य जी की गिरफ्तारी का विरोध किया। विधान सभा में मुलायम सिंह को बहुत फटकारा था।

卐

चारों पीठों में विहिप समर्थक कोई शङ्कराचार्य नहीं

–शङ्कराचार्य जगद्गुरु स्वामी निरंजनदेव तीर्थ

पुरी के शङ्कराचार्य जगद्गुरु स्वामी निरंजन देव तीर्थ ने अपनी चिन्ता को व्यक्त करते हुये गत वर्ष ३० अक्टूबर और २ नवम्बर को अयोध्या में हुई हिंसक घटनाओं का जिक्र करते हुये कहा कि भाजपा और विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा आयोजित कार सेवा के दौरान पुलिस एक्शन में लगभग ५००० भक्तों की जान चली गयी।

उक्त घटना के परिणामस्वरूप पूरी दुनिया में हजारों हिन्दू मंदिरों को तोड़ा गया, यही नहीं कश्मीर के हिन्दुओं को भी अपनी मातृभूमि से पलायन करना पड़ा।

प्रस्तावित मंदिर निर्माण का उल्लेख करते हुये जगद्गुरु ने कहा कि करोड़ों राम–शिला–ईंटों, नगदी और जेवल एकत्र होने के बावजूद भाजपा और विहिप अभी तक एक इंच निर्माण कार्य भी नहीं कर पाये हैं।

उन्होंने कहा कि इतनी अधिक सामग्री ौर धन उपलब्ध होने के बाद कार सेवा के लिए जनता का आह्वान करने की आवश्यकता नहीं है, आयोजकों को भाड़े के श्रमिकों से निर्माण कार्य शुरू करवाना चाहिए।

मंदिर निर्माण में शङ्कराचार्यों की भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए बतायी गयी समितियों में किसी शङ्कराचार्य को नहीं लिया गया है क्योंकि आयोजक जानते हैं कि सभी शङ्कराचार्य गैर राजनीतिक धार्मिक प्रमुख हैं और वे वोट और नोट के लिये हिन्दू धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग नहीं होने देंगे।

ज्योतिर्मय बदरिकाश्रम के शङ्कराचार्य स्वामी वासुदेवानन्द के मंदिर निर्माण गतिविधि में शामिल होने के आयोजकों के दावे को झूठा करार देते हुये जगद्गुरु निरंजन देव ने कहा कि चारों पीठों में उपर्युक्त नाम के कोई शङ्कराचार्य नहीं हैं।

(दैनिक विश्वमित्र कलकत्ता, दिनांक ३० अक्टूबर १९९१, पृष्ठ ३ से साभार)

परिशिष्ट

(परम पूज्य शंकराचार्य जी के सम्बन्ध में जो भ्रान्तिपूर्ण प्रचार करते हैं, वे भ्रान्तियाँ और उनके उत्तर यहाँ दिये गये हैं।)

दूरभाष : ६७८९९२ **तार : हिन्दू धर्म**

विश्व हिन्दू परिषद् (नई दिल्ली)

संकट मोचन आश्रम (हनुमान मंदिर)

सेक्टर–६, रामकृष्णपुरम् नई दिल्ली–११००२२

No. वि. हि. प./१९/९१ **Dated २२ अगस्त, १९९१**

आदरणीय श्री लक्खी प्रसाद सरावगी
४४ बड़तल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता–७०० ००७

प्रिय बन्धुवर,

सादर जय श्रीराम!

आपका २९ पृष्ठीय पत्र प्राप्त हुआ। संभवतः यदि संक्षेप में आपने पूज्य स्वरूपानन्द जी महाराज के विषय में लिखा होता तो किसी को भी इतना विचित्र नहीं लगता किन्तु इस पत्र में आपने पूज्य महाराज श्री के विषय में अति कर दी है। संक्षेप में निवेदन करूँ–हम लोग सदैव पूज्य शङ्कराचार्य श्री स्वरूपानन्द जी महाराज के कृपाकांक्षी रहे किन्तु महाराज श्री सदेव हमें दुत्कारते रहे। शुद्ध वनस्पति के मामले में गाय की चर्बी हिन्दू समाज को खिलाने वाले जैन को तो क्षमा दे दी किन्तु गंगाजल यात्रा और भारत माता की यात्रा पर वे अत्यधिक कुपित हो गये। संभवतः सरकार भी कुपित थीं।

मध्य प्रदेश के मन्त्री को राम से रम, ब्रह्मा से ब्रांडी कहने पर उनकी क्षमा भंडार खुला रहा किन्तु पंजाब सद्भावना यात्रा जिससे कि हिन्दू–सिक्ख एकता होती का उन्होंने अप्रत्यक्ष विरोध किया। शिलान्यास का विरोध उनके जैसे वीतराग सन्यासी

शङ्कराचार्य जैसे व्यक्ति द्वारा और अप्रमाणिक एवं झूठे आरोप लगाए गए कि विश्व हिन्दू परिषद् ने विदेशों से दो सौ करोड़ रुपये इकट्ठा किया है, जिसे वह अथवा उनका कोई भी अनुयायी सिद्ध नहीं कर सकता। जन्मभूमि आन्दोलन में संभवतः अनचाहेही कमजोरी आए-ऐसे कार्य किये गाए। यदि पूज्य महाराज श्री अपने उन आरोपों को वापस लें-शुद्ध सात्विक सच्चे मन से आशीर्वाद देने को प्रस्तुत हों तो हमें उनसे आशीर्वाद माँगने में गर्व और गौरव का अनुभव होगा। किन्तु यदि वे अपने पुराने पथ पर ही रहते हैं तो हमारा कुछ भी हो जाए हम आपकी आज्ञा को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। आशा है कि भविष्य में कोई ठोस प्रस्ताव लेकर उपस्थित होंगे और व्यर्थ के प्रचारात्मक पत्र नहीं लिखेंगे।

क्षमा याचना सहित।

भवदीय

आचार्य गिरिराज किशोर

संयुक्त महामन्त्री

। हरे कृष्णा ।

लक्खीप्रसाद सरावगी
४४, बड़तल्ला स्ट्रीट,
कलकत्ता-७०० ००७

२२ नवम्बर १९९१

"सर्वप्रथम हम लोग एक ही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और त्रिकालदर्शी परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री राम और कृष्ण की सन्तान हैं उसके बाद कुछ और"

सेवा में,

आदरणीय अशोक सिंघल जी,
महासचिव विश्व हिन्दू परिषद
आ. के. पुरम
सेक्टर-६
नई दिल्ली-११०० २२

प्रिय महोदय,

इसके पूर्व मेरा १५-१०-९१ का पत्र प्राप्त हुआ होगा जो पूज्यनीय आचार्य गिरिराज किशोर द्वारा लिखित, दिनांक २२ अगस्त १९९१ के पत्र के प्रति उत्तर स्वरूप लिखा गया था पर उस पत्र का आपने अभी तक कोई पत्रोत्तर नहीं दिया है। आज पुनः आपके २२ अगस्त १९९१ के पत्र (प्रतिलिपि संलग्न है) के संबन्ध में कुछ नम्र निवेदन एवं पत्रोत्तर प्रेषित कर रहा हूँ जिसमें परम पूज्य शङ्कराचार्यजी श्री स्वरूपानन्द सरस्वतीजी के सम्बन्ध में आपने कई आक्षेप किये हैं। मैं इस सम्बन्ध में खुलासा कर देना चाहता हूँ। समय-समय पर उनको भी पत्र लिखता रहता हूँ और प्रत्यक्ष रूप से मिलकर भी शंका-समाधान कर लेता हूँ।

मेरा यह सौभाग्य रहा कि दिनांक १०-११-९१ को परम पूज्य महाराज श्री का दर्शन हुआ जो दीपावली प्रीति सम्मेलन के शुभ अवसर पर कलकत्ता महानगरी में कृपा करके पधारे थे और साथ ही साथ आप लोगों द्वारा उन पर लगाये गये घृणित एवं निराधार आरोपों के सम्बन्ध में भी एक बार फिर उनसे परस्पर हार्दिक विचार-विमर्श करने के पश्चात् वास्तविकता और सच्चाई को जान सका जिसकी स्पष्ट व्याख्या निम्नलिखित रूप से आपकी शुद्ध जानकारी हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ और आशा करूँगा कि आप भी इस कटु सत्यत को धर्म और देश के हित संहर्ष स्वीकार ही करेंगे जिसके

अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि आप लोग ही दोषी हैं और अपनी पूर्ण भ्रान्ति एवं शुद्ध धार्मिक ज्ञान के अभाव में ही सर्वोपरि एवं परम पूज्य श्री स्वामीजी के सर्वथा पवित्र एवं अलौकिक चरित्र को कलंकित करने का दुस्साहस किया। खैर जो हुआ सो हुआ पर अपनी हुई भयंकर चूक को स्वीकार कर अपने पाप का प्रायश्चित् करें और भविष्य में ऐसी भूल कभी न हो उसके लिए सदा सजग रहें। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपको पर्याप्त सद् विवेक और शुद्ध धर्म-ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त हो जिससे आप सत्य, धर्म और परम पूज्य सद्गुरु श्री स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज की अमृतमय वाणी के अपूर्व रहस्य और महत्त्व को समझें तथा उनके पुनीत चरण कमलों का तत्काल आश्रय लेकर अपने अमूल्य जीवन को महान और धन्य बनावें तथा धर्म और देश की सुचारु सेवा एवं सुरक्षा जीवन के अन्तिम साँस तक करते रहें। कृपया ध्यान दें–

वास्तविकता और सच्चाई स्पष्ट व्याख्या

जहाँ तक शुद्ध वनस्पति का सवाल है ये आक्षेप सर्वथा निराधार है। शुद्ध वनस्पति वाले जैन से परम पूज्य श्री शङ्कराचार्य जी का कोई भी सम्बन्ध नहीं है तो फिर उसको क्षमा करने का या दंड देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में प्रायः प्रत्येक खाद्य-पदार्थ में व्यापारी लोग मिलावट करते हैं जब परम पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना की गई कि अगर वास्तव में वनस्पति घी में गाय की चर्बी चली गई है तब तो वे सभी धर्म भ्रष्ट हो ही गए होंगे। ऐसी स्थिति में आपकी क्या व्यवस्था है? इस पर उन्होंने कहा कि जिनने जानबूझ कर चर्बी मिलाई या खाई है वे नरकगामी होंगे। पर जिन्होंने अनजाने में खाई है वे समुचित प्रायश्चित करके शुद्ध हो सकते हैं। पर जिनको ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि उनके पेट में चर्बी चली गई वे शुद्ध हैं (जब तक ऐसा कोई चर्बी पेट में जाने का प्रमाण नहीं मिल जाए) उनकी किसी प्रकार की ग्लानि नहीं करनी चाहिए।

परम पूज्य श्री शङ्कराचार्य जी के इस वक्तव्य से चर्बी खाने की आशंका से जो समस्त हिन्दू जाति का मनोबल गिर रहा था उसकी रक्षा हुई। अलबत्ता उनको निराशा अवश्य हुई जो चर्बी के नाम पर सत्ता की राजनीति कर रहे थे। जिनमें बाबू जगजीवन राम भी शामिल थे जिन्होंने पार्लियामेन्ट में कहा था कि मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि भारत के ऋषि-मुनि गौ मांस खाते थे। उन्हीं में चौधरी चरण सिंह भी थे जिन्होंने अपने प्रधानमन्त्रित्व काल में गौ हत्या के लिए कुछ नहीं कियाऔरजब सत्ता से हटे तो मेरठ में सत्याग्रह करने पहुँच गये।

जहाँ तक गंगाजल यात्रा का प्रश्न है परम पूज्य शङ्कराचार्य जी ने यह कहा था कि भगवान परमेश्वर को वही गंगाजल चढ़ाना चाहिए जो शुद्ध हो। गंगा जल में दूसरे नदी-नालों का जल डालने पर वह भगवान को चढ़ानेलायक नहीं रहता।

आखिर वही हुआ उस जल को न रामेश्वर में न सोमनाथ में स्वीकार किया गया। एकात्मकता यज्ञ के सम्बन्ध में उस समय पंडित कमलापति आदि कुछ सांसदों के आक्षेप का उत्तर देते हुए विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष स्वामी चिन्मयानन्द जी ने कहा था कि उक्त यज्ञ साम्प्रदायिक नहीं था जिससे उसमें ईसाई और मुसलमान भी सम्मिलित हो सके। इसलिए हमने शिव, हनुमान और अल्लाह को प्रतीक न बनाकर गंगा और भारत माता को प्रतीक बनाया। इस पर श्री शङ्कराचार्य जी का कहना था कि यदि ऐसी बात थी तो उस जल को शिवजी के ऊपर चढ़ाने का क्या अर्थ था? और जिस रूप में सनातन धर्मी हिन्दू भारत माता और गंगा को मानते हैं उस रूप में ईसाई मुसलमान की तो दूर बात है, जैन और बौद्ध भी नहीं मानते। विश्व हिन्दू परिषद के कथनानुसार यदि शिव, हनुमान और अल्लाह एकात्मकता के आधार नहीं बन सकते। फिर मुसलमान तो स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में भारत माता के चित्र का भी विरोध करते हैं। यदि विश्व हिन्दू परिषद् ऐसे लोगों को एकात्मकता यज्ञ में शामिल करने के लिए शिव और हनुमान की उपेक्षा कर सकती है तो कांग्रेस और उसके दृष्टिकोण में क्या अंतर रह जाता है। कांग्रेस तो धर्म के मामले में कोई सलाह नहीं देती जबकि विश्व हिन्दू परिषद् शिव और हनुमान को प्रतीक बनाना एकात्मकता के विरुद्ध समझती है।

अब रही म. प्र. के मन्त्री कीबात तो म. प्र. के मन्त्री ने विधान सभा में राम के रम और ब्रह्मा से ब्रान्डी कहकर हमारे देवताओं का उपहास किया, यह उनका अपराध था। जिसका परम पूज्य श्री शङ्कराचार्य जी ने भी विरोध किया और जब मन्त्री महोदय ने उनसे मिलकर क्षमा-याचना की और समुचित प्रायश्चित करके आगे न करने का वचन दिया तो उसको क्षमा करने में कौन सी बुराई थी। क्या श्री शङ्कराचार्य जी के पास कोई ऐसी सत्ता है जो उसे जेल भिजवा सकें। यदि उनकी जगह आप भी होते तो क्या करते?

आपने अपने पत्र में पंजाब की हिंसक घटनाओं के विरोध में जो मौन जुलूस निकलने वाला था उसको स्थगित करने का दोष भी परम पूज्य महाराज श्री पर मढ़ने का प्रयत्न किया है और आप लोग सर्वत्र इसका प्रचार भी कर रहे हैं जबकि तथ्य यह है कि मौन जुलूस निकालने का सुझाव भी परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने ही दिया था और उसमें सम्मिलित होने की स्वीकृति भी। उस पर परम पूज्य एवं सर्वोपरि धर्माचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज अन्त तक दृढ़ रहे पर सभी की राय से जो शिष्ट मण्डल तत्काल प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी से मिलने गया तथा उनसे

पौने दो घण्टा विचार विमर्श करने के पश्चात् उनके आश्वासन पर सर्व सम्मति से उसको स्थगित किया गया था, यह बात प्रेस कन्फ्रेन्स और कोमोनेटी हाल में सबकी ओर से कही गई थी। उक्त शिष्ट मण्डल में परम पूज्य श्री शङ्कराचार्य जी के अतिरिक्त महामण्डलेश्वर श्री विदेहीहरि, श्री विष्णुहरि डालमिया, श्री वैकुण्ठनाथ शर्मा प्रेम, श्री गोस्वामी गिरधारी लालजी एवं जत्थेदार रिछपाल भी सम्मिलित थे। इसकी सत्यता के अभी भी वे साक्षी हैं। असत्य की भी कोई सीमा होती है। क्या जुलूस निकाल लेने मात्र से पंजाब की समस्या हल हो सकती थी? अन्ततोगत्वा प्रधानमन्त्री के निवास पर जाकर प्रतिवेदन देता जिसको उन्होंने मिलकर पहले ही ले लिया और समस्या पर उन्होंने खुलकर प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया और समस्या के समाधान के लिए पूरा प्रयत्न करने का आश्वासन दिया। शिष्ट मण्डल ने इस पर आश्वस्त होकर उनको समय देने के लिए अपने कार्यक्रम को स्थगित किया। यह जुलूस परम पूज्य श्री शङ्कराचार्य जी के नेतृत्व में फिर निकलता यदि आप जैसे लोग कीचड़ उछालकर इसको कमजोर न कर देते।

परम पूज्य श्री शङ्कराचार्य जी का आज भी शिलान्यास के संबंध में स्पष्ट कथन है कि शिलान्यास गर्भगृह के आग्नेय कोण में शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। यही मत शृंगेरी के और पुरी के शङ्कराचार्य जी का भी है। दूसरे स्थल पर शिलान्यास करने पर हिन्दुओं का पक्ष कमजोर पड़ता है पर खेद है कि आप अभी तक उनकी ठोस बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विदेशी धन का जहाँ तक प्रश्न है कि कोई यह विश्वास नहीं करेगा कि विदेशों से अभी तक आपको दो लाख ही मिले हैं इतनी राशि तो भारत का छोटा सा कस्बा ही दे देता है।

आशा है आपका निष्पक्ष एवं सहानुभूतिपूर्ण पत्रोत्तर शीघ्रही प्राप्त होगा।

हरे कृष्ण!

आपका शुभचिन्तक

लक्खी प्रसाद सरावगी

जय श्री राम
तथ्यों के आलोक में श्री रामजन्मभूमि पर उच्च न्यायालय का निर्णय मुकदमें क्या हैं?

पहला मुकदमा एक भक्त के रूप में अयोध्या निवासी गोपाल सिंह विशारद ने वादी के रूप में मुस्लिम व्यक्ति एवं प्रशासन को प्रतिवादी बनाते हुए जनवरी, १९५० को इस प्रार्थना के साथ फैजाबाद की जिला अदालत में प्रस्तुत किया कि मेरे परिवार के लोग परंपरा से भगवान के दर्शन-पूजा करते आये हैं, मैं बराबर दर्शन करता रहा हूँ, परन्तु अब मुझे रोका गया है। इस स्थान की पूजा करना मेरा मौलिक अधिकार है, अतः मुझे पूजा से न रोका जाये, मेरे मार्ग में कोई बाधा खड़ी न की जाये, भगवान की सुरक्षा की जाये ताकि कोई भगवान को वहाँ से हटाया न जा सके। जिला-अदालत ने गोपाल सिंह विशारद के पक्ष में अन्तिम आदेश दे दिया। मुस्लिम ने व्यक्तिगत रूप में आपत्ति की, परन्तु अदालत ने नहीं माना तथा अन्तिम आदेश को पुष्ट कर दिया। आदेश के विरुद्ध मुस्लिम उच्च न्यायालय अपील लेकर गये। उच्च न्यायालय ने भी अप्रैल १९५५ में सिविल जज फैजाबाद के आदेश को पुष्ट कर दिया। इस प्रकार गुम्बद के भीतर पूजा-अर्चना निर्बाध जारी हो गई।

दूसरा मुकदमा इसी सम्बन्ध में अयोध्या के रामानन्द सम्प्रदाय के एक साधु परमहंस रामचन्द्र दास ने वादी के रूप में मुस्लिम वक्फ एवं प्रशासन को प्रतिवादी बनाते हुये दिनांक ५ दिसम्बर १९५० को दायर किया और गोपाल सिंह विशारद के समान ही अदालत से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना भी अदालत ने स्वीकार कर ली। (यह उल्लेखनीय हे कि परमहंस रामचन्द्र दास जी ने अपना यह मुकदमा अगस्त १९९० में वापस ले लिया था)।

तीसरा मुकदमा श्री पंचरामानन्दी निर्मोही अखाड़ा व उनके पंचों ने वादी के रूप में तथा नियुक्त किये गये रिसीवर को एवं प्रशासन को प्रतिवादी बनाते हुये दिसम्बर १९५९ में जिला-अदालत फैजाबाद के सम्मुख प्रस्तुत किया। उन्होंने मांग की कि रिसीवर हटाया जाये और ढांचे के अन्दर भगवान की पूजा-अर्चना व चढ़ाने का प्रबंध निर्मोही अखाड़े को सौंपा जाये।

चौथा मुकदमा उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्टर वक्फ बोर्ड व नौ अन्य मुसलमानों की ओर से वादी के रूप में गोपाल सिंह विशारद, परमहंस रामचन्द्र दास, निर्मोही

अखाड़ा व अखिल भारतीय हिन्दू महासभा को प्रतिवादी बनाते हुये दिसम्बर १९६१ में प्रस्तुत किया। इसी मुकदमें में कालान्तर में रमेशचन्द्र त्रिपाठी, बाबा अभिरामदास (साकेत वासी होने के बाद श्री महंत धर्मदास जी) व ज्योतिष एवं द्वारका पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज द्वारा गठित की गई 'श्री रामजन्म भूमि पुनरुद्धार समिति' प्रतिवादी बने। वक्फ बोर्ड ने मुकदमें में तीन गुम्बदों वाले ढांचे को सार्वजनिक मस्जिद तथा उसके चारों ओर की जमीन को सार्वजनिक कब्रिस्तान घोषित किया जाये तथा यदि अदालत उचित समझती है, तो समस्त पूजा सामग्री हटाकर मस्जिद व कब्रिस्तान का कब्जा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिलाया जाये। मुस्लिमों ने यह भी कहा कि प्रश्नगत भूखण्ड जिसे हिन्दू रामजन्म भूमि कहता है, वह बाबर द्वारा मस्जिद निर्माण करके वक्फ किया जा चुका है तथा उस पर स्थित ढांचा सार्वजनिक मस्जिद है, जिससे हिन्दू समुदाय का कोई मतलब नहीं है, हिन्दू समुदाय के लोगों ने २२/२३ दिसम्बर, १९४९ को अवैधानिक ढंग से बीच वाले गुम्बद के नीचे मूर्तियां रख दीं, यद्यपि वह स्थल कभी भी भगवान राम का जन्म स्थल नहीं रहा। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष १९९५ में मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने परिसर के चारों ओर की जमीन को कब्रिस्तान घोषित करने की अपनी मांग वापस ले ली। इस प्रकार विवाद केवल तीन गुम्बद वाले ढांचे तक ही सीमित रह गया।

उपर्युक्त चारों मुकदमें जो मूलतः तत्कालीन मुंसिफ सदर फैजाबाद व सिविल जज फैजाबाद के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे न्यायालय के आदेशानुसार सुनवाई के लिये ये चारों एक साथ जोड़ दिये गये और यह भी आदेश हुआ कि सभी साक्ष्य, सभी गवाहियां सब मुकदमों में पड़ी व मानी जायेंगी। यह विशेष उल्लेखनीय है कि इन चारों मुकदमों में भगवान रामलला विराजमान अथवा श्री रामजन्म भूमि स्थल को पक्षकार नहीं बनाया गया था।

पांचवा मुकदमा भगवान रामलला विराजमान एवं स्थान श्री रामजन्म भूमि को वादी बनाते हुये दोनों की ओर से अवकाश-प्राप्त न्यायमूर्ति श्री देवकी नन्दन अग्रवाल ने भगवान के बाद-मित्र के रूप में जुलाई, १९८९ में सिविल जज फैजाबाद के समक्ष दायर किया। श्री देवकी नन्दन अग्रवाल जी ने प्रथम चारों वादों के सभी पक्षकारों को भगवान रामलला के इस मुकदमें में प्रतिवादी बनाया उन्होंने अपने वाद में लिखा कि इस विवादित स्थान पर विक्रमादित्य के द्वारा एक भव्य मन्दिर बनाया गया था, उसमें कसौटी पत्थर के ८४ खम्बे लगे थे उसी मन्दिर का समय-समय पर भिन्न-भिन्न शासकों/भक्तों ने पुनरुद्धार कराया। उन्होंने अदालत से प्रार्थना की कि यह घोषणा की जाये कि रामजन्म भूमि का सम्पूर्ण परिसर श्री रामलला विराजमान का है। उन्होंने

अपने वाद-पत्र में यह भी लिखा कि श्री रामजन्म भूमि पर मन्दिर निर्माण के लिये जगद्गुरु रामानन्दाचार्य पूज्य स्वामी शिवरामाचार्य जी ने 'श्री रामजन्म भूमि न्यास' का गठन किया है। यह न्यास जन्मभूमि पर भगवान का भव्य मन्दिर बनाने की तैयारी कर रहा है, अतः प्रतिवादियों के विरुद्ध स्थाई स्थगन आदेश जारी किया जाये ताकि कोई भी नवीन मन्दिर के निर्माण में कोई व्यवधान खड़ा न करे, कोई आपत्ति न करे। यह वाद स्वीकार हो गया।

मुकदमा का क्षेत्रफल

जिला न्यायाधीश फैजाबाद में वर्ष १९५० में फैजाबाद के ही शिवशंकर लाल एडवोकेट को विवादित परिसर का निरीक्षण करके मानचित्र बनाने का आदेश दे दिया था। उन्होंने कमिश्नर के रूप में मई १९५० में दो मानचित्र बनाकर अदालत में प्रस्तुत किये। वे दोनों मानचित्र गोपाल सिंह विशारद के मानचित्र में नत्थी हो गये उस मानचित्र को तीनों न्यायाधीशों ने अपने निर्णय का आधार बनाया है। तीनों ने ही वह मानचित्र अपने निर्णय में संलग्न किया है। उस मानचित्र के कोनों को ए,बी,सी,डी,ई,एफ से दर्शाया गया है। न्यायमूर्ति एस०यू० खान ने उस नक्शे के आधार पर उत्तर-दक्षिण दिशा में लम्बाई १४० फीट और पूर्व-पश्चिम दिशा में चौड़ाई ९७ फीट लिखी है। उसका एक कोना कुछ कटा हुआ था, उन सबका विचार करते हुये उन्होंने उसका क्षेत्रफल अनुमानतः १५०० वर्ग गज अर्थात् १३५०० वर्गफीट लिख दिया है। न्यायमूर्ति खान ने इतने ही भाग का एक तिहाई-एक तिहाई निर्मोही अखाड़ा, मुस्लिम समुदाय और रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया है। १८८५ ई० में निर्मोही अखाड़ा के महंत द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद में एक नक्शा लगा है जिसमें परिक्रमा दर्शायी गई है। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा के निर्णय में यह नक्शा संलग्न है।

७ जनवरी १९९३ को भारत सरकार ने इस परिसर के चारों ओर ७० एकड़ जमीन अधिग्रहीत की थी। वह इससे अलग है और अभी भी भारत सरकार के नियंत्रण में है। यह फैसला तो मात्र १५०० वर्गगज भूखण्ड का ही है, जिसे विवादित परिसर माना जाता है।

निर्णय

उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ मुकदमों को प्राथमिक स्तर पर सुन रही थी अर्थात् अदालत ट्रायल कोट के रूप में व्यवहार कर रही थी। इस कारण

तीनों न्यायाधीशों ने अपना निर्णय अलग-अलग लिखा व सुनाया। सभी मुकदमों में निर्धारित किये गये सभी वाद बिन्दुओं पर न्यायाधीशों ने अपना निर्णय सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप में दिया है।

माननीय उच्च न्यायालय की विशेष पूर्ण पीठ के सभी न्यायमूर्तिगणों द्वारा विवादित स्थल पर भगवान श्री राम का जन्म होना तथा विवादित स्थल को भगवान श्री राम की जन्मभूमि होना स्वीकार किया है। एक न्यायमूर्ति द्वारा सम्पूर्ण परिसर को एक इकाई मानते हुये 'भगवान श्रीराम की जन्म भूमि' की मान्यता दी गई, जबकि दो अन्य न्यायमूर्ति द्वारा अंश भाग को जन्म स्थली के रूप में मान्यता प्रदान की गई। विस्तृत विवेचना के आधार पर न्यायालय द्वारा निर्मोही अखाड़ा का वाद तथा सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड व अन्य मुस्लिमों का वाद निरस्त कर दिया गया। भगवान रामलला व स्थान श्री राम जन्म भूमि की ओर से प्रस्तुत वाद न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा द्वारा पूर्णतः तथा न्यायमूर्ति अग्रवाल व न्यायमूर्ति खान द्वारा आंशिक रूप में स्वीकार करते हुये प्रारम्भिक डिक्रि पारित की गई।

निर्णय के आधार

न्यायाधीशों को अपना निर्णय घोषित करने में आधार बने हैं- मुस्लिम धर्म ग्रन्थ, मुस्लिम वक्फ एक्ट, हिन्दू धर्म ग्रन्थ, स्कन्द पुराण, मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकें फ्रांसीसी पादरी की डायरी, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लिखित गजेटियर व ग्रन्थ, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, ढांचे से प्राप्त नक्काशीदार पत्थर तथा शिलालेख, राडार तरंगों से कराई गई भूगर्भ की फोटोग्राफी रिपोर्ट एवं रिपोर्ट के आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये गये उत्खनन की रिपोर्ट एवं गवाहों के बयान।

हिन्दू धर्मशास्त्रों के अनुसार प्राण-प्रतिष्ठा विग्रह जीवित हैं, वह अपना मुकदमा लड़ सकता है, वह एक विधिक प्राणी है, परन्तु अवयस्क है, उसे मुकदमा लड़ने के लिए कोई संरक्षक चाहिए। रामलला का मुकदमा संरक्षक के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री देवकीनन्दन अग्रवाल ने दायर किया था। हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार सभी सम्पत्ति प्रधान देवता की होती है, उस पर किसी का विपरीत कब्जा नहीं हो सकता। हिन्दू परम्पराओं में विशेष महत्व का होने के कारण स्थान विशेष भी पूज्य है, देवता तुल्य है, वह भी अपना मुकदमा

कर सकता है। हिन्दू धर्मशास्त्र की यह व्यवस्था अनादिकाल से चल रही है न्यायपालिका ने सदैव इन मान्यताओं को स्वीकार किया है।

निर्मोही अखाड़ा के वाद के निरस्त होने का कारण

अदालत में निर्मोही अखाड़ा का मुख्य तर्क था कि विवादित स्थल, जो भगवान् राम की जन्मभूमि के रूप में हिन्दुओं द्वारा पूजित है, स्वामी निर्मोही अखाड़ा है तथा राम चबूतरे वाला स्थान मन्दिर है जिसकी सेवा का अधिकार प्रारम्भ से ही अखाड़े के पास है। वे तीन गुम्बदों वाले ढांचे के अन्दर रखे भगवान् की पूजा, व्यवस्था के लिए नियुक्त किये गये रिसीवर को हटाकर उसका प्रबन्धन स्वयं मांगते थे। उनका यह भी तर्क था कि सम्पूर्ण सम्पत्ति निर्मोही अखाड़े की है और भगवान् अखाड़े की हैं तथा अखाड़े का जन्म भगवान् राम के जन्म से पहले हुआ। न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि वादी निर्मोही अखाड़ा रामानन्दी वैरागी सम्प्रदाय का अयोध्या में १७३४ ई० से स्थित है इसके पूर्व अयोध्या में इसके स्थापित होने का कोई प्रमाण नहीं है। निर्मोही अखाड़ा न तो विवादित सम्पत्ति का स्वामी है और न ही वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है। प्रस्तुत मुकदमा अवधि बाधित है। इन्हीं कारणों से अदालत ने निर्मोही अखाड़े का मुकदमा रद्द कर दिया।

सुन्नी वक्फ बोर्ड के वाद के निरस्त होने का आधार

मुस्लिम धार्मिक ग्रन्थों के अनुसार केवल अपने पूर्ण वैधानिक मालिकाना हक वाली सम्पत्ति ही अल्लाह को समर्पित (वक्फ) की जा सकती है। बाबर भारत में युद्ध जीतने के बाद अधिक से अधिक लगान/टैक्स वसूल करने का अधिकारी था, धरती का मालिक कभी नहीं था। इस मुकदमें में यह स्पष्ट हो गया कि विवादित परिसर बाबर या मीरबाकी की सम्पत्ति नहीं था। अतः वह अल्लाह को समर्पित (वक्फ) भी नहीं हो सकता। वक्फ के लिए जो भी अधिसूचना जारी हुई, वह अप्रैल, १९६६ में न्यायालय द्वारा अवैध घोषित हो चुकी थी। उसे कभी किसी ने चुनौती नहीं दी। लम्बे समय का कब्जा मालिकाना हक नहीं दिलाता। यदि बहस के लिए यह मान भी लिया जाये कि १५२८ से ही मुस्लिमों का इस स्थान पर कब्जा है तो वह कभी भी सतत व शान्ति पूर्ण नहीं रहा और वक्फ बोर्ड को यह भी बताना होगा कि बाबर ने किसकी सम्पत्ति पर कब्जा किया और क्या उनकी जानकारी में किया? मुस्लिम धर्मग्रन्थों के अनुसार विवादित भूमि पर पढ़ी गई नमाज अल्लाह कबूल नहीं करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कथन है कि मस्जिद, इस्लाम का

अनिवार्य अंग है, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, यहाँ तक कि खुले मैदान में भी। न्यायालय द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को न तो विवादित सम्पत्ति का स्वामी माना गया और न ही प्रश्नगत ढांचे को इस्लाम के अनुसार सही माना गया। निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत दावा दायर न किये जाने के कारण बहुमत द्वारा वाद निरस्त कर दिया गया।

निर्मोही अखाड़ा के वाद में कुछ वाद-बिन्दुओं पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के निष्कर्ष

वाद-बिन्दु- क्या वाद में लिखी गई सम्पत्ति निर्मोही अखाड़े की है? निष्कर्ष-नहीं। वाद-बिन्दु- १२ वर्ष से अधिक समय तक कब्जा रहने के कारण क्या निर्मोही अखाड़े का मालिकाना हक बनता है? निष्कर्ष नहीं। वाद-बिन्दु-क्या निर्मोही अखाड़ा विवादित ढांचे वाले मन्दिर का प्रबन्धन प्राप्त करने का हकदार है? निष्कर्ष-नहीं। वाद-बिन्दु- क्या निर्मोही अखाड़े ने अपना वाद वैधानिक समय सीमा के अन्दर दायर किया? निष्कर्ष-वाद जिस रूप में लिखा है, वह स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वाद-बिन्दु- क्या वादी निर्मोही अखाड़े को कोई राहत दी जा सकती है? निष्कर्ष-वादी निर्मोही अखाड़ा किसी प्रकार की रियायत का हकदार नहीं है।

निर्मोही अखाड़ा के वाद में कुछ वाद-बिन्दुओं पर न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा के निष्कर्ष

प्रश्नगत सम्पत्ति निर्मोही अखाड़े की नहीं है। १२वर्ष के विपरीत कब्जे के आधार पर निर्मोही अखाड़े का सम्पत्ति पर हक नहीं बनता। निर्मोही अखाड़ा मन्दिर का प्रबन्धन प्राप्त करने का हकदार नहीं है। निर्मोही अखाड़ा रामानन्द सम्प्रदाय का पंचायती मठ है। निर्मोही अखाड़े को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती। वाद रद्द किया जाता है।

सुन्नी वक्फ बोर्ड के वाद में कुछ वाद-बिन्दुओं पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के निष्कर्ष

सुन्नी वक्फ बोर्ड का वाद मुस्लिम समाज के हितों को सुरक्षित रखने के लिए समाज के प्रतिनिधि के रूप में दायर किया गया। इसी प्रकार इस वाद के प्रतिवादीगण हिन्दू समाज के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीन गुम्बदों वाला

विवादित ढांचा वर्ष १९४९ के पहले मुस्लिमों के कब्जे में नहीं था। अतः यह कहना भी सही नहीं है कि २३ दिसम्बर १९४९ की अतिप्रातः ढांचे के भीतर मूर्ति होने के बाद ही उनका कब्जा समाप्त हुआ।

१८५६-५७ ई० में अंग्रेजों द्वारा गुम्बद और रामचबूतरे के बीच में एक दीवार खड़ी कर दिए जाने के बाद रामचबूतरा और सीतारसोई वाले बाहरी आंगन में मुस्लिमों का कभी कोई अधिकार नहीं रहा। इसके विपरीत तीन गुम्बदों के ढांचे वाले भीतरी आंगन का उपयोग हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही करते थे। सुन्नी मुस्लिम वक्फ एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के बावजूद हिन्दू समाज को यह अधिकार था कि वह ढांचे को मस्जिद माने जाने के विरुद्ध चुनौती दे सके। वक्फ बोर्ड के प्रावधान न तो अन्तिम रूप निर्णायक हैं और न ही हिन्दू समाज के अधिकारों को समाप्त करते हैं।

ऐसा कोई नहीं है कि विवादित ढांचा १५२८ ई० में महंत रघुबर दास दायर किया गया वाद जन्मस्थान के लिए था और निर्मोही अखाड़ा जन्मस्थान को प्राप्त करने में रुचि रखता है।

यह प्रमाणित नहीं है कि विवादित ढांचा १५२८ ई० से लगातार, खुलेआम और सब हिन्दुओं की जानकारी में रहते हुये सदैव से मुस्लिमों के कब्जे में था। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मुकदमें में कोई राहत नहीं मिलेगी क्योंकि उनका मुकदमा रद्द किया जाता है। वर्ष १९३६ में निर्मित उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ एक्ट के अनुसार विवादित ढांचे के संबंध में कभी कोई वैध अधिसूचना जारी नहीं हुई थी जो अधिसूचना जारी हुई थी वह अप्रैल, १९६६ में जिला अदालत द्वारा रद्द कर दी गई थी। विवादित स्थल नजूल गाटा संख्या ५८३ पर आधारित है, जो राज्य सरकार की सम्पत्ति है।

यह निर्णीत किया जाता है कि वह सम्पत्ति (परिसर) जिसे भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता हैं वह रामलला विराजमान में निहित रहेगी। यह भी स्थापित किया जाता है कि विवादित ढांचे के निर्माण के पहले से हिन्दू उस स्थान से पूजा करता था। वर्ष १९५९ में जब तीन गुम्बदों वाले विवाद ढांचे की दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा १४५ के अन्तर्गत कुर्की हुई उस समय श्री जावेद हुसैन नाम के व्यक्ति वक्फ कहे जाने वाले उस ढांचे के मुतवल्ली (प्रबन्धक) थे। मुतवल्ली की अनुपस्थिति में अन्य किसी को वक्फ सम्पत्ति का कब्जा नहीं दिलाया जा सकता, क्योंकि वे वहां मात्र इबादत करने वाले लोग हैं। वादी सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड व अन्य वादीगण सिद्ध करने में असफल रहे कि बाहरी और ढांचे सहित भीतरी आंगन वाला सम्पूर्ण विवादित परिसर उनके कब्जे में है।

सुन्नी वक्फ बोर्ड के वाद में कुछ वाद-बिन्दुओं पर न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा के निष्कर्ष

प्रश्नगत ढांचा जिसे मस्जिद कहा जाता है, वह मस्जिद नहीं था और उसे बाबर ने नहीं अपितु प्रतिवादियों के कथनानुसार मीरबाकी ने बनवाया था तथा उत्खनन रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जायेगा कि वह एक हिन्दू मन्दिर को तोड़कर उसी स्थान पर बनाया गया था। यह भवन कभी अल्लाह को समर्पित नहीं हुआ और न ही इसमें अनादिकाल से नमाज पढ़ी गई और यह भी कहना गलत है कि १९४९ के पहले यह भवन सुन्नी वक्फ बोर्ड या मुसलमानों के कब्जे में था और १९५० के बाद उनका कब्जा हटा। विपरीत कब्जे के कारण वादी का अधिकार पूर्ण नहीं माना जा सकता। १५२८ ई० के बाद प्रश्नगत ढांचा कभी भी लगातार और हिन्दुओं की जानकारी में रहते हुये मुसलमानों के कब्जे में नहीं रहा। प्रश्नगत भवन को इस्लामिक कानून के आधार पर वैधानिक मस्जिद नहीं कहा जा सकता। मस्जिद सुन्नी मुस्लिम द्वारा नहीं बनाई गई। मुतवल्ली के द्वारा मुकदमा नहीं लड़ा गया। मुतवल्ली इस वाद में वादी नहीं है इसलिए यह वाद स्वीकार करने-योग्य नहीं हैं। मुस्लिम वक्फ एक्ट के आधार पर जारी की गई अधिसूचना वैध नहीं थी उसे अप्रैल १९६६ में सिविल जज फैजाबाद द्वारा रद्द किया जा चुका है और इस एक्ट का हिन्दुओं के द्वारा की जाने वाली पूजा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। मुसलमानों का वाद क्रमांक ४ कालबाह्य है।

रामलला के वाद में कुछ वाद-बिन्दुओं पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के निष्कर्ष

निर्मोही अखाड़ा विवादित ढांचे के भीतर विराजमान भगवान रामलला की सेवा, पूजा का अधिकारी नहीं है। विवादित ढांचा जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है, वह बाबरी मस्जिद नहीं है। विवादित ढांचे को मस्जिद के रूप में घोषित किए जाने के लिए कोई वैध वक्फ निर्मित नहीं हुआ। विवादित ढांचा जिसे बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है, वह जन्मस्थान-मन्दिर को तोड़कर बनाया गया है। यह सही है कि ई० सन् १८६० के पश्चात् मुस्लिम इस परिसर के भीतर आंगन में आते थे, नमाज पढ़ते थे। आखिरी नमाज १६ दिसम्बर, १९४९ को पढ़ी गई।

वादी रामलला विराजमान एवं स्थान श्रीराम-जन्मभूमि विधिक प्राणी हैं। वाद-मित्र के द्वारा वाद दायर किये जाने का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। वाद-मित्र रामलला विराजमान और स्थान श्रीराम जन्मभूमि की ओर से वाद दायर कर सकते हैं।

२३ दिसम्बर १९४९ की अतिप्रातः बीच वाले गुम्बद के नीचे रामलला का विग्रह स्थापित किया गया और यही विग्रह आज कपड़े के बने अस्थाई मन्दिर के नीचे स्थापित है। और ये विग्रह प्राणप्रतिष्ठित है। विवादित सम्पत्ति वाद-पत्र में ठीक प्रकार से लिखी और चिह्नित की गई है। विवाद रामलला विराजमान और वादी स्थान श्री रामजन्मभूमि का अधिकार कभी समाप्त नहीं हुआ और इसलिए अधिकार पुनः प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री रामजन्मभूमि न्यास के बारे में उत्तर देना आवश्यक है। यह निश्चित किया जाता है कि हिन्दुओं के विश्वास के अनुसार और जैसा कि ये पूजा करते चले आ रहे हैं, तीनों गुम्बदों वाले ढांचे में बीच वाले गुम्बद का स्थान ही भगवान रामजन्म का स्थान है। महंत रघुवरदास द्वारा दायर किये गये मुकदमें में १८८५ ई० में अदालत का निर्णय वर्तमान वाद के विचार के लिए बाधक नहीं है। वादी रामलला विराजमान की पूजा अनादिकाल से हो रही है वाद कालबाह्य नहीं हैं रामलला का वाद आंशिक रूप से स्वीकार है।

रामलला के वाद में कुछ वाद-बिन्दुओं पर न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा के निष्कर्ष

प्रश्नगत ढांचा मस्जिद नहीं था। वह मस्जिद नहीं माना जा सकता वह जन्मभूमि-मन्दिर को तोड़कर उसी के ऊपर बनाया गया था। १५२८ से १९४९ तक इस स्थान का उपयोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं किया गया। ढांचे को मस्जिद के रूप में माने जाने के लिए कोई वैध वक्फ नहीं बना। विवादित स्थल नजूल गाटा संख्या ५८३ पर स्थित है, जो राज्य सरकार की सम्पत्ति है। यह कहना गलत है कि निर्मोही अखाड़ा ही केवल रामलला विराजमान और स्थान श्रीराम-जन्मभूमि का प्रतिनिधित्व करता है विवादित भवन के भीतर विराजमान रामलला की पूजा का अधिकार निर्मोही अखाड़े का नहीं है।

रामलला विराजमान तथा स्थान श्रीराम-जन्मभूमि विधिक प्राणी है। वे वाद-मित्र के माध्यम से अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। वाद-मित्र वादी के रूप में रामलला विराजमान तथा स्थान श्री राम जन्मभूमि का प्रतिनिधित्व अदालत में कर सकते हैं। विवादित परिसर ही हिन्दुओं की परम्पराओं, विश्वास और आस्था के आधार पर श्री रामलला विराजमान का जन्म स्थान है। परिसर में रामलला विराजमान की पूजा अनादिकाल से होती चली आ रही है। प्रस्तुत वाद में प्रश्नगत सम्पत्ति का प्रस्तुतीकरण ठीक ढंग से किया गया है। श्री रामजन्मभूमि न्यास एक वैधानिक न्यास है। २३ दिसम्बर १९४९ की अतिप्रातः रामलला मध्य गुम्बद के नीचे स्थापित किये गये और

वह विग्रह ही आज कपड़े के बने अस्थाई मन्दिर में विराजमान हैं और यह विग्रह प्राण–प्रतिष्ठित है। रामलला विराजमान तथा स्थान श्रीराम–जन्मभूमि के वाद में मांगी गई राहत ग्राह्य है।

न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के निर्णय का सारांश उन्हीं के शब्दों में

१. हिन्दुओं की आस्था और विश्वास के आधार पर विवादित भवन के बीच गुम्बद के नीचे का भाग ही भगवान राम की जन्मभूमि है।

२. विवादित भवन सदैव से एक मस्जिद माना जा रहा और मुस्लिम उसी रूप में उसमें इबादत करते रहे। यद्यपि यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि १५२८ ई० में बाबर के समय में इसे बनाया गया। वाद में लिखे गये तर्कों और दस्तावेजों के अतिरिक्त यह कहना कठिन है कि कब और किसके द्वारा विवादित भवन का निर्माण किया गया परन्तु यह स्पष्ट है कि इस विवादित परिसर का निर्माण ईसवी सन् १७६६ से १७७१ के बीच अवध में फ्रांसीसी पादरी टाइफैनथिलर के आगमन के पहले हुआ। विवादित परिसर का निर्माण एक गैरइस्लामिक का विग्रह भवन अर्थात् हिन्दू मन्दिर को गिराने के पश्चात् किया गया।

३. रामलला का विग्रह विवादित ढांचे के मध्य गुम्बद के नीचे २३ दिसम्बर, १९४९ के अतिप्रातः रखा गया।

४. निर्मोही अखाड़े द्वारा दायर वाद तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड का वाद वैधानिक समय–सीमा के पश्चात् दायर किये गये, इसलिये रद्द किये जाते हैं।

न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा के निर्णय का सारांश उन्हीं के शब्दों में

१. विवादित स्थल ही भगवान् राम का जन्म स्थान है। स्थान श्री राम–जन्मभूमि एक विधिक प्राणी है और देवता है। दैवीय भाव से युक्त है और एक बालक के रूप में रामलला का जन्म स्थान होने के कारण पूजित है। दिव्यता का भाव सदैव रहता है, सब स्थानों पर रहता है, हर समय रहता है, सबके लिये रहता है और अपने–अपने हृदय में होने वाली अनुभूति के अनुसार यह देवत्व निराकार अथवा अन्य किसी भी आकार का हो सकता है।

२. विवादित भवन बाबर द्वारा बनवाया गया। निर्माण का वर्ष निश्चित नहीं है, परन्तु यह इस्लाम की मान्यताओं के विरुद्ध बना। अतः मस्जिद का स्वरूप नहीं ले सकता। यह भवन एक पुराने भवन को गिराकर उसी स्थान पर बनाया गया। पुरातत्व विभाग ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह पुराना भवन एक विशाल हिन्दू धार्मिक भवन था।

३. मूर्तियां विवादित भवन के मध्य गुम्बद के नीचे २३ दिसम्बर, १९४९ की अतिप्रातः रखी गईं।

४. यह सिद्ध है कि विवादित सम्पत्ति भगवान राम की जन्म भूमि है और सर्वमान्य हिन्दुओं को यह अधिकार है कि वह चरण पादुका सीतारसोई और उस स्थन पर रखी हुई अन्य पूजा-योग्य वस्तुओं की पूजा करें। यह भी सिद्ध है कि हिन्दू विवादित स्थान को जन्म स्थान के रूप में पूजते चले आ रहे हैं अर्थात् जन्मभूमि एक देवता है और अनादिकाल से भक्त इसे पवित्र स्थान मानकर दर्शन करने आते रहे हैं। विवादित भवन के निर्माण के पश्चात् २३ दिसम्बर १९४९ की रात्रि में मूर्तियां वहां रखी गईं, यह सिद्ध है कि विवादित परिसर का बाहरी भाग (बाहरी आंगन जिसमें राम चबूतरा, सीतारसोई व चरण चिह्न थे) सदैव से केवल हिन्दुओं के कब्जे में रहा और वे सदैव इसकी पूजा करते रहे और भीतरी भाग (भीतरी आंगन जिसमें तीन गुम्बदों वाला ढांचा था, उसमें वे पूजा करते रहे) यह भी प्रमाणित है कि यह विवादित भवन मस्जिद नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह इस्लाम की मान्यताओं के विरुद्ध बना।

५. सुन्नी वक्फ बोर्ड का वाद तथा निर्मोही अखाड़े का वाद वैधानिक समय-सीमा के बाद दायर किये गये अतः निरस्त किये जाते हैं।

न्यायमूर्ति एस०यू० खान के निर्णय का सारांश उन्हीं के शब्दों में

१. विवादित ढांचा बाबर के आदेश से मस्जिद के रूप में बनवाया गया, परन्तु यह प्रमाणित नहीं हो सका कि निर्मित भवन-सहित सम्पूर्ण विवादित परिसम्पत्ति बाबर की या मस्जिद को बनाने वाले की या जिसके आदेश से इसे बनाया गया उसकी सम्पत्ति है।

२. मस्जिद के निर्माण के लिये किसी मन्दिर को नहीं तोड़ा गया, परन्तु मस्जिद किसी मन्दिर के खण्डहर पर बनाई गई, जो खण्डहर धरती के नीचे मस्जिद के

निर्माण के बहुत पहले से दबे पड़े थे और इसी खण्डहर की कुछ सामग्री मस्जिद के निर्माण में उपयोग की गई। मस्जिद के निर्माण के बहुत पहले से ही हिन्दू मानते थे तथा उनका विश्वास था कि इस बहुत विशाल भूखण्ड में कहीं भगवान राम का जन्मस्थान स्थित है। विवादित परिसर इस विशाल भूखण्ड का एक छोटा सा ही हिस्सा है। हिन्दू समाज का यह विश्वास किसी स्थान विशेष को चिन्हित नहीं करता, जिसके मध्य यह विवादित परिसर ही आ जाये। मस्जिद के बन जाने के पश्चात् से ही हिन्दू इसी विवादित परिसर को राम की जन्मभूमि के रूप में पहिचानने लगे।

३. १८५५ ई० के बहुत पहले ही रामचबूतरा और सीतारसोई थी और हिन्दू उसकी पूजा करते थे। यह अपने में बहुत अद्वितीय और दुर्लभ अवस्था है कि मस्जिद की चारदीवारी के भीतर एक हिन्दू धार्मिक स्थान भी है;

जिसमें हिन्दू पूजा करते हैं और मस्जिद में मुसलमान नमाज भी पढ़ते हैं इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हिन्दू और मुसलमान दोनों को ही इस सम्पूर्ण विवादित परिसर का सामूहिक भागीदार माना जायेगा। यद्यपि हिन्दू और मुसलमान परिसर अलग-अलग हिस्सों को उपयोग कर रहे थे और वे अलग-अलग हिस्से उनके कब्जे में भी थे, तो भी इससे परिसर का बँटवारा नहीं हुआ और सम्पूर्ण परिसर दोनों के ही सामूहिक कब्जे में बना रहा। हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष अपने मालिकाना हक को सिद्ध करने में सफल रहे; अतः दोनों का ही सामूहिक कब्जा कोने के आधार पर सम्पत्ति के सामूहिक मालिक घोषित किये जाते हैं। एक प्राथमिक डिक्री इस शर्त के साथ जारी की जाती है कि वास्तविक बँटवारे के समय बीच वाले गुम्बद का स्थान हिन्दू को दिया जायेगा; जहाँ आज रामलला विराजमान हैं।

४. १९४९ ई० के कुछ दशकों पूर्व से ही हिन्दुओं ने मानना और विश्वास करना प्रारम्भ कर दिया तीन गुम्बदों वाले ढाँचे में गुम्बद का भाग ही भगवान राम की ठीक-ठीक जन्मभूमि है और उसी स्थान पर आज कपड़े का अस्थाई मन्दिर बना है। गुम्बद के नीचे रामलला का विग्रह स्थापित किया गया। विशेषः न्यायमूर्ति एस०यू० खान ने किसी भी वाद को कालबाह्य मानकर अथवा अन्य किसी कारण से भी निरस्त नहीं किया।

न्यायमूर्ति एस०यू० खान द्वारा पारित आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह आदेश दिया जाता है कि मुस्लिम हिन्दू और निर्मोही अखाड़ा तीनों ही विवादित सम्पत्ति (वर्ष १९५० ई० में श्री शिवशंकर लाल कमिश्नर द्वारा तैयारी किये गये मानचित्र में जिसे एक ए,बी,सी,डी,ई,एफ से दर्शाया गया है और यह मानचित्र जनवरी १९५० ई० में गोपाल सिंह विशारद द्वारा दायर किये गये वाद में नत्थी है) के संयुक्त स्वामी घोषित किये जाते हैं और तीनों को ही इस परिसर का १/३ भाग प्रत्येक को उनकी पूजा और प्रबन्ध के लिए दिया जायेगा। तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री इस आशय के साथ पारित की जाती है कि वास्तविक बँटवारे में मध्य गुम्बद के नीचे का अंश जहाँ वर्तमान में भगवान रामलला विराजमान हिन्दुओं को दिया जायेगा तथा वास्तविक बँटवारे में रामचबूतरे के परिसर का वह भाग अवश्य दिया जायेगा जो भाग शिवशंकर लाल कमिश्नर द्वारा बनाये गये मानचित्र में रामचबूतरा और सीतारसोई के नाम से दर्शाये गये हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि तीनों पक्षकारों को परिसर का १/३-१/३ भाग बराबर-बराबर देने की घोषणा की गयी है अतः यदि वास्तविक बँटवारे के समय कुछ समन्वय, समायोजन की आवश्यकता पड़ती है; तो वह किया जाये और प्रभावित पक्ष को आस-पास की उस भूमि का (जो आज भारत सरकार के अधिकार में है) कुछ भाग देकर क्षतिपूर्ति की जाये; ताकि तीनों पक्षकारों को समान भूमि प्राप्त हो।

न्यायमूर्ति एस० यू० खान ने अपने आदेश में लिखा है कि जिन वाद-बिन्दुओं पर मैंने अपने निष्कर्ष नहीं लिखे हैं; उन सभी वाद-बिन्दुओं पर मेरी सहमति सहयोगी न्यायमूर्ति श्री सुधीर अग्रवाल के निष्कर्षों से है।

क्या हिन्दू समाज इस्लाम/मस्जिद का विरोधी है?

हिन्दू समाज न तो मुस्लिम समाज का विरोधी है और न ही मस्जिद का विरोधी है। वर्ष १९९२ ई० में नवम्बर मास के अन्तिम सप्ताह में तथा दिसम्बर के पहले सप्ताह में अयोध्या में सम्पूर्ण भारत से आये कई लाख रामभक्त (कारसेवक) एकत्र थे। अयोध्या में १५ से भी अधिक मस्जिदें अभी हैं; परन्तु किसी भी मस्जिद को कारसेवकों ने स्पर्श नहीं किया। अयोध्या में कई हजार मुस्लिम आबादी हैं। किसी मुस्लिम को पूरे देश से आये रामभक्तों ने स्पर्श नहीं किया। अयोध्या, फैजाबाद अथवा मार्ग में भी किसी दुकानदार को पीड़ित नहीं किया। किसी महिला से अभद्र व्यवहार नहीं हुआ। साधु-सन्तों ने दिल्ली में सम्पन्न हुई-धर्मसंसद में सार्वजानिक घोषणा की

थी कि ६ दिसम्बर १९९२ को प्रातः ११:४५ बजे अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि मन्दिर-निर्माण के लिए कारसेवा प्रारम्भ करेंगे। सभी ने इस दिनाँक व समय का पालन किया। निर्धारित समय के पूर्व किसी ने भी ढाँचे को स्पर्श नहीं किया। वे पूर्ण अनुशासित थे। वे एक बड़ा लक्ष्य अपने हृदय में संजोकर अयोध्या आये थे। उन्हें केवल श्रीरामजन्मभूमि पर खड़े तीन गुम्बदों वाले उस ढाँचे से सरोकार; जिसे हिन्दू समाज ४६४ वर्ष से गुलामी का कलंक मानता था और स्वाभिमानी भारत उस कलंक को मिटा देना चाहता था। वह ढाँचा धार्मिक उपासना-स्थल के रूप में बनाया गया था; अपितु भारत पर इस्लाम की विजय के प्रतीक के रूप में हिन्दू समाज के आराध्य मार्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि पर खड़े मन्दिर को तोड़कर बनाया गया। इस ढाँचे को हटा दिया गया; तो यह उसी प्रकार उचित रहा जैसे दिल्ली में इण्डिया गेट के नीचे खड़ी किसी अंग्रेज की मूर्ति की किसी देशभक्त ने नाक तोड़ दी; तो भारत सरकार ने उसे सम्मानपूर्वक हटवाकर कहीं रख दिया। उसकी कोई आलोचना नहीं करता है; क्योंकि वह प्रतिमा भारत पर ब्रिटेन के आधिपत्य की याद दिलाती थी।

प्रतिवादियों को भी जानें

यह समझाना आवश्यक है कि श्री रमेशचन्द्र त्रिपाठी और रामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति (जिसका गठन जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारकापीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानन्द जी महाराज द्वारा हुआ) का स्वतंत्र रूप से कोई मुकदमा नहीं है। उन्हें केवल अन्य हिन्दू पक्षकारों के समान प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। इनके द्वारा किसी दावे में कोई प्रतिवादी भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण न्यायालय इनके पक्ष में कोई आदेश अलग से देने की स्थिति में नहीं है। श्री रमेशचन्द्र त्रिपाठी व श्री मनमोहन गुप्ता-संयोजक रामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति-दोनों ही सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुकदमें में स्वयं अपनी ओर से प्रार्थना पत्र देकर प्रतिवादी बने। श्रीमहन्त धर्मदास पहलवान भी अपनी ओर से प्रार्थनापत्र देकर प्रतिवादी बने थे। परमहंस रामचन्द्र दास जी, हिन्दू महासभा दोनों को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने प्रतिवादी बनाया। परमहंस जी के साकेतवासी हो जाने के कारण उसके शिष्य महन्त सुरेशदास प्रतिवादी बने। निर्णय प्रतिवादियों के पक्ष में नहीं; अपितु वादी निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड अथवा रामलला विराजमान आदि में से किसी एक के पक्ष में होगा। निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुकदमें अदालत में रद्द कर दिये हैं। रामलला विराजमान का वाद स्वीकार हुआ है। हासिम अंसारी मुस्लिमों के वाद में कुल १० वादियों में से मात्र एक वादी है जिनका अपना स्वतन्त्र कोई अस्तित्व नहीं है।

मुकदमों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं का विवरण?

गोपाल सिंह विशारद के मुकदमे की पैरवी लखनऊ के श्री पुत्तूलाल मिश्रा अधिवक्ता करते थे, उनके देहावसान के पश्चात् लखनऊ के ही एक युवा अधिवक्ता श्री देवेन्द्र प्रसाद गुप्ता उसकी पैरवी करने लगे। अन्त में श्री अजय पाण्डेय अधिवक्ता ने उनकी ओर से अदालत के सामने एक दिन बहस भी की। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णमणि जी ने भी बहस की।

निर्मोही अखाड़े की ओर से अयोध्या-निवासी अधिवक्ता श्री रणजीत लाल वर्मा पैरवी करते थे। वे नित्य अदालत में आते भी थे। उन्होंने ही अदालत में जिरह/बहस भी की। उनकी अनुपस्थिति में उनके पुत्र श्री तरुणजीत वर्मा अदालत में उपस्थित रहते थे।

सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से श्री जफरयाब जिलानी एवं श्री मुस्ताक अहमद सिद्दीकी एवं अन्य तीन-चार अधिवक्ताओं की टोली पैरवी करती थी। श्री अब्दुल मन्नान भी इस मुकदमें में पैरवी करते थे, वे बहुत बुजुर्ग थे और उनका देहावसान हो गया। प्रसिद्ध विधिवेत्ता श्री सिद्धार्थ शंकर रे (बंगाल), जफरयाब जिलानी और मुस्ताक अहमद सिद्दीकी ने जिरह/बहस की।

रामलला विराजमान की ओर से श्री वेद प्रकाश निगम अधिवक्ता पैरवी करते थे। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के०एन० भट्ट ने रामलला विराजमान की ओर से अदालत में बहस की।

प्रतिवादी परमहंस रामचन्द्र दास जी महाराज (वर्तमान में महंत सुरेशदास जी दिगम्बर अखाड़ा, अयोध्या) की ओर से फैजाबाद-निवासी श्री मदनमोहन पाण्डेय अधिवक्ता गत १७ वर्षों से पैरवी कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के ही वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद ने बहस की, उनका सहयोग सर्वोच्च न्यायालय के ही अधिवक्तागण सर्वश्री भूपेन्द्र यादव, विक्रमजीत बनर्जी, सौरभ शमशेरी एवं भक्तिवर्धन सिंह ने किया।

मदन मोहन पाण्डेय अधिवक्ता ने रामलला विराजमान एवं प्रतिवादी परमहंस रामचन्द्र दास दोनों की ओर से पुरातत्व की रिपोर्ट पर एवं गवाहों के बयान तथा दस्तावेजों पर बहस की। प्रतिवादी बाबा अभिराम दास (वर्तमान में श्रीमहंत धर्मदास जी) की पैरवी फैजाबाद-निवासी अधिवक्ता श्री वीरेश्वर द्विवेदी करते थे।

उनके देहावसान के पश्चात् लखनऊ-निवासी श्री राकेश पाण्डे अधिवक्ता ने उनकी पैरवी की (श्री राकेश पाण्डे के पूज्य पिताजी श्री के०एम० पाण्डे ने जिला-न्यायाधीश के रूप में ही श्री रामजन्मभूमि पर लगे ताले को खोलने का आदेश दिया था)। मद्रास हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी० रामगोपालन् ने श्री महंत धर्मदास जी की ओर से अदालत में बहस की।

प्रतिवादी श्री रामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति (पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज द्वारा गठित) की ओर से कुमारी रंजना अग्निहोत्री अधिवक्ता उपस्थित रहती थीं। बहस कलकत्ता हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी०एन० मिश्रा ने की।

प्रतिवादी अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की ओर से जिरह/बहस अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन (लखनऊ) ने की।

प्रतिवादी रमेश चन्द्र त्रिपाठी की ओर से कोई अधिवक्ता प्रस्तुत नहीं हुआ, परन्तु किसी के बहकावे में आकर निर्णय टलवाने के लिये अदालत में अवश्य चले गये।

卐

अन्त में

देश में सामाजिक समरसता, सौमनस्यता, सद्भाव, सौहार्द एवं देश के प्रत्येक नागरिक के बीच पारस्परिक प्रगाढ़ता की वृद्धि के लिए सनातनी मनीषी प्रारम्भ से ही सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। ज्योतिष् एवं द्वारकाशारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज ने विशुद्ध सनातनी पद्धति से श्रीरामजन्मभूमि का उद्धार करने का तथा सभी नागरिकों में आपसी निजता को प्रगाढ़ करने के लिए श्रीरामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की स्थापना की थी। उस समय धर्म के नाम पर देश को साम्प्रदायिक हिंसा में झोंकने का प्रयास किया जा रहा था और प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट धार्मिक मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा था। महाराजश्री की स्पष्ट अवधारणा रही है जो कि विशुद्ध शास्त्रीयता पर आधारित है कि भगवान् श्रीराम कोटि-कोटि सनातनी हिन्दू जगत् के आराध्यदेव हैं, उन्होंने अयोध्या में जिस स्थान पर अवतार लिया था, उसे श्रीरामजन्मभूमि नाम से अभिहित किया गया है और आराध्यदेव की जन्मभूमि का दर्शन एवं उसकी प्रदक्षिणा सभी मनोरथों को पूर्ण करती है।

श्रीरामजन्मभूमि के उद्धार का प्रश्न किसी एक व्यक्ति या संस्था का नहीं, अपितु समस्त हिन्दू समाज का प्रश्न है। इस प्रश्न के कानूनी पक्ष की उपेक्षा कर मात्र आन्दोलनों या जनजागरण कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल धोखा देना है।

हम इस सन्दर्भ में कानून के पक्ष को स्वीकार करते हुए समस्त हिन्दू समाज का आवाहन करते हैं कि वे इस दिशा में सक्रिय भाग लें और अपनी भावनाओं, प्रमाणों, जानकारियों तथा साक्ष्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखें। हमारा यह भी स्पष्ट मत है कि श्रीरामजन्मभूमि पर पहले से ही मन्दिर विराजमान था जिसमें रामलला की पूजा हो रही थी; उसे तोड़ने से न केवल मन्दिर को ही क्षति पहुँची है बल्कि उस मन्दिर में लगे तमाम साक्ष्यों (मसलन कसौटी के चौदह खम्भे जिनमें विविध मूर्तियाँ अंकित थीं आदि) को चोट पहुँचाकर इस विषय में चल रहे प्रयासों को भी क्षति पहुँची है।

यह सामान्य ज्ञान की बात है कि आराध्यदेव के मन्दिर अनेक हो सकते हैं परन्तु अवतार स्थल या जन्मभूमि एक ही होती है। अनेक ग्रन्थों में यही बात कही गयी है। स्कन्दपुराण में तो स्पष्टतः रामजन्मभूमि का निर्देश, उसकी चौहद्दी एवं उसके महात्मय का वर्णन है।

महाराजश्री रामजन्मभूमि के विषय को मन्दिर-मस्ज़िद का झगड़ा नहीं मानते, उनका यह स्पष्ट मत है कि मामला कौशल्या की गोद में बैठे भगवान् श्रीराम की जन्मभूमि का है और वह कोटि-कोटि हिन्दूओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मुसलमान भाइयों को भी हिन्दुओं की इस मानसिकता को समझकर अपनी उदारता एवं सहिष्णुता का परिचय देना चाहिए।

पूज्य महाराजश्री का यह निश्चित मत है कि मन्दिर-मस्ज़िद शब्द से विवाद खड़ा हो रहा है अतः उस पवित्रतम स्थल को श्रीरामजन्मभूमि घोषित कर देना चाहिए और हिन्दू जनता अपने इष्ट की जन्मस्थली को प्रणाम कर ही संतुष्ट हो जाएगी और उसे रामजन्मस्थल के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। यह सुनिश्चित मत है कि वहाँ पर मस्ज़िद बनने से मन्दिर मिट सकता है तथा मन्दिर बनने से मस्ज़िद मिट सकती है लेकिन श्रीरामजन्मभूमि का अस्तित्व किसी भी दशा में नहीं मिटाया जा सकता।

हम किसी समुदाय को चिढ़ाकर या दिल दुःखाकर कोई कार्य नहीं करना चाहते। इसीलिए हमने अदालती कार्यवाही में भी हिस्सा लिया है जिसमें हमें प्रतिवादी के रूप में रखा गया है इस रूप में हम प्रतिदिन उसमें भाग ले रहे हैं इलाहाबाद, लखनऊ एवं अन्य क्षेत्रों के प्रसिद्ध अधिवक्ता इसमें स्वतः रुचि लेकर हमारा सहयोग कर रहे हैं। जिनमें डॉ० रामशंकर द्विवेदी, श्री ओमप्रकाश शाह, श्री राजेश शुक्ल (वरिष्ठ अधिवक्तागण, इलाहाबाद उच्च न्यायालय), श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, श्री अमिताभ शुक्ल (वरिष्ठ अधिवक्तागण, कलकत्ता उच्च न्यायालय), श्री सत्य प्रकाश पाण्डे, सुश्री रंजना अग्निहोत्री (लखनऊ उच्च न्यायालय) आदि प्रमुख हैं। इस मुकदमें में हमने देश के प्रसिद्ध अधिवक्ताओं से भी परामर्श किया है और उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर जिरह करने एवं बहस करने के लिए समय देना स्वीकार कर लिया है। इस कार्य को व्यवहारिक रूप देने के लिए ही हमने लखनऊ और अयोध्या में भी कार्यालय खोला है। और अपने पक्ष के सभी साक्ष्यों को, जो अकाट्य हैं, संकलित कर हम माननीय उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और मुकदमें को मुकदमे की तरह ही निपटा कर हम अपना पक्ष सिद्ध कर देंगे। इसके लिए पूज्य महाराजश्री के देश भर के शिष्य एवं रामभक्त सहयोग कर रहे हैं। श्रीमहन्त गोपालानन्द जी सभापति अग्नि अखाड़ा एवं उनके अन्य अनेक सहयोगियों, दैनिक जागरण समूह केश्री मदनमोहन गुप्त, जनधर्म के सम्पादक श्री कैलाश जी पन्त, कलकत्ता के श्री सज्जन सर्राफ एवं श्री अनिल पाटोदिया आदि सबको साथ लेकर इस कार्य में आगे बढ़े हैं। इस सन्दर्भ में निर्मोही अखाड़ा के श्रीमहन्त राजारामाचार्य जी महाराज आदि से भी हम विनिमय करते रहे हैं और वे भी हमारा सहयोग करने को तत्पर हैं। हमने दिनांक ५

नवम्बर, १९८६ को अपना वादपत्र प्रस्तुत किया था और तब से निरन्तर इस दिशा में संलग्न हैं।

हम आप सभी पत्रकार भाइयों का सहयोग चाहते हैं जिससे घृणा–द्वेष–कालुष्य के बिना ही उस पवित्र स्थली की प्राप्ति के हमारे प्रयासों की जानकारी जनसामान्य प्राप्त कर सकें। हमें विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हमें इसमें सफलता प्राप्त होगी।

हमने आपको इसलिए भी आमन्त्रित किया है ताकि आप देश की जनता को यह बता सकें कि भगवान् राम ने रामेश्वरम् में भगवान शंकर की स्थापना की थी तो भगवान शंकर के मतानुयायी शंकराचार्य अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि का पुनरुद्धार कर सनातन धर्म की उस परम्परा को सुदृढ़ कर रहे हैं जिसमें राम और शिव को एक मानकर सबकी शान्ति के लिए आराधना की जाती है। शंकराचार्यगण इस प्रश्न पर मौन नहीं हैं, रामालय न्यास के द्वारा वे पहले भी समेकित प्रयास कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं।

सज्जन कुमार सर्राफ
संयोजक
अखिल भारतीय श्रीरामजन्मभूमि
पुनरुद्धार समिति

प्रतिवादी संख्या-२० अखिल भारतीय श्रीराम जन्म भूमि पुनरुद्धार समिति जिसके संरक्षक पूज्यपाद जगद्गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज हैं, के अधिवक्ताओं द्वारा अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष जिन ठोस सुबूतों और साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया गया, वह निम्नलिखित है :-

१. **पहला मुकदमा:** नियमित वाद संख्या २/१९५०-००ए नं. १/१९८९, यह एक दर्शनार्थी भक्त गोपाल सिंह विशारद द्वारा १६ जनवरी, १९५० को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया गया था। क्योंकि गोपाल सिंह विशारद १४ जनवरी, १९५० को जब भगवान रामलला के दर्शन करने रामजन्मभूमि जा रहे थे तब पुलिस ने उन्हें व अन्य दर्शनार्थियों को रोक दिया। अतः १६ जनवरी, १९५० को गोपाल सिंह विशारद ने जिला अदालत में अपना वाद प्रस्तुत करके अदालत से प्रार्थना की :

(क) यह घोषणा की जाय कि वादी अपने धर्म-नियम तथा रीति के अनुसार भगवान श्रीराम जन्म आदि विराजमान स्थान जन्मभूमि जिसका विवरण (पूरब-भंडार चबूतरा, पश्चिम-परती, उत्तर-सीता रसोई, दक्षिण-परती) के निकट जाकर बिना रोक-टोक निर्विवाद, निर्विघ्न पूजा व दर्शन करने का अधिकारी है।

(ख) प्रतिवादी गणों के विरुद्ध स्थायी व सतत निषेधात्मक आदेश जारी किया जाए ताकि प्रतिवादी स्थान जन्मभूमि से भगवान रामचंद्र आदि की विराजमान मूर्तियों को उस स्थान से जहां वह हैं कभी न हटावें, तथा उनके प्रवेश द्वार व अन्य आन-जाने के मार्ग को बंद न करें। पूजा-दर्शन में किसी प्रकार की विघ्न व बाधा न डालें।

२. अदालत ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस देने के आदेश दिए और १६ जनवरी, १९५० को ही गोपाल सिंह विशारद के पक्ष में अंतिम आदेश जारी कर पूजा-अर्चना की अनुमति प्रदान की। सिविल जज ने ३ मार्च, १९५१ को अपने अंतरिम आदेश की पुष्टि कर दी। मुस्लिम समाज के कुछ लोग इस आदेश के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गए। मुख्य न्यायमूर्ति श्री बाथम व न्यायमूर्ति श्री रघुवर दयाल की पीठ ने २६ अप्रैल, १९५५ को अपने आदेश के द्वारा सिविल जज के आदेश को पुष्ट कर दिया और ढांचे के अंदर निर्बाध पूजा व अर्चना का

अधिकार सुरक्षित रहा। इसी आदेश के तहत आज तक भगवान श्रीरामलला की पूजा-अर्चना हो रही है।

३. दूसरा मुकदमा: पहले मुकदमे के ठीक समान प्रार्थना के साथ दूसरा मुकदमा नियमित वाद संख्या २५/१९५० महंत परमहंस श्री रामचंद्र दास जी ने ५ दिसंबर, १९५० को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। अदालत ने गोपाल सिंह विशारद को दी गई सुविधा परमहंस जी को भी प्रदान की। परमहंस जी ने यह मुकदमा १९९२ में वापस ले लिया।

४. तीसरा मुकदमा: नियमित वाद संख्या २६/१९५९ ००ए नं.३/१९८९ पंच रामानंदी निर्मोही अखाड़ा ने अपने महंत के नाम से १७ दिसंबर, १९५९ को दायर किया। उन्होंने जन्मभूमि मंदिर के प्रबंधन तथा सुपुर्दगी से रिसीवर को हटाकर उक्त कार्य वादी निर्मोही अखाड़े को सौंपने के पक्ष में आदेश जारी किए जाने की प्रार्थना की।

५. चौथा मुकदमा: नियमित वाद संख्या १२/१९६१ ००ए नं.४/१९८९ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से १८ दिसंबर, १९६१ को जिला अदालत फैजाबाद में दायर कर निम्न राहत मांगी :

१. वाद-पत्र के साथ नत्थी किए गए नक्शे में एबीसीडी अक्षरों से दिखाई गई संपत्ति को मस्जिद घोषित कर दिया जाए।

२. उक्त स्थान का कब्जा मुसलमानों को दिलाया जाए एवं वहां पर जो विराजमान मूर्तियां हैं उनको हटाया जाए।

नोट: सिविल जज फैजाबाद द्वारा ६ जनवरी, १९६४ को दिए गए आदेश के माध्यम से उपरोक्त चारों मुकदमें सुनवाई के लिए एक साथ जोड़ दिए गए।

६. पांचवा मुकदमा: नियमित वाद संख्या २३६/१९८९ ००ए नं.५/१९८९ सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवकी नंदन अग्रवाल ने रामलला विराजमान एवं उक्त स्थान को देवतुल्य मान कर वादी मानते हुए दोनों वादियों की ओर से एक जुलाई, १९८९ को जिला अदालत में दाखिल किया। अदालत से मांग की :

१. यह घोषणा की जाए कि अयोध्या में श्रीरामजन्म भूमि का संपूर्ण परिसर श्रीरामलला विराजमान का है।

२. प्रतिवादियों के विरुद्ध स्थायी स्थगनादेश जारी करके कोई व्यवधान खड़ा करने या कोई आपत्ति करने से या अयोध्या में श्रीरामजन्म भूमि पर नए मंदिर के निर्माण में कोई बाधा खड़ी करने से रोका जाए।

७. उक्त चारों मुकदमों में निम्नलिखित वाद बिंदु बनाए गए :

००ए नं.१/१९८९ में १७ इश्यू

००ए नं.३/१९८९ में १७ इश्यू

००ए नं.४/१९८९ में २८ इश्यू

००ए नं.५/१९८९ में ३० इश्यू

८. मुख्य-वाद बिंदु :

१. क्या उक्त विवादित स्थल श्रीरामचंद्र की जन्मभूमि है?

२. क्या प्रकरण गत स्थल बाबर द्वारा १५२८ में बनवाई गई बाबरी मस्जिद है?

३. क्या वहां पर भगवान श्रीरामचंद्र आदि की मूर्तियां विराजमान हैं?

४. क्या प्रकरण गत स्थल पर विवादित ढांचा श्रीरामजन्मभूमि मंदिर को तोड़कर बनाया गया था?

५. क्या प्रकरणगत स्थल इस्लामिक ला के अंतर्गत मस्जिद नहीं है, क्योंकि वहां पर मीनारें नहीं थीं और वजू के लिए भी कोई स्थान नहीं था?

६. क्या प्रकरणगत स्थल तीन तरफ समाधियों से घिरा होने के कारण इस्लामिक ला के हिसाब से मस्जिद नहीं है?

७. क्या प्रकरणगत भवन के अंदर जो खंभे लगे थे उन पर देवी–देवताओं, जानवरों और अन्य सजीवों के चित्र उकेरे हुए थे? यदि इसका उत्तर हां है तो क्या उक्त भवन मस्जिद हो सकती है?

८. क्या प्रकरणगत भवन रामजन्मभूमि स्थान को तोड़कर के बाबर द्वारा बनवाया गया था?

९. क्या प्रकरणगत स्थल से हिंदू अनादिकाल से अनवरत पूजा इस आस्था, विश्वास और परंपरा से करते आ रहे हैं कि उक्त स्थल उनके आराध्य देव भगवान राम की जन्मस्थली रही है?

१०. क्या मुसलमानों का वाद काल बाधित (बार्ड बाइ लिमिटेशन) है?

११. क्या विवादित भवन नजूल प्लाट संख्या ५८३ पर मोहल्ला रामकोट अयोध्या में था?

१२. क्या प्रकरणगत भवन बाबर द्वारा बनवाया गया था या मीर बाकी द्वारा

१३. क्या अधिकांशतः हिंदू रामजन्मभूमि में आस्था रखते हैं?

उक्त प्रकरण में कुल ८२ गवाहों का परीक्षण हुआ। जिनमें से ५४ हिंदू पक्ष के थे। जिनकी गवाही ७१२८ पृष्ठों में हुई। मुसलमानों की ओर से कुल २८ गवाह थे जिनकी गवाही ३३४३ पृष्ठों में हुई।

एएसआई की खुदाई के बाद हिंदू पक्ष से कुल चार गवाह उपस्थित हुए। जिनकी गवाही १२०९ पृष्ठों में हुई। मुस्लिम पक्ष से कुल आठ गवाह उपस्थित हुए जिनकी गवाही २३११ पृष्ठों में हुई।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त साक्ष्य :

एएसआई की खुदाई सभी पक्षों के अधिवक्ताओं एवं वादियों की उपस्थिति में १२ मार्च, २००३ को प्रातः १० बजे से प्रारंभ हुई जो अगस्त २००३ तक चली। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट ७ अगस्त २००३ को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। एएसआई द्वारा ८२ ट्रिंचे खोदी गई थीं।

५.३.२००३ को माननीय उच्च न्यायालय ने आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया को आदेशित किया था वे प्रकरण गत स्थल की खुदाई इस बाबत करें कि वहां पर नीचे कोई मंदिर या ढांचा पूर्व में था। साथ ही साथ आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया को यह भी निर्देश दिए गए थे कि जिस स्थान पर भगवान श्री रामलला विराजमान हैं, उसके चारों तरफ लगभग दस फिट के क्षेत्रफल में छेड़छाड़ न की जाए न ही पूजा और दर्शन में कोई विघ्न-बाधा डाली जाए।

खुदाई के दौरान एएसआई की टीम में पर्याप्त संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी उपस्थित रहते थे एवं मुस्लिम पक्ष के लोग एवं मुस्लिम वादकारियों के अधिवक्ता भी उपस्थित रहते थे। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट ७ अगस्त २००३ को जमा की जो दो खंडों में थी। पहला खंड जिसमें उक्त स्थान की खुदाई किस प्रकार की एवं क्या-क्या साक्ष्य व प्रमाण प्राप्त हुए, का पूरा विवरण था।

भाग दो में उक्त स्थान पर प्राप्त वस्तुओं की यथावत फोटो (इन सी टू) एएसआई ने रिपोर्ट के प्रथम भाग में दस अध्यायों में उक्त स्थल का पूरा विवरण दिया एवं पुरातात्विक दृष्टि से जो नक्शे बनाए वह भी संलग्न किए। यह खंड ३०९ पृष्ठों में था।

दूसरा खंड २३५ फोटो विवरण सहित का है।

एएसआई की खुदाई के दौरान ६२ मानव आकृतियां एवं १३१ जीव आकृतियां प्राप्त हुईं। (पेज १७४, चैप्टर-७, खंड-१) उक्त सभी आकृतियां हिंदू धर्म से संबंधित थीं। जैसे देवी और देवता। एएसआई ने खंड-दो में उक्त आकृतियों का इन सी टू फोटोग्राफ खींचकर कोर्ट में दाखिल किया। (वाल्यूम टू - प्लेट नंबर १०५, १०४, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, ११२, १११, ११३, ११९, १५५, ११६, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३१, १३०, १३४, १३५, १३२, १३३, १३६)

इसके अतिरिक्त अन्य सामग्री जो केवल मंदिरों से ही संबंधित है, प्राप्त हुई। उसका विवरण अग्रलिखित है।

एएसआई रिपोर्ट खंड दो :

प्लेट संख्या ८१- मकर प्रनाल, प्लेट संख्या-८५-कपोत पल्ली, प्लेट संख्या २३५-डिवाइन कपल (उमा-महे वर), प्लेट संख्या ३५, ३६, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ५९, ८७ - पिलर बेसिस, प्लेट संख्या ५९-सर्कुलर स्राइन, प्लेट संख्या-८९, ९०-कमल के फूल, प्लेट संख्या ०३-चूल्हा, प्लेट संख्या १३७-नागरीय लिपि में लिखा हुआ नागरीय लिपि में शिलालेख, स्वास्तिक चिन्ह, प्लेट संख्या ८८-श्री वत्स का चिन्ह। उक्त सभी प्राप्त वस्तुएं मंदिर की तरफ इशारा करती हैं।

पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक विधि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं नियंत्रण के अंतर्गत हुई। मुस्लिम पक्ष द्वारा एएसआई के विरुद्ध अनर्गल, मिथ्या एवं मनगढ़ंत आरोप लगाए गए जो वह स्वयं सिद्ध नहीं कर सके। क्योंकि उनके ही एक विशेषज्ञ मो. आबिद ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशपथ बयान दिया कि एएसआई ने खुदाई के दौरान वैज्ञानिक तरीका ही अपनाया था और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उस स्थान पर जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई थीं उनमें सब हिंदू मंदिरों से संबंधित थीं। जैसे कि उदाहरणतया तोरण गणपति, उमा-महे वर, प्राकार मंदिर एवं मंदिरों के द्वारों पर बनने वाले विभिन्न यंत्र, श्रीयंत्र, रामयंत्र इत्यादि। उनके एक अन्य गवाह श्री डी. मंडल ने स्वीकार किया कि उक्त स्थान पर खुदाई के दौरान चूल्हे एवं भट्ठी प्राप्त हुए जिससे स्वतः स्पष्ट है कि चूल्हे एवं भट्ठी का उपयोग विराजमान भगवान के भोग और प्रसाद आदि को बनाने के लिए किया जाता है। मुस्लिमों के अन्य विशेषज्ञ जो मौके पर उपस्थित रहते थे, उन्होंने यह स्वीकार किया कि आमलक, कीर्तिमुख, घटपल्लव एवं जानवरों की मूत्रियां मानव आकृतियां खुदाई के दौरान विभिन्न स्तरों से प्राप्त हुई।

इसके अतिरिक्त और बहुत से साक्ष्य हैं जो हिंदू मंदिर की पुष्टि करते हैं। उपरोक्त साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उनका प्रति परीक्षण करने के पश्चात् कोई भी सामान्य ज्ञान का व्यक्ति इस परिणाम पर पहुंच सकता है कि उस स्थान पर क्या था। हमें यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

भगवान श्री रामजन्मभूमि को सिद्ध करने के लिए सैकड़ों पुस्तकें प्रस्तुत की गईं। जैसे कि अथर्ववेद, स्कंदपुराण, नरसिंह पुराण, वाल्मीकि रामायण, श्रीराम चरितमानस, केनोपनिषद्, मनु स्मृति, याज्ञवल्यक्य स्मृति, नारद स्मृति, कौतुहल वृत्ति आदि। इन सभी

पुस्तकों से हम यह सिद्ध करने में सफल हुए कि उक्त प्रकरण गत स्थल ही भगवान श्रीरामजन्म भूमि स्थल है।

बाबर कभी अयोध्या आया ही नहीं। न ही बाबर और उस समय के शासक के बीच में कोई युद्ध हुआ। इसका प्रमाण और साक्ष्य मुस्लिम पक्ष देने में सफल नहीं हो सका है। अतः बाबर जो एक विदेशी आक्रांता और लुटेरा था, के द्वारा तथाकथित मस्जिद बनवाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यहां तक कि बाबर-नामा में भी बाबर का अयोध्या जाना, बाबर के द्वारा अयोध्या में बाबरी-मस्जिद का बनवाना कहीं नहीं लिखा है। जबकि बाबरनामा में बाबर द्वारा किए गए सभी कृत्यों का वर्णन है। बाबर ने जहां-जहां मंदिरों को तोड़ा और लूटा और मस्जिदों को बनवाया, उन सभी का जिक्र है, परंतु अयोध्या का जिक्र कहीं नहीं है।

मीर बाकी नाम के किसी आदमी का नाम बाबर नामा में नहीं है बल्कि मीर बाकी ताशकंदी का नाम बाबरनामा में है। ताशकंद उजबेकिस्तान में है।

बाबरनामा, हुमायूंनामा (लेखक-गुलबदन बेगम, बाबर की पुत्री) तुजुके जहांगीरी तारीखे बदायूंनी, तारीखे फरिश्ता, आइने अकबरी, तबकायते अकबरी, वकीयत मुश्ताकी, तारीखे दाऊदी, आदि मुसलमानी पुस्तकों में भी बाबर के द्वारा अयोध्या जाकर किसी मस्जिद को बनवाने का वर्णन नहीं मिलता है। बल्कि उक्त पुस्तकों में अयोध्या में भगवान श्रीराम के जन्म का वर्णन जरूर मिलता है। १७७० में टिफिन थेलर का भारत में आना एवं उसके द्वारा लिखित पुस्तक में एक बड़े हाल का वर्णन मिलता है, जिसके बीच वाले शिखर के नीचे पूजा-आरती एवं हजारों की संख्या में हिंदुओं द्वारा घंटा-घड़ियाल बजाने का वर्णन किया गया है। विभिन्न गजट और गजेटियर में भी। उदाहरण अवध गजेटियर १८७७-७९ में भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या मोहल्ला रामकोट में वर्णित है। उक्त गजेटियर में यह भी लिखा है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की नवीं तारीख को भगवान राम का जन्मदिन उस स्थान पर मनाया जा रहा था जहां पर पांच लाख की भीड़ उपस्थित थी।

गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपनी कृति रामचरित मानस में लिखा है- 'जेहि दिन राम जनम श्रुति गावें, तीरथ सकल तहां चलि आवहिं'।

उक्त स्थान पर मूर्तियों से सुसज्जित खंभे लगे हुए थे। अजान देने के लिए कोई मीनारें नहीं बनी थीं। वजू के लिए कोई स्थान नहीं था। चारों तरफ हिंदू संतों की समाधियां बनी थीं। पैगंबर मोहम्मद के अनुसार वह स्थान कभी मस्जिद हो ही नहीं

सकता क्योंकि जिस स्थान पर मूर्तियां बनी होती हैं या पशु-पक्षियों के चित्र होते हैं वहां पर शैतान रहता है और फरिश्ते नहीं उतरते हैं। उक्त स्थान पर लगातार शंख, घंटे और घड़ियाल बजते रहते थे। मुस्लिम समुदाय की कुरान पाक के अनुसार भी जहां पर घंटे, घड़ियाल और भांख बजते हैं वहां पर शैतान रहता है। फरिश्ते वहीं नहीं उतरते। हदीस शाह मुस्लिम वाल्यूम-१, पेज ५२८ पैगंबर मोहम्मद ने कपड़ों पर चित्रकारी, पर्दे में चित्रकारी, तकिया में जीव-जन्तुओं की चित्रकारी चादर, दीवारों पर भी जीव-जंतुओं और मनुष्यों की आकृतियों को पूरी तरह से निषेध किया है क्योंकि आकृतियों की उपस्थिति के कारण फरिश्ते नहीं उतरते और वह स्थान शैतानी हो जाता है।

जामीयत तिरमिदी वाल्यूम-२, हदीस १०५० में पैगंबर मोहम्मद ने कब्रिस्तान में जाने वहां पर नमाज पढ़ने को पूरी तरह से निषेध किया है। कब्रों को पक्की बनाने, उन पर प्लास्टर करने का भी निषेध है।

इस्लाम मत के अनुसार नमाज पढ़ने के पहले हाथ-पैर धोकर वजू करना बहुत जरूरी है। वहां पर वजू के लिए कोई स्थान नहीं था।

अब आप स्वयं बताएं कि जहां पर अजान के लिए मीनार न हो, वजू के लिए स्थान न हो, चारों तरफ शैतान बसते हों, चारों तरफ समाधियां हों, घंटे-घड़ियाल बजते हों पूरे भवन के अंदर देवी-देवताओं की मूर्तियां हों जहां पर वाराह (सुअर) भगवान की मूर्ति हो, क्या वहां पर कोई मुसलमान नमाज पढ़ना पसंद करेगा या वहां पर फरिश्ते उतरेंगे।

मुसलमानों का वाद छह वर्ष काल बाधित है।

संपूर्ण विश्व के कोने-कोने में रहने वाले सनातन धर्मावलंबियों का विश्वास उनकी आस्था एवं पुस्तकों से अर्जित ज्ञान तथा पूर्वजों से मिली परंपराओं के आधार पर उक्त स्थान ही भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है। भगवान श्रीराम हिंदुओं के हृदय बिंदु हैं और हमारे पूर्वज हैं। भारत के राष्ट्र पुरुष हैं। हमारी आस्था और विश्वास उस स्थान से जुड़ी है। धर्मग्रंथों के आधार पर हमारी आस्था को बल मिलता है कि उक्त स्थान के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। वहां पर दंडवत प्रणाम करने से कई गायों के दान का पुण्य मिलता है इत्यादि। भगवान श्रीराम के मर्यादित आचरण पर चलने के लिए हम हिंदू जन सदैव तत्पर रहते हैं और प्रयत्न करते हैं कि हमारा आचरण मर्यादा में ही रहे।

मुसलमानों ने अपने वाद में या अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए कहीं पर ऐसा नहीं कहा है कि उक्त स्थान से उनकी आस्था, उनकी परंपरा या उनका विश्वास जुड़ा हुआ है। न ही एक आक्रांता, विदेशी हमलावर, लुटेरे को अपना पूर्वज माना है और न ही कभी यह कहा है कि उसके दिखाए हुए मार्ग पर वह चलना चाहते हैं।

रंजना अग्निहोत्री
अधिवक्ता, डिफेंडेंट नंबर २०
अखिल भारतीय श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति

ज्योतिष्पीठ एवम् द्वारका शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज के निजी सचिव ब्रह्मचारी सुबुद्धानन्द जी का जन्म 01 दिसम्बर 1951 को हुआ तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी (उ०प्र०) से आचार्य की उपाधि प्राप्त की। शंकराचार्य जी की सेवा में सन् 1968 से समर्पण तथा सम्प्रति श्री रामजन्म भूमि पुनरूद्धार समिति (रजि.) के राष्ट्रीय संयोजक हैं। पूज्य शंकराचार्य जी द्वारा नैष्ठिक ब्रह्मचारी एवं श्री विद्या की सर्वोच्च दीक्षा तथा पूर्णाभिषेक हुआ है। परमपूज्य जगद्गुरू शंकराचार्य की प्रेरणा से भारत में सनातन हिन्दू धर्म के केन्द्रों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार में ब्रह्मचारी सुबुद्धानन्द जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें कुछ उल्लेखनीय कार्य इस प्रकार हैः-

1. जबलपुर (म.प्र.) में श्री बगलामुखी सिद्धपीठ और शंकाराचार्य मठ का निर्माण, शंकराचार्य जल सेवा का शुभारम्भ एवं संचालन तथा शंकराचार्य चलित (मोबाइल) अस्पताल का शुभारम्भ एवं संचालन।
2. श्री धाम (परमहंसी गंगा म.प्र.) में सर्वसिद्धि हनुमान मंदिर का निर्माण, जम्बीर वाटिका का निर्माण।
3. ज्योतिर्मठ (बदरिकाश्रम, उत्तराखण्ड) में आदिशंकराचार्य की गुफा का जीर्णोद्धार, ज्योतिर्मठ का नवनिर्माण।
4. भोपाल (म.प्र.) में श्री राजराजेश्वरी मन्दिर और शंकराचार्य मठ का निर्माण।
5. रायपुर (छ.ग.) में श्री राजराजेश्वरी मन्दिर और शंकराचार्य मठ का निर्माण।
6. हरिद्वार (उ.प्र.) में श्री शंकराचार्य मठ का निर्माण।
7. वाराणसी (उ.प्र.) में श्री विद्या मठ का निर्माण।
8. चाईवासा (झारखण्ड) में विश्व कल्याण आश्रम में बड़े अस्पताल का निर्माण।

सम्पूर्ण देश में चल रहे शंकराचार्य जी के 70 से अधिक प्रकल्पों का प्रत्यक्ष संचालन, श्री रामजन्मभूमि शिलान्यास के समय शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी पर शंकराचार्य जी के आदेशानुसार भूमिगत रहकर राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का संचालन, दो बार श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ मन्दिर समिति, हिमालय मन्दिर समिति, हिमालय उत्तराखण्ड के सदस्य तथा उपाध्यक्ष पद पर सुशोभित रहे । दोनों कार्यकालों में बद्री-केदार मन्दिरों के अन्तर्गत पूजा-स्थलों तथा धर्मशालाओं का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार हुआ।

पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री सुबुद्धानन्द जीः-

1. कोलकाता से प्रकाशित दैनिक सन्मार्ग के संवाददाता।
2. म.प्र. राज्य सरकार से अधिमान्य पत्रकार।
3. दैनिक जयलोक जबलपुर के सलाहकार निदेशक/संचालक हैं।

पुस्तक लेखनः-

1. 'दिव्य विभूति' (श्री स्वामी स्वरूपानन्द जी का जीवन चरित्र)
2. 'धर्म क्रान्ति से कारागार तक'।
3. श्री बगलामुखी उपासना पर चार पठनीय ग्रन्थ हैं।
4. अ.भा. आध्यात्मिक उत्थान मण्डल के न्यासी तथा संगठन मन्त्री।
5. अ.भा. रामालय न्यास के अध्यक्ष।
6. आध्यात्म विद्यापीठ अमरकण्टक के अध्यक्ष।